



भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

संघ सरकार (सिविल)
अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां
2024 की प्रतिवेदन सं. 8

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

संघ सरकार (सिविल)
अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां
2024 की प्रतिवेदन सं. 8

संसद में प्रतिवेदन प्रस्तुत की गई:

लोक सभा -

राज्य सभा -

विषय-सूची

विवरण	पैराग्राफ	पृष्ठ
प्राक्कथन		v
विहंगावलोकन		vii - xvi
अध्याय-I : प्रस्तावना		
इस प्रतिवेदन के बारे में	1.1	1
लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकार	1.2	1
लेखापरीक्षा का नियोजन तथा संचालन	1.3	2
लेखापरीक्षा कवरेज	1.4	2
सिविल मंत्रालयों/विभागों का बजट एवं व्यय नियंत्रण	1.5	3
मुख्य योजनाओं में ₹500 करोड़ से अधिक की बचत	1.6	6
संघ शासित क्षेत्रों की लेखापरीक्षा	1.7	8
केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) की लेखापरीक्षा	1.8	10
लंबित एटीएन की स्थिति	1.9	10
लेखापरीक्षा पैराग्राफों के प्रति मंत्रालयों/विभागों का उत्तर	1.10	11
अध्याय-II : संघ के मंत्रालय		
(I) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय		
संसाधनों के गैर-व्यपगत केन्द्रीय पूल का विश्लेषण	2.1	14
(II) शिक्षा मंत्रालय		
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग		
सरकारी खाते के बाहर निधियों को रखना	2.2	33
(III) विदेश मंत्रालय		
भारतीय दूतावास, बर्लिन		
त्रुटिपूर्ण करार के निष्पादन के कारण परामर्शदाता को अनुचित लाभ	2.3	39
भारतीय उच्च आयोग, लन्दन		
पासपोर्ट अभ्यर्पण शुल्क का अधिक प्रभार	2.4	45

विवरण	पैराग्राफ	पृष्ठ
भारतीय दूतावास, स्टॉकहोम		
मिशन/मंत्रालय द्वारा सक्रिय कार्रवाई की कमी के कारण ₹2.84 करोड़ का परिहार्य व्यय	2.5	48
(IV) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय		
सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो, कोलकाता, गुवाहाटी, हैदराबाद, चेन्नई तथा करनाल		
क्षय रोग-प्रतिरोधी तथा अन्य दवाइयों के खराब होने के कारण हानि	2.6	54
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसआई) एवं केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ)		
बिजली प्रभारों पर ₹2.52 करोड़ का परिहार्य व्यय	2.7	57
(V) गृह मंत्रालय		
सीमा सुरक्षा बल		
फलैटों की खरीद पर निधियों का अवरोधन	2.8	58
ब्याज का परिहार्य भुगतान	2.9	61
(VI) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय		
भारत का राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय (एनएफएआई), पुणे द्वारा राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन का कार्यान्वयन	2.10	64
(VII) कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय		
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कर्मचारी चयन आयोग		
ठेकेदार को परिहार्य भुगतान	2.11	91
(VIII) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय		
आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण एवं ज्ञान जागरूकता (संकल्प)	2.12	95
(IX) जनजातीय कार्य मंत्रालय		
एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना		
निधियों का अवरोधन तथा प्रत्याशित लाभों की अनुपलब्धि	2.13	115

विवरण	पैराग्राफ	पृष्ठ
भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ (ट्राईफेड)		
ट्राईफेड द्वारा निधियों का विपथन	2.14	119
अध्याय-III: विधायिका रहित संघ शासित क्षेत्र		
(ए) व्यय		
अंडमान और निकोबार प्रशासन		
नौवहन सेवा निदेशालय		
राजस्व की हानि	3.1	122
सामान्य वित्तीय नियमावली के उल्लंघन में कुल ₹61.01 लाख तक की बोली-पूर्व बयाना राशि जमा तथा प्रतिभूति जमा की गैर-वसूली	3.2	124
अंडमान लक्षद्वीप बंदरगाह संकर्म (एएलएचडब्ल्यू)		
जुटाव अग्रिम एवं मालबंधन अग्रिम के कारण ब्याज की कम वसूली/गैर-वसूली	3.3	127
चंडीगढ़ प्रशासन		
ठेकेदारों को अनुचित लाभ	3.4	130
दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव		
सहायता अनुदान पर अर्जित ब्याज का प्रतिधारण	3.5	134
लद्दाख		
जम्मू एवं कश्मीर सशस्त्र पुलिस (जेकेएपी)		
परिवीक्षा पर नियुक्त किए गए कार्मिकों को भत्तों का अस्वीकार्य भुगतान	3.6	136
(बी) राजस्व		
चंडीगढ़ प्रशासन		
गलत परिकलन के कारण कर का कम उदग्रहण	3.7	137
बिक्री को छुपाने के परिणामस्वरूप कर का कम उदग्रहण	3.8	139
परिशिष्ट	143-152	
अनुलग्नक	153-180	

प्राक्कथन

मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। प्रतिवेदन में विधायिका रहित संघ शासित क्षेत्रों सहित सामान्य और सामाजिक सेवा क्षेत्र के अधीन संघ सरकार के 23 मंत्रालयों/विभागों और उनके क्षेत्रीय कार्यालयों की अनुपालन लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित वे दृष्टांत हैं जो वर्ष 2021-22 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाये गए थे और साथ ही वे भी हैं जो पूर्व वर्षों में संज्ञान में आए थे, परंतु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किए जा सके थे। 2021-22 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी, जहां भी आवश्यक है, शामिल किया गया है।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में सामान्य एवं सामाजिक सेवा क्षेत्रों के साथ विधायिका रहित संघ शासित क्षेत्रों के अधीन संघ सरकार के 23 सिविल मंत्रालयों/विभागों/संवैधानिक निकायों (परिशिष्ट-I) से संबंधित 44 अनुदानों के अंतर्गत वित्तीय लेनदेन की अनुपालन लेखापरीक्षा से उजागर हुए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल हैं।

इन 23 सिविल मंत्रालयों/विभागों के सकल व्यय में 2020-21 में ₹7,88,028.36 करोड़ से 2021-22 में ₹7,87,047.55 करोड़ तक की 0.12 प्रतिशत की कमी हुई (परिशिष्ट-II)।

इस प्रतिवेदन में 11 मंत्रालयों/विभागों एवं विधायिका रहित चार संघ शासित क्षेत्रों से संबंधित 26 उदाहरणात्मक मामले¹ शामिल हैं। इस प्रतिवेदन में शामिल मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्षों का विहंगावलोकन नीचे दिया गया है:

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

संसाधनों के गैर-व्यपगत केन्द्रीय पूल का विश्लेषण

1996 में पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों में बुनियादी ढांचे के त्वरित विकास को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा एक पहल शुरू की गई थी। इस प्रयोजन के लिए केन्द्र सरकार ने 1998-1999 में एक गैर-व्यपगत केन्द्रीय पूल संसाधन योजना (एनएलसीपीआर) बनाई जिसे प्रति वर्ष 54 गैर-छूट वाले केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा पूर्वोत्तर राज्य पर खर्च के लिए निर्धारित सकल बजटीय सहायता के निर्धारित 10 प्रतिशत की अव्ययित राशि से वित्त पोषित किया जाना था। हालांकि यह देखा गया कि एनएलसीपीआर के लिए आरक्षित निधि भारत के सार्वजनिक खाते में नहीं बनाई गई थी एवं यह केवल आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा बनाए गए एक काल्पनिक पूल के रूप में बनी हुई थी जिसका उपयोग एनएलसीपीआर योजना को निधि देने के लिए नहीं किया जाना था।

¹ मंत्रालयों एवं विभागों द्वारा 'की गई कार्रवाई/वसूलियों' के अन्तर्गत पैरा 1.11 के तहत शामिल हुए चार मामले

योजना के अंतर्गत परियोजनाओं का निष्पादन असंतोषजनक था क्योंकि 21 प्रतिशत परियोजनाएं काफी विलंब के साथ अधूरी थीं। मंत्रालय और राज्य स्तर पर एनएलसीपीआर योजना की निगरानी में भी कमी पाई गई।

(पैराग्राफ सं. 2.1, पृष्ठ सं. 14)

शिक्षा मंत्रालय

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

सरकारी खाते के बाहर निधियों को रखना

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग सीधे पीएओ से लाभार्थियों को छात्रवृत्ति का अंतरण करने हेतु वर्तमान नियमों तथा पीएफएमएस के अनिवार्य उपयोग का अनुपालन करने में विफल रहा जो सरकारी खाते के बाहर निधियों को रखने तथा अनुवर्ती वर्षों में बचतों के उपयोग का कारण बना।

(पैराग्राफ सं. 2.2, पृष्ठ सं. 33)

विदेश मंत्रालय

भारतीय दूतावास, बर्लिन

त्रुटिपूर्ण करार के निष्पादन के कारण परामर्शदाता को अनुचित लाभ

मिशन/मंत्रालय का अनुबंध करने के निर्णय में उपलब्ध कानूनी राय को अनदेखा करने, अनुबंध में कार्य के दायरे एवं शुल्क को निर्दिष्ट किए बिना तथा प्रत्येक चरण पर सभी मूल दस्तावेज प्राप्त किए बिना भुगतान करने का परिणाम (ए) मूल अनुमान में परिवर्तन करने के लिए परामर्शदाता को अनुमति देना (बी) परियोजना के पूरा होने में देरी के कारण किराए के रूप में लोक धन का बाहर जाना तथा (सी) €6,58,059 (₹5.70 करोड़) (वैट सहित) की सीमा तक सम्भव निष्फल व्यय में हुआ।

(पैराग्राफ सं. 2.3, पृष्ठ सं. 39)

भारतीय उच्च आयोग, लन्दन

पासपोर्ट अभ्यर्पण शुल्क का अधिक प्रभार

मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2021 में जारी आदेशों के बावजूद पासपोर्ट अभ्यर्पण शुल्क को संशोधित करने में यूके में मिशन तथा पोस्ट विफल रहे। इसका परिणाम 01 अप्रैल 2021 से 11/12 मई 2022 तक की अवधि के दौरान £10,06,608 (₹10.18 करोड़) के अधिक पासपोर्ट अभ्यर्पण शुल्क के अधिक संग्रहण में हुआ।

(पैराग्राफ सं. 2.4, पृष्ठ सं. 45)

भारतीय दूतावास, स्टॉकहोम

मिशन/मंत्रालय द्वारा सक्रिय कार्रवाई की कमी के कारण ₹2.84 करोड़ का परिहार्य व्यय

मंत्रालय/मिशन विरासत संपत्तियों की खरीद के सापेक्ष में अपने स्वयं के दिशा-निर्देशों का पालन करने में तथा मौजूदा पट्टे की सीमा को बढ़ाने में असफल रहा जिससे एक तिमाही के लिए एक साथ दो सम्पत्तियों को अपने पास रखने के अतिरिक्त खरीद के लिए प्रस्तावित उसी परिसर को जल्दबाजी में किराए पर लिया जिसका परिणाम ₹2.84 करोड़ के परिहार्य व्यय में हुआ।

(पैराग्राफ सं. 2.5, पृष्ठ सं. 48)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो, कोलकाता, गुवाहाटी, हैदराबाद, चेन्नई तथा करनाल

क्षय रोग-प्रतिरोधी तथा अन्य दवाइयों के खराब होने के कारण हानि

मंत्रालय अपनी दवा प्रापण तथा संवितरण कार्यनीति को सुव्यवस्थित करने के लिए पहले के आश्वासनों के बावजूद, एक क्रियाशील एवं मांग आधारित नीति, जो दवा खुराकों में आवधिक परिवर्तनों के अनुरूप है, को विकसित करने में विफल रहा। महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं (डीजीएचएस) समय पर निर्गम आदेश जारी करने में

विफल रहा, जिसका परिणाम पांच सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो में ₹43.37 करोड़ की कीमत की क्षय रोग-प्रतिरोधी तथा अन्य दवाइयों के खराब होने में हुआ।

(पैराग्राफ सं. 2.6, पृष्ठ सं. 54)

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) एवं केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ)

बिजली प्रभारों पर ₹2.52 करोड़ का परिहार्य व्यय

सामान्य कार्यालय परिसर में अस्थायी बिजली कनेक्शन को नियमित करने के लिए सीडीएससीओ एवं एफएसएसएआई के असफल होने का परिणाम बिजली प्रभारों के कारण बीएसईएस को कुल ₹2.52 करोड़ के परिहार्य व्यय में हुआ।

(पैराग्राफ सं. 2.7, पृष्ठ सं. 57)

गृह मंत्रालय

सीमा सुरक्षा बल

फलैटों की खरीद पर निधियों का अवरोधन

सीमा सुरक्षा बल ने आवश्यकताओं का निर्धारण किए बिना दिल्ली विकास प्राधिकरण से सिरसपुर में 906 एक बेडरूम वाले फलैटों (453 एकीकृत जोड़े) की खरीद की तथा मार्च 2019 तथा मार्च 2021 के बीच कुल ₹151 करोड़ का भुगतान किया। फरवरी 2020 तथा नवम्बर 2020 में अधिग्रहण लिए गए क्रमशः 115 तथा 338 एकीकृत फलैटों में से नवम्बर 2022 तक केवल 18 को अधिकृत किया गया था क्योंकि बीएसएफ कार्मिक इसके पक्ष में नहीं थे। इस प्रकार, आवश्यकताओं का निर्धारण किए बिना फलैटों की खरीद का परिणाम कुल ₹151 करोड़ की निधियों के अवरोधन में हुआ।

(पैराग्राफ सं. 2.8, पृष्ठ सं. 58)

ब्याज का परिहार्य भुगतान

माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के निर्णय के आधार पर एनआईआईटी को भुगतान जारी करने में 15 महीनों के विलम्ब का परिणाम कुल ₹1.25 करोड़ के परिहार्य ब्याज व्यय में हुआ।

(पैराग्राफ सं. 2.9, पृष्ठ सं. 61)

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

भारत का राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय (एनएफएआई), पुणे द्वारा राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन का कार्यान्वयन

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एनएफएआई के माध्यम से 2014-15 से 2020-21 तक की अवधि के दौरान ₹597.41 करोड़ की अनुमानित लागत पर “राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन” (एनएफएचएम) नामक एक योजना प्रारम्भ की (नवम्बर 2014)। मिशन के उद्देश्य फिल्म संग्रह का निर्धारण, फिल्म की रीलों का निवारक संरक्षण एवं डिजिटलीकरण, बहाल की गई सामग्री के संरक्षण हेतु संग्रह एवं संरक्षण सुविधाओं का निर्माण, इस क्षेत्र में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों तथा कार्यशालाओं का आयोजन करना था। अपर्याप्त योजना, विधिक ढांचे के अभाव, कार्य को रोकने तथा फिर से शुरू करने के मंत्रालय के तदर्थ दृष्टिकोण, संविदा अनुबंध के आरएफपी एवं आवेदन को गलत तैयार करने का परिणाम एनएफएचएम योजना के निष्पादन में असाधारण विलम्ब तथा योजना के कथित उद्देश्यों की अप्राप्ति में हुआ। परिणामस्वरूप, फिल्म स्थिति आकलन, फिल्म की रीलों का निवारक संरक्षण, तस्वीर एवं ध्वनि बहाली, फिल्मी सामग्रियों के डिजिटलीकरण के साथ साथ फिल्मी एवं गैर-फिल्मी सामग्रियों के भण्डारण हेतु स्थान का प्रावधान आज तक अपूर्ण है।

(पैराग्राफ सं. 2.10, पृष्ठ सं. 64)

कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

कर्मचारी चयन आयोग

ठेकेदार को परिहार्य भुगतान

कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) द्वारा एनआईसी क्लाउड पर अपेक्षित सर्वर तथा आईटी भण्डारण अवसंरचना की उपलब्धता को सुनिश्चित किए बिना मोबाइल ऐप पर अपनी ऑनलाइन सेवाओं को प्रारम्भ करने हेतु समय-आधारित अनुबंध के निष्पादन में उपयुक्त नियोजन की कमी परियोजना कार्यान्वयन में 15.5 महीनों के विलम्ब तथा ठेकेदार को ₹90 लाख के परिणामी परिहार्य भुगतान का कारण बनी।

(पैराग्राफ सं. 2.11, पृष्ठ सं. 91)

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण एवं ज्ञान जागरूकता (संकल्प)

संकल्प की योजना पुनर्निर्माण एवं विकास हेतु अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से ऋण सहायता से गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से अल्पावधि कौशल प्रशिक्षण को सुधारने के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में की गई थी। कुल परिव्यय यूएस \$675 मिलियन (₹4,455 करोड़) था। फिर भी, 2017-18 तथा 2023-24 (अक्टूबर 2023 तक) के बीच की अवधि के दौरान बजट प्रावधानों के सापेक्ष में केवल 44 प्रतिशत का संवितरण किया गया। भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की गति धीमी रही एवं कार्यान्वयन कार्यनीति में मौजूदा प्रावधानों के आवश्यक अनुपालन का अभाव था।

(पैराग्राफ सं. 2.12, पृष्ठ सं. 95)

जनजातीय कार्य मंत्रालय

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना

निधियों का अवरोधन तथा प्रत्याशित लाभों की अनुपलब्धि

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा नियोजन तथा निगरानी की कमी का परिणाम एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) योजना के अधीन अनुसूचित जनजाति हेतु मार्च 2022 तक संस्वीकृत 681 में से 279 विद्यालयों के दिसंबर 2022 तक गैर-कार्यात्मक रहने में हुआ। 279 में से 57 विद्यालयों में निर्माण कार्य या तो अपूर्ण था या फिर अभी भी शुरू किया जाना था जिसका परिणाम जारी की गई कुल ₹916 करोड़ की निधियों के अवरोधन में हुआ।

(पैराग्राफ सं. 2.13, पृष्ठ सं. 115)

भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ (ट्राईफेड)

ट्राईफेड द्वारा निधियों का विपथन

जनजातीय कार्य मंत्रालय की अपनी योजना की निगरानी करने में विफलता का परिणाम ट्राईफेड द्वारा 2018-20 के दौरान इसके अनुमोदन के बिना वन धन विकास केन्द्र की स्थापना हेतु 2015-16 के दौरान संस्वीकृत ₹5.67 करोड़ की निधि के विपथन में हुआ। इसके अतिरिक्त यह ट्राईफेड से सितम्बर 2022 तक इस पर प्राप्त कुल ₹5.36 करोड़ के ब्याज की वसूली करने में भी विफल रहा।

(पैराग्राफ सं. 2.14, पृष्ठ सं. 119)

यूटी अंडमान और निकोबार प्रशासन

नौवहन सेवा निदेशालय

राजस्व की हानि

नौवहन सेवा निदेशालय (डीएसएस) द्वारा कंटेनर भाड़ा एवं अन्य प्रभारों के गैर-संशोधन के कारण ₹22.14 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

(पैराग्राफ सं. 3.1, पृष्ठ सं. 122)

सामान्य वित्तीय नियमावली के उल्लंघन में कुल ₹61.01 लाख तक की बोली-पूर्व बयाना राशि जमा तथा प्रतिभूति जमा की गैर-वसूली

नौवहन सेवा निदेशालय (डीएसएस) अपने उपयोग से हटाए गए जलयानों की नीलामी हेतु सफल बोलीकर्ताओं से डीएसएस द्वारा मेसर्स मेटल स्क्रेप ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएसटीसी) के साथ किए गए अनुबंध में कमियों के कारण कुल ₹61.01 लाख तक की बोली-पूर्व बयाना राशि जमा तथा बोली पश्चात् प्रतिभूति जमा को वसूलने में विफल रहा जिसका परिणाम सामान्य वित्तीय नियमावली के उल्लंघन के साथ-साथ उपयोग से हटाए गए जलयानों की बिक्री को पूरा करने की विफलता में हुआ।

(पैराग्राफ सं. 3.2, पृष्ठ सं. 124)

यूटी अंडमान लक्षद्वीप बंदरगाह संकर्म (एएलएचडब्ल्यू)

जुटाव अग्रिम एवं मालबंधन अग्रिम के कारण ब्याज की कम वसूली/गैर-वसूली

अंडमान लक्षद्वीप बंदरगाह संकर्म (एएलएचडब्ल्यू) ठेकेदारों को ठेका अनुबंध के निबंधन और शर्तों के अनुसार दिए गए जुटाव अग्रिम एवं मालबंधन अग्रिम पर ब्याज की उगाही करने में विफल रहा जिसका परिणाम ब्याज की कम वसूली/गैर-वसूली में हुआ।

(पैराग्राफ सं. 3.3, पृष्ठ सं. 127)

यूटी चंडीगढ़ प्रशासन

ठेकेदारों को अनुचित लाभ

नगर निगम चण्डीगढ़ ने जोन I में 32 पार्किंग क्षेत्रों तथा जोन-II में 57 पार्किंग क्षेत्रों का आबंटन 23 जनवरी 2020 से प्रारम्भिक रूप से तीन वर्षों की अवधि, जो आगे दो वर्षों के लिए बढ़ाने योग्य थी, के लिए ₹5,01,03,001/- तथा ₹5,51,11,111/- प्रति वर्ष के वार्षिक लाईसेंस शुल्क हेतु क्रमशः मेसर्स राम सुंदर प्रसाद सिंह, पटना तथा मेसर्स पाश्चत्य इंटरटेनमेंट (पी) लिमिटेड, दिल्ली को किया। हालांकि, स्टाम्प शुल्क ड्यूटी अधिनियम, 1899 तथा भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 के प्रावधानों के

विरुद्ध ठेकेदारों ने वास्तव में उद्ग्राह्य ₹23.67 लाख के स्थान पर केवल ₹7.01 लाख स्टाम्प शुल्क जमा किया जिसका परिणाम कुल ₹16.66 लाख के राजस्व की हानि में हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹7.26 करोड़ की लाईसेंस शुल्क की राशि एमसीसी द्वारा बैंक गारंटी की गैर-जबती के कारण जोन-II के ठेकेदार से अभी भी लंबित है (जनवरी 2023)।

ठेकेदारों को इस अनुचित लाभ का परिणाम ₹16.66 लाख की स्टाम्प शुल्क की राशि के कम जमा और ₹7.26 करोड़ की लाईसेंस शुल्क की राशि की कम वसूली के कारण राजस्व की हानि में हुआ।

(पैराग्राफ सं. 3.4, पृष्ठ सं. 130)

यूटी दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव

सहायता अनुदान पर अर्जित ब्याज का अनियमित प्रतिधारण

जिला पंचायत दमन तथा इसकी ग्राम पंचायतों ने जीएफआर प्रावधानों के उल्लंघन में सहायता अनुदान (जीआईए) पर अर्जित ब्याज का प्रेषण नहीं किया था।

(पैराग्राफ सं. 3.5, पृष्ठ सं. 134)

यूटी लद्दाख

जम्मू एवं कश्मीर सशस्त्र पुलिस (जेकेएपी)

परिवीक्षा पर नियुक्त किए गए कार्मिकों को भत्तों का अस्वीकार्य भुगतान

जे एण्ड के विशेष भर्ती नियमावली, 2015 के विपरीत, कमांडेंट जेकेएपी 25वीं बटालियन, लेह ने 2015 के सांविधिक विनियामक आदेश (एसआरओ) 202 के तहत नियुक्त विभिन्न परिवीक्षाधीन कार्मिकों को बटालियन में उनकी तैनाती के दौरान सितंबर 2018 से जून 2020 की अवधि के लिए ₹5.13 करोड़ की सीमा तक अस्वीकार्य वित्तीय लाभ अनुमत किया।

(पैराग्राफ सं. 3.6, पृष्ठ सं. 136)

यूटी चंडीगढ़ प्रशासन

गलत परिकलन के कारण कर का कम उदग्रहण

पंजाब वैट अधिनियम, 2005 के तहत कर निर्धारण के दौरान नामित अधिकारी अर्थात् आबकारी एवं कराधान अधिकारी वार्ड-9, चण्डीगढ़ ने ₹26,30,333 के बजाय ₹23,68,010 राशि के कर की गलत तरीके से गणना की जिसका परिणाम कुल ₹5,57,415 के लिए कर ₹2,62,313 एवं ब्याज ₹2,95,102 की कम गणना में हुआ।

(पैराग्राफ सं. 3.7, पृष्ठ सं. 137)

बिक्री को छुपाने के परिणामस्वरूप कर का कम उदग्रहण

आबकारी और कराधान अधिकारी, वार्ड-8, चण्डीगढ़ क्रमशः निर्धारण वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के लिए मै. शिवा रेमिडीस के निर्धारण मामलों में अंत शेष एवं अथ शेष माल का क्रॉस चेक करने एवं तुलना करने में असफल रहा। इन वर्षों के व्यापार लेखाओं की तुलना ने प्रकट किया कि निर्धारण वर्ष 2015-16 के अंत शेष माल तथा निर्धारण वर्ष 2016-17 के अथ शेष माल में एक करोड़ का अंतर था। चूक का परिणाम ₹24.68 लाख की राजस्व हानि में हुआ।

(पैराग्राफ सं. 3.8, पृष्ठ सं. 139)

अध्याय-1

प्रस्तावना

1.1 इस प्रतिवेदन के बारे में

अनुपालन लेखापरीक्षा, यह पता लगाने कि क्या भारत के संविधान के प्रावधानों तथा लागू कानूनों, नियमावली, विनियमों, आदेश एवं सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा अभिप्रेत उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उनकी वैधता, पर्याप्तता, पारदर्शिता, औचित्य, विवेक तथा प्रभावकारिता का निर्धारण करने हेतु भी सरकार के व्यय, प्राप्तियों, परिसम्पत्तियों तथा देयताओं से संबंधित लेन-देनों की जांच के संदर्भ में है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अपनाए गए लेखापरीक्षा मानकों में अपेक्षित है कि रिपोर्टिंग का तात्त्विक स्तर लेनदेनों की प्रकृति, आयतन तथा परिमाण के अनुरूप होना चाहिए। लेखापरीक्षा निष्कर्षों से अपेक्षित है कि वे कार्यकारी को सुधारात्मक कार्रवाई करने के साथ-साथ ऐसी नीतियां एवं निदेश तैयार करने में समर्थ बनाए जो संगठनों को बेहतर प्रबंधन की ओर ले जाएं जिससे बेहतर शासन में सहयोग हो सके।

1.2 लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकार

सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा तथा संसद को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकार भारत के संविधान के क्रमशः अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (के अधिनियम) से प्राप्त किया गया है। सीएजी भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की प्राप्तियों तथा व्यय की लेखापरीक्षा का संचालन अधिनियम की धारा 13, 16 तथा 17 के अधीन करता है। संसद द्वारा स्थापित अथवा उसके द्वारा तैयार की गई विधि के अधीन स्थापित निकायों तथा सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा के लिए विशिष्ट प्रावधान रखने वाले को अधिनियम की धारा 19(2) के तहत सांविधिक रूप से लेखापरीक्षा करने हेतु लिया जाता है। अन्य संगठनों (निगमों या सोसाईटी)

की लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 20(1) के अधीन लोक हित में सीएजी को सौंपी गई है।

1.3 लेखापरीक्षा का नियोजन तथा संचालन

वार्षिक लेखापरीक्षा नियोजन प्रक्रिया के अनुसार, अनुपालन लेखापरीक्षा हेतु इकाइयों का चयन जोखिम निर्धारण, सामयिकता के अलावा, भौतिकता, सामाजिक प्रासंगिकता आदि के आधार पर किया जाता है। जोखिम निर्धारण में इकाइयों की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन, धोखा, दुर्विनियोजन, गबन इत्यादि के पिछले उदाहरणों के साथ-साथ पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के निष्कर्ष शामिल हैं। लेखापरीक्षा की समाप्ति के पश्चात् इकाइयों के प्रमुखों को निरीक्षण प्रतिवेदन जारी की जाती है। प्राप्त उत्तरों के आधार पर, लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के अनुपालन हेतु कार्रवाई की सलाह, जहां कहीं आवश्यक हो, के साथ निपटान किया जाता है। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को संबंधित मंत्रालय/विभाग से प्रत्युत्तरों की मांग के बाद लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए ड्राफ्ट पैराग्राफ के रूप में संसाधित किया जाता है। लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

1.4 लेखापरीक्षा कवरेज

इस प्रतिवेदन में सामान्य तथा सामाजिक क्षेत्रों के अधीन 44 सिविल अनुदानों (परिशिष्ट-1) को शामिल करते हुए संघ सरकार के 23 मंत्रालयों/विभागों के वित्तीय लेन-देनों की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं। इस प्रतिवेदन को निम्नानुसार तीन अध्यायों में सुव्यवस्थित किया गया है:

- यह अध्याय (अध्याय 1), प्राधिकार, लेखापरीक्षा अधिकार क्षेत्र, नियोजन एवं लेखापरीक्षा सीमा को स्पष्ट करने के अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सामान्य तथा सामाजिक क्षेत्रों के अधीन 44 सिविल अनुदानों को शामिल करते हुए 23 संघ मंत्रालयों/ विभागों के व्यय, ड्राफ्ट पैराग्राफों के प्रति सरकार के उत्तर तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई का संक्षिप्त विश्लेषण प्रदान करता है।

- अध्याय II में 2021-22 तक लेन-देन की लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप 23 सिविल मंत्रालयों/विभागों की अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ शामिल हैं।
- अध्याय III में पांच अनुदानों को शामिल करते हुए विधायिका रहित पांच संघ शासित क्षेत्रों (यूटी) अर्थात् अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, चण्डीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, लद्दाख तथा लक्षद्वीप के नियंत्रणाधीन सरकारी विभागों/कार्यालयों की 2021-22 तक लेखापरीक्षा से उत्पन्न महत्वपूर्ण अभ्युक्तियाँ शामिल हैं।

1.5 सिविल मंत्रालयों/विभागों का बजट एवं व्यय नियंत्रण

वित्तीय वर्ष 2020-21 तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 44 सिविल अनुदानों को शामिल करके 23 संघ मंत्रालयों/विभागों के व्यय एवं बचत के प्रावधान की स्थिति तालिका सं.1.1 में दर्शाई गई है। विवरण परिशिष्ट-II में दिए गए हैं।

तालिका सं 1.1: सामान्य तथा सामाजिक क्षेत्रों के अधीन प्राप्त अनुदान, किए गए व्यय तथा बचतों का विवरण

(₹ करोड़ में)

खंड	2020-21 ¹			2021-22		
	अनुदान/ विनियोजन#	कुल व्यय	बचतें (-)/ आधिक्य (+)	अनुदान/ विनियोजन#	कुल व्यय	बचतें (-)/ आधिक्य (+)
राजस्व (प्रभारित)	5,668.75	4,207.35	-1,461.40	5,596.89	4,755.77	-841.12
राजस्व (दत्तमत)	9,13,490.91	7,70,405.99	-1,43,084.92	8,75,703.36	7,62,715.95	-1,12,987.41
पूंजी (प्रभारित)	63.07	58.56	-4.51	131.57	126.23	-5.34
पूंजी (दत्तमत)	26,361.78	13,356.46	-13,005.32	26,014.70	19,449.60	-6,565.10
कुल	9,45,584.51	7,88,028.36	-1,57,556.15	9,07,446.52	7,87,047.55	-1,20,398.97

स्रोत: संघ सरकार के विनियोग लेखे (सिविल) 2020-21 एवं 2021-22

अनुदान/विनियोजन=बजट अनुमान+अनुपूरक

परिशिष्ट-II में दर्शाए गए मंत्रालयों/विभागों के व्यय के विश्लेषण ने प्रकट किया कि सात मंत्रालयों (तालिका सं. 1.2) के तहत निम्नवत आठ अनुदानों में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान किया गया व्यय ₹1,000 करोड़ से अधिक या समान था

¹ जैसा कि यहां वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए दर्शाए गए आंकड़ों एवं सीएजी की 2022 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं.24 में दर्शाए गए आंकड़ों में विविधता 10 अनुदान जो वर्तमान में महानिदेशक लेखापरीक्षा (कृषि, खाद्य, एवं जल संसाधन) के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हैं, से संबंधित आंकड़ों के गैर-समावेशन के कारण है।

तथा यह वित्तीय वर्ष 2020-21 के व्यय की तुलना में 30 प्रतिशत से अधिक था।

तालिका सं. 1.2: वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के बीच व्यय की तुलना

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान नामावली	मंत्रालय	2020-21 में व्यय	2021-22 में व्यय	व्यय में वृद्धि (5-4)	प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7
1.	औषध विभाग	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय	456.16	1858.14	1401.98	307
2.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	1895.99	2662.47	766.48	40
3.	दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं द्वीप	गृह मंत्रालय	2340.43	3671.68	1331.25	57
4.	लद्दाख		2374.03	5060.66	2686.63	113
5.	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	12929.83	24036.34	11106.51	86
6.	विधि और न्याय	विधि और न्याय मंत्रालय	1717.52	4163.99	2446.47	142
7.	योजना मंत्रालय	योजना मंत्रालय	749.30	1064.81	315.51	42
8.	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	1787.83	2376.96	589.13	33

स्रोत: संघ सरकार विनियोजन लेखे (सिविल) 2020-21 एवं 2021-22

आगे विश्लेषण से प्रकट हुआ है कि उपरोक्त वर्णित आठ अनुदानों में वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय में वृद्धि के मुख्य घटक निम्नवत हैं:

- **औषध विभाग:** 2020-21 की तुलना में 2021-22 के दौरान व्यय में ₹1,401.98 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः औषध पीएसयू (₹1,083.21 करोड़) के संबंध में घाटे को बट्टे खाते में डालने/माफ करने, औषध उद्योग (₹136.63 करोड़) का विकास एवं सार्वजनिक क्षेत्रों और अन्य उपक्रमों-हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक लि. (₹119.57 करोड़) को दिए गए ऋण से संबंधित थी।
- **उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय:** 2020-21 की तुलना में 2021-22 के दौरान व्यय में ₹766.48 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः एनई क्षेत्र हेतु संसाधनों का

केन्द्रीय पूल-उत्तर पूर्व एवं सिक्किम (₹265.37 करोड़) के लिए संसाधनों के अव्यपगत पूल से केन्द्रीय सहायता, अनुसूचित जाति हेतु विशेष घटक योजना-उत्तर पूर्व एवं सिक्किम (₹31.39 करोड़), के लिए संसाधनों के अव्यपगत पूल से केन्द्रीय सहायता, स्वायत्त प्रादेशिक परिषद (₹21.75 करोड़) को विशेष विकास पैकेज, परीक्षण क्षेत्र उप-योजना उत्तर पूर्व एवं सिक्किम (₹18.95 करोड़) के लिए संसाधनों के अव्यपगत पूल से केन्द्रीय सहायता एवं परीक्षण क्षेत्र उप योजना-स्वायत्त प्रादेशिक परिषद् (₹15.00 करोड़) को विशेष विकास पैकेज से संबंधित थी।

➤ **गृह मंत्रालय:**

- I. **दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव:** 2020-21 की तुलना में 2021-22 के दौरान व्यय में ₹1,331.25 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः दमन एवं दीव (₹394.11 करोड़) में विद्युत का पारेषण एवं वितरण, जिला रोड (₹278.50 करोड़), नगरपालिका परिषद (₹213.95 करोड़) एवं पंचायत (₹86.46 करोड़), के कारण था।
 - II. **लद्दाख:** 2020-21 की तुलना में 2021-22 के दौरान व्यय में ₹2,686.63 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः यूटी लद्दाख प्रशासन (₹1,237.14 करोड़), लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद-निदेशक एवं प्रशासन-वित्त सचिव, यूटी लद्दाख (₹816.70 करोड़), लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (₹83.88 करोड़), मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लेह एवं कारगिल (₹79.16 करोड़) तथा पारेषण एवं वितरण (₹77.38 करोड़) पर व्यय के कारण थी।
- **श्रम एवं रोजगार मंत्रालय:** 2020-21 की तुलना में 2021-22 के दौरान व्यय में ₹11,106.51 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (₹8,192.19 करोड़) अनुसूचित जाति हेतु विशेष घटक योजना-कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (₹1,828.31 करोड़) एवं सामाजिक सुरक्षा योजना (₹1,131.85 करोड़) के कारण थी।
- **विधि और न्याय:** 2020-21 की तुलना में 2021-22 के दौरान व्यय में ₹2,446.47 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः लोकसभा एवं राज्य/संघ शासित क्षेत्र विधान सभा के चुनाव एक साथ आयोजित कराने के लिए प्रभार-राज्य/संघ

शासित क्षेत्र की सरकारों (₹1,285.99 करोड़) की प्रतिपूर्ति, निर्वाचन आयोग (₹849.68 करोड़) के लिए ईवीएम, निर्वाचन अधिकारी- राज्य/संघ शासित क्षेत्र की सरकारों (₹1111.00 करोड़) को प्रतिपूर्ति तथा मतदाता सूची की तैयारी एवं मुद्रण-राज्य/संघ शासित क्षेत्र की सरकारों (₹104.00 करोड़) को प्रतिपूर्ति के कारण थी।

- **योजना मंत्रालय:** 2020-21 की तुलना में 2021-22 के दौरान ₹315.51 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः स्वरोजगार एवं प्रतिभा उपयोग (एसईटीयू) (₹341.97 करोड़) सहित अटल नवाचार मिशन, बीई 2014-15 [एसओपीएस, ईपीपी (आईसीसी), आर एण्ड एस, पीएफएआर, यूएनडीपी-एचडीबीआई-यूएनडीपी-एससीडीपी] (₹275.01 करोड़) से देयताओं सहित चालू कार्यक्रम और योजनाएं तथा नीति आयोग-मुख्यालय (₹36.45 करोड़) के कारण थी।
- **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय:** 2020-21 की तुलना में 2021-22 के दौरान व्यय में ₹589.13 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः खेलो इंडिया (₹299.22 करोड़), भारतीय खेल प्राधिकरण (₹102.47 करोड़), नेहरू युवा केन्द्र संगठन (₹81.86 करोड़) एवं उत्तर पूर्व में खेल विश्वविद्यालय (₹62.23 करोड़) के कारण थी।

1.6 मुख्य योजनाओं में ₹500 करोड़ से अधिक की बचत

लोक लेखा समिति (पीएसी) ने संघ सरकार के विनियोग लेखे (सिविल) 1996-97 से संबंधित 17^{वें} प्रतिवेदन के पैरा 14 में पाया है कि “सिविल मंत्रालयों/विभागों द्वारा अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत बड़े पैमाने पर अव्ययित प्रावधान लगभग एक आवर्ती प्रवृत्ति बन गये हैं तथा स्थिति को अभी भी सुधारा जाना है तथा यह निष्कर्ष निकाला कि संबंधित मंत्रालयों/विभागों ने समिति की सिफारिशों के अनुसार प्रभावी सुधारात्मक उपाय लागू करने में कोई गंभीर प्रयास नहीं किए हैं।” इस प्रकार, इस संबंध में पीएसी द्वारा की गई सिफारिशों के अनुपालन में वित्त मंत्रालय ने सभी वित्तीय सलाहकारों से उन मामलों/योजनाओं, जिनमें बड़े पैमाने पर अव्ययित प्रावधान है, का एक पूर्ण अध्ययन करने तथा उपयुक्त अनुवर्ती कार्रवाई करने का अनुरोध किया जिससे कि अनुदानों हेतु उनकी संबंधित मांगों में बड़े पैमाने पर अव्ययित प्रावधानों की आवृत्ति से बचा जा सके।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2021-22 के दौरान इस प्रतिवेदन में शामिल 23 मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित निम्नलिखित मुख्य योजनाओं में ₹500 करोड़ तथा अधिक की बचतें हुईं जो बजट प्रावधान के 15 प्रतिशत से अधिक हैं जैसा तालिका सं. 1.3 में विवरण दिया गया है। बड़ी बचतें मंत्रालय/विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही संबंधित योजना के संबंध में खराब बजट अथवा निष्पादन में कमी अथवा दोनों की सूचक हैं। ऐसी बचतों से करों आदि के माध्यम से संसाधनों के अनावश्यक प्रावधान तथा तदनुसार अर्थव्यवस्था के अन्य योग्य क्षेत्रों को संसाधनों से वंचित करना भी इंगित हुआ।

तालिका सं. 1.3: ₹500 करोड़ तथा अधिक की बचतें जो बजट प्रावधान के 15 प्रतिशत से अधिक

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मंत्रालय	योजना	बजट अनुमान	वास्तविक	बचतें	प्रतिशतता में बचतें
1.	शिक्षा	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	3000.00	242.34	2757.66	91.92
2.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना	6401.00	3115.55	3285.45	51.33
3.	ग्रामीण विकास	राष्ट्रीय आजीविका मिशन-आजीविका	13677.61	9384.20	4293.41	31.39
4.	महिला एवं बाल विकास	सामर्थ्य	2522.00	1733.03	788.97	31.28
5.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राष्ट्रीय एड्स एवं एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम	2900.00	2126.33	773.67	26.68
6.	कौशल विकास एवं उद्यमशीलता	प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना	2505.00	1844.38	660.62	26.37
7.	शिक्षा	समग्र शिक्षा	31050.16	25060.89	5989.27	19.29

स्रोत: महालेखा नियंत्रक, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय की अधिकारिक वेबसाइट पर वर्ष 2021-22 के लिए लेखा एक नजर में

1.7 संघ शासित क्षेत्रों की लेखापरीक्षा

जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 तथा दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन एवं दीव (संघ शासित क्षेत्रों का विलयन) अधिनियम, 2019 की अधिसूचना से भारत के संविधान की प्रथम अनुसूची के भाग II के तहत विनिर्दिष्ट अब आठ संघ शासित क्षेत्र हैं। इनमें से पांच यूटी अर्थात् अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव, लद्दाख तथा लक्षद्वीप विधायिका रहित यूटी है जबकि तीन यूटी अर्थात् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पुदुचेरी तथा जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा वाली यूटी हैं।

विधायिका रहित संघ शासित क्षेत्रों के संबंध में बजट प्रावधान गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। संसद के अनुमोदनार्थ इन यूटी से संबंधित अनुदान मांग एवं विस्तृत अनुदान मांग (डीडीजी) गृह मंत्रालय, तैयार करता है। जबकि इन यूटी का सामान्य प्रशासन का उत्तरदायित्व गृह मंत्रालय का है फिर भी संघ सरकार के अन्य मंत्रालय/विभाग, जब तक वह इन क्षेत्रों के संबंध में मौजूद है, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I तथा II में उल्लिखित विषय के तहत इन्हें निधि देते हैं। इस प्रकार, डीडीजी में इन मंत्रालयों तथा विभागों से संबंधित गतिविधियों पर, इन यूटी पर व्यय के संबंध में अन्य मंत्रालयों तथा विभागों के प्रस्ताव भी शामिल हैं। यूटी के प्रशासकों को योजनागत योजनाओं की संस्वीकृति हेतु गृह मंत्रालय द्वारा एक निश्चित सीमा तक वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है।

1.7.1 यूटी में प्रावधान तथा व्यय

2021-22 में विधायिका रहित पांच यूटी में बजट आबंटन तथा व्यय के विवरण तालिका सं. 1.4 में दिए गए हैं:

तालिका सं. 1.4 : 2021-22 में बजट आबंटन तथा व्यय

(₹ करोड़ में)

संघ शासित क्षेत्र का नाम	कुल अनुदान/विनियोग		सकल व्यय		बचतें			
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व		पूँजीगत	
					राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	5463.61	666.34	5345.35	419.99	118.26	2.16	246.35	36.97
चण्डीगढ़	4567.76	618.52	4471.62	468.68	96.14	2.10	149.84	24.23
दादरा एवं नगर हवेली और दमन और दीव	2798.81	873.07	2798.66	873.02	0.15	0.01	0.05	0.01
लद्दाख	3597.43	3626.38	3205.08	1855.58	392.35	10.91	1770.80	48.83
लक्षद्वीप	1238.22	229.10	1209.45	65.88	28.77	2.32	163.22	71.24
कुल	17665.83	6013.41	17030.16	3683.14	635.67	3.60	2330.27	38.75

स्रोत: संघ सरकार-विनियोग लेखे (सिविल) 2021-22

अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में, बचतें राजस्व खंड में 2.16 प्रतिशत से पूँजीगत व्यय में 36.97 प्रतिशत तक के बीच थी जो मुख्यतः खरीद प्रक्रिया के गैर-अंतिमीकरण और समुद्री जहाजों की सुपुर्दगी में देरी, जहाजों के कम संचालन एवं कोविड-19 महामारी के कारण कार्य की धीमी प्रगति तथा पिछले वर्ष की अव्ययित शेष राशि के कारण थी।

चण्डीगढ़ में, बचतें राजस्व खंड में 2.10 प्रतिशत से पूँजीगत खंड में 24.23 प्रतिशत तक के बीच थी जो मुख्यतः सड़क, रेलवे क्रॉसिंग और विभिन्न क्षेत्रों में एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण हेतु प्रस्ताव का गैर-अंतिमीकरण, बसों को खरीदने हेतु निविदा का गैर-अंतिमीकरण, कॉलेज कैम्पस में हॉस्टल का निर्माण, खेल चोट केन्द्र का निर्माण एवं मशीन एवं वाहनों की खरीद विभिन्न शैक्षिक ब्लॉकों/हॉस्टलों, उच्च न्यायालय परिसरों में अतिरिक्त ब्लॉक और जिला न्यायालय कॉम्प्लेक्स में बहु-स्तरीय पार्किंग के निर्माण हेतु प्रशासनिक अनुमोदन की गैर-प्राप्ति के कारण थीं।

लद्दाख में बचतें राजस्व खंड में 10.91 प्रतिशत से पूँजीगत खंड में 48.83 प्रतिशत के बीच थी जो अभूतपूर्व हिमपात के कारण वाहनों की कम सुपुर्दगी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपकर्मा द्वारा निर्माण-कार्य को प्रारम्भ न किए

जाने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों एवं कोविड-19 महामारी के कारण बैठकों/सेमिनारों के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण थी।

लक्षद्वीप में बचतें राजस्व खंड में 2.32 प्रतिशत से पूंजीगत खंड में 71.24 प्रतिशत के बीच थी जो मुख्यतः हवाईअड्डों एवं हैलीपैडों के भूमि अधिग्रहण/निर्माण/निर्माण- कार्यों के विस्तार में देरी, जहाजी माल/यात्री जहाजों की खरीद हेतु निविदा का गैर-अंतिमीकरण, योजनाओं का पुनर्गठन एवं पंचायतों से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में देरी, कोविड-19 महामारी के कारण नए और चालू जेटी एवं बर्थिंग सुविधाओं के निर्माण में देरी के कारण थी।

1.8 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) की लेखापरीक्षा

सरकारी कम्पनियों, सांविधिक निगमों तथा सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों सहित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) के लेखाओं की कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) तथा 143(7) अथवा सांविधिक निगमों का गठन करने वाले संसद के संबंधित अधिनियम के अंतर्गत भारत के सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा की जाती है। स्वतंत्र लेखापरीक्षक (सनदी लेखाकार(रों)) सीएजी द्वारा सीपीएसई के लेखाओं को प्रमाणित करने हेतु नियुक्त किया जाता है तथा सीएजी के पास ऐसे लेखापरीक्षित लेखाओं की पूरक लेखापरीक्षा करने का अधिकार है। सीएजी द्वारा सरकार को सीपीएसई के संबंध में प्रतिवेदन सीएजी (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19ए के प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तुत की जाती है।

12 संघ मंत्रालयों/विभागों के अधीन 53 सीपीएसई, जैसा **परिशिष्ट-III** में उल्लेख किया गया है, की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 2013 अथवा संसद के संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के अधीन की गई थी।

1.9 लंबित एटीएन की स्थिति

संसद को दिनांक 17 अगस्त 1995 को प्रस्तुत अपनी 105^{वीं} रिपोर्ट (10^{वीं} लोकसभा - 1995-96) में लोक लेखा समिति ने सिफारिश की थी कि सीएजी के प्रतिवेदनों के सभी पैराग्राफों पर की गई कार्रवाई टिप्पणियां (एटीएन)

31 मार्च 1996 के बाद से आरंभ होने वाले सदन के पटल पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुत करने की तिथि से चार माह की अवधि के भीतर वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के माध्यम से समिति को प्रस्तुत की जानी चाहिए। तदन्तर, व्यय विभाग के अधीन एक निगरानी सेल का सृजन किया गया था जिसे सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त लेखापरीक्षा द्वारा पुनरीक्षित एटीएन के संग्रहण तथा समन्वयन तथा उनको संसद को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण की तिथि से चार माह की निर्धारित अवधि के भीतर लोक लेखा समिति को भेजने का कार्य सौंपा गया है।

दिसम्बर 2023 तक (मार्च 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए) सिविल मंत्रालयों के 16 एटीएन और विधायिका रहित संघ शासित क्षेत्रों के छः एटीएन में से कोई भी एटीएन लंबित नहीं है और सभी पत्राचार के अधीन हैं (परिशिष्ट-IV एवं V)

1.10 लेखापरीक्षा पैराग्राफों के प्रति मंत्रालयों/विभागों का उत्तर

लोक लेखा समिति (पीएसी) की सिफारिश पर, वित्त मंत्रालय ने जून 1960 में सभी मंत्रालयों को भारत के सीएजी के प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु प्रस्तावित ड्राफ्ट पैराग्राफों के अपने उत्तर पैराग्राफों की प्राप्ति के छः सप्ताह के भीतर प्रेषित करने के निदेश जारी किए। तदनुसार, ड्राफ्ट पैराग्राफों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिव को लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए अग्रेषित किया जाता है तथा उनसे निवेदन किया जाता है कि वे छः सप्ताह के भीतर अपना उत्तर भेजें।

संबंधित मंत्रालयों/विभागों ने 26 पैराग्राफों (मार्च 2023 तक) में से आठ के उत्तर प्रेषित नहीं किए थे। शेष 18 पैराग्राफ के संबंध में प्राप्त संबंधित मंत्रालयों/विभागों के उत्तर को उचित रूप से प्रतिवेदन में शामिल कर लिया गया है।

तालिका सं. 1.5 में दिये गए ब्योरे के अनुसार कुल ₹7.98 करोड़ की राशि की अनुपालन लेखापरीक्षा प्रक्रिया के दौरान वसूली की गई है।

तालिका सं. 1.5: वसूली के ब्योरे

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	सीपीएसई/ विभाग मंत्रालय	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	वसूली गई राशि
1.	विदेश मंत्रालय	विदेश मंत्रालय (एमईए) का मै. टाटा कंसलटेंसी सर्विसेस (टीसीएस), सेवा प्रदाता ने अपने पासपोर्ट कार्यालयों में स्थान के आवंटन के समय बिजली उप-मीटर के अधिष्ठान को सुनिश्चित करने में असफल होने का परिणाम सह-स्थित पासपोर्ट सेवा केन्द्रों से आनुपातिक बिजली उपयोग प्रभारों की गैर-वसूली में हुआ। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद एमईए ने टीसीएस से ₹2.89 करोड़ की वसूली की।	2.890
2.	ग्रामीण विकास	लेखापरीक्षा ने मंत्रालयों में यात्रा भत्ता रियायत योजना के अन्तर्गत कुल ₹5.18 लाख की अनियमित प्रतिपूर्ति पाई। इसको इंगित किए जाने पर मंत्रालय ने मार्च 2023/फरवरी 2024 के अपने ई-मेल/पत्र द्वारा इन कर्मचारियों से दंडात्मक ब्याज सहित वसूलियों हेतु उठाए गए कदमों तथा कर्मचारियों से ₹3.35 लाख की वसूली के बारे में सूचित किया। आगे यह भी बताया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अन्य एलटीसी मामलों की यादृच्छिक संवीक्षा को भी पूर्ण कर लिया गया है तथा ऐसा अन्य मामला नहीं पाया गया था।	0.034
3.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (दिव्यांगजन-डीईपीडब्ल्यूडी) से प्राप्त सहायता अनुदान पर विभिन्न अनुदेयी निकायों द्वारा अर्जित ब्याज के गैर-प्रेषण का परिणाम भारत की समेतिक निधि को ₹4.75 करोड़ के कम प्रेषण में हुआ। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर डीईपीडब्ल्यूडी ने विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों/समग्र क्षेत्रीय केन्द्रों से कुल ₹4.75 करोड़ के ब्याज की वसूली की।	4.750
4.	यूटी चण्डीगढ़ प्रशासन	चण्डीगढ़ प्रशासन ने जुलाई 2015 में एसपीआईसी को स्थायी रूप से सम्पर्क परियोजना को सौंपने का निर्णय लिया तथा दोनों सम्पर्क एवं ग्राम सम्पर्क केन्द्रों की लेन-देन दर को तत्कालीन सचिव (आईटी) के अनुमोदन से ₹25/- प्रति लेनदेन से संशोधित किया। प्रति महीने प्रति लेनदेन की लागत ₹19.93 परिकलित की गई थी तथा इसे विभाग द्वारा ₹20 में बंद कर दिया गया था।	0.310

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	सीपीएसई/ विभाग मंत्रालय	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	वसूली गई राशि
		<p>आगे, प्रति माह प्रत्येक लेनदेन की लागत पर 25 प्रतिशत की दर पर एसीपीआईसी परियोजना प्रबंधन प्रभारों को जोड़ते हुए लागत ₹25 (20+20 का 25 प्रतिशत) प्रति लेनदेन बनती है। यदि लागत प्रति लेनदेन ₹19.93 के रूप में ली गई होती, तो यह ₹25 के बजाय ₹24.91 के रूप में बनती। दरों के नियतन हेतु परिकलन के समय रुपए की लागत का पूर्णांकन प्राप्त एवं भुगतान नियम 2007 के अनुसार नहीं है। इस स्तर पर पूर्णांकन को समाप्त करना असामयिक होता है तथा इसका परिणाम ₹31 लाख तक प्रचालन अभिकरण को लेनदेन प्रभारों के अधिक भुगतान में हुआ। विभाग ने सूचित किया कि सोसायटी ने आधिक्य राशि को जमा किया है जैसा लेखापरीक्षा में इंगित किया गया।</p>	
			कुल 7.984

अध्याय-II संघ के मंत्रालय

इस अध्याय में नौ संघ मंत्रालयों/विभागों से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों को शामिल करते हुए चौदह लेखापरीक्षा पैराग्राफ शामिल हैं।

(I) उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

2.1 संसाधनों के गैर-व्यपगत केन्द्रीय पूल का विश्लेषण

1996 में पूर्वोत्तर राज्यों में बुनियादी ढांचे के त्वरित विकास को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा एक पहल शुरू की गई थी। इस प्रयोजन के लिए केन्द्र सरकार ने 1998-1999 में एक गैर व्यपगत केन्द्रीय पूल संसाधन योजना बनाई जिसे प्रति वर्ष 54 गैर-छूट वाले केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा पूर्वोत्तर राज्य पर खर्च के लिए निर्धारित सकल बजटीय सहायता के निर्धारित 10 प्रतिशत की अव्ययित राशि से वित्त पोषित किया जाना था। हालांकि यह देखा गया कि एनएलसीपीआर के लिए आरक्षित निधि भारत के सार्वजनिक खाते में नहीं बनाई गई थी एवं यह केवल आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा बनाए गए एक काल्पनिक पूल के रूप में बनी हुई थी जिसका उपयोग एनएलसीपीआर योजना को निधि देने के लिए नहीं किया जाना था।

योजना के तहत परियोजनाओं का निष्पादन असंतोषजनक था क्योंकि 21 प्रतिशत परियोजनाएं काफी विलंब के साथ अधूरी थीं। मंत्रालय और राज्य स्तर पर एनएलसीपीआर योजना की निगरानी में भी कमी पाई गई।

2.1.1 एनएलसीपीआर के बारे में

2.1.1.1 प्रस्तावना

पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में आठ राज्य अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम तथा त्रिपुरा शामिल हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास बाकी देश से काफी पीछे है जो विकास निर्माण कार्यों हेतु केन्द्रीय वित्तपोषण पर इसकी निर्भरता का कारण है। एनईआर में सभी राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान किया गया था जहां विकास योजनाएं 90 प्रतिशत अनुदान तथा 10 प्रतिशत ऋण के आधार पर केन्द्रीय रूप से वित्तपोषित होती हैं। अक्टूबर 1996 में, प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) हेतु नई पहलों की घोषणा की तथा निर्धारित

किया कि केन्द्रीय मंत्रालयों/विभाग के कम से कम 10 प्रतिशत बजट को पूर्वोत्तर राज्यों के विकास हेतु निर्धारित किया जाएगा।

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से तत्कालीन योजना आयोग द्वारा किए गए प्रारम्भिक कार्य ने प्रकट किया कि 1997-98 के दौरान कुछ केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा एनईआर में व्यय उस वर्ष के लिए निर्धारित 10 प्रतिशत सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) से कम रहा। केन्द्रीय बजट 1998-99 के अनुसार, किसी भी मंत्रालय/विभाग (कुछ छूट प्राप्त के सिवाय) द्वारा इस प्रावधान के उपयोग में कमी की सीमा तक की राशि का लोक लेखे में एक नई आरक्षित निधि शीर्षक 'पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास हेतु केन्द्रीय संसाधन पूल' को अंतरण किया जाएगा।

बाद में, एक गैर-व्यपगत केन्द्रीय पूल संसाधन (एनएलसीपीआर) योजना को, क्षेत्र में भौतिक तथा सामाजिक अवसंरचना दोनों जैसे कि सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, विद्युत, सड़कें एवं पुल, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, स्वच्छता, खेल, पर्यटन एवं संस्कृति आदि का विकास करने हेतु बजटीय वित्तपोषण के प्रवाह को बढ़ाते हुए एनईआर में अवसंरचना के तीव्र विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 1998 में शुरू किया गया था। एनएलसीपीआर पूल का अनुरक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

डीओएनईआर मंत्रालय को एनएलसीपीआर योजना के अंतर्गत परियोजनाओं के समर्थन हेतु वार्षिक बजट आबंटन के अंतर्गत निधि की एक निर्धारित राशि प्रदान की जाती है। एनएलसीपीआर योजना के अंतर्गत एक परियोजना की 90 प्रतिशत अनुमोदित लागत को डीओएनईआर द्वारा सहायता अनुदान के रूप में जारी किया जाना था तथा शेष 10 प्रतिशत का अंशदान संबंधित राज्य सरकारों द्वारा दिया जाना था।

नवम्बर 2017 में, कैबिनेट ने एनएलसीपीआर योजना का एक नई योजना अर्थात् पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना में पुनर्गठन को अनुमोदित किया। चूंकि एनएलसीपीआर योजना 15 दिसंबर 2017 से एनईएसआईडीएस में पुनर्गठित कर दी गई है इसलिए एनएलसीपीआर योजना के अंतर्गत कोई नई परियोजना संस्वीकृत नहीं की गई थी। 2018-19 से एनएलसीपीआर योजना के अंतर्गत निधियों के निर्गम का प्रावधान केवल प्रतिबद्ध देयताओं के लिए था जो संबंधित राज्यों से उपयोगिता

प्रमाणपत्र (यूसी) की प्राप्ति पर निर्भर है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल (पीएम-डेवाइन) नाम की एक नई योजना की केन्द्रीय बजट-2022-23 में घोषणा की गई थी जिसके लिए परिव्यय 54 गैर -छूट प्राप्त मंत्रालयों/विभागों द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में 10 प्रतिशत जीबीएस के कारण औसतन वार्षिक बचत पर आधारित हैं।

2.1.1.2 एनएलसीपीआर योजना के अंतर्गत परियोजना का निरूपण तथा अनुमोदन

एनएलसीपीआर योजना, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (डीओएनईआर) के सचिव की अध्यक्षता वाली 'एनएलसीपीआर समिति' द्वारा प्रशासित की जाती है।

एनएलसीपीआर योजना के अंतर्गत परियोजना निरूपण तथा अनुमोदन में मुख्य कदम हैं:

- राज्य द्वारा राज्य नोडल विभाग के माध्यम से परियोजनाओं के शेल्व/वार्षिक प्रोफाइल/प्राथमिकता सूची का प्रस्तुतीकरण।
- एनएलसीपीआर समिति द्वारा परियोजनाओं का प्रतिधारण।
- एनएलसीपीआर दिशानिर्देश-2012 के अनुसार राज्य द्वारा नोडल विभाग के माध्यम से डीओएनईआर को प्रतिधारित परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) का प्रस्तुतीकरण।
- एनएलसीपीआर दिशानिर्देश-2016 के अनुसार, डीपीआर को राज्य स्तरीय सशक्त समिति (एसएलईसी) के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
- संबंधित मंत्रालयों/एसएलईसी द्वारा परियोजना की तकनीकी-आर्थिक जांच।
- एनएलसीपीआर समिति द्वारा तकनीकी परियोजना मूल्यांकन तथा डीओएनईआर को परियोजना के अनुमोदन की सिफारिश।
- डीओएनईआर मंत्री द्वारा परियोजना की अंतिम सहमति।

2.1.2 लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

2.1.2.1 लेखापरीक्षा उद्देश्य

एनएलसीपीआर की लेखापरीक्षा यह पता लगाने के लिए की गई थी कि क्या:

- एनएलसीपीआर एनईआर में तीव्र विकास के उद्देश्य को पूरा करने में समर्थ रहा है?
- एनएलसीपीआर के माध्यम से वित्तपोषित परियोजनाओं को कुशलतापूर्वक, प्रभावी रूप से तथा मितव्ययता से निष्पादित किया गया था?
- डीओएनईआर द्वारा परियोजनाओं की पर्याप्त निगरानी तथा मूल्यांकन किया गया?

2.1.2.2 लेखापरीक्षा क्षेत्र, मानदंड, पद्धति तथा बाधाएं

इस लेखापरीक्षा में 2016-17 से 2020-21 के दौरान एनएलसीपीआर के कार्यान्वयन को शामिल किया गया। अभिलेखों की जांच एनएलसीपीआर योजना, कैबिनेट नोट्स आदि के संदर्भ में की गई थी।

- 1998-2017 के दौरान, एनएलसीपीआर योजना के अंतर्गत कुल ₹16233.79 करोड़ की वित्तीय संभावनाओं वाली 1635 परियोजनाएं प्रारम्भ की गई थी।
- लेखापरीक्षा अवधि के दौरान 428 परियोजनाओं के लिए ₹2368 करोड़ जारी किए गए थे।
- 428 परियोजनाओं में से, तीन क्षेत्रों अर्थात् स्वास्थ्य, खेल तथा जल आपूर्ति से संबंधित कुल ₹446.95 करोड़ के वित्तीय व्यय वाली 83 परियोजनाओं का लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जांच हेतु चयन किया गया था। परियोजनाओं का चयन एनईआर के लोगों के लिए उनके महत्व को ध्यान में रखते हुए निर्णयात्मक नमूनाकरण द्वारा किया गया था।

नमूना जांच हेतु चयनित 83 परियोजनाओं में से डीओएनईआर यह बताते हुए कि फाईलें खोजे जाने योग्य नहीं थी, कुल ₹85.38 करोड़ की छः परियोजनाओं¹ से

¹ (i) 1000 बैड वाले सुपर स्पेशलिटी एसटीएनएम, सोचकगांग, सिक्किम हेतु एनेक्स बिल्डिंग का निर्माण, (ii) अरुणाचल प्रदेश की पारांग घाटी में जल आपूर्ति कनेक्शन का सुधार/प्रदान करना, (iii) ग्रेटर सेलसेला

संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं करा सका। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा केवल 77 परियोजनाओं से संबंधित अभिलेखों की जांच कर सकी थी।

एनएलसीपीआर की लेखापरीक्षा सितम्बर 2021 से जनवरी 2022 के दौरान एनएलसीपीआर प्रभाग, डीओएनईआर मंत्रालय, नई दिल्ली में संचालित की गई थी। आगे, वर्ष 2020-21 के लिए डीओएनईआर की अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान की गई लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को भी प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

2.1.3 एनएलसीपीआर निधि तथा एनएलसीपीआर योजना

2.1.3.1 भारत के लोक लेखा में एनएलसीपीआर निधि का गैर सृजन तथा केवल काल्पनिक रूप में इसकी मौजूदगी

1998-99 में लिए गए मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार, वित्त मंत्रालय को भारत के लोक लेखा में एक एनएलसीपीआर निधि का सृजन करना अधिदेशाधीन था। 54 गैर-छूट प्राप्त केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों पर व्यय करने हेतु चिन्हित निर्धारित 10 प्रतिशत जीबीएस की अव्ययित राशि को इस निधि में रखा जाना था। एनएलसीपीआर योजना को उक्त आरक्षित निधि से वित्तपोषित किया जाना था। हालांकि, भारत के लोक लेखा में ऐसी किसी आरक्षित निधि का सृजन नहीं किया गया था तथा अव्ययित राशि का मंत्रालयों/विभागों द्वारा वित्तीय वर्ष के अंत में अभ्यर्पण किया गया था।

लोक लेखा में आरक्षित निधि के गैर-सृजन को सीएजी के 2010-11 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं.-5 संघ सरकार (सिविल)- गैर-व्यपगत केन्द्रीय पूल संसाधन योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा में भी सूचित किया गया था। यह भी बताया गया था कि चूंकि योजना एनई राज्यों में अवसंरचना के तीव्र विकास को सुनिश्चित करने के अपने अभिप्रेत उद्देश्य को पूरा करने में विफल रही इसलिए डीओएनईआर एनएलसीपीआर योजना को आगे जारी रखने की समीक्षा करें।

डीओएनईआर ने बताया (फरवरी 2023) कि इस पूल से किसी भी संसाधन का उपयोग नहीं हुआ था क्योंकि एनएलसीपीआर काल्पनिक रूप में मौजूद थी जिसका

जल आपूर्ति योजना (तूरा उत्तर प्रभाग), मेघालय, (iv) ग्रेटर सैतुअल जल आपूर्ति योजना, मिजोरम, (v) पश्चिम फाईलेंग जल आपूर्ति (पम्पिंग), मिजोरम तथा (vi) ऐबॉक जल आपूर्ति योजना, मिजोरम

वित्त मंत्रालय द्वारा एक प्रोफोर्मा आधार पर अनुरक्षण किया गया था। इस प्रकार, एनएलसीपीआर को डीओएनईआर की कई योजनाओं में से एक के रूप में कार्यान्वित किया गया था जिसके लिए डीओएनईआर को निधियां जीबीएस के माध्यम से उपलब्ध कराई गई थी। आगे, वित्त मंत्रालय ने भी सुनिश्चित किया (17 अप्रैल 2023) कि संसाधनों का गैर-व्यपगत केन्द्रीय पूल एक काल्पनिक निधि है जिसका लोक लेखा में अनुरक्षण नहीं किया गया।

2.1.3.2 एनएलसीपीआर प्रोद्घवन का मिलान

एनएलसीपीआर योजना को प्रत्येक वर्ष 54 गैर-छूट प्राप्त केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों पर व्यय करने हेतु निर्धारित 10 प्रतिशत सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) की अव्ययित राशि से वित्तपोषित किया जाना था।

डीओएनईआर मंत्रालय, नोडल मंत्रालय होने के नाते गैर-छूट प्राप्त मंत्रालयों/विभागों द्वारा अनिवार्य 10 प्रतिशत जीबीएस के अंतर्गत व्यय की निगरानी करता है तथा इसका हिसाब रखता है। एनईआर के लिए सभी गैर-छूट प्राप्त केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के चिन्हित परिव्यय में से अभ्यर्पित वार्षिक राशि को एनएलसीपीआर पूल को प्रोद्घवन के रूप में दर्ज किया जा रहा है। डीओएनईआर द्वारा संकलित एनएलसीपीआर प्रोद्घवन के वर्ष-वार आंकड़े मिलान हेतु आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को भेजे जाते हैं। लेखापरीक्षा ने पाया कि एनएलसीपीआर प्रोद्घवन के तहत आंकड़ों का फरवरी 2023 तक मिलान नहीं किया गया था। हालांकि आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय ने डीओएनईआर द्वारा सूचित किए गए ₹111345.52 करोड़ के प्रोद्घवित आंकड़ों (31 मार्च 2020) के साथ सहमति व्यक्त की (अप्रैल 2023)।

2.1.4 परियोजना नियोजन तथा निष्पादन

2.1.4.1 अंतर विश्लेषण नहीं किया गया

एनएलसीपीआर योजना दिशानिर्देशों ने अभिकल्पना की कि राज्यों को उन परियोजनाओं की एक वार्षिक प्राथमिकता सूची प्रस्तुत करनी चाहिए जो एक व्यापक प्रस्ताव होना चाहिए जिसमें सभी मुख्य क्षेत्रों के अंतर विश्लेषण तथा इन अंतरों को समाप्त करने में परियोजनाओं की सूची का औचित्य शामिल हो। प्राथमिकता सूची को एनएलसीपीआर समिति को अग्रेषित किया जाना था जो जांच के पश्चात् तथा

राज्य की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए डीओएनईआर को परियोजना के प्रतिधारण की सिफारिश करेगी। राज्य सरकारों को सूचित की गई प्रतिधारित परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करनी थी तथा इन्हें संबंधित मंत्रालयों/राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (एसएलईसी) द्वारा अनुमति के पश्चात अनुमोदन हेतु एनएलसीपीआर समिति के समक्ष प्रस्तुत करना था।

जबकि दिशानिर्देशों ने अंतर विश्लेषण को अनिवार्य किया फिर भी दिशानिर्देशों में ऐसा अंतर विश्लेषण करने के लिए कोई पद्धति प्रदान नहीं की गई थी। डीओएनईआर ने ऐसे अंतर विश्लेषण करने हेतु कोई तंत्र स्थापित नहीं किया है जो तुलनात्मक क्षेत्रीय विश्लेषण में एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य कर सकता तथा दीर्घ स्तर पर नियोजन में सहायता कर सकता था। राज्यों ने भी इस तरह के किसी भी विश्लेषण को करने से परहेज किया है।

डीओएनईआर ने बताया (मार्च 2022) कि राज्य सरकार ने लोगों की वर्तमान आवश्यकताओं के आधार पर तथा भविष्य में विस्तार को ध्यान में रखते हुए अवधारणा कागज तथा लोगों की बड़ी संख्या पर प्रभाव डालने वाली मौजूदा सुविधाओं के विस्तृत विश्लेषण सहित परियोजनाओं की प्राथमिकता सूची प्रस्तुत की। राज्यों ने दीर्घकालिक दृष्टि के साथ केन्द्रीय निवेश हेतु कुछ क्षेत्रों की पहचान की। डीओएनईआर ने आगे बताया (जून 2022) कि एनई राज्यों द्वारा अंतर विश्लेषण संचालित करने के लिए एनएलसीपीआर दिशानिर्देशों के अंतर्गत पर्याप्त तंत्र मौजूद था।

यद्यपि, डीओएनईआर ने बताया कि एनएलसीपीआर दिशानिर्देशों के अंतर्गत पर्याप्त तंत्र मौजूद था फिर भी पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा किसी भी अंतर विश्लेषण के संबंध में कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था।

2.1.4.2 चालू परियोजनाओं का विश्लेषण

1998-99 से दिसम्बर 2017 के दौरान, एनएलसीपीआर योजना के अंतर्गत कुल ₹16233.79 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ 1635 परियोजनाएं संस्वीकृत की गई थीं।

- इनमें से केवल 1292 परियोजनाएं फरवरी 2023 को 11 वर्षों तक के समय लंघन के साथ पूर्ण की गई थीं।
- ₹5389.50 करोड़ की लागत की 343 परियोजनाएं (21 प्रतिशत), संस्वीकृति की तिथि से एक से 15 वर्षों के बीच के विलम्ब से समापन हेतु लंबित थी तथा इन परियोजनाओं पर जारी ₹3863.66 करोड़ की सीमा तक की निधियां अवरूद्ध थीं। डीओएनईआर ने एनएलसीपीआर योजना के अंतर्गत कुल ₹595.24 करोड़ की अनुमोदित लागत की 49 पुरानी परियोजनाओं (343 परियोजनाओं में से) की पहचान की थी जिन्हें आगे जारी नहीं रखा जा सका तथा उन्हें रोकने की आवश्यकता थी। डीओएनईआर ने इन 49 पुरानी परियोजनाओं के लिए पूर्वोत्तर राज्यों को कुल ₹327.19 करोड़ की निधियां जारी की थी। इन परियोजनाओं को अभी रोका जाना है तथा इन पर किया गया व्यय संभावित रूप से निष्फल होना है।

यह परियोजनाओं के खराब नियोजन तथा कमजोर निगरानी को दर्शाता है।

डीओएनईआर ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों का एक विशिष्ट उत्तर नहीं दिया था।

2.1.4.3 नमूना परियोजनाओं का विश्लेषण

विस्तृत संवीक्षा हेतु चयनित 83 परियोजनाओं में से डीओएनईआर ने कुल 77² परियोजनाओं से संबंधित फाइलें प्रस्तुत की।

- इन 77 परियोजनाओं को डीओएनईआर द्वारा कुल ₹1203 करोड़ की अनुमानित लागत पर अनुमोदित किया गया था जिसके सापेक्ष में कुल ₹429.48 करोड़ की निधियां मार्च 2021 तक जारी की गई थी।
- इन 77 परियोजनाओं में से केवल 46 (जैसा तालिका सं. 2.1 में विवरण दिया गया है) जून 2022 तक 0.6 वर्ष से नौ वर्षों के बीच के समय लंघन के साथ पूर्ण की गई थी जबकि एक परियोजना को ₹10 लाख की टोकन राशि जारी के पश्चात रद्द कर दिया गया था।

² अरुणाचल प्रदेश में एक परियोजना को कार्य आदेश के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब के कारण डीओएनईआर द्वारा रद्द कर दिया था तथा डीओएनईआर द्वारा छः परियोजनाओं की फाइलों को लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था।

- 30 परियोजनाएं फरवरी 2023 तक दो वर्ष एक महीने से 13 वर्ष तक की देरी से अधूरी थी। जैसा अनुलग्नक 2.1 में ब्यौरा दिया गया है।

तालिका 2.1: समीक्षा की गई परियोजनाओं की राज्य-वार स्थिति

राज्य	समीक्षा की गई परियोजनाएं	पूर्ण परियोजनाएं	अपूर्ण परियोजनाएं	विलम्ब के कारण/अभ्युक्तियां
अरुणाचल प्रदेश	10*	6	3	1. 62 परियोजनाओं में राज्यों द्वारा कार्य आदेश के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब। 2. भूमि के अधिग्रहण में विलम्ब। 3. कानून व्यवस्था समस्याओं के कारण विलम्ब। 4. यूसी एवं क्यूपीआर प्रस्तुतीकरण में विलम्ब। 5. राज्य सरकार ने समापन की तिथि के पुनः समयनिर्धारण हेतु एसएलईसी के अनुमोदन की मांग नहीं की थी 6. डीओएनईआर द्वारा कम निगरानी
असम	10	2	8	
मणिपुर	11	6	5	
मेघालय	6	3	3	
मिजोरम	17	17	0	
नागालैण्ड	8	3	5	
सिक्किम	8	7	1	
त्रिपुरा	7	2	5	
योग	77*	46	30	

नोट: * एक परियोजना को ₹10 लाख की टोकन राशि जारी करने के पश्चात रद्द कर दिया था

- एनएलसीपीआर दिशानिर्देश-2012 के अंतर्गत संस्वीकृत 58 परियोजनाओं में से दिसम्बर 2022 तक 42 का पूर्ण होना सूचित किया गया था जबकि 16 परियोजनाएं अपूर्ण थीं। डीओएनईआर ने सितम्बर 2016 से जनवरी 2020 के दौरान 80 प्रतिशत प्रगति को सुनिश्चित करने के पश्चात् इन 16 परियोजनाओं में से आठ के लिए तीसरी एवं अंतिम किस्त जारी की थी। हालांकि, सम्पूर्ण केन्द्रीय अंश जारी करने के पश्चात् भी परियोजनाएं फरवरी 2023 तक अपूर्ण थी जिसके परिणामस्वरूप कुल ₹97.93 करोड़ की निधियों का अवरोध हुआ।
- एनएलसीपीआर दिशानिर्देश-2016 के अंतर्गत संस्वीकृत 19 परियोजनाओं में से 14 परियोजनाएं अपूर्ण थी। इन 14 में से चार परियोजनाओं हेतु संपूर्ण केन्द्रीय अंश को चार परियोजनाओं में 50 प्रतिशत भौतिक प्रगति को

सुनिश्चित करने के पश्चात दिसम्बर 2019 से सितम्बर 2021 के दौरान जारी किया गया था हालांकि परियोजनाएं फरवरी 2023 तक भी अपूर्ण थीं जिसका परिणाम ₹54.53 करोड़ की निधियों के अवरोधन में हुआ।

डीओएनईआर ने बताया (फरवरी 2023) कि डीओएनईआर के सचिव की अध्यक्षता में एवं संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों की सह अध्यक्षता में आयोजित अन्तर-मंत्रालयी समिति की बैठक के दौरान इन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। इन बैठकों के परिणामस्वरूप, राज्य सरकारों ने निश्चित समय सीमा के भीतर पूरी की जाने वाली परियोजनाओं की पहचान की है और इसे प्राप्त करने की कार्यवाही की जाएगी तथा उसी की निगरानी हेतु डीओएनईआर राज्य सरकारों के साथ मिलकर समन्वय कर रहा है।

चूंकि 39 प्रतिशत नमूना जांच की गई परियोजनाएं दो वर्ष एक माह से तेरह वर्ष पांच माह के विलम्ब के साथ अपूर्ण थीं, परियोजनाओं के समापन में प्रयासों में कमी पाई गई थी।

2.1.4.4 क्षेत्र-वार प्रभाव आंकलन

(ए) स्वास्थ्य क्षेत्र

स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत 10 नमूना जांच की गई परियोजनाओं में से केवल पांच परियोजनाओं को 5 वर्षों से 7 वर्षों के समय लंघन के साथ पूर्ण किया गया है। शेष पांच परियोजनाओं को 1.5 वर्षों से 13.5 वर्षों तक के समय लंघन के साथ अभी भी पूर्ण किया जाना था जिसका परिणाम संभावित रूप से लागत वृद्धि में हुआ।

स्वास्थ्य क्षेत्र की परियोजनाओं में लेखापरीक्षा के दौरान मुख्य निष्कर्षों को तालिका सं. 2.2 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका सं. 2.2: स्वास्थ्य क्षेत्र में पाए गए महत्वपूर्ण निष्कर्ष

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	संस्वीकृति का वर्ष	अनुमानित लागत	समापन की सारणी	30 जून 2022 को परियोजना की स्थिति/विलम्ब	किया गया व्यय (अनुमानित लागत का प्रतिशत)	कारण
1.	अरुणाचल प्रदेश के अपर सिआंग जिला, के यिंगकिआंग में 50 बेड वाले अस्पताल का निर्माण	2013	13.07	जून 2016	छः वर्षों के विलम्ब से पूर्ण	13.07 (100%)	निविदा औप-चारिकताओं में विलम्ब
2.	लांगटलाई, आईजोल, मिजोरम में 50 बेड वाले सिविल अस्पताल का निर्माण	2014	11.92	दिसम्बर 2016	साढ़े पांच साल के विलम्ब से पूर्ण	11.92 (100%)	कम कार्य करने के मौसम तथा मजदूरों की कमी के कारण विलम्ब
3.	दक्षिण जिला अस्पताल चरण-II (अस्पताल क्वार्टर), त्रिपुरा	2013	9.68	सितम्बर 2016	प्रगति में/ पांच वर्ष तथा नौ महीने)	6.48 (67%)	निर्माण अभिकरण के चयन में विलंब तथा कार्य स्थल पर विवाद
4.	नर्सिंग कॉलेज की स्थापना, कोकराझार, असम	2013	14.27	मई 2015	प्रगति में/ (सात वर्ष)	10.28 (72%)	भारी बाढ़ तथा वन सामग्री की कमी

इस प्रकार, उपरोक्त तालिका परियोजनाओं की अनुमोदित लागत के 67 से 100 प्रतिशत के बीच व्यय करने के बावजूद भी परियोजनाओं के समापन में पाँच वर्षों से सात वर्षों के बीच का विलम्ब इंगित करती है।

(बी) जल आपूर्ति क्षेत्र

जल आपूर्ति क्षेत्र के अंतर्गत 39³ नमूना जांच की गई परियोजनाओं में से केवल 27 परियोजनाओं को 0.6 वर्ष से 6.8 वर्षों तक के समय विलंब के साथ पूरा किया गया था। शेष 12 परियोजनाओं को 1.5 वर्षों से 11.8 वर्षों तक के समय लंघन के साथ अभी भी पूरा किया जाना था।

जल आपूर्ति क्षेत्र में लेखापरीक्षा के दौरान महत्वपूर्ण निष्कर्षों को तालिका सं. 2.3 में प्रस्तुत किया गया है:

तालिका सं. 2.3: जल आपूर्ति क्षेत्र में पाए गए महत्वपूर्ण निष्कर्ष

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	संस्वीकृति का वर्ष	अनुमानित लागत	समापन के लिए *निर्धारित समय	30 जून 2022 को परियोजना की स्थिति/विलम्ब	किया गया व्यय (अनुमानित लागत का प्रतिशत)	कारण
1.	तीनसुखिया शहरी जल आपूर्ति योजना (चरण-1)	2013	35.83	दिसंबर 2016	प्रगति में/ (पांच वर्ष एवं छः महीने)	25.80 (72%)	खराब मौसम स्थिति मजदूर मुद्दे
2.	बोगईगांव शहर जल आपूर्ति योजना, असम	2011	32.02	फरवरी 2014	प्रगति में/ (आठ वर्ष एवं चार महीने)	11.29 (35%)	कार्यान्वयन प्राधिकारियों को भूमि की सुपुदगी में विलम्ब
3.	ग्रेटर राल्मिआंग जल आपूर्ति परियोजना मेघालय	2010	21.14	फरवरी 2013	प्रगति में/ (नौ वर्ष एवं चार महीने)	19.03 (90%)	भूमि मालिकों के साथ भूमि अनुबंध को अंतिम रूप देने में विलम्ब तथा पीडब्ल्यूडी से भूमि की अनुमति
4.	अपर शिलांग जल आपूर्ति परियोजना मेघालय	2010	33.02	जनवरी 2014	प्रगति में/ (आठ वर्ष एवं पांच महीने)	29.14 (88%)	स्थानीय दरबार के साथ भूमि अनुबंध को अंतिम रूप देने में विलंब तथा वन विभाग से वन अनुमति

³ एक परियोजना को डीओएनईआर द्वारा रद्द कर दिया गया था।

इस प्रकार, उपरोक्त तालिका परियोजनाओं की अनुमोदित लागत के 35 से 90 प्रतिशत तक का व्यय करने के बावजूद भी परियोजनाओं के समापन में पांच वर्ष छः महीने से नौ वर्ष छः महीनों का बड़ा विलम्ब इंगित करती है।

(सी) खेल क्षेत्र

खेल क्षेत्र के अंतर्गत 28 नमूना जांच की गई परियोजनाओं में से केवल 15 परियोजनाओं को 0.7 वर्ष से 5.3 वर्षों तक के समय लंघन के साथ पूरा किया गया था। शेष 13 परियोजनाओं को एक वर्ष से 10.8 वर्षों तक के समय लंघन के साथ अभी भी पूरा किया जाना था।

खेल क्षेत्र में लेखापरीक्षा के दौरान मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्षों को तालिका सं. 2.4 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका सं. 2.4: खेल क्षेत्र में पाए गए महत्वपूर्ण निष्कर्ष

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	संस्वीकृति का वर्ष	अनुमानित लागत	समापन का निर्धारित समय	30 जून 2022 को परियोजना की स्थिति/ विलम्ब	किया गया व्यय (अनुमानित लागत का प्रतिशत)	कारण
1.	नामसाई, अरुणाचल प्रदेश में इनडोर मल्टी स्पोर्ट्स परिसर का निर्माण	2014	3.13	दिसंबर 2016	पांच वर्ष छः महीने के विलम्ब से पूरा किया गया	3.13 (100%)	राज्य सरकार द्वारा कार्य को सौंपने में 2 वर्षों का विलम्ब
2.	कोहिमा, नागालैण्ड में जीकेजो खेल परिसर, कोहिमा नागालैण्ड का विकास	2017	12.5	नवम्बर 2019	प्रगति में/ (दो वर्ष सात महीने)	11.25 (90%)	राज्य सरकार द्वारा दूसरी तथा अंतिम किश्त के लिए डीओएनईआर को यूसी, क्यूपीआर के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब
3.	जिला खेल परिसर, बिश्नुपुर, मणिपुर का निर्माण	2010	9.4	दिसम्बर 2013	प्रगति में/ (आठ वर्ष छः महीने)	6.65 (71%)	2015 में निधियों के दुर्विनियोग के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी तथा डीओएनईआर को राज्य से रिपोर्ट प्राप्त करनी थी। जो प्राप्त नहीं हुई तथा परियोजना की आगे

क्र. सं.	परियोजना का नाम	संस्वीकृति का वर्ष	अनुमानित लागत	समापन का निर्धारित समय	30 जून 2022 को परियोजना की स्थिति/ विलम्ब	किया गया व्यय (अनुमानित लागत का प्रतिशत)	कारण
							प्रगति नहीं हो सकी।
4.	फुटबाल स्टेडियम, टोबू एचक्यू नागालैण्ड का निर्माण	2014	2.67	जनवरी 2016	प्रगति में/ (छ: वर्ष पांच महीने)	1.90 (71%)	भू-खलन हुआ जिसके परिणामस्वरूप रीटेनिंग वाल के बीम एवं स्तम्भ बह गए, सड़क की जर्जर स्थिति।

इस प्रकार उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि परियोजना की अनुमोदित लागत के 71 से 90 प्रतिशत तक के बीच का व्यय करने के बावजूद भी परियोजनाओं के समापन में दो वर्ष छः माह से आठ वर्ष छः माह का बड़ा विलम्ब था।

स्वास्थ्य, जल आपूर्ति तथा खेल के क्षेत्रों के अंतर्गत परियोजनाओं की स्थिति को प्रस्तुत करते समय डीओएनईआर ने बताया (फरवरी 2023) कि डीओएनईआर द्वारा निगरानी तंत्र को मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं जैसे परियोजना स्थलों की जियो-टैगिंग, जिय-टैग किए गए फोटोग्राफ्स के माध्यम से भौतिक प्रगति की निगरानी, समय पर निधियों का निर्गम, आदि।

2.1.5 सिफारिश

डीओएनईआर, राज्य सरकारों के साथ समन्वय में, परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करें तथा बाधाओं को हटाने के लिए विलम्बित एवं अपूर्ण निर्माण कार्यों के कारणों का विश्लेषण करें तथा परियोजनाओं के सामयिक एवं कुशल निष्पादन को सुनिश्चित करें।

डीओएनईआर ने उपरोक्त सिफारिश को स्वीकार किया (अक्टूबर 2022) तथा अनुपालन हेतु इसको नोट किया।

2.1.6 निगरानी एवं मूल्यांकन

एनएलसीपीआर दिशानिर्देश निगरानी एवं मूल्यांकन हेतु किए जाने वाले विभिन्न उपायों का प्रावधान करते हैं। हालांकि प्रयासों में कमी पाई गई थी जो अपूर्ण, विलंबित परियोजनाओं की एक विशिष्ट संख्या के रूप प्रतिबिंबित होती है। परियोजनाओं के अनुचित निष्पादन तथा निगरानी में कमी को दर्शाने वाले तीन निदर्शी मामला अध्ययन **अनुलग्नक 2.2** में दिए गए हैं।

आगे, निगरानी एवं मूल्यांकन के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ नीचे दी गई हैं:

2.1.6.1 डीओएनईआर स्तर पर

एनएलसीपीआर दिशानिर्देश एनएलसीपीआर योजना के अंतर्गत संस्वीकृत विभिन्न परियोजनाओं की निगरानी एवं मूल्यांकन हेतु डीओएनईआर द्वारा किए जाने वाले निम्नलिखित उपायों को निर्धारित करते हैं:

- डीओएनईआर के अधिकारियों द्वारा क्षेत्र निरीक्षण, साथ ही साथ सरकार द्वारा या डीओएनईआर के अनुरोध पर स्वतंत्र अभिकरणों द्वारा किए गए प्रभाव अध्ययन, सामाजिक लेखापरीक्षा तथा मूल्यांकन।
- डीओएनईआर के अधिकारियों द्वारा एनएलसीपीआर परियोजनाओं का त्रैमासिक निरीक्षण तथा उस पर रिपोर्टों का प्रस्तुतीकरण।
- स्वतंत्र अभिकरणों द्वारा पांच प्रतिशत परियोजनाओं के एक नमूने की निगरानी। राज्य सरकारें परियोजनाओं की स्वतंत्र निगरानी को सुनिश्चित करेगी तथा ऐसी निगरानी की निरीक्षण रिपोर्टें डीओएनईआर को प्रस्तुत करेंगी।

हालांकि, डीओएनईआर ने 2016-17 से 2020-21 के दौरान i) अधिकारियों द्वारा किए गए दौरों, ii) सामाजिक लेखापरीक्षाएं, iii) स्वतंत्र अभिकरणों के माध्यम से किए गए निरीक्षणों तथा iv) राज्य सरकारों के निरीक्षण प्रतिवेदनों के कोई ब्यौरे/रिपोर्टें प्रस्तुत नहीं किए।

डीओएनईआर ने अपने उत्तर में बताया (मार्च 2022) कि इसके निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए कि पीएफएमएस के माध्यम से भुगतान, जियो-टैगिंग फोटोग्राफ, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति से जुड़ी निधियों का समय पर निर्गम तथा

डीओएनईआर के तकनीकी स्कंध द्वारा मुख्य परियोजनाओं का निरीक्षण जैसे उपाय किए गए थे। डीओएनईआर ने यह भी बताया (मार्च 2022) कि एनएलसीपीआर के अंतर्गत परियोजनाओं का तृतीय दल मूल्यांकन 2016 से 2021 के दौरान तीन स्वतंत्र अभिकरणों द्वारा किया गया था।

हालांकि, डीओएनईआर ने योजना दिशानिर्देशों के अनुसार निगरानी तथा मूल्यांकन जैसे कि डीओएनईआर के अधिकारियों द्वारा किए गए फील्ड निरीक्षण, स्वतंत्र अभिकरणों द्वारा पांच प्रतिशत परियोजनाओं के एक नमूने की निगरानी के विवरण तथा इस पर राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन एवं डीओएनईआर अधिकारियों द्वारा किए गए त्रैमासिक निरीक्षणों, के संबंध में सूचना प्रदान नहीं की थी। इस प्रकार, एनएलसीपीआर योजना के अंतर्गत संस्वीकृत परियोजनाओं की निगरानी हेतु दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया था।

2.1.6.2 राज्य स्तर पर

- एनएलसीपीआर दिशानिर्देश-2012 के अनुसार, राज्य को रिपोर्ट के अधीन तिमाही की समाप्ति के तीन सप्ताहों के भीतर डीओएनईआर को एक निर्धारित क्यूपीआर में प्रत्येक परियोजना के संबंध में प्रगति सूचित करना अपेक्षित था।
- इन राज्यों के मुख्य सचिव को एनएलसीपीआर के अंतर्गत चालू परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा हेतु त्रैमासिक बैठक करना तथा डीओएनईआर को ऐसी बैठकों का सारांश अभिलेख उपलब्ध करना अपेक्षित था।

लेखपरीक्षा ने 77 नमूना परियोजनाओं के संबंध में डीओएनईआर के क्यूपीआर के प्रस्तुतीकरण में एक माह से छः वर्षों के बीच का विलम्ब पाया। यह राज्य सरकारों को अगली किश्त के निर्गम में विलम्ब का कारण बना जिसका परिणाम परियोजनाओं के विलंबित कार्यान्वयन में हुआ।

मुख्य सचिवों की अध्यक्षता में त्रैमासिक बैठकों का कोई अभिलेख परियोजना फाइलों में नहीं पाया गया था। डीओएनईआर ने बताया (मार्च 2022) कि परियोजनाओं के कार्यान्वयन, विलम्बों तथा लागत वृद्धि पर त्रैमासिक रूप से आयोजित एनएलसीपीआर समिति/आईएमसी की बैठकों, जिनकी सह-अध्यक्षता एनई राज्यों के मुख्य सचिवों द्वारा की गई थी, में नियमित रूप से चर्चा की गई थी।

डीओएनईआर ने आगे बताया (जून 2022) कि संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों ने राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (एसएलईसी) की बैठकों के दौरान भी अपने संबंधित राज्यों में विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन स्थिति की भी निगरानी की थी। डीओएनईआर का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि एनएलसीपीआर योजना दिशानिर्देश परियोजनाओं की प्रगति तथा कार्यान्वयन पर राज्य मुख्य सचिवों द्वारा राज्य स्तरीय बैठकों की मांग करते हैं जो संचालित नहीं की गई हैं।

2.1.6.3 एनएलसीपीआर परियोजना पोर्टल के माध्यम से निगरानी

पीएसी ने अपनी त्रैसठवीं रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि डीओएनईआर को एनएलसीपीआर योजना के अंतर्गत निधियों के उचित उपयोग तथा परियोजनाओं के समय पर समापन को सुनिश्चित करने हेतु निगरानी तंत्र को मजबूत करना चाहिए। पीएसी की सिफारिश के अनुसरण में डीओएनईआर ने एनएलसीपीआर योजना के अंतर्गत विकास परियोजनाओं के प्रस्तुतीकरण, निगरानी तथा अनुपालन हेतु सितम्बर 2015 में एक नया ऑनलाईन ई-पोर्टल प्रारम्भ किया। डीओएनईआर परियोजना पोर्टल को हितधारकों जैसे कि योजना विभाग तथा पूर्वोत्तर राज्य सरकारों के संबंधित विभाग, भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय, डीओएनईआर तथा जनता द्वारा परियोजना गतिविधियों के विभिन्न चरणों की जानकारी रखने के लिए विकसित किया गया था।

तथापि, वर्तमान लेखापरीक्षा में एनएलसीपीआर पोर्टल पर 77 नमूना परियोजनाओं की गतिविधियों के विभिन्न चरणों के विश्लेषण ने निम्नलिखित कमियां उजागर की:

- सभी 77 नमूना परियोजनाओं के विज्ञापन/बोली दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे।
- 44 परियोजनाओं में विस्तृत परियोजना रिपोर्टें उपलब्ध नहीं थीं।
- 26 परियोजनाओं में कार्य आदेश उपलब्ध नहीं थे।
- 20 परियोजनाओं में यूसी उपलब्ध नहीं थे।
- 16 परियोजनाओं में समापन प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं थे।
- 9 परियोजनाओं में जारी किशतों पर सूचना उपलब्ध नहीं थी।

- सात परियोजनाओं के मामले में, एक पूर्ण परियोजना⁴ को चालू परियोजनाओं के रूप में दर्शाया गया था जबकि छः चालू परियोजनाओं⁵ को पूर्ण परियोजनाओं के रूप में दर्शाया गया था हालांकि परियोजना पोर्टल पर इन परियोजनाओं के समापन प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं थे।
- सात परियोजनाओं के मामले में⁶, परियोजना फाईल में पूर्ण दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे फिर भी इन्हें परियोजना पोर्टल पर समापन प्रमाणपत्र के साथ अपूर्ण के रूप में दर्शाया गया था।

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि एनएलसीपीआर परियोजना पोर्टल ने एनएलसीपीआर के अंतर्गत परियोजनाओं की तथ्यात्मक स्थिति चित्रित नहीं की थी। डीओएनईआर ने बताया (मार्च 2022) कि यह जारी/उपयोग की गई निधियों की राशि, संस्वीकृत/चालू/पूर्ण परियोजनाओं की संख्या (राज्य-वार, क्षेत्र-वार तथा परियोजना वार), जियो-टैग की गई फोटोग्राफ की निगरानी तथा लंबित यूसी/समापन प्रमाणपत्रों की स्थिति की निगरानी हेतु भी दैनिक आधार पर पोर्टल का अद्यतन करता है।

जैसा कि ऊपर इंगित की गई कमियों से स्पष्ट है कि परियोजना पोर्टल का दैनिक आधार पर अद्यतन नहीं किया गया था जिसने हितधारकों द्वारा परियोजना पोर्टल की उपयोगिता को प्रभावित किया। इस प्रकार, एनएलसीपीआर योजना के अंतर्गत वित्तपोषित चालू परियोजनाओं की एनएलसीपीआर पोर्टल के माध्यम से निगरानी का उद्देश्य विफल रहा।

⁴ तामूलपुर जल आपूर्ति योजना

⁵ 24 गांवों चीफोबोजौ, आरडी ब्लॉक, नागालैण्ड को जल आपूर्ति; ऊपर सिआंग जिला, अरुणाचल प्रदेश में यिंगकीओन में अच्छी तरह से सुसज्जित 50 बैड वाले अस्पताल का निर्माण; मल्टी स्पोर्ट्स, कॉम्प्लेक्स, नामसाई लोहित, अरुणाचल प्रदेश का निर्माण; वोखा शहर, नागालैण्ड का जल का सुधार; न्यू पेरेन जिला एचक्यू परिसर, नागालैण्ड को जल आपूर्ति प्रदान करना; जिला अस्पताल, तावांग, अरुणाचल प्रदेश में अंतर-रोगी वार्ड का निर्माण।

⁶ तिराप जिला, अरुणाचल प्रदेश में खोंसा टाउनशिप में जल आपूर्ति का सुधार; ख्वाबंग, मिजोरम में लघु-खेल परिसर का निर्माण; जोबक्क, मिजोरम में राज्य खेल अकादमी का निर्माण; इम्फाल, मणिपुर में डोरमेंट पॉलीटेक्निक परिसर टकयेल में जल आपूर्ति योजना; लॉन्गतलाई, मिजोरम में 50 बैड वाले अस्पताल का निर्माण; तामेंगलॉग एचक्यू मणिपुर में जल संरक्षण द्वारा जल आपूर्ति योजना; तथा लघु खेल परिसर सकवरदाई, मिजोरम का निर्माण।

डीओएनईआर ने बताया (जून 2022) कि राज्य सरकारों को पोर्टल पर भौतिक तथा वित्तीय प्रगति रिपोर्टों को अपलोड करने तथा इसका अधिकतम उपयोग करने की समय-समय पर सलाह दी गई थी। तथापि, डीओएनईआर ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया तथा बताया एनएलसीपीआर परियोजना पोर्टल को अधिक अनुकूल बनाया जाएगा।

इसलिए, यह स्पष्ट है कि डीओएनईआर तथा राज्य स्तरों दोनों में कमजोर तथा कम निगरानी विभिन्न परियोजनाओं के निष्पादन की धीमी गति तथा कार्यान्वयन में देरी के रूप में परिणत हुई।

2.1.7 सिफारिशें:

- (i) डीओएनईआर राज्य सरकारों के साथ परियोजनाओं की प्रगति की वार्षिक समीक्षा/मूल्यांकन करें तथा राज्य सरकारों के साथ करीबी समन्वय परियोजनाओं की निगरानी के सुदृढीकरण को सुनिश्चित करें।
- (ii) डीओएनईआर को एक सक्रिय वास्तविक समय ई-पोर्टल, जो कार्यान्वयन की निगरानी, पता लगाने तथा सुधार में मदद करें। परियोजनाओं का जियो-टैग के साथ-साथ भौतिक रूप से निरीक्षण किया जाय। राज्य के मुख्य सचिवों के साथ त्रैमासिक समीक्षा बैठकों के प्रावधान, जैसा दिशानिर्देशों में निर्धारित किया गया है, का पालन किया जाना चाहिए।

डीओएनईआर ने बताया (अक्टूबर 2022) कि सिफारिशों को अनुपालन हेतु नोट किया गया है।

2.1.8 निष्कर्ष

एक समर्पित एनएलसीपीआर निधि के माध्यम से क्षेत्र में नई अवसंरचना परियोजनाओं/योजनाओं हेतु बजटीय वित्तपोषण के प्रवाह को बढ़ाकर एनईआर में अवसंरचना के तीव्र विकास के उद्देश्य के विपरीत ऐसी किसी निधि का सृजन नहीं किया गया है तथा एनएलसीपीआर निधि ₹111,000 करोड़ की सीमा तक काल्पनिक उपादान सहित केवल काल्पनिक रूप से मौजूद है। एनएलसीपीआर योजना किसी अन्य केन्द्रीय प्रायोजित योजना की तरह ही सामान्य बजटीय प्रक्रिया के माध्यम

से अपना वास्तविक निधियन प्राप्त करती है। इस प्रकार, एनएलसीपीआर न तो संसाधनों का एक पूल है। और न ही यह अपने वर्तमान रूप में गैर-व्यपगत है।

योजना के अंतर्गत परियोजनाओं का निष्पादन, यह देखते हुए कि कुल 1635 संस्वीकृत परियोजनाओं में से कुल ₹5389.50 करोड़ की 343 परियोजनाएं फरवरी 2023 तक अपूर्ण रही असंतोषजनक है। अधिकांश परियोजनाएं डीओएनईआर स्तर पर निधियाँ जारी किए जाने के पश्चात भी असाधरण रूप से विलम्बित या बन्द थीं। डीओएनईआर तथा राज्य स्तर पर योजना की निगरानी कम है। मंत्रालय स्तर पर फील्ड निरीक्षणों, प्रभाव अध्ययनों, सामाजिक लेखापरीक्षाओं तथा मूल्यांकनों के प्रावधान थे, जिनका अनुपालन नहीं किया जा रहा था। राज्य स्तर पर, क्यूपीआर तथा यूसी समय पर डीओएनईआर को प्रस्तुत नहीं किए जा रहे थे। एनएलसीपीआर परियोजना पोर्टल में भी कई पहलुओं, जैसे कि दैनिक अद्यतन की कमी, यूसी के वर्ष-वार अभिलेख का गैर-अनुरक्षण, परियोजना फाइलों का अपूर्ण भंडारण आदि, में कमी पाई गई थी।

(II) शिक्षा मंत्रालय

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

2.2 सरकारी खाते के बाहर निधियों को रखना

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग सीधे पीएओ से लाभार्थियों को छात्रवृत्ति का अंतरण करने हेतु वर्तमान नियमों तथा पीएफएमएस के अनिवार्य उपयोग का अनुपालन करने में विफल रहा जो सरकारी खाते के बाहर निधियों को रखने तथा अनुवर्ती वर्षों में बचतों के उपयोग का कारण बना।

01 अप्रैल 2008 से कार्यान्वित सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस, प्रारम्भ में केन्द्रीय योजना निगरानी प्रणाली कहा गया), ने एक प्रभावी निधि प्रवाह प्रणाली के साथ-साथ भुगतान-सह-लेखांकन नेटवर्क स्थापित किया है। 01 अप्रैल 2015 से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के अंतर्गत भुगतान, लेखांकन तथा रिपोर्टिंग हेतु इसके उपयोग को अनिवार्य कर दिया गया है। पीएफएमएस वेतन एवं लेखा कार्यालयों (पीएओ) को पीएओ-डीबीटी माइयूल का उपयोग करके लाभार्थियों के

विवरणों की प्राप्ति पर सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में निधि के अंतरण के लिए समर्थ बनाता है। यह फ्लोट फंड की आवश्यकता को न्यूनतम करते हुए लाभार्थियों को निधियों के 'समय पर' अंतरण को अनुमत करता है।

आगे, जीएफआर नियम 57(2) अनुबंध करता है कि अनुदान अथवा विनियोग का उपयोग केवल उन प्रभारों (पिछले वर्ष की देयता, यदि कोई हो, सहित), जिन्हें अनुदान अथवा विनियोग के वित्तीय वर्ष के दौरान अदा किया जाना है तथा वर्ष के लेखे में समायोजित किया जाना है, को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। एक अनुदान अथवा विनियोग के किसी भी प्रभार को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् प्राधिकृत नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, जीएफआर का नियम 62(1) प्रावधान करता है कि केन्द्र सरकार के विभाग वित्त मंत्रालय को अपने द्वारा नियंत्रित अनुदानों अथवा विनियोगों में देखी गई सभी प्रत्याशित बचतों का वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित तिथियों तक अभ्यर्पण करेंगे।

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 (जीएफआर)⁷ का नियम 241 प्रावधान करता है कि डीबीटी के अंतर्गत शामिल योजनाओं के मामले में, जहां निधि प्रवाह सीधे केन्द्र सरकार से लाभार्थियों को है, लाभार्थियों के बैंक खातों में निधियों के जमा के संबंध महालेखा नियंत्रक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तैयार बैंक/भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (आधार भुगतान पुल) से सूचना को उपयोग प्रमाणपत्र के रूप में माना जा सकता है।

राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएसएस) को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को कक्षा VIII में उनके ड्राप आउट को रोकने तथा राज्य सरकार, सरकारी सहायता प्राप्त तथा स्थानीय निकाय विद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर उनके अध्ययन को जारी रखने हेतु उनको बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय (एमओई) के अधीन एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना के रूप में मई 2008 में प्रमोचित किया गया था। इस योजना

⁷ इस प्रावधान को प्रारम्भ में व्यय विभाग ओएम से 8 (1)/2013-ई-11 (ए) दिनांक 05 फरवरी 2013 के द्वारा जीएफआर, 2005 के नियम 212 (6) के रूप में शामिल किया गया था।

के अंतर्गत कक्षा IX में पढ़ रहे छात्रों को एक लाख छात्रवृत्तियां प्रदान की गई है जिसका कक्षा X, XI तथा XII हेतु नवीकरण किया जाता है।

प्रारम्भ में यह अभिकल्पना की गई थी कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के साथ ₹3,000 करोड़ के एक कोर्पस का सृजन किया जाएगा तथा लाभार्थियों को छात्रवृत्ति का संवितरण कोर्पस निधि पर रिटर्न से किया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (डीओएसइएल) ने एसबीआई को दिसंबर 2008 तथा जून 2009 में क्रमशः ₹750 करोड़ तथा ₹250 करोड़ के दो हिस्सों में ₹1000 करोड़ जारी किए। एमओई ने एसबीआई के साथ एनएमएमएसएस के कार्यान्वयन तथा लाभार्थियों को छात्रवृत्ति के संवितरण हेतु कोर्पस निधि के प्रबंधन हेतु एक चालू खाता खोलने के लिए नवम्बर 2009 में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया।

बाद में एमओई ने योजना का संशोधन किया (मई 2010) तथा यह सुनिश्चित करने, कि सरकार द्वारा उच्च-लागत के उधारों को उस कोर्पस में नहीं डाला गया है जो कम लाभ उत्पन्न करता है, के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान करने तथा अन्य संबंधित लागतों हेतु निधि आवश्यकता के लिए 2010-11 से एक वार्षिक बजट प्रावधान करने का निर्णय लिया। एसबीआई के पास पड़े ₹1000 करोड़ के कोर्पस को दिसंबर 2010 में वापिस किया गया था। हालांकि, बैंक खाते को बंद नहीं किया गया था क्योंकि बैंक लाभार्थियों को छात्रवृत्तियों के संवितरण हेतु विद्यमान व्यवस्था के पालन को जारी रखने के लिए सहमत (दिसंबर 2011) था बशर्ते:

- बैंक ने प्रभारों/किए गए व्ययों हेतु प्रतिपूर्ति अथवा क्षतिपूर्ति की मांग नहीं की है क्योंकि उनके द्वारा योजना के कार्यान्वयन को मंत्रालय के साथ एक संयुक्त साझेदारी के रूप में देखा गया है।
- मौजूदा व्यवस्था के अनुसार योजना हेतु निधियों को चालू लेखाओं में छोड़ा जाए उस समय औसतन जमा स्तर ₹35 करोड़ था।

योजना को 2014 में डीबीटी के अधीन लाया गया था तथा 2015-16 में राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर लाया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि

- योजना के अंतर्गत जारी निधियों के संस्वीकृति आदेश में उल्लेखित था कि “भारतीय स्टेट बैंक को जारी निधियां छात्रवृत्ति धारकों के खातों में छात्रवृत्ति की राशि क्रेडिट करने के लिए बैंक के पास रहेगी। इस प्रकार, बैंक को जारी की गई राशि को उपयोग की गई राशि के रूप में माना गया है।” लाभार्थियों के बैंक खातों में छात्रवृत्ति के वास्तव में जमा को सत्यापित किए बिना निधियों को उपयोग किया गया माने जाने की यह व्यवस्था (अस्वीकृत प्रविष्टियों⁸ के कारण असंवितरित राशि) जीएफआर के नियम 241 के उल्लंघन में था।
- एमओई ने उपरोक्त के नियम 57(2) तथा नियम 62(1) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया था तथा असंवितरित निधियों को अनुवर्ती वर्षों में संवितरण के इरादे से सरकारी खाते के बाहर एसबीआई खाते में रखने को अनुमत किया। यह 2016-17 से 2022-23 (28 दिसंबर 2022 तक) की अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर ₹12.96 करोड़ तथा ₹429.65 करोड़ के बीच पर्याप्त शेष के संचयन का कारण बना जैसा **अनुलग्नक-2.3** में दर्शाया गया है।
- योजना दिशानिर्देशों के अनुसार उस शैक्षिक सत्र, जिसके दावे के लिए आवेदन किया गया है, के 12 महीनों की समाप्ति के पश्चात् छात्रवृत्ति बकायों हेतु किसी दावे पर विचार नहीं किया जाना था। जहां एसबीआई ने 2014-15 से 2017-18 के दौरान असंवितरित छात्रवृत्तियों के कारण ₹34.97 करोड़ वापिस किए वहीं 2018-19 से 2021-22 के दौरान ऐसी कोई वापसी नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने स्थिति की समीक्षा की तथा दिसंबर 2022 में कुल ₹100.06 करोड़ की असंवितरित छात्रवृत्ति की वापसी प्राप्त की।
- जबकि एनएमएमएसएस को 2015-16 में राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर डाला गया था फिर भी पोर्टल द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का तकनीकी खामियों के कारण प्रथम तीन वर्षों के दौरान पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया जा सका था। योजना 2018-19 से एनएसपी पर पूर्ण रूप से क्रियात्मक हो गई।

⁸ अस्वीकृत प्रविष्टियों की राशि-राज्य सरकार से सही बैंक विवरणों की गैर-प्राप्ति के कारण बैंक के पास पड़ी अव्ययित अस्वीकृत प्रविष्टियों के प्रति राशि।

- एनएसपी-पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से छात्रवृत्तियों के संवितरण को सात चरणों⁹ पर प्रबंधित किया जाता है। छात्रों के बैंक खाते, आधार नम्बर, छात्रों के नाम को आधार तथा बैंक खाते से मिलाने आदि को सत्यापित करने से संबंधित चरणों का एनएमएमएसएस के अधीन उपयोग किया जा रहा है फिर भी पीएफएमएस में पीएओ-डीबीटी मॉड्यूल का उपयोग करते हुए डीबीटी रीति में छात्रवृत्तियों के संवितरण से संबंधित चरणों का लाभ नहीं लिया गया था। एमओइ ने लेन-देन करने के लिए एसबीआई बैंक खाते के उपयोग को जारी रखा जो बैंक को अपने पास पर्याप्त फ्लोट फंड रखने की अनुमति देता है।
- एमओई तथा एसबीआई के बीच किए गए एमओयू के अनुसार एनएमएमएसएस हेतु ऑटो-स्वीप सुविधा के साथ एक चालू बैंक खाता खोला जाना था। असंवितरित निधियों को 12 से 36 महीनों के बीच की निर्धारित अवधि के लिए चालू खाते के साथ लिंक कॉर्पोरेट तरल सावधि जमा (सीएलटीडी) में जमा किया जाना था। आगे, एसबीआई को निधियां जारी करने के संस्वीकृति आदेश ने भी बताया कि एसबीआई को जारी तथा तुरंत उपयोग न की गई राशि को अल्पावधि सावधि जमा में रखा जा सकता है। हालांकि एमओयू के निबंधनों का कभी संशोधन नहीं किया गया था फिर भी एसबीआई ने एमओई को सूचना के पश्चात् कोर्पस निधि को बंद करने के पश्चात् इस बहाने के साथ खाते के अन्तर्गत ऑटो स्वीप सेवा रोक दी कि बैंक छात्रवृत्ति योजना तथा इसके कार्यान्वयन की लागत का प्रबंध कर रहा है जिसकी खाते में उपलब्ध फ्लोट फंड से क्षतिपूर्ति की जाती है, इस प्रकार जिन बैंक खातों में एनएमएमएसएस निधि रखी गई थी उनसे कोई ब्याज प्राप्त नहीं हुआ।

इस प्रकार, बजट के सापेक्ष व्यय के नियंत्रण हेतु जीएफआर के प्रावधानों का गैर-अनुपालन तथा पीएफएमएस के माध्यम से सीधे, मंत्रालय से लाभार्थियों को भुगतान के सही समय पर जारी करने की सुविधा का उपयोग करने में विफलता

⁹ (i) छात्र पंजीकरण तथा आवेदन प्रस्तुतीकरण; (ii) चरण I संस्थान स्तर पर आवेदन का सत्यापन; (iii) चरण 2/3 जिला/राज्य/मंत्रालय स्तर पर आवेदन का सत्यापन; (iv) लाभार्थी अभिलेख सृजन तथा पीएफएमएस द्वारा खाता अधिनियम, (v) आवेदन डीडुल्पकेशन तथा योग्यता सूची का सृजन; (vi) भुगतान फाईल का सृजन एवं वित्तीय अनुमोदन, तथा (vii) डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति संवितरण।

निधियों को सरकारी खाते के बाहर रखने का कारण बनी। परिणामस्वरूप, कोर्पस को बंद करके तथा वार्षिक बजट के माध्यम से इसका वित्तपोषण करते हुए एनएमएमएसएस (2010-11) के निधियन पैटर्न को बदलने के उद्देश्य को पूरा नहीं किया जा सका।

मामले को मार्च 2022 में एमओइ के संज्ञान में लाया गया था। एमओइ ने बताया (दिसंबर 2022) कि एसबीआई एक ऐसे दल का आबंटन करते हुए जो केवल योजना के विशेष रूप से कार्यान्वयन की देख-रेख कर रहा है छात्रवृत्ति को प्रबंधित कर रहा है। प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के अनुरक्षण हेतु एक विशेष अवसंरचना भी तैयार की गई है। योजना की प्रचालन लागत की प्रतिपूर्ति खाते में उपलब्ध फ्लोट फंड से की जाती है। आगे, 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान कोविड-19 महामारी तथा कई राष्ट्रीयकृत बैंकों के विलयन जिसका परिणाम लाभार्थियों की खाता संख्या में परिवर्तन तथा परिणामी लेन-देन की विफलता में हुआ, के कारण असंवितरित निधियों की वापसी प्राप्त करने में विलम्ब थे।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि एमओयू का संशोधन किये बिना फ्लोट फंड को बनाए रखकर एसबीआई को क्षतिपूर्ति करने की व्यवस्था ने उचित परिश्रम की कमी को दर्शाया। यह ध्यान देने योग्य है कि औसतन फ्लोट शेष 2011 में ₹35 करोड़ तक बढ़ा तथा 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान ₹101 करोड़ से ₹257 करोड़ के बीच था। बाद में, विभाग ने स्थिति की समीक्षा की तथा दिसंबर 2022 में कुल ₹100.06 करोड़ की असंवितरित छात्रवृत्ति की वापसी प्राप्त की।

सिफारिश: मंत्रालय डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के खातों में छात्रवृत्ति के भुगतान हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के अधीन पहले से उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करें।

(III) विदेश मंत्रालय

भारतीय दूतावास, बर्लिन

2.3 त्रुटिपूर्ण करार के निष्पादन के कारण परामर्शदाता को अनुचित लाभ

मिशन/मंत्रालय का अनुबंध करने के निर्णय में उपलब्ध कानूनी राय को अनदेखा करने, अनुबंध में कार्य के दायरे एवं शुल्क को निर्दिष्ट किए बिना तथा प्रत्येक चरण पर सभी मूल दस्तावेज प्राप्त किए बिना भुगतान करने का परिणाम (ए) मूल अनुमान में परिवर्तन करने के लिए परामर्शदाता को अनुमति देना (बी) परियोजना के पूरा होने में देरी के कारण किराए के रूप में लोक धन का बाहर जाना तथा (सी) ₹6,58,059 (₹5.70 करोड़) (वैट सहित) की सीमा तक सम्भव निष्फल व्यय में हुआ।

भारत सरकार के पास 1987 में अधिग्रहित 10, स्टॉर्मस्ट्रैस, बर्लिन चार्लेटनवर्ग/वेस्टलैंड, बर्लिन में स्थित सम्पत्ति है। मिशन के स्टाफ के लिए गैर-प्रतिनिधित्वात्मक अनुदान (आरजी) आवास हेतु सम्पत्ति के पुनर्विकास करने के लिए प्रस्ताव को 2002 में शुरू किया गया था। 2011 में मंत्रालय द्वारा नौ गैर-आरजी आवासों हेतु संक्षेप डिजाइन अनुमोदित की गई थी।

मिशन ने स्थानीय समाचार-पत्र के माध्यम से एक्सप्रेसन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआई) आमंत्रित किया एवं समय पर पांच डिजाइन प्रस्ताव प्रस्तुत किए जिनका आंकलन उनकी अभिव्यक्ति/अवधारणा को ध्यान में रखते हुए किया गया था। जांच के बाद, केवल तीन¹⁰ प्रस्ताव मई 2014 में उपयुक्त पाए गए।

तीन अभिकरणों द्वारा उद्धृत लागत अनुमान एवं परामर्श प्रभार का विवरण जैसा कि तालिका सं. 2.5 में दिया गया है

¹⁰ मै. जीएमपी इंटरनेशनल, मै. लीओन वोहलेग वर्निक (एलडब्ल्यूडब्ल्यू), आर्किटेक्टन; मै. डीजीआई बाउवर्क।

तालिका सं. 2.5: लागत अनुमान तथा परामर्श प्रभार

अलग किये गये भवन का विवरण	₹ में अनुमानित लागत (यूरो में)		
	मै.डीजीआई	मै. जीएमपी	मै. एलडब्ल्यू डब्ल्यू
कुल लागत	42,64,890	29,78,300	39,22,321
लागत के प्रतिशत के रूप में परामर्श प्रभार	19	21.9/ 19.9 (बातचीत के माध्यम से)	28
राशि	8,10,329	5,92,682	10,98,250

तदनुसार, मै. जीएमपी का चयन वैट सहित €29,78,300 (₹5,92,682 अर्थात् ₹5.14 करोड़) की अनुमानित समग्र भवन लागतों का 19.9 प्रतिशत का बातचीत के जरिए परामर्श शुल्क पर किया गया। मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, अक्टूबर 2015 में उनके साथ एक करार किया गया था।

अप्रैल 2016 में परामर्शदाता ने मिशन की ओर से विलंबित निर्णय, विलंब के कारण अतिरिक्त लागत एवं सांविधिक भवन विनियमों में परिवर्तन के कारण लागत में वृद्धि जैसे कारणों को उल्लिखित करते हुए कार्य को एकतरफा रूप से निलंबित कर दिया। विवाद का आधार अनुबंध की प्रकृति की व्याख्या में अंतर था अर्थात् जबकि मिशन ने इसे व्यापक सामान्य योजनाकार अनुबंध माना, फिर भी परामर्शदाता ने इसकी व्याख्या एक मानक वास्तु अनुबंध के रूप में की एवं निरीक्षण अभियंताओं की नियुक्ति में मिशन की सहायता करने से इनकार कर दिया।

जून 2016 में परामर्शदाता ने €46,28,544 के अपने संशोधित उद्धृत अनुमान प्रस्तुत किए, जिससे यह तीन उद्धरणों में सबसे अधिक हो गया। तत्पश्चात् परामर्शदाता जून 2016 में €46,28,544 से जनवरी 2019 में €59,18,186 (₹51.29 करोड़) तक अनुमानों को संशोधित करता रहा जैसा कि विवरण निम्नवत है।

₹ में अनुमानित लागत					
माह	जून 2016	जनवरी 2018	फरवरी 2018	मार्च 2018	जनवरी 2019
अनुमान	46,28,544	51,46,018	52,73,192	56,06,902	59,18,186

यद्यपि प्रारम्भिक रूप से मै. जीएमपी ने अनुबंध को प्राप्त करने के लिए कीमतों को कम रखा था फिर भी इसके तुरंत बाद इसने लागत में वृद्धि की, इस प्रकार यह

सभी तीनों उद्धरणों में सबसे मंहगा हो गया। मंत्रालय ने जनवरी 2018 के संशोधित लागत अनुमान अर्थात् ₹51,46,018 को स्वीकार किया (30 जनवरी 2018) एवं संशोधित अनुमान पर 19.9 प्रतिशत की दर पर परामर्श प्रभारों को संस्वीकृत किया। इस प्रकार, परामर्श प्रभार वैट हटा करके ₹5,92,681.70 से ₹10,24,057.58 (प्रारम्भिक राशि से 73 प्रतिशत ऊपर) तक बढ़ाए गए। मई 2019 तक मिशन को परामर्शदाता द्वारा पूरे किए गए चरणों¹¹ हेतु उद्धृत दर ₹3,80,857.26 (₹3.30 करोड़) के सापेक्ष में ₹6,58,059.47 (₹5.70 करोड़) का भुगतान करना था।

परियोजना के निर्माण कार्य हेतु निविदा जो मई 2019 में मांगी गई थी, फलीभूत नहीं हो सकी क्योंकि बोलीकर्ताओं ने क्षमता की कमी/निर्माण अनुबंध स्थानीय कानूनों एवं कार्य के अनुरूप न होने का उल्लेख करते हुए निविदा वापस ले ली। दिसम्बर 2019 में कार्य की पुनः निविदा आमंत्रित की गई थी फिर भी, 18 जून 2020 को दो ठेकेदारों ने अपने उद्धरण में संशोधन किया। केवल असंशोधित निविदा की स्वीकृति अनुमोदन हेतु मंत्रालय को भेजी गई जिसे स्वीकार नहीं किया गया था क्योंकि निविदा प्रक्रिया में गड़बड़ी की गई थी। मंत्रालय ने कार्य की पुनः निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया।

तब से यह परियोजना अधर में लटकी हुई है क्योंकि मै. जीएमपी ने अपने पत्र दिनांक 07 सितम्बर 2021 के माध्यम से अनुबंध को विफल दूसरी निविदा के विवाद पर एक तरफा समाप्त कर दिया और प्रदान की गई सेवाओं (₹6,58,059.47 की राशि सहित) हेतु ₹9.38,078.61 के संशोधित दावे को प्रस्तुत किया। यह संशोधित मांग मार्च 2018 के संशोधित अनुमान अर्थात् ₹56,06,903 (₹48.60 करोड़) पर थी। मामला अक्टूबर 2021 में आगे सलाह हेतु मंत्रालय को भेजा गया था। मंत्रालय का मार्गदर्शन/निर्णय अभी भी प्रतीक्षित है।

¹¹ संकल्पना डिजाइन का प्रस्तुतीकरण, प्रारम्भिक डिजाइन एवं अनुमान की मंजूरी, नगरपालिका आलेख की मंजूरी, विस्तृत कार्यकारी आलेख का पूरा होना, पूर्व- योग्यता प्रक्रिया का पूरा होना एवं अभिकरणों की पूर्व-योग्यता का अनुमोदन, सभी सेवाओं के संबंध में निविदा दस्तावेजों की तैयारी एवं निविदा दस्तावेजों तथा आमंत्रित निविदाओं की मंजूरी।

इस संबंध में लेखापरीक्षा ने निम्नवत् अवलोकन किया:

2.3.1. कानूनी राय का गैर-अनुपालन:

स्थानीय विधि फर्म, मै. स्टैसन एलएलपी ने पार्टियों के बीच हस्ताक्षर किए जाने को इंगित किया था। परामर्श एवं निर्माण प्रबंधन करार के मसौदे में कई विरोधाभासों¹² को इंगित किया था (अगस्त 2015)। इसमें प्रस्तावित मसौदे का उपयोग न करने एवं जर्मन विधि पर आधारित एक नए मसौदे हेतु तैयारी की सलाह दी।

तथापि, विधि फर्म द्वारा इंगित किए गए स्पष्ट विचलन/त्रुटियों के बावजूद, मंत्रालय की मंजूरी से मिशन आगे बढ़ा तथा स्थानीय विधि फर्म की सलाह पर विचार किए बिना करार पर हस्ताक्षर किए (अक्टूबर 2015)।

इस प्रकार लेखापरीक्षा की राय है कि प्राप्त कानूनी सलाह के उल्लंघन में एवं इच्छुक पार्टी अर्थात् मै. जीएमपी की पूरी तरह से स्वीकृति के आधार पर अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के निर्णय का परिणाम एक ऐसे अनुबंध में हुआ जो जर्मन विधि के अनुरूप नहीं था एवं स्पष्टता की कमी थी, जिससे मैसर्स जीएमपी द्वारा तथ्य का पूरा रूप से लाभ उठाया गया।

2.3.2 कानूनी सलाह के उल्लंघन में अनुबंध करने के परिणामस्वरूप परामर्शदाता द्वारा असहयोग:

मिशन को निरीक्षण अभियंता की नियुक्ति में परामर्शदाता से असहयोग प्राप्त हुआ एवं अप्रैल 2016 में एकतरफा कार्य को निलंबित कर दिया। विधि फर्म ने अपने मत को दोहराया कि चूंकि अनुबंध खंड जर्मन विधि/एचओएआई के अनुसार नहीं थे एवं जर्मन विधि बनाने वाले प्रतिमान का पालन नहीं करते हैं इसलिए वे मुद्दे पर

¹² अनुबंध का मसौदा जर्मन विधि की संरचना एवं विशेष रूप से *ऑनरार्डनंग पर आर्किटेक्टेन एण्ड इंजीनियर* (वास्तुकारों एवं अभियंताओं के लिए मानदेय विनियम) (एचओएआई) से बिल्कुल अलग था जो जर्मन में वास्तुकला एवं अभियांत्रिकी सेवाओं हेतु शुल्क को विनियम करने वाला एक संघीय अध्यादेश है; निर्धारित लक्ष्यों का अभाव (अधिकतम लागतों का वर्णन, समय सारणी, भवन के लिए गुणवत्ता मानक) जो वास्तुकार से ग्राहक अपेक्षा करता है; कार्य के क्षेत्र जो एचओएआई विनियम के अनुपालन में नहीं हैं एवं बेकार वर्णित थे, होने वाली क्षति हेतु कोई भी बीमा नहीं था क्योंकि वास्तुकार ने निर्धारित समय आदि में अपने कार्य को पूरा नहीं किया है।

निर्णायक टिप्पणी करने में असमर्थ होंगे। इस प्रकार, स्थानीय विधियों की तुलना में प्रावधानों के गैर-अनुपालन के कारण सलाहाकार असहयोगी बनने में सक्षम थी। दूसरी निविदा मांग के दौरान कार्य ठेकेदारों द्वारा उद्धरण में परिवर्तनों की अनुमति देकर निविदा प्रक्रिया को भी निष्फल किया गया।

2.3.3 फर्म द्वारा मूल दस्तावेजों का अनुचित अधिग्रहण:

मूल दस्तावेज (तकनीकी आलेख एवं अन्य प्रलेखन) परामर्शदाता के अधिग्रहण में हैं जिसने अनुबंध को पहले ही समाप्त कर दिया है एवं मिशन को मूल दस्तावेजों को सौंपने के लिए €4,58,254 (₹3.97 करोड़) (वैट सहित) की अतिरिक्त राशि की मांग की। मिशन/मंत्रालय को लगभग दो वर्ष बीत जाने के बावजूद अभी भी निर्णय लेना है कि क्या €4,58,254 का भुगतान करना है एवं दस्तावेजों को प्राप्त करना है या परामर्शदाता पर किया गया सम्पूर्ण व्यय €6,58,059 (₹5.70 करोड़) (वैट सहित) को व्यर्थ जाने दें। मंत्रालय ने बताया कि इसमें दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी नहीं है लेकिन इसकी हार्ड कॉपी रखी है। इसने इंगित किया कि इन्होंने मै. जीएमपी को €458,254 के भुगतान को अनुमोदित नहीं किया है क्योंकि करार बताता है कि ठेकेदार का चयन भुगतान जारी करने से पहले किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने आगे बताया कि तिथि तक किए गए व्यय को निष्फल नहीं माना जा सका है क्योंकि सभी संबंधित दस्तावेज मिशन के अधिग्रहण में है एवं परियोजना के निर्माण को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

फिर भी, लेखापरीक्षा की राय है कि प्रलेखन की सॉफ्ट कॉपियां विशेष रूप से तकनीकी आलेख आवश्यक है चूंकि वह बाद की तिथि पर भी कोई भी परिवर्तन करते हैं तो संरक्षण में आसानी के अलावा कम समय लगता है। इस प्रकार, मंत्रालय परामर्शदाता को भुगतान जारी करने से पहले संबंधित मूल दस्तावेजों (सॉफ्ट कॉपी) के अधिग्रहण को सुनिश्चित करने में असफल रहा। इससे भविष्य में मिशन के प्रयासों में रुकावट आएगी यदि यह कभी भी परामर्शदाता को नए परामर्शदाता के रूप में चाहते हैं तो पिछले डिजाइनों के साथ काम करने की आसान पहुंच नहीं होगी।

2.3.4 मूल अनुमानों को बदलने के लिए परामर्शदाता को अनुमति देने में अनियमितताएं:

लेखापरीक्षा ने पाया कि परामर्शदाता को उद्धृत अनुमान को बार-बार बदलने की अनुमति प्रदान की गई थी जैसा कि विवरण निम्नवत है:

₹में अनुमानित कीमत						
माह	मई 2014	जून 2016	जनवरी 2018	फरवरी 2018	मार्च 2018	जनवरी 2019
अनुमान	2978300	46,28,544	51,46,018	52,73,192	56,06,902	59,18,186

मंत्रालय ने इंगित किया कि परामर्शदाता की चयन प्रक्रिया जुलाई 2014 में की गई एवं जनवरी 2018 में मंत्रालय द्वारा अनुमानों का अनुमोदन स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा अंतिम डिजाइन के अनुमानों के अनुमोदन के बाद किया गया। इस प्रकार, अन्य बोलीकर्ताओं द्वारा दिए गए प्रारम्भिक अनुमानों में मुद्रास्फीति के प्रभाव एवं स्थानीय विधि के आधार पर सांविधिक आवश्यकताओं में परिवर्तन के कारण ऊपर की ओर संशोधन भी किया होगा।

लेखापरीक्षा ने बताया कि जनवरी 2018 में यहां तक कि संशोधित अनुमानों के अनुमोदन के बाद भी परामर्शदाता ने फरवरी 2018, मार्च 2018 एवं जनवरी 2019 में अनुमानों को पुनः संशोधित किया। यह इंगित करता है कि अंतिम कार्य का अनुबंध में स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है। यदि परामर्श करार के समय कार्य का दायरा और उसका शुल्क स्पष्ट रूप से बताया गया होता तो अतिरिक्त प्रभारों/अनुमानों से बचा जा सकता था।

2.3.5 किराए का परिहार्य भुगतान:

सम्पत्ति का प्रस्तावित पुनर्विकास नौ गैर-आरजी आवासों के लिए था। मंत्रालय द्वारा सूचित किराए की सीमा¹³ के आधार पर, औसत मासिक¹⁴ किराया खर्च

¹³ मिशन के पास लगभग 24 पात्र कर्मचारियों की संस्वीकृति संख्या है और उसके सापेक्ष में लगभग 22 व्यक्तियों को रखा है। आगे, इन व्यक्तियों के संबंध में किराए का खर्च अलग है।

¹⁴ चूंकि निर्माण ठेकेदार अभी तक तय नहीं हुआ है एवं प्रस्तावित परियोजना पूर्णता की तिथि सुनिश्चित नहीं की जा सकती है।

€15,900¹⁵ (₹13.81 लाख) था। यह खर्च पूर्णतः पुनर्विकास कार्य के गैर-समापन के कारण था जिससे बचा जा सकता था।

इस प्रकार, उपलब्ध कानूनी राय के विपरीत अनुबंध करने, करार में कार्य का दायरा एवं शुल्क को निर्दिष्ट न करने, परामर्शदाता को बाद की तिथि पर अनुमानों में परिवर्तन करने के लिए सक्षम बनाने एवं मिशन द्वारा भुगतान करने से पहले प्रत्येक चरण पर सभी मूल दस्तावेजों को प्राप्त न करने का परिणाम में हुआ:

- (i) परामर्शदाता द्वारा असहयोग
- (ii) किराए का परिहार्य भुगतान; एवं
- (iii) परामर्शदाता पर €6,58,059 (₹5.70 करोड़) (वैट सहित) के सम्पूर्ण व्यय करने के निष्फल होने की सम्भावना।

भारतीय उच्च आयोग, लन्दन

2.4 पासपोर्ट अभ्यर्पण शुल्क का अधिक प्रभार

मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2021 में जारी आदेशों के बावजूद पासपोर्ट अभ्यर्पण शुल्क को संशोधित करने में यूके में मिशन तथा पोस्ट विफल रहे। इसका परिणाम 01 अप्रैल 2021 से 11/12 मई 2022 तक की अवधि के दौरान £10,06,608 (₹10.18 करोड़)¹⁶ के अधिक पासपोर्ट अभ्यर्पण शुल्क के अधिक संग्रहण में हुआ।

वीजा तथा पासपोर्ट शुल्कों के मनमाने निर्धारण को कम करने के दृष्टिकोण से मंत्रालय ने अपने पत्रों दिनांक मार्च 2021¹⁷ के तहत निर्णय लिया कि 01 अप्रैल 2021 से, अप्रैल 2021 के महीने के लिए विनिमय दर को वीजा एवं अन्य सेवा शुल्कों के निर्धारण हेतु नई दर के निर्धारण के लिए प्रारम्भ बिन्दु के रूप में माना जाएगा तथा विनिमय दरों के अनुवर्ती निर्धारण के संबंध में विभिन्न तौर-तरीकों को निर्धारित किया। मंत्रालय ने, पासपोर्ट अभ्यर्पण शुल्क के निर्धारण के तौर-तरीकों

¹⁵ [(किराए की सीमा (सहचारी- चार आवास) €2200 + (सहा. अनुभाग अधिकारी- चार आवास) €1900+(सुरक्षा गार्ड /चालक-1 आवास) €1200)/3]x9

¹⁶ £10,06,608 x ₹101.16 (मई 2022 की विनिमय दर) = ₹10,18,28,465

¹⁷ 12 मार्च, 25 मार्च, 26 मार्च तथा 30 मार्च 2021

के संबंध में अपने ओएम दिनांक 16 अप्रैल 2021 के तहत, एक स्पष्टीकरण के रूप में दोहराया कि ₹7000 की पासपोर्ट परित्याग शुल्क को अप्रैल 2021 की सरकारी विनिमय दर (ओआरई) के आधार पर स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित किया जाना था जैसा कि मंत्रालय द्वारा निदेशित है।

यह पाया गया कि एचसीएल लंदन अपने वाणिज्य दूतावास के साथ £117 की दर पर पासपोर्ट अभ्यर्पण शुल्क प्रभारित कर रहा था फिर भी, अप्रैल 2021 की ओआरई के अनुसार, विनिमय दर £1=₹102.62 थी तथा तदनुसार ₹7000 के पासपोर्ट अभ्यर्पण शुल्क को 01 अप्रैल 2021 से £69 (अगले उच्च पूर्णांक तक पूर्णांकित) तक घटाया जाना चाहिए था। तथापि, यह देखा गया था कि मिशन द्वारा 11 मई 2022 तक, मंत्रालय द्वारा जारी आदेशों को ध्यान में रखते हुए कोई पासपोर्ट अभ्यर्पण शुल्क संशोधन कार्य नहीं किया गया था। इस प्रकार, एचसीआई लंदन हेतु 01 अप्रैल 2021 से 11 मई 2022 तक की अवधि के दौरान तथा बर्मिंघम एवं एडिनबर्ग में संबंधित सीजीआई हेतु 12 मई 2022 तक 18,538 आवेदकों से एकत्रित अधिक पासपोर्ट अभ्यर्पण शुल्क £10,06,608 (₹10.18 करोड़) था।

आगे, लेखापरीक्षा का मत है कि विभिन्न सेवाओं हेतु प्रभारित किए जाने वाले शुल्क का मंत्रालय द्वारा निर्णय लिया जाता है तथा दरों की एकरूपता को सुनिश्चित करने हेतु समय-समय पर भी मिशन तथा पोस्ट की पासपोर्ट परित्याग/अभ्यर्पण शुल्क की पुनर्गणना करने, जैसाकि मंत्रालय द्वारा निदेशित है, में विफलता कमजोर आंतरिक नियंत्रणों का सूचक है जिसका परिणाम आवेदकों से कुल ₹10.18 करोड़ राशि का अधिक शुल्क प्रभारित करने में हुआ।

एचसीआई लंदन के साथ-साथ बर्मिंघम एवं एडिनबर्ग के यूके वाणिज्य दूतावासों ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के अपने उत्तर में अभ्युक्ति को स्वीकार किया। एचसीआई लंदन ने मई 2022 से शुल्कों को संशोधित किया जिसे फिर अनुपालन हेतु सीजीआई बर्मिंघम तथा सीजीआई एडिनबर्ग को परिचालित किया गया था। उसने आगे बताया कि शुल्क को 01 अप्रैल 2021 से संशोधित नहीं किया जा सका था क्योंकि उन्हें दिनांक 16 अप्रैल 2021 का परिपत्र प्राप्त नहीं हुआ था। मिशन का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि 30 मार्च 2021 के मंत्रालय आदेश में स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट था

कि पासपोर्ट तथा पासपोर्ट संबंधित सेवाओं के संबंध में शुल्कों का 01 अप्रैल 2021 से संशोधन किया जाना चाहिए। इसके अनुपालन में हालांकि उन्होंने पासपोर्ट हेतु शुल्क का संशोधन किया था फिर भी वे पासपोर्ट के अभ्यर्पण, जो कि पासपोर्ट संबंधी सेवाओं में से एक है, हेतु शुल्क का संशोधन करने में विफल रहे।

अपने उत्तर (20 जनवरी 2023) में, मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया तथा उत्तर दिया कि चूक जानबूझकर नहीं की गई थी। उसने आगे बताया कि इसका परिणाम न तो सरकार को किसी हानि में हुआ है और न ही सरकार के अलावा कोई अन्य लाभार्थी है। इसने पासपोर्ट परित्याग आवेदकों पर अब विदेशी नागरिक होने पर जोर दिया। उसने आगे बताया कि पिछली प्रक्रिया के अनुसार यह अप्रैल 2023 से विनिमय दर का अद्यतन करने हेतु भी फिर से अनुस्मारक भेजेगा। उसने आगे बताया कि कांसुलर सेवा सहित पासपोर्ट संबंधित सेवा के लिए शुल्कों पर सभी अनुदेशों को एक केंद्रीय भंडारगृह पर रखना सुनिश्चित करने हेतु प्रचालनात्मक सुधारक उपाय किए गए हैं।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आवेदकों की नागरिकता की परवाह किए बिना परित्याग शुल्क का अधिक संग्रहण रहा है। तथ्य यह है कि आधार स्तर पर मंत्रालय के निदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु पुनः पर्याप्त जांच नहीं थी।

इस प्रकार, एचसीआई लंदन द्वारा पासपोर्ट अभ्यर्पण शुल्क को संशोधित तथा सूचित करने की विफलता का परिणाम यूनाइटेड किंगडम में 01 अप्रैल 2021 से 12 मई 2022 तक की अवधि के दौरान £10,06,608 (₹10.18 करोड़) की सीमा तक पासपोर्ट अभ्यर्पण शुल्क के अधिक संग्रहण में हुआ है।

भारतीय दूतावास, स्टॉकहोम

2.5 मिशन/मंत्रालय द्वारा सक्रिय कार्रवाई की कमी के कारण ₹2.84 करोड़ का परिहार्य व्यय

मंत्रालय/मिशन विरासत संपत्तियों की खरीद के सापेक्ष में अपने स्वयं के दिशा-निर्देशों का पालन करने में तथा मौजूदा पट्टे की सीमा को बढ़ाने में असफल रहा जिससे एक तिमाही के लिए एक साथ दो संपत्तियों को अपने पास रखने के अतिरिक्त खरीद के लिए प्रस्तावित उसी परिसर को जल्दबाजी में किराए पर लिया जिसका परिणाम ₹2.84 करोड़ के परिहार्य व्यय में हुआ।

मंत्रालय ने निर्मित संपत्तियों की खरीद हेतु संशोधित दिशा-निर्देश (जनवरी 2015) यह सूचित करते हुए जारी किए कि वह विरासत संपत्तियों के अधिग्रहण के पक्ष में नहीं थे क्योंकि इन संपत्तियों की मरम्मत/नवीकरण या उन्नयन में न केवल समय लगता है अपितु बहुत महंगा भी है।

2.5.1 विरासत भवन हेतु अधिग्रहण प्रक्रिया

स्टॉकहोम में मिशन ने 1988-1989 से एडॉल्फ फ्रेड्रिक्स किर्कोगाटा (स्थान ए) में एक संपत्ति पट्टे पर ली थी मिशन ने एसई के 200 मिलियन की अनुमानित लागत पर मालवन 1-3,102 54 स्टॉकहोम (स्थान बी) (2008 में नवीकृत) में स्थित एक संपत्ति का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव दिया (मई 2018)। फिर भी, तुरंत बाद ही मिशन ने एसईके 250 मिलियन की लगभग लागत पर कोर्नहामस्टोर्ग 4,111 27 (स्थान सी) (1750 में निर्मित 1855-65 में पुनर्निर्माण किया गया) में स्थित संपत्ति के प्रापण की सिफारिश की (जून 2018)।

मंत्रालय के संपत्ति दल के दौरों के बाद, (अगस्त 2018) मंत्रालय ने सूचित किया (सितम्बर 2018) कि सक्षम प्राधिकारी ने उच्च न्यायालय के रूप में उपयोग हेतु स्थान सी में निर्मित संपत्ति के लिए अधिग्रहण हेतु 'सैद्धान्तिक रूप में' मंजूरी प्रधान की थी। इन्होंने मिशन को चयनित संपत्ति के अधिग्रहण हेतु संपत्ति की संरचनात्मक सुदृढ़ता एवं अविशिष्ट अवधि के मूल्यांकन करने का निर्देश दिया। फिर भी, मिशन कम लागत (200 मिलियन एसईके) पर हाल ही में नवीकृत बड़ी

इमारत¹⁸ की अस्वीकृति एवं उच्च लागत (250 मिलियन एसईके) पर एक पुरानी (250 वर्ष से अधिक पुरानी) के साथ-साथ छोटी सम्पत्ति¹⁹ के चयन हेतु न तो सम्पत्ति टीम का दौरा रिपोर्ट को उचित ठहरा सका और न ही प्रस्तुत कर सका।

मंत्रालय के “सैद्धान्तिक रूप में” अनुमोदन में मिशन को निर्देश दिया कि संरचनात्मक सुदृढ़ता आंकलन संतोषजनक होने के अधीन वह बाजार मूल्यांकन के लिए एक एजेंसी को नियुक्त कर सकता है। मिशन ने स्वीकार किया (फरवरी 2019) कि इस धारणा के तहत कि संरचनात्मक सुदृढ़ता से कोई समस्या नहीं होगी, वह आगे बढ़े और नवम्बर 2018 में बाजार मूल्यांकन अधिकरण एवं दिसम्बर 2018 में कानूनी फर्म को नियुक्त किया। इस प्रकार, मिशन ने प्रक्रिया पर ₹10.64²⁰ लाख व्यय किया।

प्रत्यायोजित निवेश बोर्ड (डीआईबी²¹) ने फिर भी अपनी बैठक (14 फरवरी 2019) में नींव के बारे में अनिश्चितता एवं इसके परिणामस्वरूप और शिथिलता आदि की सम्भावना को पाया तथा अपने निर्णय को तब तक के लिए सुरक्षित रखा जब तक कि किसी अन्य अभिकरण द्वारा संरचनात्मक सुदृढ़ता का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया।

मंत्रालय ने 21 फरवरी 2019 संरचनात्मक सुदृढ़ता को पुनः करने के लिए मालिक की अस्वीकृति को ध्यान में रखते हुए स्थान सी पर सम्पत्ति के अधिग्रहण के प्रस्ताव को रद्द करने के बाद स्थान ए पर मौजूदा उच्चन्यायालय के पट्टे को बढ़ाने को मंजूरी दी। सम्पत्ति अधिग्रहण को रद्द करने के लिए के बारे में निर्णय से अवगत होने से मालिक (25 फरवरी 2019) में मिशन को ₹3.72 लाख की लागत पर दूसरी संरचनात्मक सुदृढ़ता करने के लिए अनुमति दी, जबकि भारतीय दुतावास के लिए सम्पत्ति को किराए पर, देकर उसे सुरक्षित करने का भी प्रस्ताव है।

¹⁸ 2602 वर्ग मी. प्लॉट क्षेत्रफल एवं 5039 वर्ग मी. निर्मित क्षेत्रफल सहित

¹⁹ कुल क्षेत्रफल 1608 वर्ग मी.

²⁰ ₹2.34 लाख पर संरचनात्मक सुदृढ़ता + ₹2.42 लाख पर बाजार मूल्य+ ₹5.88 लाख पर कानूनी सहायता।

²¹ ₹100 करोड़ और उससे अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए अध्यक्ष, दो सदस्य एवं एक सदस्य सचिव शामिल है।

22 मई 2019 को कानूनी फर्म²² ने मिशन को सूचित किया कि स्थान-सी में वही सम्पत्ति 2016-17 में एसईके 49 मिलियन की वर्तमान मालिक को बेची गई थी। तदनुसार, सम्पत्ति के मूल्य के बारे में गम्भीर संदेह को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय ने सम्पत्ति के अधिग्रहण के प्रस्ताव को छोड़ देने का निर्णय लिया (11 जुलाई 2019)। इससे संरचनात्मक सुदृढ़ता, बाजार मूल्यांकन एवं कानूनी सहायता पर ₹14.46 लाख का सम्पूर्ण व्यय व्यर्थ रहा।

2.5.2 पट्टे को बढ़ाने में देरी एवं दो सम्पत्तियों को एक साथ पट्टे पर देना

जबकि उपयुक्त सम्पत्ति को खोजने का कार्य अभी भी चल रहा था फिर भी स्थान-ए में सितम्बर 2019 में वर्तमान भवन का पट्टा अनुबंध समाप्त हो गया। लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि यद्यपि मिशन जागरूक है कि मौजूदा पट्टे (स्थान-ए) में नोटिस की अवधि नौ महीने थी फिर भी मिशन ने फरवरी 2019 में मौजूदा पट्टे को बढ़ाने हेतु मंत्रालय की मंजूरी प्राप्त करने के बावजूद मामले को मालिक के साथ जून/जुलाई 2019 में उठाया।

इसका परिणाम टुकड़ों-टुकड़ों में अर्थात् अतिरिक्त भुगतान सहित एक ही बार में तीन महीने के लिए स्थान-ए मौजूदा उच्च न्यायालय भवन के पट्टे को बढ़ाने में हुआ। इस प्रकार, पूर्ववर्ती तिमाही (जुलाई-सितम्बर 2019) के लिए एसईके 3,86,100 के मूल त्रैमासिक किराए के सापेक्ष में दो महीने के नोटिस सहित पट्टे को बढ़ाने में विलंब होने के कारण, मिशन को एक सम्पन्न कार्य के रूप में एसईके 8,58,000 (अक्टूबर 2019 से दिसम्बर-2019) के त्रैमासिक किराए का भुगतान करना था।

ठीक उसी समय मिशन ने स्थान-सी की सम्पत्ति को किराए पर लेने के प्रस्ताव को दोहराया²³ जिसे मंत्रालय द्वारा उपयोगिता प्रभारों एवं सम्पत्ति कर के प्रति एसईके 1,04,222.81 को छोड़कर एसईके 8,70,458.33 मासिक किराए पर अनुमोदित किया गया (01 नवम्बर 2019)। अंत में, स्थान-सी के संबंध में अनुबंध

²² सम्पत्ति की खरीद हेतु कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए जनवरी 2019 में मिशन द्वारा नियुक्त मै. वैगार्ड एबी।

²³ पत्र-व्यवहार दिनांक 28 जून 2019, 27 अगस्त 2019, 13 सितम्बर एवं 17 सितम्बर 2019 के माध्यम से।

19 दिसम्बर 2019 को 01 जनवरी 2020 से प्रभावी 3 वर्ष की अवधि हेतु किया गया।

यह भी आगे पाया गया कि जैसा कि मिशन के पास छः महीने²⁴ अर्थात् मार्च 2020 तक मौजूदा पट्टे को बढ़ाने के लिए मंत्रालय का अनुमोदन (2 अगस्त 2019) था फिर भी, जनवरी 2020 से प्रभावी स्थान-सी में उच्चन्यायालय हेतु भवन को किराए पर लेना स्वयं अविवेकी एवं वित्तीय औचित्य मानकों के विरुद्ध था। इस प्रकार, मिशन ने जनवरी से मार्च 2020 तिमाही के दौरान एक साथ दो किराए के परिसर लिए जिसका परिणाम ₹ 2,34,13,506 के परिहार्य अधिक भुगतान में हुआ।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि खुले बाजार (एसईके 94,87,200) में प्रकाशित सम्पत्ति हेतु किराया (उच्चतम) मालिक द्वारा जो भी उद्धृत (एसईके 1,04,45,500) था, से बहुत कम था (एसईके 9,58,300) तथा मिशन द्वारा स्वीकृत था। फिर भी, विसंगति से अवगत होने के बावजूद, उपरोक्त की सूचना न तो मंत्रालय को दी गई न ही एजेंट या अन्य स्रोतों के माध्यम से स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ। मिशन ने मालिक के संस्करण को स्वीकार किया कि खुले बाजार में प्रकाशित किराया फालतू था। इस अनुचित कार्रवाई का परिणाम संपत्ति के मालिक के अनुचित पक्ष में भी हुआ था तथा सरकारी राजकोष पर एसईके 9,58,300 (₹80,80,098)²⁵ की अतिरिक्त वार्षिक देनदारी सृजित हुई।

इस प्रकार, मिशन की ओर से न केवल व्यवस्थागत विफलता हुई बल्कि ₹283.89 लाख (संरचनात्मक सुदृढ़ता, बाजार मूल्यांकन एवं कानूनी सहायता पर ₹14.37 लाख का अपव्ययी व्यय+समय से स्थान-ए में मौजूदा पट्टे को न बढ़ाने के कारण ₹35.39 लाख²⁶ का परिहार्य व्यय+एक तिमाही के लिए एक साथ दो सम्पत्तियों के प्रतिधारण के कारण ₹234.13 लाख) की भी वित्तीय हानि हुई।

²⁴ मालिक जिसने जुलाई 2019 में मिशन द्वारा प्रस्तावित तीन महीने के सापेक्ष में पट्टे को छः महीने बढ़ाने का सुझाव दिया था (जुलाई 2019)।

²⁵ एसईके 9,58,300 X ₹ 8.4317 (जनवरी 2022 का आरओई)।

²⁶ (एसईके 8,58,000-एसईके 3,86,100) X ₹7.50 (सितम्बर 2019 का आरओई)।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (जून 2023) में बताया जैसा कि निम्नवत है:

- ए) संरचनात्मक सुदृढ़ता, बाजार मूल्यांकन एवं कानूनी सहायता पर व्यय आवश्यक कदम थे एवं इसे अपव्ययी नहीं माना जा सकता अधिग्रहण के एक अग्रिम चरण पर सम्पत्ति मूल्यांकन के अधीन विसंगति कानूनी फर्म (मई 2019) द्वारा अवगत कराई गई एवं इस प्रकार खरीद प्रस्ताव को छोड़ने का निर्णय लिया गया।
- बी) स्थान-सी में विरासत सम्पत्ति को एक प्रतिष्ठित क्षेत्र में एक प्रमुख इमारत माना गया जो स्थान, कार्यात्मक उपयुक्तता और पहुंच की अपेक्षित आवश्यकताओं को पूरा करती थी।
- सी) पट्टे को बढ़ाने के लिए नौ महीने के नोटिस को नहीं देखा जा सकता क्योंकि सम्पत्ति अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही थी और गहन/लंबी बातचीत के बाद ही छः महीने के लिए पट्टे पर सहमति बनी।
- डी) सम्पूर्ण उच्च न्यायालय को हटाने एवं इसे पूर्ण रूप से कार्यात्मक बनाने तथा आवश्यक सेवाओं में रूकावट न होने के लिए परिसर का अधिव्यापन आवश्यक एवं अपरिहार्य था।

निम्नवत को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय का उत्तर तर्क संगत नहीं है:

- ए) ऐसी असंतोषजनक संरचनात्मक सुदृढ़ता रिपोर्ट के बावजूद, मिशन ने नवम्बर 2018 में एक बाजार मूल्यांकन अभिकरण एवं दिसम्बर 2018 में एक कानूनी फर्म को इस धारणा के अंतर्गत नियुक्त किया कि संरचनात्मक सुदृढ़ता के साथ कोई समस्या नहीं होगी। यह न केवल अविवेकी था बल्कि मंत्रालय के सैद्धान्तिक अनुमोदन के विरुद्ध भी था। यह रिपोर्ट डीआईबी के अपने निर्णय को सुरक्षित रखने का आधार थी एवं मंत्रालय को संपत्ति की संरचनात्मक सुदृढ़ता का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए कहा गया। इसलिए, मिशन का दावा कि बाजार मूल्यांकन, कानूनी सहायता एवं संरचनात्मक पुनर्मूल्यांकन पर व्यय अपरिहार्य था, अस्थिर है।
- बी) मिशन ने 01 नवम्बर 2019 को सम्पत्ति को किराए पर लेने के लिए अनुमोदन प्राप्त करने के बावजूद, फरवरी 2020 के पहले सप्ताह में ही

केवल चयनित स्थानांतरण अभिकरण को अग्रिम जारी किया, जबकि कार्यालय उपकरण, फाइल एवं फर्नीचर का केवल स्थानांतरण फरवरी 2020 के तीसरे सप्ताह में किया गया था। आगे, मिशन ने अभिकरण को मार्च 2020 में केवल अन्य उपकरण को स्थानांतरित करने का निदेश दिया। इस प्रकार, यदि मिशन ने अभिकरण को मार्च 2020 में शेष उच्च न्यायालय के उपकरण को स्थानांतरित करने के लिए न कहा होता तो सम्पूर्ण स्थानांतरण स्वयं ही फरवरी के महीने में ही पूरा हो जाता। इसलिए, अभिकरण के चयन से (10 दिसम्बर 2019) फरवरी के पहले सप्ताह तक और फिर मार्च 2020 तक की अवधि के लिए किराया व्यर्थ रहा। इस प्रकार, अपरिहार्य होने का परिसर के अधिव्यापन का दावा, उपलब्ध तथ्यों से प्रमाणित नहीं होता है एवं मिशन द्वारा निविदा/चयन प्रक्रिया में देरी (चयन के बाद प्रलेखन मांगना, अग्रिम के बारे में स्पष्ट न करना, एक महीने से अधिक समय में अग्रिम को संसाधित करना) एवं दोषपूर्ण अनुदेश (मार्च 2020 में स्थानांतरण को पूरा करने के लिए अभिकरण को अनुदेश करना) वास्तव में जिम्मेदार थे।

- सी) मिशन ने स्वीकार किया कि उन्होंने स्थानीय वेबसाइट (एसईके 94,87,200) पर सार्वजनिक विज्ञापन एवं जून 2019 में मालिक द्वारा एक उद्धृत (एसईके 1,04,45,500) के बीच उसी सम्पत्ति को किराए पर लेने के प्रस्ताव से पहले ही दरों में विसंगति पाई। फिर भी, मिशन ने न तो मंत्रालय को सूचित किया और न ही एजेंटों या अन्य स्रोतों के माध्यम से स्पष्टीकरण प्राप्त किया। यह निर्धारण के बारे में संदेह था जिसके आधार पर मंत्रालय ने अधिग्रहण के प्रस्ताव को रद्द कर दिया (जुलाई 2019)। इसलिए, मंत्रालय को सूचित न करने से प्रक्रिया में यथोचित परिश्रम की कमी इंगित हुई।

यद्यपि मिशन ने मंत्रालय की सलाह एवं अनुमोदन के अनुसार कार्य किया तथापि, इसकी परिणति ₹2.84 करोड़ के परिहार्य व्यय के रूप में हुई।

मंत्रालय को बेहतर नियोजन की आवश्यकता है जिससे कि भविष्य में ऐसे परिहार्य व्यय न हो।

(IV) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो, कोलकाता, गुवाहाटी, हैदराबाद, चेन्नई तथा करनाल

2.6 क्षय रोग-प्रतिरोधी तथा अन्य दवाइयों के खराब होने के कारण हानि

मंत्रालय अपनी दवा प्रापण तथा संवितरण कार्यनीति को सुव्यवस्थित करने के लिए पहले के आश्वासनों के बावजूद, एक क्रियाशील एवं मांग आधारित नीति, जो दवा खुराकों में आवधिक परिवर्तनों के अनुरूप है, को विकसित करने में विफल रहा। महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं (डीजीएचएस) समय पर निर्गम आदेश जारी करने में विफल रहा, जिसका परिणाम पांच सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो में ₹43.37 करोड़ की कीमत की क्षय रोग-प्रतिरोधी तथा अन्य दवाइयों के खराब होने में हुआ।

मेडिकल स्टोर संगठन (एमएसओ) के अधीन जनरल मेडिकल स्टोर डिपो (जीएमएसडी) को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। यह मंत्रालय द्वारा प्रारम्भ कई राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम जैसे कि राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी), संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी)²⁷ प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य (आरसीएच), कुष्ठ रोग, बाल जीवन रक्षा एवं सुरक्षित मातृत्व, परिवार कल्याण, आदि के लिए दवाइयों के भण्डारण एवं निर्गम तथा संबद्ध भंडार के माध्यम से तार्किक समर्थन प्रदान करता है।

क्षय रोग-प्रतिरोधी दवाइयों का स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) के अधीन केन्द्रीय क्षय रोग प्रभाग (सीटीडी) द्वारा प्रापण किया जाता है। जीएमएसडी इन दवाइयों को प्राप्त करता है तथा डीजीएचएस, नई दिल्ली के केन्द्रीय क्षय रोग प्रभाग (सीटीडी) से निर्गम आदेशों की प्राप्ति पर उनको संबंधित राज्य दवा भण्डार तथा जिला क्षय रोग केन्द्रों को संवितरित करता है। काला अज़र, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया, जापानी मस्तिष्ककोप तथा चिकनगुनियां जैसे वेक्टर जनित रोगों से लड़ने के लिए दवाइयों का डीजीएचएस के अधीन राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग केन्द्र,

²⁷ राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) के रूप में 2020 में नाम बदला गया।

नई दिल्ली द्वारा प्रापण किया जाता है तथा संयुक्त निदेशक, एनवीबीडीसीपी के आदेशों के अनुसार जीएमएसडी द्वारा राज्यों एवं यूटी को निर्गत किया जाता है।

कोलकाता, गुवाहाटी, हैदराबाद, चेन्नई तथा करनाल स्थित जीएमएसडी के अभिलेखों की लेखापरीक्षा ने प्रकट किया कि राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत इन जीएमएसडी पर प्राप्त की गई तथा भण्डारण की गई ₹40.75 करोड़²⁸ के मूल्य की क्षय रोग-प्रतिरोधी दवाइयां सीटीडी से समय पर निर्गम आदेशों की गैर-प्राप्ति के कारण इन्हें जारी किए जाने से पहले ही जुलाई 2017 तथा फरवरी 2023 के बीच खराब हो चुकी थी (अनुलग्नक-2.4)। इसके अतिरिक्त, एनवीबीडीसीपी के अंतर्गत उपरोल्लेखित जीएमएसडी में प्राप्त ₹2.62 करोड़²⁹ के मूल्य के वेक्टर जनित रोगों से लड़ने की दवाइयां भी जारी किए जाने से पहले ही खराब हो चुकी थी (अनुलग्नक-2.5)।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (जनवरी 2023) में जीएमएसडी कोलकाता में टीबी प्रतिरोधी दवाइयों के खराब होने के निम्नलिखित कारण बताए: (i) 2017 में आंतरायिक खुराक से दैनिक खुराक की ओर जाने का सर्वोच्च न्यायालय का आदेश (जनवरी 2017), (ii) अनुमानित 5 प्रतिशत एडीआर के सापेक्ष में नए दैनिक आहार के अंतर्गत प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया (एडीआर) के न्यूनतम मामले तथा (iii) इंजेक्शन योग्य खुराक से मौखिक खुराक में बदलने की 2018 में डब्ल्यूएचओ के त्वरित दिशानिर्देश।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के जारी होने के तुरंत पश्चात् ही अप्रैल तथा मई 2017 के दौरान जीएमएसडी कोलकाता, हैदराबाद तथा चेन्नई में ₹14.30 करोड़ के मूल की आंतरायिक खुराक दवाइयां³⁰ वितरित की गई थी (जो बाद में खराब हो गई)। आगे, नई दवा-संवेदी क्षय रोग मामलों के उपचार हेतु दैनिक खुराक को 2016 में प्रारम्भ किया गया था। इसलिए आंतरायिक खुराक

²⁸ जीएमएसडी कोलकाता में ₹11.52 करोड़, जीएमएसडी गुवाहाटी में ₹6.00 करोड़, जीएमएसडी हैदराबाद में ₹5.84 करोड़, जीएमएसडी चेन्नई में ₹11.65 करोड़ तथा जीएमएसडी करनाल में ₹5.74 करोड़।

²⁹ जीएमएसडी कोलकाता में ₹1.52 करोड़, जीएमएसडी गुवाहाटी में ₹0.61 करोड़, जीएमएसडी हैदराबाद ₹0.02 करोड़, जीएमएसडी चेन्नई में ₹0.06 करोड़ तथा जीएमएसडी करनाल में ₹0.41 करोड़।

³⁰ जीएमएसडी कोलकाता में ₹10.82 करोड़ मूल्य की दवाइयां (उत्पाद कोड-32) जिसमें से ₹9.38 करोड़ मूल्य की दवाइयां खराब हो चुकी थी, जीएमएसडी हैदराबाद में ₹3.16 करोड़ के मूल्य की दवाइयां तथा जीएमएसडी चेन्नई में ₹0.32 करोड़ मूल्य की दवाइयां।

दवाइयों की प्रापण आवश्यकताओं का प्रत्याशित परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए पुनः निर्धारण किया जाना चाहिए था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मंत्रालय ने इंजेक्शन योग्य खुराक दवाइयों की आपूर्ति को जारी रखा तथा 2021 तक ऐसी दवाइयों के निर्गम आदेश जारी किए। कोलकाता तथा करनाल में जीएमएसडी के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि ₹3.61 करोड़³¹ के मूल्य की इंजेक्शन योग्य दवा, जो जुलाई 2022 अगस्त 2022 के बीच खराब हो गई थी, का अगस्त 2019 तथा सितंबर 2019 को दौरान उत्पादन किया गया था जिससे यह संकेत मिलता है कि उन दवाइयों का प्रापण 2018 में डब्ल्यूएचओ के दिशानिर्देशों के जारी होने के पश्चात् भी किया गया था।

आगे, जीएमएसडी कोलकाता में एनवीबीडीसीपी के अंतर्गत वेक्टर जनित रोगों से लड़ने हेतु दवाइयों के खराब होने के संबंध में मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2023) है कि कथित दवाइयों का ऐसे रोगों के अनुमानित से कम संख्या में मामलों के कारण उपयोग नहीं किया जा सका था तथा यह भी सूचित किया था कि वे कारण तथा परिस्थितियां जो कथित दवाइयों के खराब होने के कारण बनी, की जांच हेतु डीजीएचएस में डीडीजी (एनसीडी/एलईपी) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 2005 के प्रतिवेदन सं. 02 तथा 2013 के 19 ने जीएमएसडी में पड़ी क्षय रोग-प्रतिरोधी दवाइयों के खराब होने के मामले सूचित किए थे। मंत्रालय ने अपनी कार्रवाई टिप्पणी (एटीएन) में बताया (जुलाई 2015) कि वह दवा प्रापण नीति को सुव्यवस्थित करेगा।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि यहां तक कि वर्ष 2022 के दौरान भी मंत्रालय समय पर निर्गम आदेश जारी करने में विफल रहा जिसका परिणाम डिपो में क्षय रोग-प्रतिरोधी दवाइयों के संचय में हुआ जिसमें से कई पहले ही खराब हो चुकी थी या खराब होने की कगार पर हैं। दवाइयों के खराब होने से न केवल जीवन रक्षक दवाइयों की बर्बादी होती है बल्कि लोक धन की भी भारी बर्बादी होती है।

³¹ ₹171 X 207200 शीशियां = जीएमएसडी कोलकाता में ₹35431200 तथा जीएमएसडी करनाल में ₹647200 ।

लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि मंत्रालय यह सुनिश्चित करे कि ऐसी बर्बादी की आवर्ती न हो, के लिए एक समयबद्ध प्रकार से अपनी निर्धारण तथा दवा प्रापण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करें। वह आगे सिफारिश करती है कि मंत्रालय दवाइयों की आवश्यकता का निर्धारण तथा संवितरण करने हेतु एक वास्तविक-समय डैशबोर्ड विकसित करने पर विचार करें।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) एवं केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ)

2.7 बिजली प्रभारों पर ₹2.52 करोड़ का परिहार्य व्यय

सामान्य कार्यालय परिसर में अस्थायी बिजली कनेक्शन को नियमित करने के लिए सीडीएससीओ एवं एफएसएसएआई के असफल होने का परिणाम बिजली प्रभारों के कारण बीएसईएस को कुल ₹2.52 करोड़ के परिहार्य व्यय में हुआ।

बीएसईएस यमुना विद्युत लि. (बीएसईएस) की बिजली टैरिफ अनुसूची के अनुसार, अस्थायी बिजली कनेक्शनों के लिए ऊर्जा प्रभार टैरिफ की प्रासंगिक श्रेणी के 30 प्रतिशत तक की उच्चतर दर पर लगाए जाने हैं। बिजली के किसी भी विवेकी एवं बड़े उपभोक्ता से यथाशीघ्र अस्थायी बिजली कनेक्शन को नियमित करने की अपेक्षा की जाती है ताकि ऐसे अस्थायी कनेक्शन पर उच्चतर विद्युत प्रभारों के भुगतान से बचा जा सके।

एफडीए भवन, कोटला रोड़ नई दिल्ली में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के कार्यालय हैं। लेखापरीक्षा ने पाया कि एफडीए भवन में 25 मार्च 2008 से औषध नियंत्रक (भारत) के नाम पर अस्थायी बिजली कनेक्शन³² थे जो अब तक नियमित नहीं किया गया है (नवम्बर 2022)। आगे, संवीक्षा में प्रकट हुआ कि सीडीएससीओ एवं एफएसएसएआई द्वारा अस्थायी कनेक्शन का स्थायी कनेक्शन में गैर-संपरिवर्तन का परिणाम ऊर्जा प्रभारों पर 30 प्रतिशत के अतिरिक्त भुगतान

³² सीए नं. 300000024

में हुआ जो फरवरी 2009 से नवम्बर 2022 (अनुलग्नक-2.6) की अवधि के दौरान कुल ₹2.52 करोड़ था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर (मार्च 2020); सीडीएससीओ, एफएसएसएआई एवं मंत्रालय ने बताया (क्रमशः दिसंबर 2020, जनवरी 2023 एवं मई 2023) कि बीएसईएस के साथ मामले को लेकर अस्थायी कनेक्शन के नियमितीकरण हेतु प्रयास किए जा रहे थे।

इस प्रकार, अस्थायी बिजली कनेक्शन को नियमित करने के लिए सीडीएससीओ एवं एफएसएसएआई की ओर से समयोचित प्रयासों की कमी का परिणाम 15 वर्षों के लिए बीएसईएस को कुल ₹2.52 करोड़ के परिहार्य व्यय में हुआ। यदि सीडीएससीओ या एफएसएसएआई में ऐसी आवर्ती वित्तीय देयता की प्रभावी निगरानी होती तो दुर्लभ संसाधनों से ऐसे भुगतान से बचा जा सकता है।

(V) गृह मंत्रालय

सीमा सुरक्षा बल

2.8 फ्लैटों की खरीद पर निधियों का अवरोधन

सीमा सुरक्षा बल ने आवश्यकताओं का निर्धारण किए बिना दिल्ली विकास प्राधिकरण से सिरसपुर से 906 एक बेडरूम वाले फ्लैटों (453 एकीकृत जोड़े) की खरीद की तथा मार्च 2019 तथा मार्च 2021 के बीच कुल ₹151 करोड़ का भुगतान किया। फरवरी 2020 तथा नवम्बर 2020 में अधिग्रहण लिए गए क्रमशः 115 तथा 338 एकीकृत फ्लैटों में से नवम्बर 2022 तक केवल 18 को अधिकृत किया गया था क्योंकि बीएसएफ कार्मिक इसके पक्ष में नहीं थे। इस प्रकार, आवश्यकताओं का निर्धारण किए बिना फ्लैटों की खरीद का परिणाम कुल ₹151 करोड़ की निधियों के अवरोधन में हुआ।

गृह मंत्रालय (एमएचए) ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) से अर्धसैनिक बलों हेतु रोहिणी, नरेला तथा सिरसपुर में तैयार निर्मित एक बेडरूम वाले फ्लैटों के आबंटन हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त किया (नवम्बर 2018)। डीडीए ने इन फ्लैटों की 2014 की लागत पर तथा विभागीय प्रभारों पर 50 प्रतिशत की छूट की भी पेशकश की थी। इन फ्लैटों को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के उन सैनिकों के लिए उपयुक्त

पाया गया था जो सामान्य पूल आवास के पात्र नहीं थे। प्रस्ताव को संसाधित करते समय, एडीजी (ओपीएस) बीएसएफ ने सुझाव दिया था (नवम्बर 2018) कि कोई भी प्रतिबद्धता करने से पहले बीएसएफ कार्मिकों से यह पूछा जाए कि क्या वे दूरी, पारगमन समय तथा खराब निर्माण आदि को ध्यान में रखते हुए इन घरों में रहने के इच्छुक होंगे। एडीजी (ओपीएस) ने आगे बताया कि वह सीआरपीएफ में इन्हीं फ्लैटों की खरीद की प्रक्रिया के भाग रहे/रही है, जहां कार्मिकों से प्रतिक्रिया उत्साहजनक न होने को ध्यान में रखते हुए मामले को छोड़ दिया गया था। तदनुसार, बीएसएफ ने स्थान की वर्तमान/भविष्य की संयोजकता, दो या अधिक फ्लैटों को जोड़ने की संभावना, वित्तीय संभावनाओं तथा फ्लैटों की उपयुक्तता का पता लगाने के लिए एक समिति गठित की (13 नवम्बर 2018)। तथापि, समिति द्वारा इन मुद्दों पर विचार करने तथा कार्रवाई को अंतिम रूप देने से पहले ही मंत्रालय ने 14 नवम्बर 2018 को एक बैठक की तथा बीएसएफ को डीडीए फ्लैटों की आवश्यकता के संबंध में सूचना प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। तदनुसार, बीएसएफ ने ₹143.70 करोड़ के रूप में अनुमानित लागत वाले 1000 फ्लैटों सहित दो फ्लैटों के एकीकरण, जिसे फ्लैटों के निरीक्षण पर सूचित किया जाएगा, हेतु अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता को दर्शाने वाली सूचना प्रस्तुत की (15 नवम्बर 2018)।

बाद में, स्थल दौरे के पश्चात् बीएसएफ अभियांत्रिकी निदेशालय ने सुझाव दिया (दिसंबर 2018) कि बीएसएफ को सिरसपुर पर अधिकतम एकीकरण इकाइयों का चयन करना चाहिए। परिणामस्वरूप, एमएचए ने सिरसपुर, नई दिल्ली में 906 एक बेडरूम वाले फ्लैटों (453 एकीकृत जोड़े) की खरीद हेतु बीएसएफ को ₹178.30 करोड़ संस्वीकृत किए (4 फरवरी 2019)।

बीएसएफ को पारिवारिक आवास हेतु सिरसपुर में 906 एक बेडरूम (453 एकीकृत) वाले फ्लैटों हेतु ₹176.94 करोड़ की कुल लागत के लिए 21 फरवरी 2019 को बीएसएफ तथा डीडीए के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया गया था। भुगतान योजना के अनुसार, कुल लागत का 25 प्रतिशत एमओयू पर हस्ताक्षर करने के समय, 15 प्रतिशत एमओयू पर हस्ताक्षर होने के एक माह पश्चात् तथा शेष राशि का भुगतान, मानक प्रतिमानों के अनुसार, दोष देयता के प्रति 10 प्रतिशत

को रोकन के प्रावधान के साथ एकीकृत फ्लैटों को सौंपने/लेने की प्रगति के अनुसार अदा किया जाना था। बाद में, मार्च 2019 तथा मार्च 2021 के दौरान डीडीए को कुल ₹151 करोड़ के भुगतान किया गया था। 115 तथा 338 एकीकृत फ्लैटों को क्रमशः 05 फरवरी 2020 तथा 03 नवम्बर 2020 को सौंपा तथा लिया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि बीएसएफ ने फरवरी/नवम्बर 2020 में इन 453 एकीकृत फ्लैटों का अधिग्रहण लिया फिर भी नवम्बर 2022 तक केवल 18 फ्लैटों को ही आवंटित किया गया था तथा शेष 435 फ्लैट खाली पड़े थे।

इस प्रकार, फ्लैटों की संयोजकता तथा उपयुक्तता का निर्धारण की प्रक्रिया को पूरा किए बिना सिरसपुर में फ्लैटों को खरीदने के बीएसएफ के निर्णय के कारण दो वर्षों से अधिक समय के बीत जाने के पश्चात् भी बीएसएफ कार्मिकों को केवल फ्लैटों की सीमित संख्या (18) का ही आबंटन किया गया था। यह कुल ₹151 करोड़ की निधियों के अवरोधन के साथ अतिरिक्त देयताओं का कारण बना।

बीएसएफ ने बताया (जून 2022/दिसंबर 2022) कि 453 एकीकृत फ्लैटों में से, अब तक 18 फ्लैटों का आबंटन किय गया है तथा संख्या जल्द ही संभावित रूप से बढ़ेगी क्योंकि सीमा क्षेत्र में तैनात सभी बीएसएफ कार्मिकों की भी मार्च 2022 में जारी संशोधित मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार सिरसपुर में फ्लैटों हेतु आवेदन करने का पात्र बनाया गया है। उसने आगे बताया कि इन फ्लैटों के आबंटन हेतु अनिवार्य पात्रता में राहत प्रदान की गई है तथा इसका बीएसएफ के अलोकप्रिय स्थानों में तैनात कार्मिकों, शहीदों तथा उनके, जिनकी सेवा के दौरान निधन हुआ है, के परिवारों आदि तक विस्तार किया गया है। बीएसएफ ने आगे बताया कि सभी खाली फ्लैटों को जरूरतमंद बीएसएफ तथा सीएपीएफ कार्मिकों को आबंटन हेतु सीएपीएफ ई-आवास पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है तथा सीएपीएफ ई-आवास पोर्टल के निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार वह फ्लैट जो छः माह या अधिक से खाली है उनका अन्य जरूरतमंद सीएपीएफ कार्मिकों को आबंटन हेतु अपने आप ही सामान्य पूल में स्थानांतरण हो जाएगा।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि अधिग्रहण लेने के दो वर्षों से अधिक समय के बाद भी अधिकांश फ्लैट खाली पड़े हैं। इसका परिणाम न केवल ₹151 करोड़ की निधियों के अवरोधन में हुआ बल्कि बीएसएफ कार्मिकों को आवास प्रदान करने का अभिप्रेत

उद्देश्य भी विफल हुआ है। आगे, बीएसएफ/सीएपीएफ द्वारा इन फ्लैटों के उपयोग हेतु अन्य विकल्पों (2022) की खोज की शुरुआत लेखापरीक्षा अभ्युक्ति की ही पुष्टि करती है तथा नियोजन की विफलता को इंगित करती है।

मामला अक्टूबर 2022 तथा फरवरी 2024 में गृह मंत्रालय को भेजा गया था; उनका उत्तर तक प्रतीक्षित था (01 मार्च 2024)।

2.9 ब्याज का परिहार्य भुगतान

माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के निर्णय के आधार पर एनआईआईटी को भुगतान जारी करने में 15 महीनों के विलम्ब का परिणाम कुल ₹1.25 करोड़ के परिहार्य ब्याज व्यय में हुआ।

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने अपने कार्मिकों को अपनी इंटरनेट प्रहरी परियोजना (आईपीपी) के माध्यम से उनकी तैनाती के स्थान से अपने निजी डाटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए टर्नकी आधार पर आपूर्ति तथा परियोजना के संस्थापन/चालू करने हेतु अक्टूबर 2008 में अपनी वेबसाइट पर रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) जारी की।

तीन³³ बोलीकर्ताओं में से, मैसर्स एनआईआईटी टेक्नोलॉजिस, नई दिल्ली (एनआईआईटी) की बोली को न्यूनतम पाया गया था तथा गृह मंत्रालय (एमएचए) के अनुमोदन से कार्य स्थल पर प्रदेय उपकरण की आपूर्ति, परियोजना की स्थापना एवं अंतिम रूप से चालू करना तथा मौजूदा नेटवर्क के साथ इसके सफल एकीकरण हेतु एनआईआईटी को इस शर्त कि कोई अनुग्रह अवधि प्रदान नहीं की जाएगी के साथ 25 अगस्त 2010 तक सुपुर्दगी अवधि (डीपी) के साथ निविदा की स्वीकृति जारी की गई थी (25 फरवरी 2010)।

पांच वर्षों की व्यापक एएमसी सहित परियोजना की कुल लागत ₹228.75 करोड़ थी। यद्यपि परियोजना को 25 अगस्त 2010 तक पूरा किया जाना था फिर भी इसे कुछ विस्तारों³⁴ के पश्चात् अंततः 31 दिसम्बर 2011 को पूरा किया गया था तथा बीएसएफ को सुपुर्द किया गया था। परियोजना की गारंटी/वारंटी अवधि 31 दिसम्बर 2013 तक थी अर्थात् सफल संस्थापन/सुपुर्दगी की तिथि से दो वर्ष।

³³ मैसर्स टाटा कंसलटेंसी सर्विस, मैसर्स विप्रो लिमिटेड तथा मैसर्स एनआईआईटी टेक्नोलॉजिस।

³⁴ 31.12.2010, 28.02.2011, 30.06.2011 एवं 31.12.2010 तक प्रदान किया गया विस्तार।

जबकि परियोजना के समापन के संदर्भ में एमएचए में आईएफडी द्वारा उठाए गए प्रश्नों के आधार पर एलडी शर्त को लागू नहीं किया गया था फिर भी बीएसएफ को एनआईआईटी पर एलडी का परिकलन तथा लागू करने का निदेश दिया गया था (16 जनवरी 2014)। बाद में, बीएसएफ की ओर से विलम्ब हेतु जिम्मेदारी का निर्धारण करने के लिए बीएसएफ में एक अधिकारियों के बोर्ड (बीओओ) का गठन (04 अप्रैल 2014) किया गया था। दूसरे बीओओ ने एनआईआईटी पर ₹10.11 करोड़ की एलडी की वसूली की (18 मार्च 2016)।

एनआईआईटी ने एलडी को वापस लेने का अनुरोध किया (11 अप्रैल 2016) जिसे बीएसएफ द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। एनआईआईटी ने यह बताते हुए कि परियोजना के चालू होने के 4 वर्षों के पश्चात् एलडी को लागू/लगाया नहीं जा सकता था, इसकी वसूली का विरोध किया। उसने आगे उल्लेख किया कि एलडी अनुचित था क्योंकि बीएसएफ, अप्रत्याशित घटना के अलावा, विलम्ब हेतु बड़े पैमाने पर उत्तरदायी था तथा इसने मध्यस्थता खंड को लागू किया। माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली ने एकमात्र मध्यस्थ को नियुक्त किया (19 दिसंबर 2017) तथा एनआईआईटी ने बीएसएफ के विरुद्ध ₹41.38 करोड़³⁵ का दावा किया। माननीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने विचारविमर्श के पश्चात् स्पष्ट किया (14 जनवरी 2019) कि बीएसएफ 01 जनवरी 2014 से वसूली तक नौ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर साधारण ब्याज सहित गलत प्रकार से काटी गई ₹10.11 करोड़ की एलडी तथा 01 अप्रैल 2016 से वसूली तक नौ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर के साधारण ब्याज सहित आईपीपी परियोजना हेतु काट्रिज की लागत के सापेक्ष गलत प्रकार से काटे गए ₹3.72 करोड़ वापस करेगा। बाद में, बीएसएफ ने एमएचए के अनुमोदन से इस निर्णय को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय दिल्ली के समक्ष एक अपील दायर

35

दावा सं.	विवरण	राशि (₹)
1.	कई वर्षों तक अवैध रूप से लगाई गई एलडी को रोकना	101135072
2.	रोकी गई एलडी राशि पर 18 प्रतिशत की दर पर ब्याज	71321007
3.	कारट्रिज की गैर-आपूर्ति के आधार पर की गई गलत कटौती	37235418
4.	अतिरिक्त वेट के कारण बीएसएफ द्वारा देय राशि	16470768
5.	आईपीपी हेतु फर्म द्वारा व्यय की गई अतिरिक्त अवसंरचना लागत	45132698
6.	कार्य क्षेत्र से बाहर किया गया अतिरिक्त कार्य	25820550
7.	(3), (4), (5) तथा (6) पर 18 प्रतिशत की दर पर ब्याज	116670727
	कुल	413786240

(12 अप्रैल 2019) की जिसे उच्च न्यायालय द्वारा 24 दिसंबर 2019 के अपने आदेश में अन्य बातों के साथ-साथ यह बताते हुए खारिज कर दिया गया था कि:

“इस विरोध दावे पर विद्वान निर्णायक के उपरोक्त निष्कर्ष को चुनौती देने में मुझे कोई योग्यता नजर नहीं आती है। ऊपर बताए गए कारणों के लिए, वर्तमान याचिका में मुझे कोई योग्यता नजर नहीं आती है। दलों को अपनी लागत वहन करने को छोड़ते हुए इसे खारिज किया जाता है।” तदनुसार, बीएसएफ ने 28 फरवरी 2021 को एनआईआईटी को कुल ₹22.01 करोड़ का भुगतान जारी किया।

दिसम्बर 2019 में माननीय उच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्णय के बावजूद लेखापरीक्षा ने पाया कि बीएसएफ ने एनआईआईटी को कुल ₹22.01 करोड़³⁶ का भुगतान जारी करने में 15 महीने (मार्च 2021) लिये। इसका परिणाम विभाग के पास रखी हुई राशि के ब्याज के कारण ₹1.25 करोड़³⁷ के परिहार्य भुगतान में हुआ।

बीएसएफ ने इस विलंब को (i) एमएचए द्वारा अपर महा न्यायाभिकर्ता (एसजी), उच्च न्यायालय दिल्ली की राय की मांग करने हेतु विधि एवं न्याय मंत्रालय को मामला प्रेषित किए जाने, (ii) 10 सितंबर 2020 को एसजी की कानूनी राय प्राप्त करने के पश्चात् बजट शीर्ष ओसी (प्रभारित) के अधीन निधि की अतिरिक्त मांग को आरई 2020-21/बीई 2021-22 में प्रक्षेपित (15 सितंबर 2020) करने को आरोपित किया। इसके पश्चात्, एमएचए ने ₹22.01 करोड़ की निधि का आबंटन किया (2 मार्च 2021) तथा आगे वित्त स्कंध ने एनआईआईटी को भुगतान हेतु शीर्ष ओसी (प्रभारित) के अधीन अतिरिक्त बजट आबंटित किया (5 मार्च 2021)।

तथ्य है कि बीएसएफ/मंत्रालय की ओर से निर्णय लेने में विलंब के कारण के परिणामस्वरूप ब्याज के कारण ₹1.25 करोड़ का परिहार्य भुगतान हुआ।

36

क्र.सं.	विवरण	प्रभारित/ रोका गया	ब्याज नौ प्रतिशत की दर पर (एसआई)	राशि (₹)	
1.	परिसमापन हानि	10,11,35,072	01.01.2014 से 28.02.2021	6,52,36,278	16,63,71,350
2.	कार्ट्रिज तथा जुर्माना	3,72,35,418	01.04.2016 से 28.02.2021	1,64,80,496	5,37,15,914
	कुल	13,83,70,490	-	8,17,16,774	22,00,87,264

37 भुगतान हेतु मंत्रालय से विभिन्न अनुमति प्राप्त करने हेतु तीन महीनों को अनुमत करके, $₹138370490 \times 9/100 = 124533441$ मतलब ₹1.25 करोड़।

मामला अक्टूबर 2022 तथा फरवरी 2024 में एमएचए को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर प्रतिक्रिया था (01 मार्च 2024)।

(VI) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

2.10 भारत का राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय (एनएफएआई), पुणे द्वारा राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन का कार्यान्वयन

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एनएफएआई के माध्यम से 2014-15 से 2020-21 तक की अवधि के दौरान ₹597.41 करोड़ की अनुमानित लागत पर “राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन” (एनएफएचएम) नामक एक योजना प्रारम्भ की (नवम्बर 2014)। मिशन के उद्देश्य फिल्म संग्रह का निर्धारण, फिल्म की रीलों का निवारक संरक्षण एवं डिजिटलीकरण, बहाल की गई सामग्री के संरक्षण हेतु संग्रह एवं संरक्षण सुविधाओं का निर्माण, इस क्षेत्र में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों तथा कार्यशालाओं का आयोजन करना था। अपर्याप्त योजना, विधिक ढांचे के अभाव, कार्य को रोकने तथा फिर से शुरू करने के मंत्रालय के तदर्थ दृष्टिकोण, संविदा अनुबंध के आरएफपी एवं आवेदन को गलत तैयार करने का परिणाम एनएफएचएम योजना के निष्पादन में असाधारण विलम्ब तथा योजना के कथित उद्देश्यों की अप्राप्ति में हुआ। परिणामस्वरूप, फिल्म स्थिति आकलन, फिल्म की रीलों का निवारक संरक्षण, तस्वीर एवं ध्वनि बहाली, फिल्मी सामग्रियों के डिजिटलीकरण के साथ साथ फिल्मी एवं गैर-फिल्मी सामग्रियों के भण्डारण हेतु स्थान का प्रावधान आज तक अपूर्ण है।

2.10.1 प्रस्तावना


भारत का राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय (एनएफएआई), पुणे की स्थापना फरवरी 1964 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमओआईबी) के अधीन एक स्वतंत्र मीडिया इकाई के रूप में निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने हेतु की गई थी:

- भावी पीढ़ी के उपयोग हेतु राष्ट्रीय सिनेमा की विरासत पता लगाना, प्राप्त करना एवं संरक्षित करना तथा विश्व सिनेमा का एक प्रतिनिधि संग्रहण,
- फिल्म से संबंधित डाटा को वर्गीकृत एवं प्रलेखन करना तथा सिनेमा पर अनुसंधान करना एवं प्रोत्साहित करना तथा इनको प्रकाशित एवं वितरित करना तथा

- देश में फिल्म संस्कृति के प्रसार तथा विदेश में भारतीय सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए एक केन्द्र के रूप में कार्य करने हेतु।

उपर्युक्त उद्देश्यों के अनुरूप एमओआईबी ने एनएफएआई के माध्यम से 2014-15 से 2020-21 तक की अवधि के दौरान ₹597.41 करोड़ की अनुमानित लागत पर एक योजना नामतः “राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन” (एनएफएचएम) को प्रमोचित किया।

एनएफएच ने निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ मिशन के कार्यान्वयन की अभिकल्पना की:



2.10.2 संगठनात्मक ढांचा

मिशन का प्रबंधन एमओआईबी के पास है तथा मिशन सचिव, एमओआईबी की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) के अधीन कार्य करता है। संयुक्त सचिव (फिल्म) कार्यकारी अधिकारी है जिसको निदेशक, एनएफएआई विशेष कर्तव्य पर अधिकारी की सहायता से मिशन के कार्यान्वयन की प्रगति सूचित करता है।

एनएफएआई का 1 अप्रैल 2022 से राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) के साथ विलय कर दिया गया है तथा निदेशक, एनएफएआई के अतिरिक्त प्रभार को केन्द्रीय फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड (सीबीएफसी) के सीईओ को सौंप दिया गया है।

2.10.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य, क्षेत्र तथा कार्यप्रणाली

“एनएफएचम के कार्यान्वयन” पर एक विषयगत लेखापरीक्षा 2014-15 से 2021-22 तक की अवधि को शामिल करते हुए 25 अप्रैल 2022 से 24 जून 2022 तक यह पता लगाने के लिए की गई थी कि क्या:

- निर्धारित समय-सीमा के भीतर मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु योजना प्रक्रिया उपयुक्त तथा मजबूत थी।
- योजना ने कथित उद्देश्यों को पूरा किया जैसी योजना की गई थी।
- एक समर्थ एवं मजबूत निगरानी तथा समन्वय तंत्र मौजूद था।

लेखापरीक्षा ने एनएफएआई द्वारा अनुरक्षित निविदा दस्तावेज, भुगतान वाउचर तथा परियोजना फाईलें आदि जैसे अभिलेखों की वास्तविक जांच की।

लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र एवं सीमा पर एनएफएआई के प्रशासनिक अधिकारी के साथ आयोजित प्रवेश सम्मेलन (अप्रैल 2022) के दौरान चर्चा की गई थी। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर निर्गम सम्मेलन (जून 2022) के दौरान एनएफएआई के प्रबंधन के साथ चर्चा की गई थी तथा उनके उत्तरों पर विचार किया गया है तथा उपयुक्त प्रकार से इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

2.10.4 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.10.4.1 विधिक ढांचा तैयार न करना

भारत सरकार (कार्यों का आबंटन) नियमावली, 1961 ने विकासात्मक एवं प्रचार गतिविधियों तथा फिल्मों एवं फिल्मी सामग्रियों के संरक्षण सहित फिल्म उद्योग से संबंधित सभी मामलों के संबंध में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमओआईबी) के अधिदेश को निर्धारित किया।

एनएफआई द्वारा 2010 में तथा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) द्वारा मार्च 2012 में “राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन (एनएफएचएम) के कार्यान्वयन” के निष्पादन हेतु एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की गई थी। एमओआईबी की व्यय वित्त समिति (ईएफसी) द्वारा ₹597.41 करोड़ की परियोजना लागत पर योजना हेतु प्रशासनिक अनुमोदन (एए) प्रदान (नवम्बर 2014) किया गया था।

डीपीआर के अनुसार, मिशन के कार्यान्वयन की प्रत्याशा में निम्नलिखित विधिक प्रलेखनों को तैयार किए जाने की अभिकल्पना की गई थी:

- अधिकार धारकों तथा लैब के साथ फिल्म के स्रोत सामग्री के प्रापण/बहाली/संरक्षण/कास्ट की आंशिक वसूली के लिए अधिकारों का मुद्रिकरण जहां बहाल सामग्री अधिकार को उपलब्ध कराई जाती है के लिए विधिक अनुबंध।
- भारतीय चित्रावली तथा राष्ट्रीय पुरस्कार नियमावली में संशोधन जिससे पुरस्कार विजेता फिल्मों के एक इंटर-नेगेटिव³⁸ (मास्टर कॉपी) को संरक्षण हेतु एनएफआई को अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाना है।

³⁸ एक इंटरनेगेटिव एक मोशन पिक्चर फिल्म का प्रतिरूप है। यह इंटरपोजिटिव का रंगीन प्रतिरूप है जिसमें एक निम्न-विषमता वाले रंगीन चित्र का मूल कैमरा नेगेटिव तथा प्रतिरूप नेगेटिव के बीच पॉजिटिव के रूप में उपयोग किया जाता है। फिल्म की शूटिंग हो जाने के पश्चात्, मूल नेगेटिव-सीधे कैमरा उपकरण सं. लिए गए- को सही क्रम में सम्पादित किया जाता है तथा कलर टाईमिंग के लिए उपयोग किए गए एक इंटर-पॉजिटिव प्रिंट तैयार करके एक संसाधित फिल्म के रूप में नए स्टॉक पर प्रिंट किया जाता है इंटरपॉजिव से आंसर प्रिंट, जिसमें रंग सुधारा गया इमेजरी तथा उपयुक्त रूप से संक्रमित ध्वनि ट्रैक शामिल है, तैयार किया जाता है। एक बार स्टूडियो से अनुमोदित हो जाता है तो

- ऑडियो- विजुअल परिसम्पत्तियों के अभिग्रहण तथा संरक्षण हेतु विधिक ढांचा तथा इस संबंध में छायांकन अधिनियम के संशोधन का प्रस्ताव।
- डिजीटल एवं पुनः स्थापित सामग्री के उपयोग हेतु निबंधनों एवं शर्तों को सलाहकार समिति के साथ परामर्श से अंतिम रूप दिया जाएगा।
- एनएफएआई के विधिक ढांचा को तैयार करने हेतु अकादमी अभिलेखागार, ब्रिटिश फिल्म अभिलेखागार के विधिक दस्तावेजों की तुलना का प्रस्ताव।

एनएफएआई में फिल्मों तथा संबंधित सामग्रियों की स्थिति की जांच करने हेतु मंत्रालय द्वारा गठित (2018) विशेषज्ञ समिति ने भी सिफारिश की थी कि इसे शीघ्रताशीघ्र नियमपुस्तिका को अंतिम रूप देना चाहिए।

लेखापरीक्षा जांच ने निम्नलिखित उजागर किया:

- एनएफएचएम परियोजना के प्रशासनिक अनुमोदन से आठ वर्षों से अधिक समय के बीत जाने के बाद भी एनएफएआई तथा एनएफएचएम हेतु कोई विधिक ढांचा तैयार नहीं किया गया है। इस संबंध में कोई अध्ययन भी नहीं किया गया था। यहां तक कि एनएफएआई द्वारा नियुक्त सलाहकार फर्म ने भी परियोजना के कार्यान्वयन हेतु इसके द्वारा तैयार यथारूप विश्लेषण रिपोर्ट (रोडमैप) में इस मामले का संज्ञान नहीं लिया था।
- भारतीय चित्रावली एवं राष्ट्रीय पुरस्कार नियमावली में एनएफएआई/मंत्रालय द्वारा कोई संशोधन नहीं किया गया है।
- एनएफएआई का विधिक ढांचा तैयार करने हेतु अकादमी अभिलेखागार तथा ब्रिटिश फिल्म अभिलेखागार के विधिक दस्तावेजों के अध्ययन तथा तुलना के संबंध में कोई दस्तावेजी प्रमाण अभिलेखों पर उपलब्ध नहीं था।
- यद्यपि, एक ड्राफ्ट नियमपुस्तिका तैयार की गई है फिर भी मंत्रालय द्वारा अभी इसे कोई अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है।

अंतिम आंसर प्रिंट प्रतियां तैयार करने हेतु उपयोग किए जाने वाले एक इंटर-नेगेटिव में बनाया जाता है जिसे देखने के लिए थियेटरों को दिया जाएगा।

एनएफएआई ने स्वीकार किया (जनवरी 2023) कि एनएफएआई/मंत्रालय द्वारा भारतीय चित्रावली तथा राष्ट्रीय पुरस्कार नियमावली में कोई संशोधन नहीं किया गया था। विधिक ढांचा तैयार करने के संबंध में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

विधिक ढांचे/प्रक्रियाओं के अभाव में फिल्म सामग्री की बहाली संरक्षण तथा इसके आगे के मुद्दीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था।

2.10.4.2 परिकल्पना स्तर पर आंकड़ों के अभिग्रहण में असंगति

परियोजना में स्थापित उद्देश्यों के अनुसार, एनएफएआई को फिल्म संग्रह का फिल्म स्थिति निर्धारण करना तथा फिल्मों के बचे हुए जीवनकाल का पता लगाना अपेक्षित था। साथ ही, एनएफएआई को 1.32 लाख फिल्म की रीलों का निवारक संरक्षण करना भी अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एनएफएआई ने एनएफएआई के पास उपलब्ध फिल्म संग्रहणों की संख्या का सही प्रकार से निर्धारण भी नहीं किया था। 2010 में एनएफएआई द्वारा तैयार किए गए डीपीआर के अनुसार, इसने स्थिति निर्धारण हेतु उपलब्ध 1,92,000 फिल्म की रीलों के आंकड़े का प्रक्षेपण किया था। तथापि, एनएफएआई द्वारा अनुरक्षित परिग्रहण पंजिका के सारांश के अनुसार, 2010 में इसके पास उपलब्ध फिल्म की रीलों की कुल संख्या 1,36,857 थी। एनएफडीसी द्वारा तैयार (2012) डीपीआर में न तो निवारक संरक्षण के संघटक शामिल थे और न ही इस संघटक के अधीन लिए जाने वाली फिल्म की रीलों की कोई संख्या प्रदान की गई थी।

ईएफसी ज्ञापन, जिसे मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया था, में ₹39.10 करोड़ की अनुमानित लागत पर 1,32,000 फिल्म की रीलों के निवारक संरक्षण का संघटक शामिल था। तथापि, एनएफएआई ने स्थिति निर्धारण हेतु 1,50,000 फिल्म की रीलों के अनुमानित आंकड़े, जिसमें 31 मार्च 2016 को एनएफएआई के पास परिग्रहण पंजिका के अनुसार 1,54,115 फिल्म की रील उपलब्ध थी, को अपनाते

हुए “एनएफएआई की फिल्म सामग्री का फिल्म संग्रह निर्धारण” तथा “एनएफएआई में फिल्म सामग्री का निवारक संरक्षण” हेतु क्रमशः जून 2016 तथा सितंबर 2016 में दो अलग आरएफपी (प्रस्ताव अनुरोध) आमंत्रित किए। साथ ही, एनएफएआई ने ईएफसी ज़ापन के अनुसार 1,32,000 फिल्म की रीलों के सापेक्ष में 1,05,000 फिल्म की रीलों (1,50,000 का 70 प्रतिशत) के निवारक संरक्षण हेतु आरएफपी आमंत्रित किए।

इसलिए, एनएफएआई द्वारा योजना स्तर पर तदर्थ आंकड़ों को अपनाना अपर्याप्त योजना, जिसका समग्र कार्यान्वयन के साथ-साथ परियोजना के परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव है तथा कार्यान्वयन चरण में निविदा प्रक्रिया में संभावित जटिलताओं का सूचक है जैसा पैराग्राफ 2.10.4.5(ए) तथा 2.10.4.5(बी) में विवरण दिया गया है।

एनएफएआई ने अपने उत्तर (जनवरी 2023) में बताया कि 2008 में तैयार किए गए ईएफसी दस्तावेज के अनुसार, एनएफएआई के पास फिल्म की रीलों की संख्या को 1,32,000 के रूप में लिया गया था। तथापि, आरएफपी तैयार करने की प्रक्रिया के दौरान, फिल्म की रीलों की संख्या को 1,50,000 के रूप में लिया गया था जो सांकेतिक प्रवृत्ति का था। एनएफएआई ने आगे बताया कि आंकड़ों को कार्य के सांकेतिक मात्रा के रूप में लिया गया था जबकि प्रत्येक मद हेतु प्रति इकाई लागत को निर्धारित किया गया था तथा विक्रेता को भुगतान भी वास्तविक कार्य के अनुसार किया गया था। इसके अतिरिक्त, एनएफएआई ने बताया कि समय की अवधि में कार्य की मात्रा में वृद्धि हुई क्योंकि संरक्षण उद्देश्य हेतु अधिक फिल्म की रीलों को जोड़ा गया था। बढ़ी हुई मात्रा हेतु अनुमोदन एचएलसी बैठकों में मांगा गया था तथा मंत्रालय में आईएफडी द्वारा इसकी संवीक्षा भी की गई थी तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया था।

एनएफएआई का उत्तर निम्नलिखित आधारों पर स्वीकार्य नहीं है:

- यद्यपि वास्तविक आधार पर फिल्म की रीलों के आंकड़ों का अभिग्रहण पूर्ण परियोजना के निष्पादन हेतु अत्यावश्यक था फिर भी एनएफएआई ने 1,54,115 के परिग्रहण पंजिका; जमा अनुवर्ती पांच वर्षों के लिए नए

परिग्रहण, जैसी ईएफसी जापन में अभिकल्पना की गई थी, के अनुसार फिल्म की रीलों के आंकड़ों को लेने के बजाए 1,50,000 के अनुमानित आंकड़े को लिया।

- फिल्म प्रभाग, भारतीय बाल फिल्म समिति (सीएफएसआई), फिल्म समारोह निदेशालय (डीएफएफ) तथा भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई) से प्राप्त फिल्म की रीलों को भी फिल्म स्थिति निर्धारण के साथ-साथ निवारक संरक्षण हेतु गिना जाना था। हालांकि, उनके द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया था।
- अनुमानित आधार पर फिल्म की रीलों के अलग आंकड़ों को लेने का अंततः परिणाम निविदा जटिलता जैसा अनुवर्ती पैराग्राफों में उल्लिखित किया गया है, विशेषकर निवारक संरक्षण के कार्य के संबंध में तथा एनएफएआई के पास संपूर्ण फिल्मी सामग्री के फिल्म स्थिति निर्धारण के उद्देश्य की गैर प्राप्ति में हुआ।

2.10.4.3 उचित अध्ययन तथा रोडमैप को अंतिम रूप दिए बिना निविदा प्रक्रिया प्रारम्भ करना

एनएफएआई ने योजना को कार्यान्वित करने के लिए परामर्शी सेवाएं प्रदान करने हेतु मेसर्स केपीएमजी एडवाइजरी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक अनुबंध किया (19 मई 2016)। अनुबंध के परिशिष्ट-ए के अनुसार कार्य के क्षेत्र में *अन्य बातों के साथ-साथ* समयबद्ध डिलिवरेबल्स के साथ एनएफएचएम परियोजना के कार्यान्वयन हेतु वर्तमान स्थिति निर्धारण अध्ययन (यथावत-अध्ययन) की तैयारी सहित व्यापक रोडमैप का प्रलेखन एवं तैयारी शामिल थी। आगे, परामर्शी फार्म को वैश्विक निविदा प्रक्रिया के माध्यम से कार्यान्वयन अभिकरणों के चयन में एनएफएआई को सहायता करनी थी।

अनुबंध के बिंदु 9 के अनुसार, यदि परामर्शदाता निर्धारित समय सारणी के भीतर डिलिवरेबल्स को प्रस्तुत करने में विफल होता है तो सेवाओं की कुल लागत के एक *प्रतिशत* प्रति सप्ताह की दर पर परिसमापन हर्जाना वसूलनीय था। तथापि,

परिसमापन हर्जाना संविदा के कुल मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, अनुबंध के डिलिवरेबल्स चार्ट के अनुसार परामर्शी फर्म को संविदा प्रदान किए जाने अर्थात् 19 मई 2016 से 18 सप्ताहों के भीतर एनएफएचएम हेतु रोडमैप तैयार तथा प्रस्तुत करना था। परामर्शी फर्म को संविदा प्रदान किए जाने से 22 सप्ताहों के भीतर आरएफपी तैयार करना था। इस प्रकार रोडमैप को आरएफपी को तैयार करने की गतिविधि से पहले तैयार किया जाना था तथा यह स्पष्टतः निविदा प्रक्रिया को प्रारम्भ करने हेतु एक पूर्व-अपेक्षा थी।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि परामर्शी फर्म 35 सप्ताहों के विलम्ब के साथ केवल मई 2017 में जाकर ही अपना रोडमैप (यथावत-अध्ययन) तैयार एवं प्रस्तुत कर सकी तथा तब तक एनएफएआई ने 'फिल्म संग्रह निर्धारण' (जून 2016) तथा 'फिल्म का निवारक संरक्षण' (सितंबर 2016) हेतु पहले ही दो आरएफपी जारी कर दिए थे। व्यापक रोडमैप तैयार करने तथा फिल्म संग्रह निर्धारण एवं निवारक संरक्षण हेतु आरएफपी जारी करने में विलम्ब ने योजना प्रक्रिया में गंभीर त्रुटियों को दर्शाया।

आगे, परामर्शी फर्म द्वारा तैयार किए गए रोडमैप ने 19,114 फिल्मों को मैप किया। इसमें 94,733 फिल्म की रीलों के अनुरूप 14,897 फिल्में तथा 4,217 फिल्में, जिसके संबंध में परामर्शी फर्म द्वारा फिल्म की रीलों का पता नहीं लगाया जा सका था, शामिल थी।

इसके अतिरिक्त समय सीमा का गैर-अनुपालन ने न केवल संविदात्मक प्रावधानों के उल्लंघन को बल्कि रोडमैप के प्रस्तुतीकरण में विलंब हेतु ₹2.04 करोड़ के परिसमापन हर्जाने की गैर-उगाही के कारण अभिकरण को हुए अनुचित लाभ को प्रतिबिंबित किया।

इस प्रकार, यह रेखांकित करता है कि एनएफएआई ने अपने पास उपलब्ध फिल्म सामग्री का उपयुक्त अध्ययन किए बिना फिल्म संग्रह निर्धारण के साथ-साथ फिल्म निवारक संरक्षण के संबंध में निविदा प्रक्रिया प्रारम्भ की।

एनएफएआई ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी 2023) कि रोडमैप को तैयार करने में परामर्श की ओर से कोई विलंब नहीं था तथा इसलिए दंडात्मक कार्यवाही शुरू करने का कोई प्रश्न ही नहीं था। उपयुक्त रोडमैप के बिना निविदाएं जारी करने के संबंध में एनएफएआई ने बताया कि एनएफएचएम एक मिशन मोड परियोजना थी, इसलिए निविदाओं को रोडमैप प्रलेखन के साथ-साथ जारी किया गया था। इसके अतिरिक्त, एनएफएआई ने बताया कि निविदाओं को मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता वाली एचएलसी के अनुमोदन से जारी किया गया था तथा संविदा मंत्रालय के उचित अनुमोदन के पश्चात प्रदान की गई थी।

एनएफएआई का उत्तर स्वीकार्य नहीं है तथा यह तथ्यात्मक रूप से गलत है। रोडमैप को 35 सप्ताह के विलंब से तैयार तथा प्रस्तुत किया गया था तथा इसलिए दंडात्मक कार्यवाही प्रारम्भ करना अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक थी। फिल्म संग्रह निर्धारण तथा निवारक संरक्षण हेतु निविदाओं को इस आधार पर कि यह एक मिशन मोड परियोजना है, रोडमैप के बिना जारी करना परामर्शी फर्म को नियुक्त करने की उपरोल्लेखित आरएफपी शर्तों के विरुद्ध था।

2.10.4.4 लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी

(ए) भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी

एनएफएचएम योजना को 2014-15 से 2020-21 तक कार्यान्वित करने की शर्तों के साथ ₹597.41 करोड़ की कुल परियोजना लागत के लिए अनुमोदित किया गया था। लेखापरीक्षा ने विभाग द्वारा निर्धारित भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति का विश्लेषण किया। इस संबंध में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

- कार्यों के चार संघटकों नामतः फीचर एवं लघु फिल्मों का इंटर-नेगेटिव तथा बहाली के मामले में 2014-15 में ईएफसी के अनुमोदन से आठ वर्षों के बीत जाने के पश्चात् भी 31 मार्च 2022 तक कोई भौतिक प्रगति नहीं पाई गई थी।
- फीचर एवं लघु फिल्मों के इंटर-नेगेटिव के कार्य के मामले में एनएफएआई ने 31 मार्च 2022 तक कार्य हेतु आरएफपी भी जारी नहीं किया था।

- कार्य के शेष पांच संघटकों को 31 मार्च 2022 तक अभी भी पूरा किया जाना था।

(बी) वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति की कमी

लेखापरीक्षा ने पाया कि एनएफएआई ने 31 मार्च 2021 तक व्यय किए जाने हेतु निर्धारित ₹597.41 करोड़ के वित्तीय लक्ष्य के सापेक्ष में मार्च 2022 की समाप्ति तक 80 प्रतिशत की कमी को संघटित करते हुए केवल ₹120.09 करोड़ का व्यय किया था। संघटक-वार व्यय विवरणों को **अनुलग्नक-2.7** में स्पष्ट किया गया है।

इस संबंध में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

- 31 मार्च 2022 तक कार्य के 15 संघटकों के संबंध में वित्तीय उपलब्धि में 11 से 100 प्रतिशत की भारी कमी थी।
- कार्य को दो संघटकों नामतः 1140 फीचर फिल्मों का इंटर-नेगेटिव तथा 1164 लघु फिल्मों का इंटर-नेगेटिव के संबंध में शून्य वित्तीय प्रगति थी।
- कार्यों के तीन संघटकों नामतः फीचर फिल्म, लघु फिल्मों की बहाली तथा सामग्रियों की प्राप्ति के संबंध में वित्तीय उपलब्धियों में 95 से 99 प्रतिशत के बीच की कमी थी।
- कार्य के चार संघटकों नामतः डिजिटलीकरण उपकरण का प्रापण, फीचर फिल्म एवं लघु फिल्म का डिजिटलीकरण तथा अनुसंधान एवं प्रकाशन के संबंध में वित्तीय उपलब्धियों में 50 से 95 प्रतिशत के बीच की कमी थी। इस प्रकार 15 में 10 संघटकों के संबंध में वित्तीय निष्पादन के संदर्भ में कमी 50 से 100 प्रतिशत के बीच थी।

एनएफएआई ने अपने उत्तर (जनवरी 2023) में बताया कि चूंकि मंत्रालय ने आगे के आरएफपी के संसाधन के कार्य को रोकने का अनुदेश (सितंबर 2017) दिया था इसलिए विभिन्न गतिविधियों के अंतर्गत उपलब्धियां प्रभावित थीं। आगे, विभाग ने बताया कि कोविड-19 परिस्थिति पुरालेख एवं फिल्म सामग्री की धीमी प्राप्ति तथा विभिन्न गतिविधियों की उपलब्धि का कारण बनी।

एनएफएआई का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मंत्रालय के अनुदेश केवल आगे के आरएफपी के संसाधन को रोकने के लिए थे न कि पूरी परियोजना को रोकने के लिए थे। निर्धारण एवं निवारक संरक्षण हेतु आरएफपी को क्रमशः जून एवं सितम्बर 2016 में जारी किया गया था। इसके अतिरिक्त संग्रह एवं फिल्म सामग्री की प्राप्ति के कार्य जिसे एनएफएआई द्वारा किया जाना था, को आरएफपी के बिना भी किया जा सकता था। साथ ही, कोविड पूर्व तथा पश्च अवधियों के दौरान कार्य की धीमी गति भी तर्कसंगत नहीं थी।

2.10.4.5 स्थिति निर्धारण तथा निवारक संरक्षण का निष्पादन करते समय निविदा शर्तों का गैर-अनुपालन

एनएफएचएम के उद्देश्यों में *अन्य बातों के साथ-साथ* फिल्म संग्रह की स्थिति का निर्धारण तथा फिल्म के बचे हुए जीवनकाल का पता लगाना तथा 1,32,000 फिल्म की रीलों का निवारक संरक्षण शामिल था।

(ए) स्थिति निर्धारण कार्य के समापन में विलम्ब

“एनएफएआई की फिल्म सामग्री का स्थिति निर्धारण” के कार्य हेतु आरएफपी को जून 2016 में जारी किया गया था तथा कार्य आदेश को मार्च 2017 में ₹15.02 करोड़ की निविदा लागत पर कार्य को छः महीनों के भीतर पूर्ण करने की शर्त के साथ जारी किया गया था। कार्य के क्षेत्र में *अन्य बातों के साथ-साथ* फिल्म की रीलों की पहचान तथा अन्य में से फिल्म की रीलों की संख्या का पता लगाना शामिल था। आरएफपी के अनुसार, 1,50,000 फिल्म की रीलों का ठेकेदार द्वारा ए, बी तथा सी श्रेणी में निर्धारण किया जाना था। श्रेणी ए की रीलों को अच्छा माना गया है जिन्हें केवल मामूली मरम्मत की आवश्यकता है हालांकि बी तथा सी श्रेणी की रीलों को बड़ी मरम्मत की आवश्यकता है तथा उन पर निवारक संरक्षण हेतु विचार किया जाएगा। एनएफएआई ने परिकल्पित किया था कि 1,50,000 में 1,05,000 फिल्म की रीलें (70 प्रतिशत) श्रेणी बी तथा सी के अंतर्गत आएंगी। ठेकेदार ने, 1,50,000 फिल्मों, जिनका आरएफपी के अनुसार निर्धारण किया जाना था, के सापेक्ष में यादृच्छिक आधार पर ली गई 1,54,295 फिल्म की रीलों का निर्धारण किया था।

इस संबंध में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

- विभिन्न कार्य, जैसा अनुबंध में अनिवार्य किया गया था, जैसे कि आरएफआईडी टैगिंग, फिल्म की रीलों पर डाटाबेस का अनुरक्षण करना, फिल्म की रीलों की मरम्मत, रील मेटा डाटा तथा एनएफएआई को फिल्म की रीलों की सुपुर्दगी को ठेकेदार द्वारा पांच वर्षों से अधिक समय के बीत जाने के बाद भी आज तक पूरा नहीं किया गया है
- ठेकेदार द्वारा कार्य के गैर-समापन के बावजूद एनएफएआई ने अनुबंध के खंड 6.3 (सी), जिसने एनएफएआई द्वारा कार्य की स्वीकृति तक संविदा मूल्य के 10 प्रतिशत को रोकने का प्रावधान किया, के उल्लंघन में ₹14.49 करोड़ के कुल संविदा मूल्य में से, एएमसी को छोड़कर, ₹14.40 करोड़ (99.36 प्रतिशत) जारी किए।
- संविदा अनुबंध की शर्त 9 के उल्लंघन में एनएफएआई ने निर्माण कार्यों के निष्पादन में विलम्ब हेतु परिसमापन हर्जाना की वसूली नहीं की थी।
- एनएफएआई ने 01 सितम्बर 2019 तथा 1 फरवरी 2022 के बीच की अवधि के लिए आरएफआईडी टैग एण्ड सोल्यूशन की एएमसी के प्रति ₹42.37 लाख का भुगतान किया था जबकि आरएफआईडी टैग एण्ड सोल्यूशन को सफलतापूर्वक स्थापित (जुलाई 2021 तक) नहीं किया जा सका था।



चित्र 2.1: आरएफआईडी टैग की बिना वाल्ट में अनिर्धारित पड़ी फिल्म की रीलों

उत्तर में एनएफआईडी (जनवरी 2023) ने बताया कि:

- ए) अंतिम भुगतान सहमत कार्य के प्रत्येक संघटक के सफलतापूर्वक समापन के पश्चात् किए गए थे।
- बी) जुर्माना लगाने के संबंध में यह बताया गया कि परियोजना कार्य में विक्रेता द्वारा निष्पादित कार्य तथा आगे के फ़िर से कार्य की ऐसी टिप्पणियों का समाधान करने हेतु एनएफआईडी द्वारा गहन गुणवत्ता नियंत्रण शामिल है।
- सी) आरएफपी के अनुसार, विक्रेता को 329,500 आरएफआईडी टैग का प्रापण करना तथा उन्हें लगाना था जिसके प्रति 336,096 टैग लगाए गए हैं। आरएफआईडी सोल्यूशन के कार्य करने के संबंध में एनएफआईडी तकनीकी समिति द्वारा इसकी समीक्षा (अगस्त 2019) की गई थी तथा आरएफआईडी सोल्यूशन को एनएफआईडी की अपेक्षाओं के अनुसार स्थापित किया गया था। इसके अतिरिक्त, एनएफआईडी के स्टाफ तथा अधिकारियों को सोल्यूशन की सुपुर्दगी के भाग के रूप में आरएफआईडी सोल्यूशन पर प्रशिक्षणों की एक श्रृंखला प्रदान की गई थी।

एनएफआईडी का उत्तर निम्नलिखित आधार पर स्वीकार्य नहीं है:

- ए) फिल्मों को सुपुर्द करना एक अलग गतिविधि नहीं है परंतु यह कार्य का ऐसा चरण है जो स्थिति निर्धारण, फिल्मों की जांच एवं मरम्मत तथा इस प्रकार फिल्म स्थिति निर्धारण का सफल समापन, फिल्म रीलों की जांच एवं मरम्मत का फिल्म की रीलों की सफल सुपुर्दगी में समापन होना जैसी गतिविधियां की श्रृंखला से भरा है। इसलिए, फिल्म की सुपुर्दगी की विशेष उपलब्धि में निःसंदेह एनएफआईडी संतुष्टि के लिए इन सभी गतिविधियों का समापन शामिल है। इस प्रकार, कुल संविदा मूल्य के 99.36 प्रतिशत का भुगतान संविदा के खंड 6.3 (सी) के उल्लंघन में था।
- बी) कार्य के निष्पादन में विलम्ब के लिए जुर्माना न लगाने के संबंध में, ठेकेदार द्वारा निष्पादित कार्य पर एनएफआईडी द्वारा गहन गुणवत्ता नियंत्रण संविदा

शर्तों के अनुसार परिसमापन हर्जाना की गैर-वसूली हेतु एक बहाना नहीं हो सकता।

सी) आरएफआईटी टैग लगाने के संबंध में, एनएफएआई का उत्तर तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है क्योंकि एनएफएआई ने पत्र दिनांक 06.07.2021 के माध्यम से ठेकेदार को सूचित किया था कि केवल आरएफआईडी सोल्यूशन के हार्डवेयर को पूर्ण आरएफआईडी सोल्यूशन को क्रियाशील बनाने के रूप में नहीं समझा जा सकता था क्योंकि आरएफआईडी के सॉफ्टवेयर पहलू को नियोजित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, एनएफएआई ने बताया था कि आरएफआईडी प्रदर्शन की एएमसी की शुरुआत के रूप में व्याख्या नहीं की जा सकती।

(बी) संविदा में अस्पष्टता निवारक संरक्षण के निष्पादन में लागत वृद्धि तथा समय वृद्धि का कारण बनीं

एनएफएआई ने इस अनुमान, कि कुल 1,50,000 की 70 प्रतिशत फिल्म की रीलें बी एवं सी श्रेणी की होगी जिन्हें निवारक संरक्षण की आवश्यकता है, के आधार पर 1,05,000 फिल्म की रीलों के निवारक संरक्षण के लिए आरएफपी (सितंबर 2016) को आमंत्रित किया। बाद में, एनएफएआई ने निवारक संरक्षण की संविदा को कार्य के समापन हेतु दो वर्षों की निर्धारित समय अवधि के साथ ₹39.95 करोड़ की लागत पर सौंपा (सितंबर 2017)।

इस संबंध में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

ए) सफल बोलीकर्ता को “एनएफएआई की फिल्म सामग्री के संग्रह निर्धारण” के कार्य आदेश से पहले ही आरएफपी को जारी किया गया था। तथापि, फिल्म स्थिति निर्धारण फिल्म सामग्री के निवारक संरक्षण के कार्य हेतु पहली आवश्यकता है। बोली-पूर्व बैठक के दौरान एक बोलीकर्ता द्वारा यह भी इंगित किया गया था कि निवारक संरक्षण को केवल बोलीकर्ताओं को फिल्म स्थिति निर्धारण रिपोर्ट के प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् ही शुरू किया जाना चाहिए।

- बी) यद्यपि एनएफएआई ने दावा किया कि फिल्म की रीलों की गणना 2009-10 के दौरान किए गए फिल्म स्थिति निर्धारण के आंतरिक अध्ययन, ईएफसी दस्तावेज तथा विशेषज्ञ की सलाह पर आधारित थी फिर भी लेखापरीक्षा ने नमूना सर्वेक्षण रिपोर्ट से पाया कि 43,750 में से केवल 8035 फिल्म की रीलों, जो लगभग 18 प्रतिशत बनती है, को बी, सी तथा डी श्रेणी का होना पाया गया था जिन्हें निवारक संरक्षण की आवश्यकता थी। इस प्रकार, इस पूर्वानुमान कि कुल 70 प्रतिशत फिल्म की रीलें (1,50,000 का 70 प्रतिशत =1,05,000) बी एवं सी श्रेणी की होगी जिन्हें निवारक संरक्षण की आवश्यकता है, के आधार पर आरएफपी तैयार करना परिकल्पनात्मक था न कि किसी विश्वसनीय डाटा पर आधारित था।
- सी) मंत्रालय ने बिना कोई कारण बताए कार्य को रोक (सितंबर 2017) दिया था जिसने एनएफएआई द्वारा चालू आरएफपी के संसाधन को रोका। कार्य के पुनरारंभ हेतु मंत्रालय द्वारा केवल नवम्बर 2018 में ही जाकर अनुमोदन प्रदान किया जा सका था।
- डी) एनएफएआई ने ठेकेदार को सूचित (मार्च 2019) किया कि बी एवं सी श्रेणी की फिल्म की रीलों की संख्या आरएफपी में प्रक्षेपित 1,05,000 के बजाय 30,000 से 40,000 के बीच होगी। आगे, बी एवं सी श्रेणी की 32,000 फिल्म की रीलों का कम किया गया आंकड़ा ठेकेदार को सूचित (अगस्त तथा सितंबर 2019) किया गया था। तथापि, मंत्रालय ने 45,700 फिल्म की रीलों के निवारक संरक्षण के प्रस्ताव को अनुमोदित (अप्रैल 2020) किया।
- ई) बाद में, निवारक संरक्षण हेतु रीलों की संख्या में भारी कटौती के कारण एनएफएआई द्वारा संविदा की राशि का ₹39.95 करोड़ से ₹17.38 करोड़ तक संशोधन करने के लिए संविदा अनुबंध में एक परिशिष्ट जारी किया गया था (अगस्त 2020)। तथापि, ठेकेदार ने संविदा की सितंबर 2019 तक समाप्ति तथा इसकी गैर-व्यवहार्यता के आधार पर संविदा की मौजूदा शर्तों पर कार्य करने की अपनी असहमति सूचित की (अगस्त 2020)।

एफ) परिणामस्वरूप, 60,557 फिल्म की रीलों के अनुरूप फिल्मों के निवारक संरक्षण हेतु संशोधित आरएफपी जारी किया गया था तथा संविदा को ₹47.84 करोड़ की लागत पर एक नए ठेकेदार को प्रदान किया गया था (मार्च 2022)। लेखापरीक्षा कारणों का पता नहीं लगा सकी थी कि एनएफएआई कैसे 45,700 से 60,557 फिल्म की रीलों पर पहुंचा क्योंकि यह अभिलेख में उपलब्ध नहीं था।

इस प्रकार, अपर्याप्त नियोजन, संविदा के गलत एवं अस्पष्ट निबंधनों को अपनाना, कार्य के संघटकों को प्राथमिकता न देना, अविभाज्य एवं अतिव्यापी कार्यों को अनुचित प्रकार से विभाजित करना ₹24.80 करोड़ (47,84,33,185-39,95,47,260X60,557/1,05,000) की लागत वृद्धि के साथ-साथ लगभग तीन वर्षों की समय वृद्धि का कारण बना। इसके अतिरिक्त, यह फिल्म की रीलों के निवारक संरक्षण के मिशन के उद्देश्य की प्राप्ति में विफलता का कारण भी बना।

एनएफएआई ने अपने उत्तर (जनवरी 2023) में स्वीकार किया कि प्रारंभिक ठेकेदार ने रीलों की कम की गई संख्या तथा गैर-व्यवहार्यता के कारण बी एवं सी श्रेणी की रीलों के निवारक संरक्षण का कार्य करने से मना कर दिया था। इसलिए, एनएफएआई ने 60,557 रीलों के निवारक संरक्षण कार्य को करने के लिए निविदा को दोबारा जारी की जिसमें श्रेणी 'बी' एवं 'सी' रीलों की वास्तविक संख्या से लगभग 20 प्रतिशत अधिक का बफर शामिल था।


विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि फिल्म रील स्थिति का निर्धारण पहले ठेकेदार को 'बी' तथा 'सी' श्रेणी के निवारक संरक्षण का कार्य सौंपने से पूर्व किया जाना चाहिए था।

आगे, विभाग ने निवारक संरक्षण कार्यों को रोकने हेतु श्रेणी 'बी' एवं 'सी' में फिल्म की रीलों की अनुमानित संख्या में बार-बार परिवर्तन के कारण समय वृद्धि तथा लागत वृद्धि से संबंधित लेखापरीक्षा आपत्ति का उत्तर नहीं दिया था जो ₹24.80 करोड़ की लागत वृद्धि का कारण बना।

2.10.4.6 एनएफएआई में फिल्म सामग्री के डिजिटलीकरण के कार्य के निष्पादन में विसंगतियां

एनएफएआई ने मार्च 2017 में फिल्म सामग्री के डिजिटलीकरण हेतु प्रस्ताव का प्रथम अनुरोध (आरएफपी) जारी किया था। आरएफपी के उत्तर में, चार बोलीकर्ताओं ने अपनी बोलियां प्रस्तुत की थीं। तथापि, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एनएफएआई को संपूर्ण एनएफएचएम की समीक्षा की जाने तक संसाधित किए जा रहे सभी आरएफपी को रोकने का अनुदेश दिया (सितंबर 2017)। परिणामस्वरूप, एनएफएआई ने सितंबर 2018 में हुई 6वीं उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) की बैठक में कार्य के पुनरारंभ के निर्णय के पश्चात् मई 2019 में आरएफपी को पुनः जारी किया। बाद में, मैसर्स एक्स को एच1 (सफल बोलीकर्ता) घोषित किया गया था तथा कार्य के समापन हेतु दो वर्षों की निर्धारित समय-सीमा के साथ ₹74.02 करोड़ की अनुमानित लागत पर अगस्त 2020 में संविदा अनुबंध निष्पादित किया गया था।

अनुबंध के अनुसार, 4,30,000 फिल्म की रील मिनट के अनुरूप 5113 फिल्मों (2,345 फीचर फिल्म तथा 2,768 लघु फिल्म) को साफ, स्कैन तथा डिजिटलीकरण किया जाना था। लेखापरीक्षा ने पाया कि ठेकेदार ने डिजिटलीकरण प्रक्रिया के समापन के पश्चात एनएफएआई को सितंबर 2022 तक केवल 108 फिल्मों सुपुर्द की थी जो कुल फिल्मों का दो प्रतिशत बनता है।



इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

ए. डिजिटलीकरण की धीमी गति

डिजिटलीकरण हेतु फिल्मों को लिए जाने के अनुमोदित मानदण्डों के अनुसार, क्षेत्रीय फिल्म चयन समिति (आरएफएससी) को डिजिटलीकरण हेतु फिल्मों की सूची की सिफारिश करनी थी जो केन्द्रीय उप-समिति (सीएससी) द्वारा उचित प्रकार से अनुमोदित हो। संविदा अगस्त 2020 में की गई थी तथा परियोजना को दो वर्षों के भीतर निष्पादित किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 5113 फिल्मों में से, आरएफएससी/सीएससी 21 महीनों (आबंटित 24 महीनों में से) की समाप्ति के पश्चात् भी डिजिटलीकरण हेतु केवल 3160³⁹ फिल्मों (61.80 प्रतिशत) की सिफारिश कर सकी। इसमें से, केवल 1861 फिल्मों को ही अब तक विक्रेता को उपलब्ध कराया गया है। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि विक्रेता द्वारा केवल 1441 फिल्मों को ही स्कैन किया जा सका था जबकि 54 फिल्मों को विक्रेता द्वारा रखा गया था, 197 फिल्मों के डिजिटलीकरण को रद्द कर दिया था तथा 169 फिल्में विभिन्न कारणों के कारण स्कैनिंग हेतु लंबित थी।

बी. कार्मिकों की कम तैनाती के कारण निष्पादन में देरी हुई

संविदात्मक प्रावधानों के अनुसार, ठेकेदार को संविदा अनुबंध की तिथि से दो वर्षों के भीतर परियोजना को पूर्ण करने के लिए स्कैनरों की पर्याप्त संख्या को प्रतिस्थापित तथा चालू करने की व्यवस्था करनी थी। ठेकेदार की 896 फिल्म के रील मिनट प्रति दिन (4,30,000 फिल्म मिनटों को स्कैन करने के लिए एक माह में 20 कार्य दिवसों को मानते हुए) की स्कैनिंग दर पर कथित कार्य को पूर्ण करना अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ठेकेदार ने 4 एरिस्कैन एक्सटी स्केनर (चित्र स्कैनिंग हेतु) तथा 2 सॉडोर (ध्वनि स्कैनिंग हेतु) को प्रतिस्थापित किया था जैसा तकनीकी बोली में प्रस्ताव किया गया था।

³⁹ सीएससी द्वारा अनुमोदित-2163 फीचर फिल्में तथा 997 फिल्में

लेखापरीक्षा ने पाया कि अगस्त 2020 से मई 2022 के दौरान 4,30,000 के सापेक्ष में, केवल 268 फिल्म मिनट प्रति दिन की दर पर, कुल 1,12,202 फिल्म मिनटों को स्कैन किया था। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि ठेकेदार द्वारा स्कैन किए गए 1,12,202 फिल्म मिनटों में से 36,976 तथा 48,281 फिल्म मिनट एनएफएआई दल द्वारा क्रमशः गुणवत्ता जांच तथा ग्रेडिंग हेतु लंबित थे जो क्यूसी दल की कम तैनाती को सूचित करता है। साथ ही, केवल 108 फिल्मों को ही 5923 फिल्म के रील मिनटों में परिवर्तित करते हुए अब तक (सितंबर 2022) एनएफएआई को अंततः सुपुर्द किया गया था जो 14 फिल्म मिनट (5923/21x20) प्रति दिन का औसत है।

इस प्रकार, एनएफएआई द्वारा गुणवत्ता जांच दल की कम तैनाती का परिणाम अपेक्षित दर के सापेक्ष में कार्य के निष्पादन की काफी धीमी गति में हुआ।

एनएफएआई, अपने उत्तर में, लेखापरीक्षा अभ्युक्ति से सहमत हुआ तथा बताया (जनवरी 2023) कि कोविड-19 महामारी के कारण परियोजना कार्यालय की स्थापना करने, संसाधनों एवं उपकरण को जुटाने तथा परिणामी कार्य के निष्पादन में विचारणीय विलम्ब था। तथापि, डिजिटलीकरण परियोजना की गति में वृद्धि को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। यह भी बताया गया था कि शेष शीर्षकों को परियोजना के क्षेत्र तथा अधिदेश का अनुपालन करते हुए डिजिटलीकरण हेतु लिया जाएगा।

2.10.4.7 मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर (एमएसआई) हेतु निविदाएं तथा आरएफपी जारी करने में कमियां

(ए) प्रशासनिक अनुमोदन के बिना मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर (एमएसआई) के चयन हेतु निविदाएं जारी करना

लेखापरीक्षा ने पाया कि सितंबर 2017 में हुई 5वीं उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) की बैठक में एनएफएआई ने स्वीकार किया कि आईटी कार्य का आबंटन ईएफसी दस्तावेज में पर्याप्त रूप से नहीं किया गया था क्योंकि व्यापक आईटी समाधान की इसमें अभिकल्पना नहीं की गई थी। आगे, यह बताया गया था कि आईटी

कार्य को एनएफएचएम के विभिन्न शीर्षों के अधीन परिकल्पित बचतों में से किया जाएगा।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि एनएफएआई के पास परियोजना के विभिन्न संघटकों हेतु ₹804.46 करोड़ (अनुलग्नक-2.8) का कुल प्रतिबद्ध व्यय तथा आंबटित निधियां थी। इस प्रकार, व्यापक आईटी समाधान का कार्य करने हेतु परियोजना के अधीन कोई बचत नहीं थी। व्यापक आईटी समाधान के संघटक की परियोजना के अधीन अभिकल्पना नहीं की गई थी जिसने इन सम्पत्तियों को दर्शनीय बनाने तथा पणधारियों को उपलब्ध कराने के अंतिम उद्देश्य के साथ फिल्मों के डिजिटलीकरण के उद्देश्य को विफल किया।

साथ ही, परियोजना के अन्य शीर्षों के अंतर्गत कोई बचत न होने के बावजूद कार्य हेतु आएफपी जारी किया गया था तथा एनएफएआई ने निविदा जारी करने से पहले सक्षम प्राधिकारी से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त नहीं किया था।

एनएफआई ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी 2023) कि ईएफसी दस्तावेज में वास्तव में मिशन का यह महत्वपूर्ण संघटक छूट गया था तथा इसलिए आंबटन एनएफएचएम के विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत बचतों से किया गया था।

एनएफएआई का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि परियोजना में कोई बचत उपलब्ध नहीं थी।

(बी) एमएसआई का आरएफपी तैयार करने में कमियां

कार्यान्वयन अभिकरण के चयन हेतु इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा 2018 में जारी मॉडल आरएफपी दस्तावेज के अनुसार, कोई भी योग्यता-पूर्व (पीक्यू) पात्रता मानदण्ड जो स्थापित किया गया है, उसका कार्य के क्षेत्र, परियोजना की वित्तीय कीमत तथा जोखिम के साथ सीधा तथा सुस्पष्ट संबंध होना चाहिए।

आगे, यदि एक परियोजना सॉफ्टवेयर कार्यान्वयन से संबंधित है या एप्लीकेशन विकास किया जा रहा है तो सीएमएमआई प्रमाणन आवश्यकता को पीक्यू मानदण्ड

के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, मार्गदर्शी नोट अनुबंध करता है कि क्रेता को यह आश्वासन देना चाहिए कि किसी भी प्रमाणन से निविदा का महत्व बढ़ाना चाहिए तथा प्रतिस्पर्धा को सीमित करने का कारण नहीं बनना चाहिए।

एनएफएचएम परियोजना ने *अन्य बातों के साथ-साथ* फिल्म की रीलों के डिजिटलीकरण की अभिकल्पना की हालांकि इसने इस संबंध में एक व्यापक आईटी सोल्यूशन की अभिकल्पना नहीं की थी जो अन्यथा परियोजना का एक अनिवार्य घटक हो सकता था। एनएफएआई ने परियोजना के निष्पादन हेतु रोडमैप में एक आईटी अवसंरचना की स्थापना की अभिकल्पना जो न केवल मीडिया परिसम्पत्तियों के संरक्षण एवं प्रबंधन में एनएफएआई की सहायता करेगी बल्कि यह उन परिसम्पत्तियों को दर्शनीय बनाने तथा पर्णधारियों को उपलब्ध कराने में भी सहायता करेगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एनएफएआई ने एनएफएचएम के अधीन एनएफएआई के डाटा केन्द्र तथा उद्यम समाधान (एनईएस) के कार्यान्वयन हेतु मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर (एमएसआई) के चयन के लिए प्रस्ताव अनुरोध (आरएफपी) जारी किया (दिसंबर 2020)। आरएफपी का उद्देश्य एनएफएआई में पांच वर्षों की अवधि के लिए एनएफएचएम के अधीन एनएफएआई का उद्यम समाधान (एनईएस) सहित परिसर डाटा केन्द्र पर स्वयं के टियर-III अनुरूप के कार्यान्वयन हेतु क्लाउड पर आपदा रिकवरी केन्द्र सहित परिसर डाटा केन्द्र पर टियर-III अनुरूप डिजाइन, निर्माण, अनुरक्षण, संचालन तथा एक सॉफ्टवेयर समाधान का परिनियोजन, प्रतिस्थापना, लाईसेंसिंग, होस्टिंग एवं परिवर्तन प्रबंधन, संशोधन, संचालन सहित अनुरक्षण के साथ डिजाइन, अनुकूलन, प्रापण, संघटन की सेवा तथा मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर (एमएसआई) के रूप में पूर्ण समाधान की सेवाओं की मांग करना था।

आगे, आईटी आरएफपी हेतु कार्य के ड्राफ्ट क्षेत्र की समीक्षा के लिए समिति की बैठक (दिसंबर 2020) के कार्यवृत्त के अनुसार, परियोजना में *अन्य बातों के साथ-साथ* कॉमर्शियल आफ द शेल्फ (सीओटीएस) सॉफ्टवेयर में मामूली फेरबदल शामिल था। यह आरएफपी के उद्देश्य, जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है, से भी स्पष्ट था।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि एनएफएआई ने एमईआईटीवाई के मॉडल आरएफपी हेतु उपरोल्लेखित मार्गदर्शन के उल्लंघन में वैध सीएमएमआई स्तर 3 प्रमाणपत्र अथवा उच्चतर का एक पीक्यू मानदंड स्थापित किया।

उपरोक्त पीक्यू मानदंड को शामिल करने के कारण, दो बोलीकर्ताओं को वैध सीएमएमआई प्रमाणपत्र के गैर-प्रस्तुतीकरण के कारण गैर-जिम्मेदार घोषित किया गया था जिसका परिणाम एकल बोली परिस्थिति तथा बोली को बाद में समाप्त करने में हुआ। परिणामस्वरूप पीक्यू मानदंड के रूप में सीएमएमआई प्रमाणपत्र के बिना इस कार्य हेतु नया आरएफपी जारी किया गया था।

इस प्रकार, परियोजना हेतु योग्यता-पूर्व मानदंड को शामिल करने ने प्रतिस्पर्धा को प्रभावी रूप से सीमित किया तथा इसका परिणाम परियोजना के निष्पादन में विलम्ब में हुआ क्योंकि परियोजना को आज तक (मई 2020) पूर्ण तथा प्रचालित नहीं किया गया है। यह डिजिटल फिल्मों की अंत उपभोक्ता तक पहुंच बनाने के एनएफएचएम के मुख्य उद्देश्य की गैर-प्राप्ति का कारण बना।

एनएफएआई ने अपने उत्तर (जनवरी 2023) में बताया कि आरएफपी तैयार करते समय एक एक प्रासंगिक प्रमाणीकरण को योग्यता मानदंड के रूप में स्थापित करना उचित माना गया था। तथापि, वर्तमान आरएफपी में डाटा को क्लाउड पर रखने का प्रस्ताव किया गया है इसलिए इस मानदंड को आगे और न रखने की अभिकल्पना की गई थी।

एनएफएआई का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एमएसआई हेतु आरएफपी में एमईआईटीवाई द्वारा जारी मॉडल आरएफपी के अनुसार सीएमएमआई प्रमाणन मापदण्ड अपेक्षित नहीं है। इसलिए, प्रारम्भिक आरएफपी में कथित मानदण्ड को शामिल करने का परिणाम सीमित प्रतिक्रिया में हुआ जो सीएमएमआई प्रमाणन की आवश्यकता को हटाने के पश्चात आरएफपी को पुनः जारी करने का कारण बना तथा डिजिटलीकरण के उद्देश्य की प्राप्ति को प्रभावित किया।

2.10.4.8 बैंक गारंटी के बिना ठेकेदारों को अग्रिम

केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा निर्गत (फरवरी 2011) परिपत्र के साथ साथ जीएफआर के प्रावधानों ने वित्तीय सुरक्षा के रूप में बीजी प्राप्त करने के पश्चात् ठेकेदारों को अग्रिम को निर्धारित किया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एनएफएआई ने कार्यों की विभिन्न मर्दों को निष्पादित करने के लिए छः आरएफपी आमंत्रित किए तथा इन कार्यों हेतु छः ठेका समझौता निष्पादित किए। तथापि, बैंक गारंटी के रूप में बिना किसी वित्तीय सुरक्षा के ठेकेदारों को ₹23.60 करोड़ के अग्रिम भुगतान प्रदान किए गए थे। ठेका समझौता तथा ठेकेदार को प्रदान किए गए अग्रिम के विवरण तालिका सं. 2.6 में दिए गए हैं:

तालिका सं. 2.6: ठेका समझौता तथा अग्रिम के विवरण

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	आरएफपी का विवरण	प्रस्ताव की तिथि	संविदा हस्ताक्षर करने की तिथि	प्रदान किए गए अग्रिम
1.	एनएफएआई की फिल्म सामग्री का संग्रह निर्धारण	जून-16	मार्च -17	2,83,93,474
2.	गैर-फिल्मी सामग्री का डिजिटलीकरण	जुलाई -16	मार्च -17	14,95,100
3.	एनएफएआई में फिल्म संग्रह का निवारक संरक्षण	अक्टूबर-20	मार्च-22	6,57,14,010
4.	एनएफएआई में डीसीपी (डिजिटल सिनेमा पैकेज) कार्य	जनवरी-17	अगस्त-17	20,67,124
5.	एनएफएआई में फिल्म सामग्री का डिजिटलीकरण	मई-19	जुलाई-20	13,36,33,500
6.	फिल्म सामग्री का उपशीर्षक	दिसंबर-20	मार्च-21	47,20,392
कुल				23,60,23,600

एनएफएआई ने अपने उत्तर (जनवरी 2023) में बताया कि किसी भी विक्रेता को कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया गया बल्कि विशिष्ट पड़ाव के अंतर में भुगतान किया गया। आगे, यह बताया गया कि निष्पादन बैंक गारंटी परियोजना के

कार्यान्वयन हेतु पर्याप्त सुरक्षा करने के लिए सीवीजी दिशा-निर्देशों और जीएफआर प्रावधानों के अनुसार ली गई थी।

एनएफएआई का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भुगतान अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय ही कर दिए गए थे और इसके अतिरिक्त भुगतान संसाधनों के जुटाने के सापेक्ष में किए गए थे तथा ये अग्रिम भुगतान की प्रकृति के थे। प्रदान किए गए अग्रिम जुटाव को सीवीसी दिशा-निर्देश के अनुपालन में अग्रिम राशि के 110 प्रतिशत के बराबर राशि की बैंक गारंटी द्वारा कवर किया जाना चाहिए।

2.10.4.9 अपर्याप्त समन्वय तथा निगरानी तंत्र

(ए) बहाली कार्य हेतु संविदा प्रदान करने के लिए अनुमोदन में असाधारण विलम्ब

एनएफएआई में फिल्म सामग्री की बहाली हेतु आरएफपी पहली बार अप्रैल 2017 में जारी किया गया था तथा मंत्रालय से आरएफपी की प्रक्रिया को रोकने के अनुदेश के कारण इसे छोड़ दिया था। मंत्रालय से आगे बढ़ने की अनुमति के पश्चात्, एनएफएआई में फिल्म सामग्री की बहाली हेतु संशोधित आरएफपी नवम्बर 2019 में जारी किया गया था। बोली-कर्ताओं के चयन-पश्चात्, कार्य को करने के लिए बोलीकर्ताओं के ऑन-बोर्डिंग हेतु अनुमोदन एनएफएआई द्वारा पत्र दिनांक 11 नवम्बर 2020 के तहत मंत्रालय से मांगा गया था। तथापि, मंत्रालय ने 18 महीनों के विलम्ब के पश्चात् केवल 4 मई 2022 को ही अपना अनुमोदन प्रदान किया था। इस प्रकार, संविदा प्रदान करने हेतु अनुमोदन प्रदान करने में मंत्रालय द्वारा असाधारण विलम्ब का परिणाम एक पहले से ही विलंबित परियोजना के निष्पादन में अकथनीय विलम्ब में हुआ।

एनएफएआई ने अपने उत्तर (जनवरी 2023) में अनुमोदन प्रक्रिया की समय सीमा को दोहराया तथा प्रक्रिया में असाधारण विलम्ब के कारण प्रस्तुत नहीं किए थे।

(बी) अपर्याप्त मॉनीटरिंग तंत्र

ईएफसी ज्ञापन ने अन्य बातों के साथ साथ उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) के निम्नलिखित कार्यों की अभिकल्पना की:

- (i) मिशन की निगरानी प्रगति
- (ii) निधि आबंटन का अनुमोदन
- (iii) निर्धारित लक्ष्यों का आवधिक रूप से निर्धारण तथा समीक्षा/संशोधन

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि

- (i) एचएलसी की बैठक की आवधिकता स्पष्ट नहीं थी।
- (ii) यद्यपि अगस्त 2015 तथा दिसंबर 2019 के दौरान एचएलसी की आठ बैठक हुई थी फिर भी दिसंबर 2019 के पश्चात् मिशन की प्रगति का निर्धारण तथा समीक्षा हेतु कोई बैठक नहीं की गई थी।

एनएफएआई ने अपने उत्तर (जनवरी 2023) में बताया कि कोविड 19 परिस्थिति के कारण कोई एचएलसी बैठक नहीं की जा सकी थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ऑनलाइन मोड के माध्यम से 2020 तथा 2021 में एचएलसी बैठक करना जारी रख सकता था।

2.10.5 अभिलेख प्रस्तुत न करना

एनएफएआई ने निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए थे:

- (i) प्रशासनिक तथा आर्थिक पहलुओं की समीक्षा हेतु विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट
- (ii) मंत्रालय द्वारा एनएफएआई में फिल्म एवं संबंधित सामग्रियों की स्थिति पर ध्यान देने के लिए गठित तकनीकी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट।

परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा सकी कि एनएफएचएम के अधीन कार्य को सितंबर 2017 में क्यों रोक दिया गया था तथा सितंबर 2018 में दोबारा शुरू किया गया था। इसके अतिरिक्त, योजना के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न प्रशासनिक तथा तकनीकी मुद्दों का पता नहीं लगाया जा सका था।

2.10.6 निष्कर्ष

अपर्याप्त नियोजन, कानूनी ढांचे की कमी, आरएफपी के गलत तैयार करने तथा ठेका समझौता का गलत प्रकार से लागू करने का परिणाम एनएफएचएम योजना के निष्पादन में असाधारण विलम्ब तथा योजना के कथित उद्देश्यों की गैर-प्राप्ति में हुआ। फिल्म स्थिति निर्धारण, फिल्म की रीलों का निवारक संरक्षण, चित्र एवं ध्वनि बहाली, फिल्मी सामग्रियों के डिजिटलीकरण के साथ-साथ फिल्मी एवं गैर-फिल्मी सामग्रियों के भण्डारण हेतु स्थान का प्रावधान लेखापरीक्षा की तिथि (जून 2022) तक अपूर्ण रहा है।

परियोजना के निष्पादन में असाधारण विलम्ब, बोरे के कठोर भण्डारण के कारण फिल्मी सामग्री की लगातार बर्बादी के लिए बाध्य है जिसका परिणाम, बड़े अभिलेखनीय मूल्य वाली फिल्म की रीलों के निरंतर सड़ने में हुआ है। इसके अतिरिक्त, परियोजना की धीमी गति ऐसी सामग्री, जो परियोजना के नियोजन स्तर पर अच्छी स्थिति में थी, की गुणवत्ता को नष्ट कर सकती है।

पैरा मंत्रालय को नवम्बर 2022 तथा फिर फरवरी 2024 में जारी किया गया था। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (01 मार्च 2024)।

2.10.7 सिफारिश:

लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि एनएफएचएम जैसे प्रतिष्ठित परियोजना के पूर्ण निष्पादन की निगरानी करने हेतु एक पर्याप्त एवं मजबूत तंत्र स्थापित करें तथा परियोजना के सभी डिलिवरेबल्स को पूरा करते हुए इसके निष्पादन की गति को तेज करने का प्रयास करना चाहिए जिससे कि आने वाली पीढ़ियों के लिए अपार अभिलेखनीय मूल्य वाली राष्ट्रीय फिल्मी विरासत को संरक्षित रखा जा सके।

मंत्रालय को परियोजना के कार्यान्वयन में विभिन्न स्तरों पर विलंबों की समीक्षा करने तथा विभिन्न डिलिवरेबल्स के निष्पादन हेतु समय-सीमाएं निर्धारित करने की आवश्यकता है क्योंकि परियोजना कार्यान्वयन की प्रारम्भिक समय सीमा पहले ही बीत चुकी है। आगे, इसे परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब हेतु जवाबदेही निर्धारित करनी चाहिए।

(VII) कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय**कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कर्मचारी चयन आयोग****2.11 ठेकेदार को परिहार्य भुगतान**

कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) द्वारा एनआईसी क्लाउड पर अपेक्षित सर्वर तथा आईटी भण्डारण अवसंरचना की उपलब्धता को सुनिश्चित किए बिना मोबाईल ऐप पर अपनी ऑनलाइन सेवाओं को प्रारम्भ करने हेतु समय-आधारित अनुबंध के निष्पादन में उपयुक्त नियोजन की कमी परियोजना कार्यान्वयन में 15.5 महीनों के विलम्ब तथा ठेकेदार को ₹90 लाख के परिणामी परिहार्य भुगतान का कारण बनी।

व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी परामर्श एवं अन्य सेवाओं के प्रापण की नियमपुस्तिका, 2017 (नियमपुस्तिका) के पैराग्राफ 3.2.1 के अनुसार, सामान्य परिस्थितियों में उपार्जन करने वाली संस्था अनुबंध के एक-मुश्त (फर्म के नियत कीमत) प्रकार का उपयोग करेगी। एक-मुश्त परामर्शी अनुबंध नियंत्रण करने में सरल है क्योंकि एक निर्धारित कार्य क्षेत्र के लिए एक निर्धारित कीमत होती है तथा भुगतान स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट परिणामों/पड़ाव/डिलिवरेबल्स जैसे कि रिपोर्ट, दस्तावेज, आरेखणों, मात्रा बिल, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम तथा इसी तरह से जुड़े होते हैं। आगे, नियमपुस्तिका के पैराग्राफ 3.3.1 के अनुसार, जब एक मुश्त अनुबंध सेवाओं का क्षेत्र तथा अवधि को परिभाषित करने में कठिनाइयों के कारण संभव नहीं है तो समय-आधारित (रिटेनरशिप), अनुबंध, जिसमें स्टाफ हेतु भुगतान घण्टों, दैनिक, साप्ताहिक अथवा मासिक आधार पर सहमत होते हैं, उपयुक्त हैं। समय आधारित अनुबंध में समय एवं लागत वृद्धि मुख्य जोखिम हैं क्योंकि भुगतान समय पर आधारित होता है तथा विलम्ब का परिणाम कार्य में विलम्ब होने के अतिरिक्त परामर्शदाता को अप्रत्याशित लाभ में हो सकता है।

उमंग (नव-युग के शासन हेतु एकीकृत मोबाईल एप्लीकेशन) की इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा भारत में मोबाईल गवर्नेंस गतिशील करने के लिए विकसित किया गया है। यह भारतीय नागरिकों को केन्द्र सरकार से स्थानीय निकायों तक के बीच पैन-इंडिया ई-गवर्नेंस सेवाओं तक पहुंच

हेतु एकल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) को भावी उम्मीदवारों की सुविधा के लिए उमंग ऐप के साथ अपनी वैबसाइट पर अपनी सात पहचान की गई सेवाओं अर्थात् (i) नवीनतम समाचार, (ii) परीक्षा की सूचना, (iii) परीक्षा के परिणाम, (iv) परीक्षा कलेण्डर, (v) रिक्त पद, (vi) एक बार पंजीकरण तथा (vii) ऑनलाइन आवेदन का प्रस्तुतीकरण को साझा करना अपेक्षित था। चूंकि एसएससी की ऑनलाइन सेवाओं को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) क्लाउड पर होस्ट किया गया था इसलिए मोबाइल ऐप पर इन सेवाओं को प्रदान करने के कार्य में एनआईसी के साथ समन्वय शामिल था।

एसएससी ने अपनी सात ऑनलाइन सेवाओं को उमंग मोबाइल ऐप इंटरफेस के साथ एकीकृत करने के कार्य हेतु 05 नवम्बर 2019 से प्रतिधारण आधार पर मैसर्स विप्रो लिमिटेड (विप्रो) से पांच आईटी कार्मिकों⁴⁰ को एक वर्ष⁴¹ की अवधि के लिए नियुक्त किया। अभिकरण का चयन यह विचार करते हुए नामांकन आधार पर किया गया था कि विप्रो एसएससी को पहले से ही एंड-टू-एंड आईटी समाधान⁴² प्रदान कर रहा था। कार्य को ₹1.27 करोड़ (सात प्रतिशत एनआईसीएसआई मार्जिन+18 प्रतिशत जीएसटी सहित) की लागत पर एक पृथक परियोजना के रूप में सौंपा गया था।

⁴⁰ ₹1.60 लाख की मानव-माह लागत वाले 0-2 वर्षों के अनुभव के साथ चार सॉफ्टवेयर डेवलेपर तथा ₹1.98 लाख की मानव-माह लागत वाले 3-5 वर्षों के अनुभव के साथ एक डेवलेपर।

⁴¹ उमंग मोबाइल ऐप एकीकरण हेतु प्रयास आकलन के दस्तावेज के अनुसार 05 संसाधनों को पांच माह के समाधान के विकास हेतु प्रक्षेपित किया गया था। उन्ही संसाधनों को विकसित समाधान की सहायता तथा अनुरक्षण हेतु अतिरिक्त सात महीनों के लिए प्रक्षेपित किया गया था।

⁴² एसएससी ने क्लाइंट संगठनों जैसे कि मंत्रालयों से रिक्तियों की प्राप्ति से शुरू होकर परिणामों की घोषणा, इन संगठनों को चयनित उम्मीदवारों की सूची तथा दस्तावेजों की सुपुदगी, योग्यता सूची का संशोधन तथा विभिन्न रिक्तताओं को उम्मीदवारों का आंबटन, यदि अपेक्षित है, तक एक एकीकृत आईटी प्रणाली सृजित करने हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र सेवाएं निगमित (एनआईसीएसआई) के माध्यम से अप्रैल 2017 से विप्रो को नियुक्त किया था। कार्य को तीन चरणों अर्थात् (i) नए पोर्टल के प्री-लाइव हेतु ऑनसाइट समर्थन (सिस्टम जैसा है), (ii) नए पोर्टल का कार्यान्वयन तथा (iii) नए पोर्टल के पोस्ट-गो-लाइव हेतु ऑनलाइन समर्थन में विभाजित किया गया था। प्रथम दो चरणों हेतु भुगतान डिलिवरेबल्स के समापन पर एकमुश्त आधार पर किया जाना था। तीसरे चरण के लिए, नए पोर्टल के पोस्ट-गो-लाइव के ऑनलाइन समर्थन हेतु चार संसाधनों को उपलब्ध कराया जाना था। तथापि, बढ़े हुए कार्यभार पर विचार करते हुए आनसाइट समर्थन हेतु दल की संख्या को मार्च 2018 से चार से दस तक बढ़ा दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- जबकि एसएससी के पास एंड-टू-एंड आईटी समाधान को संभाल रहे मौजूदा आईटी कार्मिकों द्वारा तैयार कार्य का प्रयास आकलन था फिर भी एनआईसी-क्लाउड पर अपेक्षित अवसंरचना हेतु ऐसा आकलन नई श्रमशक्ति को नियुक्त करने से पहले नहीं किया गया था। एसएससी की ऑनलाइन सेवाओं का उमंग के साथ एकीकरण हेतु नियुक्त दल के लिए केवल न्यूनतम अवसंरचना उपलब्ध थी जो ऐप के साथ सभी सात सेवाओं के एकीकरण हेतु पर्याप्त नहीं थी।
- एसएससी ने 09 जनवरी 2020 को अर्थात् डेवलपर्स की नियुक्ति के दो महीनों के पश्चात् एनआईसी-क्लाउड (सर्वर, स्टोरेज, रेम तथा सीपीयू वाली वर्चुअल मशीनें) पर अतिरिक्त संसाधनों की मांग प्रस्तुत की। तथापि, एनआईसी ने इसको सलाह दी कि अतिरिक्त संसाधनों को विनिर्दिष्ट क्लाउड इकाई जिसने संसाधन क्षमता को पार कर लिया था पर आबंटित नहीं किया जा सकता था। तदनुसार, एसएससी ने एक अलग एनआईसी क्लाउड इकाई, जिस पर इसकी सेवा का स्थानांतरण कर दिया गया था, पर 09 दिसंबर 2020 को अतिरिक्त संसाधनों हेतु नई मांग प्रस्तुत की। अतिरिक्त संसाधनों को 02 फरवरी 2021 को अर्थात् श्रमशक्ति की नियुक्ति के 14 महीनों के पश्चात्, उपलब्ध कराया गया था।
- सातवीं सेवा अर्थात् ऑनलाइन आवेदनों का प्रस्तुतीकरण का प्रमोचन केवल तभी संभव था जब एसएससी द्वारा परीक्षा का एक नयी सूचना जारी की जाए। उमंग पर सेवाओं के एकीकरण के पश्चात् परीक्षा हेतु पहली ऐसी सूचना जुलाई 2021 में जारी की गई थी।
- अवसंरचना तथा परीक्षा की सक्रिय सूचना की अनुपलब्धता ने उमंग मोबाईल ऐप के साथ एसएससी की ऑनलाइन सेवाओं के एकीकरण को प्रभावित किया। सात सेवाओं में से, प्रथम पांच सेवाओं को 29 अप्रैल 2020 को उमंग पर सक्रिय किया गया था तथा शेष दो सेवाओं 'एक-बार पंजीकरण' तथा 'ऑनलाइन आवेदनों का प्रस्तुतीकरण' को क्रमशः 09 दिसंबर 2020 तथा 22 जुलाई 2021 को सक्रिय किया गया था। इस प्रकार, मोबाईल ऐप के साथ सभी सात

सेवाओं के एकीकरण हेतु एप्लीकेशन विकास के संपूर्ण कार्य को समाप्त करने के लिए पांच महीनों की निर्धारित समय सीमा अर्थात् 04 अप्रैल 2020 तक, के परे लगभग 15.5 महीनों का विलम्ब था।

हालांकि उमंग ऐप एकीकरण हेतु कार्मिक को समय-आधारित अनुबंध पर नियुक्त किया गया था फिर भी एसएससी द्वारा उनकी सेवाओं को 20 जुलाई 2021 अर्थात् बारह महीनों की निर्धारित नियुक्ति के समापन के परे 8.5 महीनों तक बढ़ाया गया था। इसका परिणाम ₹90.00 लाख⁴³ के अतिरिक्त व्यय में हुआ।

मामले को जुलाई 2022 में विभाग के संज्ञान में लाया गया था। विभाग ने एसएससी के उत्तर (अक्टूबर 2022) को अग्रेषित किया जिसने बताया कि समय-आधारित अनुबंध को प्राथमिकता दी गई थी क्योंकि इन कार्मिकों को उमंग ऐप के साथ अपनी सेवाओं के एकीकरण के साथ-साथ आयोग के बढ़े हुए कार्यभार के कारण नियुक्त किया गया था। जबकि उमंग ऐप के साथ सेवाओं के एकीकरण में विलम्ब था फिर भी संसाधनों का एसएससी द्वारा अपने दैनिक प्रचालनों में उपयोग किया गया था। आगे, प्रचलित कोविड-19 परिस्थिति भी कार्य के निष्पादन में विलम्ब का एक कारण था। एसएससी ने यह भी सूचित किया कि एनआईसी क्लाउड पर सर्वरों तथा स्टोरेज की आवश्यकता पर महत्वपूर्ण निर्भरता पर विचार करना संभव नहीं था जिसे केवल आईटी पेशेवरों द्वारा ही किया जा सकता था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि 12 महीनों के लिए पांच कार्मिकों को नियुक्त करने का निर्णय केवल विप्रो द्वारा प्रस्तुत उमंग मोबाइल ऐप एकीकरण तथा अनुरक्षण हेतु श्रमशक्ति आवश्यकता पर आधारित था। पांच डेवलपर्स को नियुक्त करने का मूल आधार यह था कि उमंग के साथ एसएससी की सेवाओं का एकीकरण करने के नए कार्य को एक पृथक परियोजना के रूप में माना गया था। परिनियोजन योजना के साथ-साथ गतिविधियां जिनके लिए इन पांच संसाधनों को नियुक्त किया गया था, उपलब्ध नहीं थे। आगे, एसएससी के दैनिक कार्यों हेतु सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को नियुक्त करने का कोई औचित्य नहीं था। सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017

⁴³ ₹1,27,06,427 x 8.5 महीने/12 महीने = ₹90,00,386 इसमें से एसएससी ने एनआईसीएसआई को ₹45,00,194 पहले ही जारी कर दिए हैं। आगे, कार्य (अगस्त 2021) के संतोषजनक समापन हेतु प्रमाण-पत्र के सापेक्ष में ₹45,00,192 के शेष भुगतान को जारी करने का निर्णय को लंबित लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के कारण स्थगित रखा गया है।

(जीएफआर) का नियम 178 मंत्रालयों/विभागों को एक विनिर्दिष्ट कार्य, के लिए बाह्य पेशेवरों/परामर्शदाताओं को नियुक्त करने की अनुमति देता है, जो इसके विषयों तथा समापन की समय-सीमा के संदर्भ में अच्छी तरह से परिभाषित है। इस प्रकार, एसएससी ने डेवलेपरों की नियुक्ति करते समय जीएफआर के निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, एसएससी ने आईटी परामर्शदाताओं के दल की संख्या को पहले ही मार्च 2018 से चार से दस तक बढ़ा दिया था। इसलिए, एसएससी का यह उत्तर कि इसके पास उमंग के साथ अपनी सेवाओं के एकीकरण हेतु अपेक्षित अवसंरचना का निर्धारण करने हेतु आईटी पेशेवर नहीं थे, भी सही नहीं है। कोविड की शुरुआत के कारण विलम्ब के संबंध में, कोविड के कारण लॉकडाउन मार्च 2020 से शुरू हुआ था जबकि परियोजना का समापन समय अप्रैल 2020 था। तो कोविड के कारण मुश्किल से एक माह प्रभावित हुआ था जबकि विलम्ब आठ महीनों का था।

एसएससी एकमुश्त अनुबंध के अधीन उमंग ऐप के साथ अपनी सेवाओं के एकीकरण के साथ भुगतानों के निर्गम को जोड़कर तथा अपेक्षित अवसंरचना एवं सक्रिय परीक्षा सूचना, जिस पर कार्य का निष्पादन निर्भर था, की उलब्धता को सुनिश्चित करने के पश्चात् डेवलेपरों के परिनियोजन की योजना करके कार्य के निष्पादन में विलम्ब के कारण ₹90.00 लाख के अतिरिक्त व्यय से बच सकता था।

(VIII) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

2.12 आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण एवं ज्ञान जागरूकता (संकल्प)

संकल्प की योजना पुनर्निर्माण एवं विकास हेतु अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से ऋण सहायता से गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से अल्पावधि कौशल प्रशिक्षण को सुधारने के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में की गई थी। कुल परिव्यय यूएस \$675 मिलियन (₹4,455 करोड़) था। फिर भी, 2017-18 तथा 2023-24 (अक्टूबर 2023 तक) के बीच की अवधि के दौरान बजट प्रावधानों के सापेक्ष में केवल 44 प्रतिशत का संवितरण किया गया। भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की गति धीमी रही एवं कार्यान्वयन कार्यनीति में मौजूदा प्रावधानों के आवश्यक अनुपालन का अभाव था।

2.12.1 प्रस्तावना

आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण एवं ज्ञान जागरूकता (संकल्प/योजना) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमओएसडीई) की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जिसका पुनर्निर्माण एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय बैंक (बैंक) से ऋण सहायता से उद्देश्य संस्थानों को सुदृढ़ बनाने, बेहतर बाजार संपर्क लाने तथा समाज के सीमांत वर्ग को शामिल करने के माध्यम से गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से अल्पावधि कौशल प्रशिक्षण को सुधारना है।

आर्थिक कार्य की कैबिनेट समिति ने यूएस \$ 675 मिलियन (₹4,455 करोड़) के कुल परिव्यय सहित योजना के कार्यान्वयन को अनुमोदित किया (अक्टूबर 2017) जिसे तीन मुख्य भागों नामतः यूएस \$ 500 मिलियन (₹3300 करोड़) का विश्व बैंक ऋण, यूएस \$ 100 मिलियन (₹660 करोड़) की राज्य क्षमता तथा यूएस \$ 75 मिलियन (₹495 करोड़) की उद्योग क्षमता में वित्त पोषित किया जाना था। योजना 19 जनवरी 2018 को 2017-18 से 2022-23 तक छः वर्षों की कार्यान्वयन अवधि सहित प्रमोचित की गई थी। योजना को 31 मार्च 2024 तक बढ़ाया गया है फिर भी लेखापरीक्षा निष्कर्षों को मार्च 2022 तक शामिल किया गया है।

योजना के घटक: संकल्प ने चार मुख्य परिणाम घटकों⁴⁴ की परिकल्पना की:

- **परिणाम क्षेत्र 1-** राष्ट्र एवं राज्य स्तरों पर संस्थागत सुदृढ़ता - बाजार संबंधी प्रशिक्षण का नियोजन, आपूर्ति एवं निगरानी के मार्गदर्शन हेतु।
- **परिणाम क्षेत्र 2-** कौशल विकास कार्यक्रमों की बेहतर गुणवत्ता एवं बाजार प्रासंगिकता।
- **परिणाम क्षेत्र 3 -** महिला प्रशिक्षणार्थियों एवं अन्य वंचित समूहों के लिए कौशल प्रशिक्षण तक बेहतर पहुंच एवं पूर्णता।
- **परिणाम क्षेत्र 4 -** निजी-सार्वजनिक भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण को बढ़ाना।

⁴⁴ निजी-सार्वजनिक भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से चौथे घटक नामतः कौशल प्रशिक्षण को बढ़ाना, को दिसम्बर 2020 में रद्द कर दिया गया।

2.12.2 वित्तीय सम्भावनाएं

2.12.2.1 बजटीय आवंटन एवं निधियों का संवितरण

2017-18 एवं 2023-24 (दिसम्बर 2023 तक) के बीच बजटीय आवंटन एवं निधियों के संवितरण का विवरण तालिका सं. 2.7 में दिया गया है:

तालिका सं. 2.7: 2017-18 से 2023-24 के दौरान बजटीय आवंटन एवं संवितरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट आवंटन	संशोधित आवंटन	संवितरित
2017-18	15.00	15.00	19.13
2018-19	150.00	75.00	70.80
2019-20	200.00	215.00	201.37
2020-21	500.00	185.00	151.95
2021-22	271.00	193.47	129.86
2022-23	300.00	207.68	170.90
2023-24	488.08	244.00	106.70
कुल	1924.08	1135.15	850.71

स्रोत: कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय का पत्र दिनांक 27.02.2024

इस प्रकार, 2017-18 से 2023-24 (दिसम्बर 2023 तक) की अवधि के दौरान एमओएसडीई द्वारा संकल्प के तहत कुल ₹1924 करोड़ के बजट प्रावधान के सापेक्ष में केवल ₹850.71 करोड़ (44 प्रतिशत) संवितरित किया गया था।

2.12.2.2 योजना की धीमी प्रगति

समय-सीमा के अनुसार, योजना को मार्च 2023 तक पूरा किया जाना था, हालांकि योजना के मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया था। यूएस \$ 250 मिलियन के सहमत ऋण की पहली किश्त के सापेक्ष में, बैंक ने यूएस \$ 214.45 मिलियन अर्थात् ₹1606.15 करोड़ (86 प्रतिशत) संवितरित किया जिसमें से एमओएसडीई ने दिसम्बर 2023 तक ₹850.71 करोड़ संवितरित किए हैं। योजना की धीमी प्रगति का एक कारण ऋण शुरू होने से पहले एमओएसडीई की गैर-तैयारी था। बैंक ऋण अनुबंध के अनुसार, एमओएसडीई को योजना के शुरू होने के समय ऋण की तैयारी एवं

परियोजना की तैयारी के भाग के रूप में निम्नवत गतिविधियों को पूरा करना अपेक्षित था जिसका विवरण तालिका सं. 2.8 में दिया गया है:

तालिका सं. 2.8: योजना के शुरू होने में विलम्ब

मंत्रालय द्वारा परियोजना की तैयारी का कार्य	योजना की प्रारम्भ तिथि से पहले सहमत समय-सीमा	निष्पादन की वास्तविक तिथि	मंत्रालय द्वारा बताए गए कारण
एक परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) स्थापित करना	जनवरी 2018	16 नवम्बर 2018 (11 महीने का विलम्ब)	मंत्रालय ने बताया कि पीएमयू हेतु ईओआई 18 नवम्बर 2017 को प्रकाशित की गई थी एवं अन्सर्ट एंड यंग का चयन 16 नवम्बर 2018 को किया गया था।
परियोजना कार्यान्वयन ढांचा को अंतिम रूप देना	फरवरी 2018	8 मई 2019 (16 महीने का विलम्ब)	मंत्रालय द्वारा विलम्ब हेतु कोई भी विशिष्ट कारण प्रस्तुत नहीं किए गए।
एसआईजी नियमावली तैयार करना	जून 2018	31 दिसम्बर 2018 (6 महीने का विलम्ब)	मंत्रालय ने विलम्ब को स्वीकार करते हुए बताया (नवम्बर 2022) कि राज्यों से डाटा का संग्रह एवं सत्यापन समय लेने वाली प्रक्रिया थी।
विस्तृत वित्तीय प्रबंधन दिशा-निर्देशों का विकास	जून 30 2018	1 अगस्त 2019 (13 महीने का विलम्ब)	एमओएसडीई ने दिनांक 14 दिसम्बर 2018 के करार द्वारा दिशा-निर्देशों के विकास हेतु राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एनआईएफएम) को शामिल किया तथा 1 अगस्त 2019 को पूरा किया।
स्वतंत्र सत्यापन अभिकरण की नियुक्ति पूर्ण करना	अप्रैल 30 2018	10 अप्रैल 2019 (1 वर्ष का विलम्ब)	नियुक्ति हेतु एक्सप्रेसन ऑफ इंट्रस्ट 23 अक्टूबर 2017 को प्रकाशित किया गया था। करार पर 10 अप्रैल 2019 को हस्ताक्षर किए गए थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ऋण अनुबंध में दी गई निर्धारित समय-सीमा के सापेक्ष में छः से 16 महीने के बीच के विलम्ब के कारण योजना के शुरू होने में अनुचित विलम्ब था।

मंत्रालय ने बताया कि 2017 से 2023 तक संकल्प की छः वर्ष की कार्यान्वयन अवधि में से दो वर्ष कोविड-19 महामारी के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों के कारण बहुत प्रभावित हुए थे जिससे सभी कौशल गतिविधियां रुक गई थी। फिर भी,

लॉकडाउन एवं अन्य प्रतिबंधों के हटने के बाद राज्यों ने गति पकड़ी है एवं गतिविधियां को कार्यान्वित तथा संस्वीकृत निधियां का उपयोग कर रहे हैं।

मंत्रालय का उत्तर प्रासंगिक नहीं है क्योंकि कोविड महामारी मार्च 2020 में प्रारम्भ हुई जबकि लेखापरीक्षा ने प्रारम्भिक गतिविधियों में विलम्ब को इंगित किया है जो उस अवधि के पहले की थी।

2.12.2.3 विभिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों के पास कुल ₹297.22 करोड़ की निधियों को रखना

मार्च 2022 तक, विभिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों को जारी ₹571.84 करोड़ में से केवल कुल ₹273.04 करोड़ का व्यय किया गया, जिसका परिणाम कार्यान्वयन अभिकरणों के पास कुल ₹297.22 करोड़ की निधि को रखने में हुआ जैसा कि तालिका सं. 2.9 में विवरण दिया गया है:

तालिका सं. 2.9: मार्च 2022 तक निधियों का संवितरण एवं उपयोग

(₹ करोड़ में)

निम्न के लिए संवितरण	केन्द्रीय अंश (एमओएसडीई द्वारा संवितरित राशि)	व्यय-जून 2022 तक प्राप्त यूसी के अनुसार	अभ्यर्पित निधियां	शेष/ अप्रयुक्त निधियां
राष्ट्रीय घटक	282.25	207.08	1.58	73.59
राज्य घटक	289.59	65.96	-	223.63
कुल	571.84	273.04	1.58	297.22

लेखापरीक्षा ने भी पाया कि एमओएसडीई ने एनएसडीसी को दो परियोजनाओं⁴⁵ के लिए ₹1.42 करोड़ एवं ₹5.60 करोड़ का सम्पूर्ण अनुदान जारी किया जिसने अगस्त 2022 तक कोई भी व्यय नहीं किया था। इस प्रकार, एमओएसडीई का जल्दी एवं अपर्याप्त निगरानी में कुल निधियों को जारी करने का परिणाम निधियों को रखने एवं उद्देश्यों की गैर-प्राप्ति में हुआ।

⁴⁵ एक व्यापक श्रम बाजार सूचना प्रणाली (एलएमआईएस) विकसित करना एवं 30 सर्वोत्तम निष्पादन करने वाले जन शिक्षण संस्थान को सुदृढ करना।

एमओएसडीई ने अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए बताया (नवम्बर 2022) कि कम व्यय राज्य राजकोष से निधियों के जारी करने में विलम्ब एवं कोविड-19 महामारी के कारण हुआ।

कोविड महामारी मार्च 2020 में शुरू हुई तथा योजना जनवरी 2018 में प्रारम्भ हुई तथा निधियां 2018-19 से जारी की गईं। इसलिए, लेखापरीक्षा की राय है कि कमजोर निगरानी का परिणाम निधियों को रखने में हुआ।

2.12.2.4 निधियों का विपथन

लेखापरीक्षा ने पाया कि संकल्प के अधीन आवंटित निधियों का उन गतिविधियों के लिए विपथन किया गया था जो संकल्प से संबंधित नहीं थी जैसाकि तालिका सं. 2.10 में विवरण दिया गया है:

तालिका सं. 2.10: निधि का विपथन

क्र. सं.	कार्यान्वयन अभिकरण का नाम	अनुपालन मानदंड	उद्देश्य जिसके लिए निधियों का विपथन किया गया	राशि ₹ में
1.	राष्ट्रीय अनुदेशनात्मक मीडिया संस्थान (एनआईएमआई)	एमओएसडीई तथा एनआईएमआई के बीच किए गए एमओयू की भुगतान शर्तों के अनुसार, कार्यान्वयन सहायता कुल परियोजना लागत के 8 प्रतिशत की निर्धारित दर पर प्रदान की जाएगी जिसके लिए सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। एमओयू में बिल्डिंग के किराए के प्रावधान का कोई उल्लेख नहीं है।	अप्रैल 2020 से जून 2022 तक की अवधि हेतु पीटीआई भवन को अदा किया गया किराया।	9,94,65,578
2.	राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी)	संकल्प के कैबिनेट नोट के अनुसार, एनएसडीसी की भूमिका उद्योग भागीदारी को बढ़ावा देकर, एसएससी को विकासशील करके तथा निजी प्रदाताओं द्वारा प्रदान किए गए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों को कार्यान्वित करके एक व्यवहार्य कौशल पारिस्थितिकी तंत्र सृजित करने की है।	2018-19 से 2020-21 तक की अवधि के दौरान पीटीआई भवन को अदा किया गया किराया, पानी शुल्क, रखरखाव शुल्क तथा 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान पीटीआई भवन में नवीकरण कार्य	3,32,55,877

क्र. सं.	कार्यान्वयन अभिकरण का नाम	अनुपालन मानदंड	उद्देश्य जिसके लिए निधियों का विपथन किया गया	राशि ₹ में
3.	संकल्प में से एमओएसडीई के नीति स्कंध द्वारा किया गया व्यय	संकल्प का तकनीकी सहायता (टीए) घटक, एमओएसडीई में एक पीएमयू स्थापित करने स्वतंत्र जांच अभिकरण (आईवीए) की नियुक्ति, प्रभाव मूल्यांकन तथा तृतीय दल निर्धारणों के माध्यम से क्षमता निर्माण के लिए है।	संकल्प के अलावा योजनाओं के तृतीय दल मूल्यांकन पर किया गया व्यय (अर्थात् राष्ट्रीय उद्यमशीलता पुरस्कार योजना, पीएम युवा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जन शिक्षा संस्थान, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का उन्नयन, वामपंथी अतिवादी जिला कौशल विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना एवं मौजूदा सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का उन्नयन आदि)	84,24,728
कुल				14,11,46,183

एमओएसडीई ने बताया (नवम्बर 2022) कि संकल्प के अधीन प्रभारित किए जा रहे किराए का भुगतान केवल संकल्प दल द्वारा अधिकृत कार्यालय स्थान के लिए है न कि एमओएसडीई के अन्य विंग के लिए तथा संकल्प निधियों में से नीति स्कंध विंग के लिए व्यय केवल एक बार की आंतरिक व्यवस्था के लिए थी। उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि कुल ₹14.11 करोड़ की संकल्प निधियों का उन गतिविधियों के लिए विपथन किया गया था जो संकल्प दिशा-निर्देशों, एमओयू, कैबिनेट नोट एवं योजना के तकनीकी सहायता घटक द्वारा समर्थित नहीं थी।

2.12.2.5 बैंक को प्रतिबद्धता प्रभारों का परिहार्य भुगतान

ऋण अनुबंध के अनुच्छेद II की धारा 2.4 के अनुसार ऋणी द्वारा देय प्रतिबद्धता प्रभार अनाहरित ऋण शेष पर प्रतिवर्ष एक प्रतिशत के एक चौथाई (0.25 प्रतिशत) के बराबर होगा।

भारत सरकार ने 2017-18 एवं 2021-22 की अवधि के दौरान गैर-निर्गत ऋण शेष पर कुल ₹12.06 करोड़ के प्रतिबद्धता प्रभार अदा किए गए। इससे बचा जा सकता था यदि योजना के ऋण तैयारी से पहले समय-सारणी का पालन किया होता एवं निगरानी की गई होती तथा योजना की प्रगति की गति को बढ़ाया होता।

एमओएसडीई ने बताया (नवम्बर 2022) कि यदि निधियों का संवितरण विश्व बैंक द्वारा किया गया होता तो उस पर 4.17 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज प्रभार लगता। ब्याज देयता की लागत विश्व बैंक को अदा किए गए प्रतिबद्धता प्रभारों से अधिक होगी।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि असंवितरित ऋण राशि पर प्रतिबद्धता प्रभार ब्याज देयता से अधिक है। इसके अतिरिक्त, ऋण अनुबंध के परिशोधन अनुसूची के अनुसार, ब्याज देयता केवल 15 अगस्त 2023 से शुरू होकर 15 अगस्त 2034 तक है।

2.12.3 योजना का कार्यान्वयन

2.12.3.1 राष्ट्रीय घटक

(ए) राष्ट्रीय घटक कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाओं का कार्यान्वयन एमओएसडीई के परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) ने विभिन्न राष्ट्रीय अभिकरणों⁴⁶ के माध्यम से कार्यान्वित किए जाने वाले राष्ट्रीय घटक के अधीन कुल ₹635.05 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ 38 परियोजनाओं को अनुमोदित किया। विवरण का सार तालिका सं. 2.11 में दिया गया है:

⁴⁶ राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी), एनआईएमआई, राष्ट्रीय उद्यमशीलता एवं लघु व्यापार विकास संस्थान (एनआईईएसबीयूडी), क्षेत्र कौशल परिषद (एसएससी), भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी)।

तालिका सं. 2.11: मार्च 2022 तक परियोजनाओं को कार्यान्वित करने वाले राष्ट्रीय अभिकरणों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राष्ट्रीय कार्यान्वयन अभिकरण का नाम	परियोजना की सं.	प्रतिबद्ध लागत	जारी निधियों की राशि	किया गया व्यय	अभ्यर्पित निधियां	शेष निधियां
1.	एनएसडीसी	17	300.87	140.53	81.32	1.58	57.63
2.	एनआईएमआई	1	229.86	56.36	47.80	0	8.56
3.	एनआईईएसबीयूडी एवं 6 एसएससी	3	25.15	7.40	0	0	7.40
4.	टीए घटक-एनआईएफएम अन्सर्ट एंड यंग, आईआईएम इंदौर	5		19.42	19.42	0	0
5.	एनआईसीएसआई, आईआईएम, आईआईटी एसएससी, राज्य कार्यान्वयन अभिकरण, विज्ञापन, इग्नू	12	79.17	58.54	58.54	0	0
	कुल	38	635.05	282.25	207.08	1.58	73.59

स्रोत: कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय का पत्र दिनांक 27.05.2022

38 परियोजनाओं में से 12 परियोजनाएं पूर्ण हो गई थीं जबकि 26 परियोजनाएं मार्च 2022 तक प्रगति पर थीं।

एनएसडीसी ने सात परियोजनाओं पर कोई व्यय नहीं किया जिसके लिए दिसम्बर 2021 एवं मार्च 2022 की अवधि के दौरान निधियां जारी की गई थीं।

(i) कौशल भारत पोर्टल का विकास

कौशल पारिस्थितिकी तंत्र की गतिशील प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अगली पीढ़ी विकास प्रबंधन प्रणाली (बाद में कौशल भारत पोर्टल कहा गया) को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को और कुशल बनाने के उद्देश्य से प्रस्तावित किया गया था। एनएसडीसी के उपरोक्त प्रस्ताव को एमओएसडीई द्वारा अपने प्रथम कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) में विश्व बैंक

निधि से ₹50 करोड़ के अनुमानित बजट के साथ अनुमोदित किया गया था (04 दिसम्बर 2017)।

संकल्प के शुरू होने से पहले एनएसडीसी ने 12 फर्मों को एक्सप्रेसन ऑफ इंटरस्ट जारी किया था (08 नवम्बर 2016)। तकनीकी रूप से केवल मै. आईबीएम योग्य था। मै. आईबीएम के साथ कौशल भारत पोर्टल हेतु (15 नवम्बर 2017) नौ महीने प्लस नौ महीने (लाइव जाने हेतु) में पूरा करने की लक्षित तिथि सहित ₹70.27 करोड़ का एक अनुबंध किया गया था।

करार की अवधि के दौरान, एनएसडीसी ने मार्च 2019 एवं अप्रैल 2022 के बीच की अवधि के दौरान मै. आईबीएम द्वारा पहुंच एवं कार्यप्रणाली, प्रदेय की गुणवत्ता, इसकी पूर्णता और पड़ाव की समयोचित सुपुर्दगी पर अपनी असंतुष्टि अभिव्यक्त की थी। 20 अप्रैल 2022 को आयोजित 103वीं एनएसडीसी की बोर्ड बैठक में ट्रॉस न्यूरॉन टेक्नोलॉजीस (टीएनटी) मै. आईबीएम के उप-ठेकेदार को एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया गया था। बाद में, मै. आईबीएम के साथ अनुबंध को 05 मई 2022 से समाप्त कर दिया गया था।

एनएसडीसी की खरीद पुस्तिका की धारा 31.1, जिसमें यह बताया गया था कि बोली पश्चात् बातचीत को अक्सर भ्रष्टाचार के स्रोत के रूप में समझा जाता है, में यह सिफारिश की गई थी कि तकनीकी रूप से योग्य बोलीकर्ता के साथ बोली पश्चात् कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि बोली पश्चात् व्यापक बातचीत हुई एवं अनुबंध पर हस्ताक्षर होने तक अर्थात् 15 नवम्बर 2017 तक कार्य की विवरणी (एसओडब्ल्यू) और संदर्भ की शर्तों (टीओआर) को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका था। मै. आईबीएम द्वारा प्रस्तुत वित्तीय बोली, जिसे 18 मई 2017 को खोला गया था, को परियोजना के कार्य क्षेत्र में काफी परिवर्तन के कारण अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय ₹62.42 करोड़ से ₹70.27 करोड़ तक बोली के प्रस्तुतीकरण के बाद दो बार बदला गया था। एनएसडीसी ने अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए बताया (जुलाई 2022) कि बातचीत के दौरान कार्य क्षेत्र में परिवर्तन हुआ जिससे वित्तीय बोली में परिवर्तन हुआ।

(बी) सेवा प्रभारों का परिहार्य व्यय

महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप (एमजीएनएफ) को एमओएसडीई द्वारा दो वर्ष के शैक्षणिक कार्यक्रम के रूप में भारतीय प्रबंधन संस्थान, बेंगलूरु द्वारा जिला प्रशासन के साथ भौतिक व्यावहारिक अनुभव के अंतः निर्मित घटक सहित शैक्षणिक रूप से प्रबंधित किया जाने के लिए शुरू किया गया। 13 नवम्बर 2019 को आयोजित 5^{वीं} पीएबी बैठक ने संकल्प के अंतर्गत एक कार्यान्वयन साझेदार के रूप में एमओएसडीई के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुदेशात्मक मीडिया संस्थान (एनआईएमआई), चेन्नई, एक स्वायत्त संस्थान, को स्थापित करने हेतु सैद्धान्तिक अनुमोदन दिया।

एमओयू पर जनवरी 2020 में एनआईएमआई संकल्प प्रकोष्ठ के गठन हेतु हस्ताक्षर किए गए जिसमें यह सहमति बनी कि एनआईएमआई शोध छात्रों को वित्तीय भुगतानों के रूप में प्रशासनिक सहायता प्रदान करेगा तथा उनको वह तार्किक सहायता प्रदान करेगा जिसके लिए एनआईएमआई को कुल परियोजना लागत के आठ प्रतिशत की निर्धारित दर का सेवा प्रभार प्रदान किया जाना था। एमजीएनएफ फेज I 75 शोध छात्रों को तैनात करते हुए दो वर्ष की अवधि हेतु मार्च 2020 से प्रारम्भ हुआ। तत्पश्चात् एमओएसडीई ने नौ आईआईएम⁴⁷ जो एमजीएनएफ फेस-II के लिए शैक्षणिक साथी थे, से 662 शोध छात्रों को तैनात करते हुए देश के सभी जिलों में एमजीएनएफ फेस-II का विस्तार किया।

75 शोध छात्रों के लिए पहले एवं दूसरे वर्ष हेतु एमजीएनएफ फेस-I के लिए कार्यान्वयन लागत ₹14.87 करोड़ परिकल्पित की गई एवं 10 फरवरी 2020 को ₹13.50 करोड़ की दो किश्तों में जारी की गई तथा ₹1.37 करोड़ की शेष राशि को ₹29.29 करोड़ की फेस-II पहली अग्रिम किश्त में शामिल किया गया जो कुल ₹30.66 करोड़ थी।

एनआईएमआई को फेस-I में ₹1.10 करोड़ एवं फेस-II के लिए ₹2.15 करोड़ के आठ प्रतिशत सेवा प्रभारों का भुगतान किया गया। इस प्रकार, फरवरी 2020 से

⁴⁷ आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम लखनऊ, आईआईएम कोझीकोड, आईआईएम विशाखापट्टनम, आईआईएम उदयपुर, आईआईएम नागपुर, आईआईएम रांची, आईआईएम जम्मू एवं आईआईएम बेंगलूरु।

फरवरी 2022 तक की अवधि के दौरान ₹3.25 करोड़ सेवा प्रभार के रूप में प्रदान किए गए। लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि एमओएसडीई से एनआईएमआई द्वारा प्राप्त वार्षिक अनुदान ₹ तीन करोड़ था जबकि 2020-22 की अवधि के दौरान एमओएसडीई द्वारा भुगतान किया गया सेवा प्रभार ₹3.25 करोड़ था। लेखापरीक्षा की राय है कि आठ प्रतिशत सेवा प्रभारों के भुगतान हेतु शर्त एमओयू में शामिल नहीं की जानी चाहिए थी क्योंकि एनआईएमआई एक स्वायत्त निकाय होने के कारण उसके पास एमओएसडीई की बजटीय सहायता (विश्व बैंक द्वारा प्रदान किए गए ऋण पर) थी। तदनुसार ₹3.25 करोड़ की राशि के सेवा प्रभारों के भुगतान से बचा जा सकता था।

अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए एमओएसडीई ने बताया (नवम्बर 2022) कि जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा सिफारिश की गई है, संकल्प के अंतर्गत कार्यान्वयन हेतु एनआईएमआई को प्रदान की जाने वाली भविष्य की परियोजनाओं में भुगतान के लिए सेवा प्रभारों पर सहमति नहीं दी जाएगी।

2.12.3.2 राज्य संघटक

(ए) राज्य अंश का गैर निर्गम तथा राज्य के राजकोष में निधियों का अवरोधन:

वित्तीय प्रबंधन नियम पुस्तिका की धारा 3.2 (ii) एवं (iii) के अनुसार, राज्य केन्द्र सरकार से 60 प्रतिशत⁴⁸ आवंटन के सापेक्ष में 40 प्रतिशत⁴⁹ राज्य अंश का अंशदान करेंगे। राज्य अंश को राष्ट्रीय संघटक के निर्गम के एक माह के भीतर जारी किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 31 राज्यों/यूटी में से दो राज्यों अर्थात् तेलंगाना (राज्य अंश ₹5.52 करोड़) तथा मिजोरम (राज्य अंश ₹0.20 करोड़) ने 31 मार्च 2022 तक क्रमशः 15 तथा 14 महीनों के बीत जाने के पश्चात् भी अपने राज्य अंश का अंशदान नहीं दिया था। आगे, चार राज्यों अर्थात् महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश तथा

⁴⁸ पूर्वोत्तर तथा विशेष श्रेणी के राज्यों हेतु जीओआई से 90 प्रतिशत।

⁴⁹ पूर्वोत्तर तथा अन्य विशेष श्रेणी के राज्यों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखण्ड के मामले में 10 प्रतिशत।

पश्चिम बंगाल ने अपने अंश का आंशिक रूप से अंशदान दिया था। जबकि एमओएसडीई ने इन छः राज्यों को केन्द्रीय अंश के रूप में ₹74.31 करोड़ का संवितरण किया था फिर भी राज्य के राजकोषों द्वारा संबंधित राज्य कौशल विकास मिशनों (एसएसडीएम) को केवल ₹41.05 करोड़ का संवितरण किया गया था जिसका परिणाम राज्य के राजकोष में ₹33.26 करोड़ की निधियों के अवरोधन में हुआ। ब्योरे **अनुलग्नक 2.9** में दिए गए हैं।

एमओएसडीई ने अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए बताया (नवम्बर 2022) कि मध्य प्रदेश, मिजोरम तथा पश्चिम बंगाल ने राज्य के राजकोष से निधियां प्राप्त की थी जबकि महाराष्ट्र, पंजाब तथा तेलंगाना को राज्य के राजकोष में अभी भी पड़े केन्द्रीय अंश को वापस भारत की समेकित निधि (सीएफआई) में लौटाने का अनुरोध किया गया था। तथापि, यह देखा गया था कि एमओएसडीई ने राज्य के राजकोष में पड़े रहे केन्द्रीय अंश को वापस करने के लिए आवश्यक निदेश जारी करने में लगभग दो वर्ष का समय लगाया।

(बी) राज्य सरकारों द्वारा राज्य कौशल विकास मिशनों (एसएसडीएम) को निधियां जारी करने में विलम्ब

वित्तीय प्रबंधन नियम पुस्तिका की धारा 6.2.3 के अनुसार निधियों का अंतरण एमओएसडीई के पीएओ (वेतन एवं लेखा कार्यालय) द्वारा प्रत्येक राज्य के राजकोष को किया जाएगा। राज्य बदले में अपने स्वयं के सहमत अंश सहित एमओएसडीई से प्राप्त निधियों को एसएसडीएम, जो राज्य कार्यान्वयन अभिकरण (एसआईए) है, द्वारा एक अलग बैंक खाते में अनुरक्षित की जाने वाली 'संकल्प राज्य निधि' में अंतरित करेगा।

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि 31 राज्यों/यूटी में से 29 राज्यों ने अपने राजकोष से एसएसडीएम को निधियों के अंतरण में विलम्ब किया जो 2 से 27 महीनों के बीच था। उत्तराखण्ड तथा मध्य प्रदेश राज्यों के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी। 31 राज्यों में से 11 राज्य थे जिनको 12 महीनों से अधिक समय के पश्चात् निधियों का अंतरण किया गया था। इस प्रकार, राज्य सरकार द्वारा एमओएसडीएम को निधियों का विलंबित अंतरण न केवल राज्य के राजकोष में

निधियों को रखने का कारण बना बल्कि उस उद्देश्य को प्राप्त करने में भी विफल रहा जिसके लिए निधियां जारी की गई थी। एमओएसडीई ने इसको स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि कोविड-19 महामारी के दौरान लगाए गए प्रतिबंध भी विलम्ब के कारण बने।

लेखापरीक्षा इस उत्तर से सहमत नहीं है क्योंकि योजना जनवरी 2018 में प्रारम्भ हुई तथा निधियां 2018-19 से जारी की गई थी जबकि कोविड महामारी मार्च 2020 में शुरू हुई थी। इस प्रकार, एमओएसडीई राज्य के राजकोष से निधियों के समय पर निर्गम की निगरानी करने में विफल रहा।

(सी) राज्यों द्वारा निधियों का गैर उपयोग

संकल्प राज्य प्रोत्साहन अनुदान के भाग के रूप में एमओएसडीई ने 31 राज्यों/यूटी के लिए कुल ₹436.84 करोड़ की निधियां जारी की। इसमें से, एमओएसडी ने केन्द्रीय अंश के रूप में ₹274 करोड़ जारी किए जबकि शेष अर्थात् ₹162.84 करोड़ को संबंधित राज्यों द्वारा अपने अंश के रूप में उपलब्ध कराया जाना था। ₹436.84 करोड़ की उपलब्ध निधियों से राज्यों ने उपयोग प्रमाणपत्रों के अनुसार ₹60.15 करोड़ (13.77 प्रतिशत) का व्यय सूचित किया।

छः राज्यों⁵⁰ ने जिनके लिए कुल ₹34.49 करोड़ (केन्द्रीय अंश ₹23.81 करोड़) के प्रस्ताव अनुमोदित थे, कोई व्यय नहीं किया था। ग्यारह राज्यों⁵¹ ने दस प्रतिशत तक व्यय किया। चार राज्यों⁵² ने 10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत के बीच व्यय किया जबकि सात राज्यों में किया गया व्यय 25 से 50 प्रतिशत के बीच था। केवल दो राज्यों अर्थात् ओडिशा तथा त्रिपुरा ने 80 प्रतिशत तक व्यय किया था।

एमओएसडीई ने अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए बताया (नवम्बर 2022) कि राज्यों ने गति पकड़ी है तथा वे संस्वीकृत निधियों के उपयोग की प्रक्रिया में हैं। मंत्रालय

⁵⁰ जेएण्डके, अरुणाचल प्रदेश, पुद्दुचेरी, हरियाणा, तेलंगाना तथा लद्दाख।

⁵¹ बिहार, गुजरात, झारखण्ड, गोवा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, यूपी, मणिपुर, पंजाब तथा मध्य प्रदेश।

⁵² आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान तथा हिमाचल प्रदेश।

ने आगे बताया कि राज्यों द्वारा सितंबर 2022 तक ₹83.83 करोड़ की राशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए गए थे।

(डी) अर्जित ब्याज का गैर प्रेषण

जीएफआर 230 (8) के अनुसार, किसी भी अनुदानग्राही संस्थान को निर्गत सहायता अनुदान या अग्रिमों (प्रतिपूर्ति के अलावा) के प्रति सभी ब्याज या अन्य आय के लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने के तुरंत पश्चात् भारत की समेकित निधि को अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाना चाहिए। ऐसी अग्रिमों को भविष्य के निर्गमों के सापेक्ष समायोजित करने के लिए अनुमत नहीं किया जाना चाहिए।

एमओएसडीई ने राज्य प्रोत्साहन अनुदान (एसआईजी) के अधीन 31 राज्यों/यूटी को ₹274 करोड़ संवितरित किए। 2018-2022 की अवधि के लिए राज्यों द्वारा अनुदानों पर कुल प्राद्वत ब्याज ₹4.15 करोड़ (मार्च 2022 तक) था, जैसा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत यूसी में ब्योरा दिया गया था। तथापि, ₹4.15 करोड़ में से केवल ₹2.60 करोड़ का अक्टूबर 2022 तक प्रेषण किया गया है। इस प्रकार ₹1.55 करोड़ का अक्टूबर 2022 तक प्रेषण नहीं किया गया है। एमओएसडीई ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार करते हुए आश्वासन दिया (नवम्बर 2022) कि सभी कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा ब्याज का सीएफआई को प्रेषण किया जाएगा।

(ई) राज्यों में परियोजनाओं का कार्यान्वयन

31 राज्यों/यूटी ने 2018-20 के दौरान एमओएसडी को विभिन्न गतिविधियों से युक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किए। मार्च 2022 तक, परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) ने योजना दिशानिर्देशों में परिभाषित तीन परिणाम क्षेत्रों के अंतर्गत 31 राज्यों/यूटी की कुल ₹437.92 करोड़ की 509 गतिविधियों को अनुमोदित किया। क्षेत्र-वार परिणाम ब्योरे तालिका सं. 2.12 में दिए गए हैं:

तालिका सं. 2.12: 509 गतिविधियों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

गतिविधियों की स्थिति	परिणाम क्षेत्र-1		परिणाम क्षेत्र-2		परिणाम क्षेत्र-3	
	गतिविधियों की सं.	राशि	गतिविधियों की सं.	राशि	गतिविधियों की सं.	राशि
पूर्ण की गई	19	17.55	33	8.76	12	3.49
कार्यान्वयन/नियोजन	98	136.83	116	105.04	50	76.62
शुरू नहीं की गई	69	56.15	78	30.96	34	2.52
कुल	186	210.53	227	144.76	96	82.63

परिणाम क्षेत्र (I-III) (I) राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर सांस्थानिक सुदृढीकरण-बाजार संबंधित प्रशिक्षण की योजना, सुपुदगी तथा निगरानी का मार्गदर्शन; (II) कौशल विकास कार्यक्रम की बेहतर गुणवत्ता तथा बाजार संबद्धता तथा (III) महिला प्रशिक्षु तथा अन्य वंचित समूहों हेतु कौशल प्रशिक्षण को बेहतर पहुंच एवं समापन है। इन परिणाम क्षेत्रों के अंतर्गत गतिविधियों के चयनित उदाहरणों का नीचे उल्लेख किया गया है:

- जिला वार अंतर विश्लेषण का परिणाम कोविड पश्चात् परिदृश्य के पहलुओं को शामिल करते हुए अगले पांच वर्ष के लिए अधिक परिणामोन्मुखी डीएसडीपी में हुआ।
- मामला विशेषज्ञों की नियुक्ति
- एमआईएस पोर्टल का विस्तार
- राज्य स्तरीय अभिसरण कार्यशाला
- प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर ऑनलाईन इंटरनेट आधारित कक्षा सहित कैरियर परामर्श केन्द्रों को विकसित करना
- मॉडल पाठ्यक्रम को अपनाने के लिए उद्योगों तथा सभी कौशल विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन अभिकरणों के साथ कार्यशाला
- नौकरी दिलवाने के लिए क्षेत्र वार अभियान संचालित करना

- विशेष एनएसक्यूएफ संरेखित लाभ उठाने के लिए बालिका उम्मीदवारों हेतु कौशल विकास कार्यक्रम, विकलांग व्यक्तियों का संग्रहण एवं क्षमता संवर्धन
- एससी/एसटी उम्मीदवारों पर केंद्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि।

लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि इन परिणाम क्षेत्रों के अंतर्गत गतिविधियां जैसी ऊपर उल्लेखित की गई हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं फिर भी इन सभी तीन परिणाम क्षेत्रों में 34-37 प्रतिशत गतिविधियों को मार्च 2022 तक शुरू नहीं किया गया था। इसका योजना के निष्पादन तथा अभिप्रेत उद्देश्यों की प्राप्ति पर बड़ा असर है।

एमओएसडीई ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए आगे बताया (नवम्बर 2022) कि राज्यों को बिना किसी वित्तीय संभावनाओं के एमओएसडीई द्वारा अनुमोदित निधियों के भीतर अपनी गतिविधियों को पुनर्विनियोजित करने की अनुमति थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि निधियों का पुनर्विनियोजन योजना का भाग नहीं है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने अपने तर्क के समर्थन में कोई सहायक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं।

(एफ) आकांक्षी कौशल अभियान

एमओएसडीई ने 3 अक्टूबर 2018 को कौशल विकास के माध्यम से आकांक्षी जिलों⁵³ को मुख्य धारा में लाने के लिए आकांक्षी कौशल अभियान (एएसए) कार्यक्रम प्रमोचित किया। कार्यक्रम के भाग के रूप में एमओएसडीई ने केन्द्रीय अंश के रूप में संकल्प के माध्यम से ₹10 लाख प्रति आकांक्षी जिला जारी किए। राज्यों को अपना समान अंश शामिल कर निधियों को आगे आकांक्षी जिलों को जारी करना अपेक्षित था। तदनुसार, एमओएसडीई ने 2018 में 28 राज्यों के 117 आकांक्षी जिलों को ₹11.70 करोड़ जारी किए। राज्य तथा जिला अधिकारियों के साथ निम्नलिखित गतिविधियों को करने के लिए निधियां अनुमोदित की गई थी;

- जिले के मौजूदा कौशल प्रोफाइल का निर्धारण करने हेतु

⁵³ नीति आयोग द्वारा कुल 117 आकांक्षी जिलों की पहचान की गई है जो स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेश एवं कौशल विकास तथा आधारभूत अवसंरचना जिनका मानव विकास सूचकांक पर प्रभाव है, से संयुक्त संकेतकों पर आधारित है।

- पीएमकेवीवाई के पीएमकेवीवाई तथा डीडीयूजीकेवाई केन्द्रों जैसे संस्थानों की निगरानी हेतु जिलाधिकारी/कलेक्टर की अध्यक्षता में एक जिला कौशल विकास समिति के गठन तथा कौशल संबंधी गतिविधियों को एक मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु;
- कौशल अंतर अध्ययन या अन्य उपाय करके जिला कौशल विकास योजनाओं को विकसित करने तथा चिन्हित उपायों के कार्यान्वयन के समर्थन हेतु
- जिला कौशल विकास योजनाओं के आधार पर कार्य योजनाओं को कार्यान्वित करने हेतु।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 28 राज्यों में से आठ राज्य नामतः **महाराष्ट्र, नागालैंड, छत्तीसगढ़, मिजोरम, सिक्किम, हरियाणा, पश्चिम बंगाल** तथा **तेलंगाना** ने अभी भी संबंधित कौशल मिशन खातों में पूर्ण या आंशिक रूप से निधियां जारी नहीं की हैं। एमओएसडीई ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार करते हुए बताया (नवम्बर 2022) कि इन राज्यों को सीएफआई में केन्द्रीय अंश को वापस करने का अनुरोध किया गया है। तथापि, तथ्य यह है कि एमओएसडीई ने राज्य के राजकोष में पड़े केन्द्रीय अंश की वापसी की मांग करने में लगभग दो वर्ष लगा दिए।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि राज्य सरकारों के पास उपलब्ध ₹18.44 करोड़ (केन्द्रीय अंश ₹11.70 करोड़ तथा राज्य अंश ₹6.74 करोड़) के सापेक्ष में एमओएसडीई द्वारा केवल ₹5.94 करोड़ (32 प्रतिशत) के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त किए गए थे। एमओएसडीई ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए बताया (नवम्बर 2022) कि राज्यों ने गति पकड़ी है तथा वे संस्वीकृत निधियों के उपयोग की प्रक्रिया में हैं।

2.12.4 निगरानी

एमओएसडीई योजना की समग्र निगरानी तथा मूल्यांकन हेतु उत्तरदायी है। आवधिक कार्यक्रम समीक्षा तथा प्रगति रिपोर्ट एमओएसडीई के अंतर्गत परियोजना प्रबंधन कंसल्टेंसी के उत्तरदायित्व थे। लेखापरीक्षा ने योजना के निगरानी पहलू में निम्नलिखित कमियां पाईं:

2.12.4.1 शीर्ष स्तरीय समिति “कार्यक्रम शासन बोर्ड” की प्रथम बैठक 02 अगस्त 2019 को अर्थात् योजना के प्रारम्भ के लगभग डेढ़ वर्ष के पश्चात् हुई थी। अगस्त 2022 तक कार्यक्रम शासन बोर्ड की केवल दो बैठक हुई थी, जो दर्शाता है कि शासन बोर्ड की कोई आवधिक समीक्षाएं नहीं थी। एमओएसडीई ने उत्तर दिया (नवम्बर 2022) कि कोविड प्रतिबंध लगाए जाने के कारण वर्ष 2020 के दौरान पीबीजी की बैठक नहीं की जा सकी थी। लेखापरीक्षा का तर्क है कि बैठक आनलाईन की जा सकती थी।

2.12.4.2 मार्च 2018 से एमओएसडीई द्वारा एनएसडीसी को निर्गत संस्वीकृतियों के अनुसार एनएसडीसी को संकल्प पर एक मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। तथापि, एनएसडीसी ने मार्च 2022 तक मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी तथा इसने लेखापरीक्षा प्रश्न की प्रतिक्रिया में केवल अप्रैल 2022 से प्रगति रिपोर्ट भेजना शुरू किया।

2.12.4.3 एमओएसडीई ने 31 राज्यों/यूटी को कुल ₹ 274 करोड़ की राशि जारी की जिसके सापेक्ष में राज्यों से ₹60.15 करोड़ के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त किए गए थे। चार राज्यों अर्थात् **अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, पुदुचेरी तथा तेलंगाना** ने एक बार भी उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया था। आगे, चार राज्यों अर्थात्, **कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर तथा नागालैंड** ने निर्धारित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया था। एमओएसडीई ने उत्तर दिया (नवम्बर 2022) कि चार राज्यों ने मार्च 2021 तक कोई व्यय नहीं किया था तथा तदनुसार 31 मार्च 2022 तक उनके द्वारा कोई उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था। उत्तर लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को साबित करता है कि एमओएसडीई ने योजना के कार्यान्वयन की प्रभावी रूप से निगरानी नहीं की थी।

2.12.4.4 संकल्प वित्तीय प्रबंधन नियमपुस्तिका के पैरा 13.5 के अनुसार, राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों (एसआईए) को 30 सितंबर तक एमओएसडीई में परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना है। तथापि, 17 राज्यों/यूटी ने वर्ष 2020-21 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है तथा 12 राज्यों ने वर्ष 2020-21

के लिए बाह्य लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। एमओएसडीई ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए बताया (नवम्बर 2022) कि आंतरिक लेखापरीक्षा के मामले में 17 में से नौ राज्यों तथा बाह्य लेखापरीक्षा के मामले में 12 में से आठ राज्यों ने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया था क्योंकि उनके द्वारा कोई व्यय नहीं किया गया था।

2.12.5 सिफारिशें:

- i. परिणाम क्षेत्रों को पूरा करने के लिए रोड मैप के साथ साथ कार्यक्रम के परिणाम को प्राप्त करने के प्रति वार्षिक कार्य योजनाओं को तैयार किया जाना है। (पैरा 2.12.2.2)
- ii. निधियों का निर्गम कार्यान्वयन अभिकरणों से कार्यान्वयन के एक स्पष्ट रोड मैप की प्राप्ति के पश्चात् ही किया जाना चाहिए। (पैरा 2.12.2.3)
- iii. कार्यान्वयन अभिकरण को तेजी से कुशल प्रकार से निधियों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जैसा योजना दिशानिर्देशों में प्रतिपादित किया गया है। (पैरा 2.12.2.4).
- iv. राज्यों को योजना के कार्यान्वयन में बाधाओं पर काबू पाने में सहायता करने के लिए निगरानी तंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए। एसएसडीएम को नामित संकल्प निधियों के निर्गम हेतु राज्यों के साथ अनुवर्तन। (पैरा 2.12.4.2 (बी) एवं पैरा 2.12.5)

एमओएसडीई ने बताया (नवम्बर 2022) कि एमएसडीई लेखापरीक्षा द्वारा अनुशंसित पायलट/परियोजना की खोज करने की प्रक्रिया में है।

(IX) जनजातीय कार्य मंत्रालय

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना

2.13 निधियों का अवरोधन तथा प्रत्याशित लाभों की अनुपलब्धि

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा नियोजन तथा निगरानी की कमी का परिणाम एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) योजना के अधीन अनुसूचित जनजाति हेतु मार्च 2022 तक संस्वीकृत 681 में से 279 विद्यालयों के दिसंबर 2022 तक गैर-कार्यात्मक रहने में हुआ। 279 में से 57 विद्यालयों में निर्माण कार्य या तो अपूर्ण था या फिर अभी भी शुरू किया जाना था जिसका परिणाम जारी की गई कुल ₹916 करोड़ की निधियों के अवरोधन में हुआ।

जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) ने अनुसूचित जनजाति के बच्चों को उच्चतर एवं व्यावसायिक शिक्षा में अवसरों का लाभ उठाने तथा विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करने हेतु समर्थ बनाने के लिए दूरस्थ क्षेत्रों में उनको अच्छी शिक्षा प्रदान करने हेतु 1997-98 में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) योजना को प्रमोचित किया। ईएमआरएस की भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अधीन अनुदानों के साथ राज्यों/यूटी में स्थापना की गई है।

ईएमआरएस के संशोधित दिशा-निर्देश-2010 के खंड 1(डी) के अनुसार राज्य सरकार/यूटी प्रशासन को यह सुनिश्चित करने के बाद नए ईएमआरएस की मांग करती थी कि सभी विद्यमान ईएमआरएस को क्रियात्मक बना दिया गया है। खंड 6(ए) के अनुसार, वर्ष 2008-09 से 2021-22 के दौरान छात्रावासों एवं स्टाफ क्वार्टरों सहित विद्यालय परिसर हेतु पूंजीगत लागत⁵⁴ ₹2.5 करोड़ से ₹20.00 करोड़ के बीच थी। इसके अलावा उपरोक्त के खंड 7(ए) तथा 7(बी) के अनुसार,

54

(₹ करोड़ में)

अवधि	विद्यालय परिसर की पूंजीगत लागत	पर्वतीय/एनईआर/एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्रों हेतु संवधित पूंजीगत लागत
2005-06 से 2008-09 तक	2.5	-
2009-10 से 2018-19 तक	12	16
2019-20 से 2021-22 तक	20	24

योजना के कार्यान्वयन की प्रगति को एमओटीए द्वारा राज्य सरकार/कार्यान्वयन अभिकरणों से आवधिक रिपोर्टों के माध्यम से समीक्षा की जानी थी तथा एमओटीए को समीक्षा बैठकों का आयोजन करना था जिसके दौरान राज्यों/यूटी को अपने ईएमआरएस की प्रगति पर प्रस्तुतीकरण तैयार करना अपेक्षित होगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ईएमआरएस दिशानिर्देश-2010 तथा संशोधित ईएमआरएस दिशानिर्देश-2020 में समय-सीमा, जिसमें विद्यालयों के निर्माण को पूरा किया जाना था, के संबंध में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं थे। तथापि, संस्वीकृति आदेश ने अनुबंध किया कि अनुदानों के वास्तविक उपयोग का प्रमाणपत्र उस वित्तीय वर्ष जिसमें अनुदान संस्वीकृत किया गया था, की समाप्ति के 12 महीनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना था। इसका तात्पर्य है कि अनुदान को संस्वीकृति के वर्ष के बाद के वर्ष के 31 मार्च के भीतर उपयोग किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने 1997-2022 की अवधि के दौरान संस्वीकृत ईएमआरएस की जांच की। यह पाया गया था कि 01.01.2023 तक एमओटीए ने 689 ईएमआरएस संस्वीकृत किए थे जिसमें से 402 क्रियात्मक थे। इस प्रकार, मार्च तथा दिसंबर 2022 के बीच संस्वीकृत 8 विद्यालयों को छोड़कर 31.03.2022 तक 279 विद्यालय क्रियात्मक नहीं थे।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि:

ए) विद्यालय का निर्माण पूर्ण परंतु विद्यालय का गैर-क्रियात्मक होना: जबकि 2010-11 से 2016-17 की अवधि के दौरान ₹96 करोड़ की लागत पर आठ विद्यालयों⁵⁵ का निर्माण समाप्त हो चुका था फिर भी विद्यालयों को अभी भी क्रियात्मक बनाया जाना था। एमओटीए ने बताया कि जे एण्ड के दो विद्यालयों के मामले में कानून व्यवस्था की स्थिति इस विलंब हेतु उत्तरदायी है। मंत्रालय ने आगे बताया कि समापन के पश्चात् विद्यालय के कार्यकरण को नए शिक्षा सत्र के साथ समक्रमित किया जाएगा तथा विलम्ब को दूरस्थ स्थानों में कार्य करने के इच्छुक योग्य शिक्षकों की नियुक्ति तथा तैनाती में

⁵⁵ उत्तर प्रदेश (1), बिहार (1), जे एण्ड के (2), झारखण्ड (4)

विलम्ब को भी आरोपित किया। लेखापरीक्षा का तर्क है कि विद्यालयों को जल्द से जल्द क्रियात्मक बनाने के लिए निर्माण अवधि के दौरान, ऐसी सभी औपचारिकताओं को पूरा किया जाना चाहिए था।

बी) विद्यालयों का निर्माण प्रगति में: 75 मामलों में; 2014-2020 की अवधि के दौरान विद्यालयों के निर्माण हेतु कुल ₹1148 करोड़ की संस्वीकृति जारी की गई थी। इन विद्यालयों के निर्माण कार्य को शुरू कर दिया गया था परंतु दिसंबर 2022 तक, तीन से नौ वर्षों के समापन के पश्चात् भी पूर्ण नहीं था। एमओटीए ने बताया कि राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (एनईएसटीएस) के सहयोग से वे कार्य में तेजी लाने तथा समयबद्ध प्रकार से पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। तथापि, ईएमआरएस दिशानिर्देश-2010 तथा संशोधित ईएमआरएस संशोधित दिशानिर्देश-2020 में ऐसी किसी समय-सीमा जिसमें विद्यालयों के निर्माण को पूरा किया जाना था, के संबंध में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं थे, फिर भी राज्य/यूटी सरकार ने एमओटीए द्वारा जारी संस्वीकृति के पश्चात् निर्माण के समापन हेतु तीन से नौ वर्ष लिए। लेखापरीक्षा का तर्क है कि एमओटीए को योजना की बेहतर निगरानी हेतु निर्माण कार्य के समापन के लिए समय-सीमा निर्धारित करनी चाहिए।

सी) विद्यालय का निर्माण अभी भी शुरू होना है: 49 मामलों में, जहां विद्यालयों के निर्माण हेतु कुल ₹820 करोड़ की संस्वीकृतियां 2017-2020 की अवधि के दौरान जारी की गई थी वहां निर्माण का कार्य अभी भी दिसंबर 2022 तक प्रारम्भ किया जाना है। एमओटीए ने बताया कि अधिकांश मामलों में निर्माण की शुरुआत में विलम्ब के कारण उपयुक्त भूमि की पहचान से संबंधित थे। एमओटीए ने यह भी बताया कि राज्यों को यह सुनिश्चित करने हेतु कि प्रत्याशित लाभार्थी शिक्षा प्राप्त करना जारी रखें, वैकल्पिक इमारतों में विद्यालय को क्रियात्मक बनाने के लिए सलाह दी है। लेखापरीक्षा का तर्क है कि एमओटीए को निधियों की संस्वीकृति से पूर्ण राज्य/यूटी के प्रस्तावों में भूमि उपलब्धता/आबंटन अथवा वैकल्पिक इमारतों की जांच करनी चाहिए थी।

डी) पहले संस्वीकृत किए गए ईएमआरएस की क्रियात्मकता को सुनिश्चित किए बिना नए ईएमआरएस की संस्वीकृति: योजना दिशानिर्देश के विपरीत एनओटीए ने 12 राज्यों⁵⁶ में पहले संस्वीकृत किए गए ईएमआरएस की क्रियात्मकता को सुनिश्चित किए बिना नया ईएमआरएस संस्वीकृत किया था। दिशानिर्देश के अनुसार, ईएमआरएस की ऑनलाईन निगरानी हेतु पहले एक केन्द्रीकृत तंत्र विकसित किया जाना था परंतु ऑनलाईन निगरानी केवल 2022 से पाई गई थी। इस प्रकार एमओटीए ईएमआरएस के कार्यकरण हेतु पहले संस्वीकृत किए गए अनुदानों की निगरानी में विफल रहा जिसने इन क्षेत्रों के एसटी छात्रों को अभिप्रेत लाभों से वंचित किया।

इसे इंगित किए जाने पर (जनवरी 2021/अक्टूबर 2021) एमओटीए ने बताया (फरवरी 2021 तथा अगस्त 2022) कि कोविड 19 संकट के कारण विद्यालयों के निर्माण की प्रगति बाधित हुई थी तथा इसलिए निर्माण के समापन एवं संबद्ध गतिविधियों तथा विद्यालयों के संचालन के संबंध में प्रगति धीमी रही है। उसने आगे बताया कि राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (एमईएसटीएस⁵⁷) में ईएमआरएस निर्माण गतिविधियों की प्रभावी निगरानी तथा निर्माण की वास्तविक भौतिक प्रगति के आधार पर निर्माण अभिकरणों को निधियाँ जारी करने के लिए केन्द्र/राज्य/पीएसयू के सेवानिवृत्त इंजीनियरों से बने एक समर्पित निर्माण स्कंध (तकनीकी दल) की स्थापना की गई है।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि कोविड काल केवल 2020 से ही प्रारम्भ हुआ था जबकि इन विद्यालयों को 2010-11 से 2019-20 की अवधि के दौरान संस्वीकृत किया गया था तथा वे 3-12 वर्षों के पश्चात् भी गैर-क्रियात्मक हैं। परिणामस्वरूप, इसका परिणाम कुल ₹916 करोड़ {(₹96 करोड़ (बिंदु ए) + ₹820 करोड़ (बिंदु सी)} की निधियों के अवरोधन में हुआ।

⁵⁶ उत्तर प्रदेश, झारखण्ड, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैण्ड, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, ओडिशा तथा मिजोरम

⁵⁷ जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी (एनईएसटीएस) एक स्वायत्त संगठन है जिसकी स्थापना एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस), एकलव्य मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल एवं खेल उत्कृष्टता केन्द्र के रखरखाव, नियंत्रण और प्रबंधन हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन की गई है।

भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ (ट्राईफेड)

2.14 ट्राईफेड द्वारा निधियों का विपथन

जनजातीय कार्य मंत्रालय की अपनी योजना की निगरानी करने में विफलता का परिणाम ट्राईफेड द्वारा 2018-19 के दौरान इसके अनुमोदन के बिना *वन धन विकास केन्द्र* की स्थापना हेतु 2015-16 के दौरान संस्वीकृत ₹5.67 करोड़ की निधि के विपथन में हुआ। इसके अतिरिक्त यह ट्राईफेड से सितम्बर 2022 तक इस पर प्राप्त कुल ₹5.36 करोड़ के ब्याज की वसूली करने में भी विफल रहा।

जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) अनुसूचित जनजाति (एसटी) के विकास हेतु कार्यक्रमों की समग्र नीति योजना तथा समन्वय के लिए नोडल मंत्रालय है। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ (ट्राईफेड) की स्थापना देश के आदिवासियों द्वारा संग्रहित/उपजाई लघु वन उपज (एमएफपी) एवं अधिशेष कृषि उपज (एसएपी) के व्यापार का संस्थानीकरण करके उनके सामाजिक- आर्थिक विकास के बुनियादी जनादेश के साथ एक राष्ट्र-स्तरीय सहकारी निकाय के रूप में अगस्त 1987 में की गई थी।

“न्यूनतम समर्थन कीमत के माध्यम से लघु वन उत्पाद के विपणन और एमएफपी के लिए मूल्य ऋखला का विकास हेतु तंत्र” (एमएफपी हेतु एमएसपी) के लिए योजना को एमओटीए द्वारा एमएफपी संग्रहकर्ताओं को उचित मूल्य प्रदान करने, उनके आय स्तर को बढ़ाने तथा एमएफपी की धारणीय कटाई को सुनिश्चित करने के उद्देश्य के साथ वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रारम्भ किया गया था।

एमओटीए ने 2015-16 में एमएफपी हेतु एमएसपी योजना के पूंजीगत वर्ग के अंतर्गत ट्राईफेड को सहायता अनुदान के रूप में ₹5.67 करोड़ का अनुमोदन (मार्च 2016) तथा संस्वीकृति⁵⁸ दी। निधियों का उपयोग ट्राईफेड द्वारा छत्तीसगढ़ तथा महाराष्ट्र में बहुउद्देशीय जनजातीय विकास केंद्रों (एमपीटीडीसी) की स्थापना के लिए किया जाना था।

⁵⁸ ओएम सं;19.10.2014-सीपी एवं आर दिनांक 30.03.2016 के माध्यम से

आगे, उपरोक्त संस्वीकृति आदेश के खंड 2(ix) के अनुसार, अनुदानग्राही संगठन के शर्तों के अनुपालन में विफल होने पर वह पूर्ण राशि को उस पर 14 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज सहित वापस करने के लिए उत्तरदायी होगा।

एमओटीए ने अप्रैल 2016 में जगदलपुर (छत्तीसगढ़) तथा मुंबई (महाराष्ट्र) में एमपीटीडीसी की स्थापना को अनुमोदित किया। ट्राईफेड ने एमपीटीडीसी की स्थापना हेतु परियोजना प्रबंधन अभिकरण की पहचान की प्रक्रिया प्रारम्भ की। तथापि, ट्राईफेड (जीबीटी) की जेनरल बॉडी ने 26 अप्रैल 2018 को हुई अपनी बैठक में एमपीटीडीसी की स्थापना को अव्यावहारिक पाया तथा महसूस किया कि ब्लॉक स्तरों पर छोटे प्राथमिक प्रसंस्करण केन्द्र की आवश्यकता जमीनी स्तर पर आदिवासियों को जीविका के तत्काल साधन का कारण बनेगी। इसलिए, जीबीटी ने समाधान किया कि ₹5.67 करोड़ का उपयोग *वन धन विकास केंद्रों* (वीडीवीके)⁵⁹ की स्थापना के लिए किया जाए। आगे, ट्राईफेड ने पिछले वर्षों के ₹5.67 करोड़ के अप्रयुक्त शेष के उद्देश्य का वीडवीके के अंतर्गत उपयोग हेतु सामान्य शीर्ष में परिवर्तन करने का अनुरोध किया (जून 2018)। तथापि, इसे एमओटीए द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था।

हालांकि, ट्राईफेड ने एमएसपी के अधीन वीडवीके की स्थापना हेतु निधि का 2018-19 तथा 2019-20 के दौरान एमएफपी योजना में विपथन किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि जिस उद्देश्य के लिए अनुदान संस्वीकृत किया गया था अर्थात् एमपीटीडीसी की स्थापना उसे अमल में नहीं लाया गया था क्योंकि इसे जीबीटी द्वारा 2018 में ही अव्यावहारिक घोषित किया गया था। तथापि, ट्राईफेड ने कथित अनुदान की संस्वीकृति के साथ सलग्न शर्तों के अनुसार कुल ₹5.36 करोड़ ब्याज (14 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर) सहित ₹5.67 करोड़ वापस नहीं किए थे।

⁵⁹ वन धन योजना एक पहल है जो आदिवासी संग्रहकों हेतु जीविका सृजन तथा उनको उद्यमियों में बदलने पर लक्षित है। विचार मुख्य रूप से वन जनजातीय जिलों में जनजातीय समुदाय के स्वामित्व वाले *वन धन विकास केन्द्रों* (वीडीवीके) की स्थापना करना है। एक केंद्र 15 जनजातीय स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) से मिलकर बनेगा जिसमें प्रत्येक में 20 जनजातीय गैर-लकड़ी वन उत्पाद (एनटीएफपी) संग्रहकर्ता अथवा कारीगर, अर्थात् 300 लाभार्थी प्रति *वन धन केन्द्र* तक शामिल है।

ट्राईफेड ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के उत्तर में मंत्रालय (जून 2022) को सूचित किया कि जेनरल बॉडी द्वारा अनुमोदित वित्तीय विवरणों के आधार पर 2021-22 की समाप्ति पर उपलब्ध निवल राशि की स्थिति कुल ₹80.51 करोड़ (₹66.11 करोड़ बिक्री प्राप्तियां, ₹5.75 करोड़ 2020-21 तक अव्ययित अनुदानों पर अर्जित ब्याज तथा ₹8.65 करोड़ वेतन का अव्ययित अनुदान) की राशि थी तथा मंत्रालय को इस संबंध में की जाने वाली कार्रवाई सहित प्रक्रिया के संबंध में उनके उपयुक्त प्रकार से सलाह देने का अनुरोध किया। एमओटीए ने ट्राईफेड को सामान्य वित्तीय नियमावली 2017 के प्रावधानों के अनुसार, अनुदानों पर ब्याज को भारत की संचित निधि में वापस करने का अनुदेश दिया (अगस्त 2022)।

इस प्रकार, एमओटीए की ओर से उपयुक्त आंतरिक जांचों तथा योजना के निगरानी तंत्र की कमी ट्राईफेड द्वारा उन निर्माण कार्यों हेतु ₹5.67 करोड़ की निधि के विपथन का कारण बना जो इसके द्वारा अनुमोदित नहीं थे। तदनुसार एमओटीए को ₹5.67 करोड़ (मूल राशि) के साथ-साथ ब्याज की वसूली करना अपेक्षित है।

इसे इंगित किए जाने पर (नवम्बर 2019/अक्टूबर 2021) एमओटीए ने उत्तर दिया (सितम्बर 2022) कि ट्राईफेड भारत की संचित निधि में ब्याज को प्रेषित करने की प्रक्रिया में है। तथापि, लेखापरीक्षा के दौरान ट्राईफेड ने मंत्रालय को कथित राशि के प्रेषण को कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एमओटीए को ब्याज सहित ₹5.67 करोड़ की मूल राशि भी वसूलने की आवश्यकता है क्योंकि इसका उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया गया था जिसके लिए इसकी संस्वीकृति प्रदान की गई थी तथा ट्राईफेड द्वारा इसका किसी अन्य उद्देश्य हेतु विपथन किया गया था।

अध्याय-III

विधायिका रहित संघ शासित क्षेत्र

इस अध्याय में दो संघ शासित क्षेत्रों से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों को शामिल करते हुए आठ लेखापरीक्षा पैराग्राफ शामिल हैं। आठ लेखापरीक्षा पैराग्राफों में से छः व्यय से संबंधित हैं जबकि दो लेखापरीक्षा पैराग्राफ राजस्व से संबंधित हैं।

(ए) व्यय

अंडमान और निकोबार प्रशासन

नौवहन सेवा निदेशालय

3.1 राजस्व की हानि

नौवहन सेवा निदेशालय (डीएसएस) द्वारा कंटेनर भाड़ा एवं अन्य प्रभारों के गैर-संशोधन के कारण ₹22.14 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

अंडमान और निकोबार प्रशासन (एएनए) ने माननीय उपराज्यपाल की अध्यक्षता में चेन्नई-पोर्ट ब्लेयर-चेन्नई सेक्टर के बीच चलने वाले एएनए स्वामित्व के जहाजों के लिए अन्य प्रभारों जैसे पत्तन प्रभार, संचालन प्रभार, उतराई प्रभार आदि को छोड़कर ₹28,000/- पर ड्राई कंटेनर¹ भाड़ा प्रभार नियत (अगस्त 2003)² किए। रीफर कंटेनर³ के भाड़ा प्रभार नवम्बर 1996⁴ में ₹16,400/- पर अंतिम नियत किए गए थे।

तत्पश्चात्, ड्राई कंटेनर/रीफर कंटेनर के लिए भाड़ा दरों के संशोधन हेतु निदेशक, नौवहन सेवा निदेशालय (डीएसएस) की अध्यक्षता के अधीन तीन सदस्य समिति⁵ का गठन अगस्त 2003 में अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के माननीय उपराज्यपाल के आदेशानुसार किया गया। समिति का अधिदेश कंटेनर दरों के लिए

¹ मानक नौवहन कंटेनरों का उपयोग गैर-तापमान संवेदनशील नौभार को ले जाने के लिए किया जाता है।

² ए एण्ड एनआई प्रशासन आदेश सं. 4077 दिनांक 7 अगस्त 2003

³ इंसुलेटिड, रेफ्रीजरेटिड नौवहन कंटेनरों का उपयोग तापमान संवेदनशील नौभार को ले जाने के लिए किया जाता है।

⁴ नौवहन सेवा निदेशालय आदेश दिनांक 30 नवम्बर 1996

⁵ समिति का गठन उसी आदेश दिनांक 07 अगस्त 2003 के द्वारा निदेशक, नौवहन सेवा निदेशालय मुख्य पत्तन प्रशासक, पत्तन प्रबंधन बोर्ड एवं व.लेखाधिकारी (वित्त-1), ए एण्ड एन प्रशासन को शामिल करते हुए किया गया।

बाजार की प्रवृत्ति को देखना, समय-समय पर दरों की समीक्षा करना तथा उनकी रिपोर्ट को अनुमोदन हेतु एएनए को प्रस्तुत करना था। इस समिति से प्रत्येक तीन माह में एक बार या उससे पहले यथावश्यक एक बैठक करना अपेक्षित था।

तथापि, लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि 11 वर्ष के लम्बे अंतराल के बाद, समिति ने वर्ष 2014-15 के लिए चालू दर पर 10 प्रतिशत तक साधारण कंटेनर/रीफर कंटेनर की दरों के संशोधन हेतु एवं तत्पश्चात् वर्ष 2014-15 के लिए निर्धारित दरों पर प्रत्येक वर्ष पांच प्रतिशत तक भाड़ा प्रभारों को बढ़ाने हेतु एएनए को प्रस्ताव अग्रेषित किया (अगस्त 2014)⁶। इस प्रस्ताव जो अगले छः वर्षों हेतु डीएसएस द्वारा प्रस्तुत किया गया था, पर नौवहन विभाग, एएनए द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

सितम्बर 2020 में, विभाग ने इस मामले पर एएनए के साथ संसूचना का आदान-प्रदान पुनः शुरू किया तथा मार्च 2021 में डीएसएस ने कंटेनर भाड़ा दरों के संशोधन हेतु एएनए को दूसरा प्रस्ताव भेजा। अप्रैल 2021 में एएनए द्वारा प्रस्ताव डीएसएस को 2003 से दरों में संशोधन न करने के कारणों सहित प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध करते हुए वापस कर दिया।

तत्पश्चात्, जुलाई 2021 में दर संशोधन समिति की बैठक हुई एवं वर्ष 2014-15 के लिए मौजूदा दर पर 10 प्रतिशत तक ड्राई कंटेनर/रीफर कंटेनर की दरों को संशोधित करने और तत्पश्चात् वर्ष 2014-15 के लिए निर्धारित दरों पर प्रत्येक वर्ष 7.5 प्रतिशत तक भाड़ा प्रभारों को बढ़ाने का प्रस्ताव था। यह प्रस्ताव अभी तक एएनए द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है।

लेखापरीक्षा ने अगस्त 2014 में समिति द्वारा प्रस्तावित कंटेनर भाड़ा दरों पर गैर-संशोधन के कारण 2014-15 से 2020-21 की अवधि के दौरान ₹3.19 करोड़ (अनुलग्नक-3.1) सीमा तक राजस्व की हानि को परिकल्पित किया।

लेखापरीक्षा ने आगे अवलोकन किया कि 2014-15 से 2021-22 की अवधि के दौरान निजी सेक्टर के जहाजों की कंटेनर भाड़ा दरों में ड्राई कंटेनरों के मामले में ₹61,000/- से ₹72,000/- तक तथा रीफर कंटेनरों के मामले में ₹87,150/- से

⁶ एफ सं. 15-28/सीडब्ल्यू/एफआरटी/डीएसएस/2013/603 दिनांक 19 अगस्त 2014 के द्वारा 05 अगस्त 2014 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त।

₹95,000/-तक की वृद्धि हुई। इस प्रकार, बाजार दरों एवं डीएसएस दरों के बीच व्यापक असमानता थी एवं डीएसएस द्वारा दर संशोधन लंबे समय से अतिदेय था।

निजी प्रचालकों की दरों की तुलना में, 2014-15 से 2020-21 की अवधि के दौरान दरों के गैर-संशोधन के कारण हानि ₹18.95 करोड़ (अनुलग्नक-3.2) की सीमा तक बनती है। फिर भी, कंटेनर भाड़ा दरों के प्रस्तावित संशोधन पर एएनए द्वारा आज तक (अक्टूबर 2022) कोई भी निश्चित निर्णय नहीं लिया गया है जिससे राजकोष को और अधिक हानि हो रही है।

मामला विभाग/मंत्रालय (2 दिसम्बर 2022 एवं फरवरी 2024) को भेजा गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित (01 मार्च 2024) है।

3.2 सामान्य वित्तीय नियमावली के उल्लंघन में कुल ₹61.01 लाख तक की बोली-पूर्व बयाना राशि जमा तथा प्रतिभूति जमा की गैर-वसूली

नौवहन सेवा निदेशालय (डीएसएस) अपने उपयोग से हटाए गए जलयानों की नीलामी हेतु सफल बोलीकर्ताओं से डीएसएस द्वारा मेसर्स मेटल स्ट्रैप ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएसटीसी) के साथ किए गए अनुबंध में कमियों के कारण कुल ₹61.01 लाख तक की बोली-पूर्व बयाना राशि जमा तथा बोली पश्चात् प्रतिभूति जमा को वसूलने में विफल रहा जिसका परिणाम सामान्य वित्तीय नियमावली के उल्लंघन के साथ-साथ उपयोग से हटाए गए जलयानों की बिक्री को पूरा करने की विफलता में हुआ।

नौवहन सेवा निदेशालय (डीएसएस) ने मेसर्स मेटल स्ट्रैप ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएसटीसी) (भारत सरकार का एक उपक्रम) के साथ माल की सभी श्रेणियों, अधिशेष सामग्रियों तथा स्ट्रैप/अप्रचलित सामग्रियों (लौह तथा अलौह सहित) के साथ-साथ उपकरण, संयंत्र/मशीनरियों, वाहनों तथा विविध सामग्रियों/वस्तुओं आदि की बिक्री हेतु एक विक्रय अभिकरण अनुबंध (एसएए) किया (जून 2018)।

एसएए का खंड 7.4 में अनुबंध था कि कुछ उच्च मूल्य वाली बोली के लिए वस्तुओं हेतु प्रधान अर्थात् डीएसएस की सलाह पर एमएसटीसी संभावित बोलीकर्ताओं से ई-नीलामी में उन्हें समर्थ बनाने हेतु बोली-पूर्व बयाना राशि जमा (ईएमडी) एकत्रित करेगा। संभावित बोलीकर्ताओं से एकत्रित की जाने वाली ईएमडी की राशि का समय-समय पर प्रधान तथा एमएसटीसी द्वारा परस्पर रूप में निर्णय लिया जाना

चाहिए। सफल बोलीकर्ता की बोली-पूर्व ईएमडी को प्रधान को प्रेषित किया जाएगा तथा असफल बोलीकर्ता के बोली-पूर्व ईएमडी को एमएसटीसी द्वारा वापस किया जाएगा। आगे, सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) 2017 का नियम 219 (ii) (सी) भी प्रावधान करता है कि बोलीकर्ता से अपनी बोली के साथ बोली प्रतिभूति प्रस्तुत करने को कहा जाना चाहिए जो सामान्य रूप से माल की निर्धारित अथवा आरक्षित कीमत का दस प्रतिशत होना चाहिए।

एसए के खंड 7.7 में अनुबंध था कि ई-नीलामी के परिणाम को एमएसटीसी द्वारा वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा जिससे कि ई-नीलामी की समाप्ति के तुरंत बाद तथा प्रतिभूति जमा (एसडी) के भुगतान हेतु निर्धारित समय तक इसे बोलीकर्ताओं द्वारा देखा जाए। ई-नीलामी बिक्री के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार एमएसटीसी द्वारा बोलीकर्ताओं को अधिसूचित किया जाना चाहिए कि ई-नीलामी की समाप्ति की तिथि से सात दिनों के निर्धारित समय के भीतर ई-नीलामी के परिणाम देखने तथा निर्धारित बयाना राशि जमा (ईएमडी)/एसडी अदा करने की बोलीकर्ताओं की जिम्मेदारी होगी। जीएफआर 2017 का नियम 220 (iv) में अनुबंध था कि यदि एक बोली स्वीकार की जाती है तो सफल बोलीकर्ता से या तो नगद या फिर माल बेचने वाले मंत्रालय अथवा विभाग के पक्ष में आहरित डिपोजिट-एट-कॉल-रिसीट (डीएसीआर) के रूप में मौके पर तुरंत बयाना राशि (बोली मूल्य के 25 प्रतिशत से कम नहीं) ली जानी चाहिए। सफल बोलीकर्ता को केवल शेष भुगतान की प्राप्ति के पश्चात् ही माल सुपुर्द किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अंडमान और निकोबार प्रशासन (एएनए) ने डीएसएस को नवम्बर 2019, दिसंबर 2019 तथा दिसंबर 2020 के दौरान अपने कुल 14 जलयानों को अनुपयोगी घोषित करने तथा उपयोग से हटाने हेतु अपना अनुमोदन दिया। तदनुसार, इन 14 जलयानों में से 11 को एमएसटीसी द्वारा एमएसटीसी के साथ डीएसएस द्वारा किए गए एसए के संदर्भ में ई-नीलामी के लिए डाला (अक्टूबर 2020⁷/जुलाई 2021⁸)। इन नीलामियों से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा

⁷ एमवी इंदु भूषण, एमवी महावीर सिंह, एमवी कलपोंग, एमएल सीगल तथा एमवी मोहवा की 28 अक्टूबर 2020 को नीलामी की गई थी।

⁸ एमवी गोमती, एमवी द्वीप शक्ति, एमवी राम राखा, एमवी भान सिंह तथा एचएमवी मोती तथा एमवी गर्जन की 28 जुलाई 2021 को नीलामी की गई थी।

ने प्रकट किया कि बोली-पूर्व ईएमडी को डीएसएस द्वारा एमएसटीसी के साथ परामर्श से निर्धारित नहीं किया गया था, जैसा एसएए में प्रावधान था, तथा 11 में से किसी भी जलयान की नीलामी हेतु संभावित बोलीकर्ताओं से इसका संग्रहण भी नहीं किया गया था। आगे, यह प्रकट हुआ कि इन 11 जलयानों की नीलामी के सफल समापन के पश्चात प्रतिभूति जमा, जिसे जलयानों के सामग्री मूल्य⁹ के 25 प्रतिशत पर निर्धारित किया गया था, केवल चार जलयानों¹⁰ के संबंध में वसूली की गई थी जबकि अन्य सात जलयानों के संबंध में कोई प्रतिभूति जमा वसूला नहीं गया था।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि नीलाम किए गए 11 जलयानों में से बिक्री लेन-देन केवल एमवी कल्पोंग के मामले में पूरा किया गया है जबकि नौ जलयानों को संबंधित एच1 बोलीकर्ताओं द्वारा अभी भी उठाया नहीं गया था। इस प्रकार जिसका परिणाम बिक्री लेन के गैर-समापन में हुआ (अक्टूबर 2022)। विभाग ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2022) में बताया कि नौ जलयानों को उठाया नहीं गया है क्योंकि एच 1 बोलीकर्ता इन जलयानों की अपेक्षित ईएमडी तथा सामग्री मूल्य का प्रेषण करने में चूक गए थे।

इस प्रकार, डीएसएस बोली-पूर्व ईएमडी की राशि को निर्धारित करने में विफल रहा तथा एमएसटीसी जीएफआर 2017 के उपरोल्लिखित प्रावधानों के उल्लंघन में बोली-पूर्व ईएमडी के साथ-साथ बोलीकर्ताओं से बोली पश्चात् प्रतिभूति जमा दोनों को वसूलने में विफल रहा। आगे, डीएसएस तथा एमएसटीसी के बीच एसएए में ऐसा कोई जुर्माना खंड शामिल नहीं था जिसे डीएसएस द्वारा एमएसटीसी की ओर से नीलामी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक व्यवस्थित करने में विफलता पर लागू किया जा सके।

परिणामस्वरूप, कम से कम नौ मामलों में एच1 बोलीकर्ता किसी भी वित्तीय क्षतिपूर्ति को अदा किए बिना बिक्री लेन-देन से अलग होने में समर्थ थे जबकि एमएसटीसी ने उन्हें कम से कम छः महीनों के लिए आगामी सभी ई-नीलामी में भाग लेने से वंचित कर दिया था। इससे उपयोग से हटाए गए जलयान डीएसएस

⁹ जलयान की खरीद हेतु एच1 बोलीकर्ता द्वारा उद्धृत मूल्य।

¹⁰ एमवी इंदु भूषण, एमवी महावीर सिंह, एमएल सीगल तथा एमवी गोमती।

के पास ही रहे जिससे समय बीत जाने के कारण उनका सामग्री मूल्य आगे कम होगा तथा जो बंदरगाह क्षेत्र में प्रचालनात्मक खतरा उत्पन्न कर सकता है।

लेखापरीक्षा ने नौ जलयानों के मामलों में जहां बिक्री लेन-देन पूर्ण नहीं किया गया बोली-पूर्व ईएमडी तथा प्रतिभूति जमा की गैर-वसूली के मूल्य को ₹3.74 लाख तथा ₹57.27 लाख (अनुलग्नक 3.3) परिकलित किया।

डीएसएस ने अपने उत्तर (फरवरी 2023) में बताया कि विभाग की सभी आगामी ई-नीलामियों में संभावित बोलीकर्ताओं से बोली-पूर्व ईएमडी प्राप्त करने हेतु एमएसटीसी के साथ मामले को उठाकर सुधारात्मक कार्रवाई प्रारम्भ की गई। तथापि, विभाग के उत्तर से यह स्पष्ट है कि नीलामी प्रक्रिया में गम्भीर चूकों, जैसा ऊपर उजागर किया गया है, के बावजूद इस मामले में कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गई है।

ड्राफ्ट पैरा मंत्रालय (05 दिसम्बर 2022) को प्रेषित किया गया था तथा उत्तर प्रतीक्षित है।

अंडमान लक्षद्वीप बंदरगाह संकर्म (एएलएचडब्ल्यू)

3.3 जुटाव अग्रिम एवं मालबंधन अग्रिम के कारण ब्याज की कम वसूली/ गैर-वसूली

अंडमान लक्षद्वीप बंदरगाह संकर्म (एएलएचडब्ल्यू) ठेकेदारों को ठेका अनुबंध के निबंधन और शर्तों के अनुसार दिए गए जुटाव अग्रिम एवं मालबंधन अग्रिम पर ब्याज की उगाही करने में विफल रहा जिसका परिणाम ब्याज की कम वसूली/ गैर-वसूली में हुआ।

अंडमान लक्षद्वीप बंदरगाह संकर्म (एएलएचडब्ल्यू) पोर्टब्लेयर ने (1) श्री के. उन्नीकृष्णन पिल्लै, सरकारी ठेकेदार, कैंपबेल खाड़ी (नवम्बर 2016)¹¹ को ₹18.65 करोड़ की कुल लागत पर “अं. और नि. द्वीप समूह में नील द्वीप पर अतिरिक्त पहुँच वाले घाट का निर्माण बर्थिंग घाट के विस्तार” का कार्य सौंपा तथा ठेका अनुबंध पर हस्ताक्षर दिसम्बर 2016¹² में ठेकेदार के साथ कथित कार्य के

¹¹ कार्य आदेश सं. एएलएचडब्ल्यू/टेक/पीएलजी/23(02)/2016/3118 दिनांक 08 नवम्बर 2016

¹² एएलएचडब्ल्यू/टेक/पीएलजी/एजीटी-10/2016-17 दिनांक 29 दिसम्बर 2016

लिए किए गए। इसी प्रकार से, एएलएचडब्ल्यू, पोर्टब्लेयर ने (2) मैसर्स आरडीएस प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर (फरवरी 2017)¹³ को ₹70.19 करोड़ की कुल लागत पर, “पोर्ट ब्लेयर, दक्षिण अंडमान में ड्राई डॉक पम्प एवं सहायक उपकरणों की आपूर्ति, अधिष्ठापन और चालू करने सहित समुद्री डॉकयार्ड पर ड्राई-डॉक-II के विस्तार” का कार्य सौंपा तथा ठेका अनुबंध पर हस्ताक्षर मार्च 2017¹⁴ में ठेकेदार के साथ कथित कार्य के लिए किए गए।

इन अनुबंधों की धारा 3.52.1 ने प्रदान किया कि ठेका का पांच प्रतिशत तक जुटाव अग्रिम ठेकेदार को भुगतान किया जाएगा तथा इसमें भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) मूल उधार दर (पीएलआर) प्लस दो प्रतिशत प्रतिवर्ष (भुगतान की तिथि तक) के बराबर ब्याज दर होगी। आगे, धारा 3.52.1 की उपधारा (IV) ने प्रावधान किया कि ठेकेदार प्रत्येक माह पृथक रूप से ब्याज का भुगतान करने का वचन देगा तथा ठेकेदार की ओर से प्रथक रूप से ब्याज का भुगतान करने में असफल होने के मामले में, विभाग पीएलआर प्लस दो प्रतिशत पर दंडात्मक ब्याज¹⁵ वसूलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इन अनुबंधों की धारा 3.52.2 मालबंधन अग्रिम¹⁶ से संबंधित है तथा उस धारा की उप-धारा (iv) के अनुसार, अग्रिम में एसबीआई पीएलआर प्लस दो प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर शामिल है।

अभिलेखों एवं उपर्युक्त दो निर्माण कार्यों के चालू खाता (आरए) बिलों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि ₹6.18 करोड़¹⁷ की राशि के अग्रिम जुटाव एवं या मालबंधन अग्रिम दोनों निर्माण कार्यों के लिए ठेकेदारों को प्रदान किया गया। पहले कार्य के मामले में, ₹18.68 लाख¹⁸ का अग्रिम मालबंधन एवं ₹93.24 लाख¹⁹ का अग्रिम

¹³ कार्य आदेश सं. एएलएचडब्ल्यू/टेक/पीएलजी/23(01)/2016/वोल.-1/478 दिनांक 10 फरवरी 2017

¹⁴ एएलएचडब्ल्यू/टेक/पीएलजी/एजीटी-04/2017-18 दिनांक 17 मार्च 2017

¹⁵ चूंकि जीसीसी नियोक्ता के विवेक पर दंडात्मक ब्याज वसूलने के अधिकार को छोड़ता है, इसलिए तत्काल मामलों में दंडात्मक ब्याज की गणना नहीं की गई है।

¹⁶ मालबंधन अग्रिम नए प्लॉट की कीमत के 75 प्रतिशत तक एवं ठेका मूल्य के अधिकतम पांच प्रतिशत के अधीन उपकरण हेतु ठेकेदार द्वारा संकर्म में शामिल करने के लिए निर्माण-स्थल पर लाए गए प्लॉट एवं उपकरण के मालबंधन के लिए प्रदान किया गया है।

¹⁷ ₹0.19 करोड़ का मालबंधन अग्रिम एवं ₹5.99 करोड़ का अग्रिम जुटाव।

¹⁸ एचआर सं. 35 दिनांक 13 अक्टूबर 2017 के तहत ₹9,33,781/- की पहली किश्त एवं एचआर सं. 38 दिनांक 03 नवम्बर 2017 के तहत ₹9,33,780/- दूसरी किश्त।

¹⁹ एचआर सं. 17 दिनांक 22 जून 2017 एवं एचआर सं. 22 दिनांक 04 अगस्त 2017 के तहत ₹46,62,185/- प्रत्येक की दो किश्तों का अग्रिम प्रदान किया गया।

जुटाव ठेकेदार को प्रदान किए गए। फिर भी, लेखापरीक्षा ने पाया कि मालबंधन अग्रिम के मामले में, ₹4.94 लाख की राशि के ब्याज की ही वसूली विभाग द्वारा नहीं की गई (अनुलग्नक-3.4) जबकि, अग्रिम जुटाव के मामले में ब्याज की वसूली ठेका अनुबंध में निर्धारित दर से कम दर पर कार्य के आरए बिलों से की गई, जिसका परिणाम ₹13.34 लाख (अनुलग्नक-3.4) की सीमा तक ब्याज की कम वसूली में हुआ।

दूसरे कार्य के मामले में, ₹3.51 करोड़ (वर्ष 2017)²⁰ का पहला अग्रिम जुटाव एवं ₹1.55 करोड़ (वर्ष 2021)²¹ का दूसरा अग्रिम जुटाव ठेकेदार को प्रदान किया गया। फिर भी, लेखापरीक्षा ने पाया कि कथित कार्य के आरए बिलों से ब्याज की वसूली ठेका अनुबंध में निर्धारित दर से कम दर पर थी, जिसका परिणाम ₹61.46 लाख (अनुलग्नक-3.5) की सीमा तक ब्याज की कम वसूली में हुआ।

इस प्रकार, विभाग दोनों निर्माण कार्यों के लिए ठेकेदारों को दिए गए अग्रिमों पर ब्याज की वसूली करने में असफल रहा। आगे, विभाग के लिए भी अपेक्षित था कि ठेका अनुबंध के लागू प्रावधानों के अनुसार ब्याज के भुगतान में कमी के कारण दंडात्मक ब्याज वसूल करें।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2024) कि जुटाव अग्रिमों पर ब्याज की कम वसूली के प्रति पहले कार्य के संबंध में मार्च 2023/जनवरी 2024 में ₹21.04 लाख की वसूली की गई है तथा दूसरे कार्य के संबंध में जनवरी 2023 में ₹63.39 लाख²² की वसूली की गई है। यह सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में ऐसे दृष्टांतों की पुनरावृत्ति न हो।

²⁰ एचआर सं. 66 दिनांक 29 मार्च 2017 एवं एचआर सं. 34 दिनांक 21 नवम्बर 2017 के तहत ₹1,75,47,432/- प्रत्येक की दो किश्तों का अग्रिम प्रदान किया गया।

²¹ एचआर सं. 52 दिनांक 18 मार्च 2021 के तहत ₹95,00,000/- की पहली किश्त, एचआर सं. 53 दिनांक 24 मार्च 2021 की ₹18,00,000/- की दूसरी किश्त एवं एचआर सं. 01 दिनांक 01 अप्रैल 2021 के तहत ₹42,00,000/- की तीसरी किश्त।

²² वसूली राशि जैसा कि विभाग द्वारा परिकल्पित की गई है, यह राशि पैरा में इंगित की गई ₹61.46 लाख की वसूली राशि से अलग है, जिसका कारण: (i) मूल राशि में आहरण के साथ-साथ वसूली के लिए गणना की गई तिथियों में अंतर जिसके परिणामस्वरूप दिनों की संख्या में अंतर हुआ है जिस पर ब्याज की गणना की गई है; (ii) विभाग द्वारा गणना 91वें आरए बिल (फरवरी 2022) तक की गई है जबकि लेखापरीक्षा द्वारा गणना 96वें आरए बिल (जून 2022) तक की गई।

चंडीगढ़ प्रशासन

3.4 ठेकेदारों को अनुचित लाभ

नगर निगम चण्डीगढ़ ने जोन I में 32 पार्किंग क्षेत्रों तथा जोन-II में 57 पार्किंग क्षेत्रों का आबंटन 23 जनवरी 2020 से प्रारम्भिक रूप से तीन वर्षों की अवधि, जो आगे दो वर्षों के लिए बढ़ाने योग्य थी, के लिए ₹5,01,03,001/- तथा ₹5,51,11,111/- प्रति वर्ष के वार्षिक लाईसेंस शुल्क हेतु क्रमशः मेसर्स राम सुंदर प्रसाद सिंह, पटना तथा मेसर्स पाश्चात्य इंटरटेनमेंट (पी) लिमिटेड, दिल्ली को किया। हालांकि, स्टाम्प शुल्क अधिनियम, 1899 तथा भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 के प्रावधानों के विरुद्ध ठेकेदारों ने वास्तव में उद्ग्रहण ₹23.67 लाख के स्थान पर केवल ₹7.01 लाख स्टाम्प शुल्क जमा किया जिसका परिणाम कुल ₹16.66 लाख के राजस्व की हानि में हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹7.26 करोड़ की लाईसेंस शुल्क की राशि एमसीसी द्वारा बैंक गारंटी की गैर-जब्त की कारण जोन-II के ठेकेदार से अभी भी लंबित है (जनवरी 2023)।

ठेकेदारों को इस अनुचित लाभ का परिणाम ₹16.66 लाख की स्टाम्प शुल्क की राशि के कम जमा और ₹7.26 करोड़ की लाईसेंस शुल्क की राशि की कम वसूली के कारण राजस्व की हानि में हुआ।

3.4.1 भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17(i) (डी) के तहत वर्ष दर वर्ष अथवा एक वर्ष से अधिक किसी भी अवधि के लिए अथवा वार्षिक किराये को आरक्षित करने के लिए अचल सम्पत्ति के पट्टे को अनिवार्य रूप से पंजीकृत किया जाना है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1-ए का अनुच्छेद 35 औसतन वार्षिक किराया की राशि एवं पट्टे की अवधि के आधार पर, इसके अतिरिक्त जुर्माने के मूल्य अथवा प्रीमियम अथवा अग्रिम की राशि के समान मानते हुए निर्धारित दरों पर पट्टानामा पर स्टाम्प शुल्क के उद्ग्रहण का प्रावधान करता है। आगे, पट्टानामा (उस मामले में जहां पट्टा अवधि पांच वर्षों तक की है) के मामले में, 18 सितम्बर 2017 से लागू यू.टी. चण्डीगढ़ की कलेक्टर दरों की अनुसूची के अनुसार दो प्रतिशत की दर पर स्टाम्प शुल्क तथा प्रतिभूति/अग्रिम किराये पर तीन प्रतिशत की दर पर अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का उद्ग्रहण किया जाना है। ई-बोली के खंड 8 के अनुसार, लाईसेंसधारी मांग पत्र जारी होने के 15 दिनों के भीतर उप-रजिस्ट्रार यू.टी., चण्डीगढ़ से स्टाम्प के मूल्य की पुष्टि करने के पश्चात् स्टाम्प

पेपर पर लाईसेंस विलेख निष्पादित करेगा तथा सभी लागत लाईसेंसधारी द्वारा वहन की जाएगी।

वर्ष 2019-20 के लिए नगर निगम (एमसी), चण्डीगढ़ से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया था कि एमसी, चण्डीगढ़ ने निविदा आमंत्रित करने के बाद तीन वर्षों की अवधि, जो आगे दो वर्षों के लिए बढ़ाने योग्य है, के लिए वार्षिक लाईसेंस शुल्क आधार पर जोन I एवं II में 89 सशुल्क पार्किंग क्षेत्रों के प्रचालन एवं प्रबंधन हेतु लाईसेंस प्रदान किया। 23 जनवरी 2020 को जोन-I की 32 सशुल्क पार्किंगों का लाईसेंस का आबंटन ₹5,01,03,001/-प्रतिवर्ष के लिए मेसर्स राम सुंदर प्रसाद सिंह, पटना, तथा जोन II के 57 सशुल्क पार्किंग क्षेत्र को लाईसेंस का आबंटन ₹5,51,11,111/- प्रतिवर्ष के लिए मैसर्स पाश्चात्य इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली को तीन वर्षों की अवधि, जो अन्य दो वर्षों के लिए बढ़ाने योग्य है, के लिए किया।

लेखापरीक्षा संवीक्षा (जुलाई 2020) ने प्रकट किया कि लाईसेंसधारियों ने ₹5,51,11,111/- एवं ₹5,01,03,001/- प्रतिवर्ष के स्थान पर ₹1,83,66,666/- तथा ₹1,67,01,000/- प्रतिवर्ष के लाईसेंस शुल्क पर क्रमशः ₹3,67,335/- तथा ₹3,34,020/- की राशि के स्टाम्प शुल्क का भुगतान किया। इसका परिणाम मैसर्स पाश्चात्य इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली (₹8,72,664/-) तथा मैसर्स राम सुंदर प्रसाद सिंह पटना (₹7,93,298/-) द्वारा ₹16,65,962/- के स्टाम्प शुल्क के कम भुगतान में हुआ जैसा **अनुलग्नक 3.6** में ब्योरा दिया गया है।

इस मामले को सितंबर 2020 में निगम के संज्ञान में लाया गया था। अपने उत्तर (दिसंबर 2022) में निगम ने बताया था कि इसके पास पंजीकरण शुल्क तथा स्टाम्प शुल्क को निर्धारित करने का कोई प्राधिकार नहीं था क्योंकि यह कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, यूटी, चण्डीगढ़ में किया जा रहा था। निगम का उत्तर इस कारण से स्वीकार्य नहीं है कि जबकि वह स्टाम्प शुल्क के निर्धारण हेतु उत्तरदायी नहीं था फिर भी वह परिश्रम की कमी के कारण लाईसेंसधारियों द्वारा अपने पट्टा लाईसेंस

विलेख में तथ्यों²³ की गलत व्याख्या को सत्यापित करने तथा इंगित करने में विफल रहा।

अपने बाद के उत्तर (अप्रैल 2023) में एमसीसी ने बताया कि निम्नलिखित सुधारात्मक उपाय किए गए हैं:

- i) संबंधित अधिकारियों पर बड़े दण्ड के लिए चार्ज शीट लगाई गई है।
- ii) चूंकि स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी कलेक्टर हैं इसलिए कलेक्टर, स्टाम्प शुल्क, चण्डीगढ़ को भूमि राजस्व बकाया के रूप में अपूर्ण स्टाम्प शुल्क की वसूली करने के लिए पत्र प्रेषित किया गया है।

3.4.2 निविदा दस्तावेज के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार, लाईसेंसधारी प्रत्येक माह के 7वें दिन से पहले अग्रिम रूप से एक लॉट में सभी पार्किंगों हेतु एक माह की बोली राशि जमा करेगा। इसके अतिरिक्त, माह के अंतिम कार्य दिवस तक भुगतान न किए जाने के मामले में आयुक्त एमसीसी या इनके प्राधिकृत अधिकारी को लाईसेंस को रद्द करने तथा बैंक गारंटी से लाईसेंसधारी के प्रति ब्याज सहित बकाया देयों, तथा किसी भी वित्तीय देयता के समान देय राशि को जब्त करने का अधिकार होगा।

कोविड-19 की लॉकडाउन अवधि के कारण निगम ने 16 मार्च 2020 से नवम्बर 2020 तक 35 से 100 प्रतिशत तक देय लाईसेंस शुल्क को माफ करने के आयुक्त के प्रस्ताव पर विचार किया तथा अनुमोदित किया।

लेखापरीक्षा ने पाया (मई 2021) कि 23 जनवरी 2020 से 31 मार्च 2021 की अवधि के लिए जोन-II में 57 सशुल्क पार्किंग क्षेत्रों हेतु लाईसेंसधारी अर्थात् मेसर्स पाश्चात्य इंटरटेनमेंट (पी) लिमिटेड, चण्डीगढ़ द्वारा कुल ₹4,09,33,845/- का लाईसेंस शुल्क जमा किया जाना था जिसके प्रति लाईसेंसधारी ने केवल ₹3,08,68,383/- जमा किए जिसका परिणाम ₹100.65 लाख के लाईसेंस शुल्क के कम जमा में हुआ (अनुलग्नक-3.7)। तथापि, एमसीसी ने लाईसेंस शुल्क के कम

²³ प्रतिवर्ष देय ₹5,51,11,111/- एवं ₹5,01,03,001/- के लाईसेंस शुल्क को लाईसेंसधारियों द्वारा लाईसेंस विलेख में तीन वर्षों की अवधि के लिए देय के रूप में दर्शाया गया था जिसका परिणाम स्टाम्प शुल्क के कम जमा में हुआ।

जमा की वसूली हेतु न तो बैंक गारंटी जब्त करने का सहारा लिया और न ही पट्टा करार को रद्द किया।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि यद्यपि संविदा को रद्द करने की उचित प्रक्रिया 15 नवम्बर 2021 को प्रारम्भ की गई थी फिर भी इसे पूरा नहीं किया गया था तथा 17 दिसम्बर 2021 को फिर से एक नोटिस जारी किया गया था जब बकाया राशि केवल ₹83.38 लाख थी। इसका भी संबंधित प्राधिकारियों द्वारा अनुसरण नहीं किया गया था। तत्पश्चात् आयुक्त ने बकाया राशि की वसूली हेतु 36 ब्लैंक चेक के उपयोग को अनुमोदित किया (01 सितम्बर 2022) तथा बैंक गारंटी को जब्त करने, ठेकेदार को बर्खास्त करने एवं काली सूची में डालने के लिए उचित प्रक्रिया का अनुपालन करने का निदेश दिया। इस निर्णय को भी कार्यान्वित नहीं किया गया था जिसका परिणाम 01 मार्च 2023 तक ब्याज सहित ₹726.27 लाख तक की बकाया राशि के संचय में हुआ। इसी दौरान, लाईसेंसधारी की संविदा 23 जनवरी 2023 को समाप्त हो गई।

निगम ने अपने उत्तर (अप्रैल 2023) में बताया कि उन्होंने लाईसेंसधारी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने सहित पहले ही सभी कदम उठा लिए थे जिससे लाईसेंसधारी को गिरफ्तार करने, काली सूची में डालने, बैंक गारंटी को अभिमंत्रित करने तथा दिवालियापन एवं शोधन अक्षमता संहिता के तहत वसूली की कार्रवाई की जा सके।

निगम का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वह निविदा की शर्तों के अनुसार समय पर कार्रवाई जिसे उचित प्रकार से 15 नवम्बर 2021 को शुरू किया गया था, करने में विफल रहा। लाईसेंसधारी द्वारा दिसंबर 2021 से मासिक किश्तों को जमा न करने के बावजूद उन्होंने न तो संविदा को रद्द/समाप्त किया और न ही बैंक गारंटी से बकायों की वसूली की। जैसा कि 1 सितम्बर 2022 को आयुक्त द्वारा निर्णय लिया गया था, वह 36 ब्लैंक चेक का नकदीकरण करके बकाया देयों को वसूलने में भी विफल रहा। वास्तव में, लेखापरीक्षा द्वारा जल्द से जल्द मई 2021 में सूचना के बावजूद जब कोई अन्य विकल्प नहीं था, जब बकाया राशि केवल एक करोड़ थी जो बैंक गारंटी में पूरी तरह कवर थी, तब कार्रवाई केवल संविदा की समाप्ति के बाद ही एक निष्पन्न कार्य के रूप में प्रारम्भ की गई थी।

इस प्रकार, निगम की उदासीन अभिवृत्ति का परिणाम सरकारी राजकोष को स्टाम्प शुल्क के कारण ₹16.66 लाख तथा लाईसेंस शुल्क के कारण ₹7.26 करोड़ की हानि में हुआ।

दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव

3.5 सहायता अनुदान पर अर्जित ब्याज का प्रतिधारण

जिला पंचायत दमन तथा इसकी ग्राम पंचायतों ने जीएफआर प्रावधानों के उल्लंघन में सहायता अनुदान (जीआईए) पर अर्जित ब्याज का प्रेषण नहीं किया था।

जीएफआर, 2017 के नियम 230(8) के साथ पठित शहरी तथा ग्रामीण स्थानीय स्वयं-सरकारी संस्थानों को सहायता अनुदान के निर्गम से संबंधित जीएफआर का नियम 228(डी) अनुबंध करता है कि किसी भी अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थान को जारी सहायता अनुदानों या अग्रिमों (प्रतिपूर्ति से अलग) के सापेक्ष में सभी ब्याज या अन्य आय की लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने के तुरंत बाद ही भारत की समेकित निधि को अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाना चाहिए। ऐसे अग्रिमों को भविष्य के निर्गमों के सापेक्ष में समायोजित किए जाने को अनुमत नहीं किया जाना चाहिए।

जिला पंचायत, दमन नें संघ शासित क्षेत्र तथा भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सहायता अनुदान प्राप्त किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि 31 मार्च 2021 तक, जिला पंचायत, दमन ने चार यूटी/केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत 2017-18 से 2020-21 के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान पर ₹71.01 लाख का ब्याज अर्जित किया। इन अनुदानों पर जिला पंचायत, दमन द्वारा अर्जित ब्याज के विवरण नीचे तालिका सं. 3.1 में दिए गए हैं:

तालिका सं. 3.1: जिला पंचायत, दमन द्वारा अर्जित ब्याज का विवरण

क्र. सं.	यूटी/केन्द्रीय योजना का नाम	लेखापरीक्षित लेखे के अनुसार अर्जित ब्याज (₹ में)	
			अवधि से संबंधित
1.	डाभेल खेल कॉम्प्लेक्स, दमन (यूटी योजना)	21,89,855	2018-19 से 2020-21
2.	एमपी स्थानीय क्षेत्र विकास (एमपीएलएडी)	4,99,951	2019-20 से 2020-21
3.	सूर्योदय आवास योजना (यूटी योजना)	5,62,484	2018-19 से 2020-21
4.	स्वच्छ भारत मिशन (एसबीए) केन्द्रीय योजना	38,48,827	2017-18 से 2020-21
	कुल	71,01,117	

आगे, यह भी पाया गया था कि जिला पंचायत, दमन की तीन जिला पंचायतों ने 2018-19 से 2020-21 के दौरान सहायता अनुदान पर ₹1.48 करोड़ का ब्याज अर्जित किया जो जिला पंचायत, दमन द्वारा अर्जित ब्याज से अतिरिक्त था। 2018-19 से 2020-21 के दौरान इन तीन ग्राम पंचायतों द्वारा अर्जित ब्याज के विवरण नीचे तालिका सं. 3.2 में दिए गए हैं:

तालिका सं. 3.2: ग्राम पंचायत द्वारा अर्जित ब्याज का विवरण

(राशि ₹ में)

अवधि	डाभेल	भीमपोर	कडैया	कुल
2018-19	61,10,551	19,34,559	10,13,892	90,59,002
2019-20	22,78,744	14,96,307	3,27,395	41,02,446
2020-21	6,61,013	10,30,220	19,124	17,10,357
			कुल योग	1,48,71,805

तथापि, न तो जिला पंचायत, दमन ने और न ही इसकी ग्राम पंचायतों ने तीन वर्षों के लेखाओं अर्थात् 2018-19 से 2020-21 को यहाँ तक कि अंतिम रूप देने के पश्चात् भी ब्याज का प्रेषण किया जो जीएफआर के प्रावधानों के उल्लंघन में है।

ऐसे प्रतिधारण हेतु किसी भी प्राधिकार के अभाव में विभिन्न अनुदानों से अर्जित ब्याज का प्रतिधारण न केवल जीएफआर 2017 के उल्लंघन में है बल्कि सरकार को अतिरिक्त निधियों के अर्थपूर्ण उपयोग से प्रतिबंधित भी करता है। ऐसा अप्राधिकृत प्रतिधारण लोक निधियों के दुरुपयोग के जोखिम से भी भरा है।

लेखापरीक्षा (जुलाई 2021) में इंगित किए जाने पर, सीईओ जिला पंचायत, दमन ने उत्तर दिया कि संबंधित विभागों से पुष्टि पर ब्याज को सरकारी खाते में जमा किया जाएगा। तथापि, जिला पंचायत, दमन के साथ-साथ इनकी ग्राम पंचायतों से संबंधित ब्याज की राशि को अभी भी सरकारी खाते में जमा किया जाना है (जनवरी 2023)।

पैरा दिसम्बर 2022 एवं फरवरी 2024 में मंत्रालय को जारी किया गया। उनका उत्तर प्रतीक्षित है (01 मार्च 2024)।

लद्दाख

जम्मू एवं कश्मीर सशस्त्र पुलिस (जेकेएपी)

3.6 परिवीक्षा पर नियुक्त किए गए कार्मिकों को भत्तों का अस्वीकार्य भुगतान

जे एण्ड के विशेष भर्ती नियमावली, 2015 के विपरीत, कमांडेंट जेकेएपी 25वीं बटालियन, लेह ने 2015 के सांविधिक विनियामक आदेश (एसआरओ) 202 के तहत नियुक्त विभिन्न परिवीक्षाधीन कार्मिकों को बटालियन में उनकी तैनाती के दौरान सितंबर 2018 से जून 2020 की अवधि के लिए ₹5.13 करोड़ की सीमा तक अस्वीकार्य वित्तीय लाभ अनुमत किया।

जम्मू और कश्मीर विशेष भर्ती नियमावली, 2015 के नियम 8 ने अनुबंध किया कि इन नियमों के तहत नियुक्त व्यक्ति प्रारम्भ में पांच वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा तथा पांच वर्षों के समापन के बाद इसकी सेवा को स्थायी रूप में घोषित किया जाएगा बशर्ते ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण करने या इस प्रकार के प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने जैसा कि जम्मू और कश्मीर (सीसीए) नियमावली, 1956 के अधीन प्रावधान किया गया है अथवा उस पद/सेवा जिस पर इसकी नियुक्ति की गई है, को नियंत्रित करने वाली संबंधित भर्ती नियमावली के तहत निर्धारित किया गया है। नियम 9(1) प्रावधान करता है कि पांच वर्षों की अवधि के दौरान, नियुक्त कार्मिक पद के लिए लागू ग्रेड पे के साथ न्यूनतम वेतनमान का पात्र होगा तथा उपरोक्त एसआरओ का नियम 10 अनुबंध करता है कि इन नियमों के तहत नियुक्त व्यक्ति सेवा की पांच वर्षों की परिवीक्षा के सफलतापूर्वक समापन के बाद वार्षिक वेतनवृद्धि, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता तथा नगर प्रतिपूरक भत्ता के पात्र होंगे।

2015 के कथित एसआरओ 202 का सरकार द्वारा 2020 का एस.ओ 194 दिनांक 17 जून 2020 के माध्यम से संशोधन किया गया था जिसमें परिवीक्षा अवधि को 5 से 2 वर्षों तक कम किया गया था तथा नियम 13 का समावेशन हेतु प्रावधान किया गया था। उक्त स्पष्टीकरण के नियम 5 के द्वारा शामिल कथित नियम 13(ए) प्रावधान करता है कि ऐसे व्यक्ति, जिन्होंने जे एण्ड के विशेष भर्ती नियम (संशोधित नियमावली), 2020 द्वारा किए गए संशोधनों के अनुसार, 1 जुलाई 2020 से पहले परिवीक्षा को पूर्ण कर लिया है, 30 जून 2020 तक केवल काल्पनिक लाभ के तथा इसके पश्चात् 01 जुलाई 2020 से वित्तीय लाभ के हकदार होंगे।

लेखापरीक्षा ने पाया (जून 2021) कि जे एण्ड के विशेष भर्ती नियमावली, 2015 के नियम 9(1) के विपरीत कमांडेंट जेकेएपी 25वीं बटालियन ने 2015 के एसआरओ 202 के तहत नियुक्त विभिन्न परिवीक्षाधीन कार्मिकों को बटालियन में उनकी तैनाती के दौरान सितंबर 2018 से जून 2020 की अवधि के लिए विभिन्न भर्तों के कारण ₹5,12,54,604/- की सीमा तक अस्वीकार्य वित्तीय लाभ अनुमत किए थे जैसा कि **अनुलग्नक-3.8** में विवरण दिया गया है।

इंगित किए जाने पर (जून 2021), विभाग ने उत्तर दिया (जून 2021) कि मामले पर ध्यान दिया जाएगा तथा इसके पश्चात् संबंधित कार्मिक से वसूली की जाएगी। मामला नवम्बर 2022 तथा फरवरी 2023 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया था, उनके उत्तर प्रतीक्षित है (01 मार्च 2024)।

(बी) राजस्व

चंडीगढ़ प्रशासन

3.7 गलत परिकलन के कारण कर का कम उदग्रहण

पंजाब वैट अधिनियम, 2005 के तहत कर निर्धारण के दौरान नामित अधिकारी अर्थात् आबकारी एवं कराधान अधिकारी वार्ड-9, चण्डीगढ़ ने ₹26,30,333 के बजाय ₹23,68,010 राशि के कर की गलत तरीके से गणना की जिसका परिणाम कुल ₹5,57,415 के लिए कर ₹2,62,313 एवं ब्याज ₹2,95,102 की कम गणना में हुआ।

पंजाब वैट अधिनियम 2005 की धारा 26(1) एवं (2) के अनुसार, प्रत्येक कर योग्य व्यक्ति स्वयं-कर निर्धारण करेगा तथा सही अवधि हेतु रिटर्न को ऐसे समय के अंदर एवं ऐसे फॉर्म में जैसा निर्धारित हो, फाइल करेगा। प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति स्वयं-कर निर्धारण करेगा तथा एक अवधि हेतु रिटर्न को ऐसे समय के अंदर एवं ऐसे फॉर्म में जैसा निर्धारित हो, फाइल करेगा। आगे, उक्त अधिनियम की धारा 29(1) के अनुसार जहां रिटर्न धारा 26 की उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत या धारा 26 की उप-धारा-(6) के अन्तर्गत एक नोटिस के जवाब में फाईल की गई है, यदि कोई कर या ब्याज स्वतः निर्धारण पर अदा किए गए किसी भी कर एवं कर या ब्याज के माध्यम से अदा की गई किसी भी राशि के समायोजन के बाद देय पाया जाता है तो उप-धारा (2) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी देय राशि विनिर्दिष्ट करते हुए व्यक्ति को एक सूचना भेजी जाएगी और ऐसी सूचना

को उपधारा (11) के अधीन जारी मांग का नोटिस माना जाएगा तथा इस अधिनियम के सभी प्रावधान तदनुसार लागू होंगे। अधिनियम की धारा 29(11) अनुबंध करती है कि जब कोई भी कर, ब्याज, जुर्माना या कोई अन्य राशि इस अधिनियम के तहत पारित किसी भी आदेश के फलस्वरूप देय है तो नामित अधिकारी ऐसी देय राशि को विनिर्दिष्ट करते हुए निर्धारित फॉर्म में मांग का नोटिस व्यक्ति को भेजेगा। पंजाब वैट अधिनियम, 2005 की निपटान सं. दिनांक 10 जून 2020 के तहत निर्धारित में. वी.पी. सिंह कंस्ट्रक्शन कम्पनी, एअरफोर्स स्टेशन, चण्डीगढ़ के वर्ष 2013-14 के लिए कर निर्धारण फाइल की संवीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि नामित अधिकारी ने ₹26,30,333 के बजाए ₹23,68,010 की राशि के कर की गलत गणना की, जिसका परिणाम कुल ₹5,57,415 के लिए कर ₹2,62,313 एवं ब्याज ₹2,95,102 की कम गणना में हुआ जैसा कि विवरण तालिका सं. 3.3 में निम्नवत है:

तालिका सं. 3.3: कर एवं ब्याज का परिकलन

(राशि ₹ में)

कर निर्धारण के अनुसार विवरण	कर निर्धारण मामले के अनुसार राशि	वास्तविक कर राशि	कम परिकलित कर
2575252*4%	99048	103010	3962
7075028*5%	336906	353751	16845
17388500*12.5%	1932056	2173562	241506
कुल	2368010	2630323	262313
1.5 प्रतिशत की दर पर पंजाब वैट अधिनियम, 2005 की धारा 32(3) के अंतर्गत ब्याज=262313*15% 75 महीने (अप्रैल 14 से जून 2020= 75 महीने)			295102
		कुल योग	557415

इस चूक का परिणाम लागू जुर्माने के अतिरिक्त ₹5,57,415/- के कर एवं ब्याज के कम उदग्रहण में हुआ।

इंगित किए जाने पर (दिसम्बर 2021, मई 2022 एवं नवम्बर 2022), विभाग ने उत्तर दिया (नवम्बर 2022) कि मामला पीवैट अधिनियम, 2005 की धारा 65 के अधीन पुनरीक्षण प्राधिकारी को भेजा गया है, जैसा कि यू.टी. चण्डीगढ़ में लागू है। अंतिम परिणाम सूचित किया जाएगा क्योंकि पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मामले का निर्णय किया जाता है।

विभाग का अंतिम उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2022)।

इस प्रकार, नामित अधिकारी द्वारा गलत परिकलन के कारण सरकारी राजकोष को ₹5.57 लाख की राशि की हानि हुई। विभाग को लेखापरीक्षा को सूचित करते हुए नामित अधिकारी की जिम्मेदारी तय करने के लिए कार्रवाई शुरू करने की भी आवश्यकता है।

3.8 बिक्री को छुपाने के परिणामस्वरूप कर का कम उदग्रहण

आबकारी और कराधान अधिकारी, वार्ड-8, चण्डीगढ़ क्रमशः निर्धारण वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के लिए निर्धारित मै. शिवा रेमिडीस के निर्धारण मामलों में अंत शेष एवं अथ शेष माल का क्रॉस चेक करने एवं तुलना करने में असफल रहा। इन वर्षों के व्यापार लेखाओं की तुलना ने प्रकट किया कि निर्धारण वर्ष 2015-16 के अंत शेष माल तथा निर्धारण वर्ष 2016-17 के अथ शेष माल में ₹ एक करोड़ का अंतर था। चूक का परिणाम ₹24.68 लाख की राजस्व हानि में हुआ।

पंजाब वैट अधिनियम, 2005 की धारा 42(1) के अनुसार, प्रत्येक कर योग्य व्यक्ति, पंजीकृत व्यक्ति, आकस्मिक व्यापारी अथवा कोई भी अन्य व्यक्ति, जिसे आयुक्त अथवा नामित अधिकारी द्वारा उसको दिए गए नोटिस द्वारा ऐसा करना अपेक्षित है, उसके द्वारा बेचे तथा खरीदे गए माल का एक सही खाता रखेगा। उक्त अधिनियम की धारा 47(1) भी प्रावधान करती है कि कर की चोरी से बचने तथा इस अधिनियम के प्रावधानों के उपयुक्त अनुपालन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से, आयुक्त अथवा नामित अधिकारी समय-समय पर एक व्यक्ति, श्रेणी या व्यक्तियों के समूह द्वारा की गई बिक्रियों तथा खरीदों की सूचना एकत्रित करें तथा जिससे ऐसी किसी भी बिक्री तथा खरीद को क्रॉस-चेक किया जा सके। आगे, धारा 28(1) के अनुसार आयुक्त अथवा नामित अधिकारी सामान्य रूप से रिटर्न की यथार्थता तथा इनपुट टैक्स क्रेडिट तथा प्रतिदाय सहित विभिन्न दावों, की स्वीकार्यता को सुनिश्चित करने की दृष्टि से एक व्यक्ति द्वारा कोई भी फाईल किया गया रिटर्न, प्रस्तुत दस्तावेजों, अथवा सूचना अथवा सांविधिक प्रपत्रों की ऐसी शर्तों तथा ऐसे तरीकों के अधीन जैसा कि निर्धारित किए जाए, लेखापरीक्षा कर सकता है या लेखापरीक्षा करवा सकता है। धारा 28(2) प्रावधान करती है कि उपधारा (1) के अधीन लेखापरीक्षा के उद्देश्य हेतु आयुक्त अथवा कोई भी नामित अधिकारी लेखापरीक्षा किए जाने वाले व्यक्ति को उचित नोटिस के पश्चात् अभिलेखों, व्यापार के कुल माल तथा व्यक्ति के संबंधित दस्तावेजों की जांच कर सकता है। अभिलेखों की ऐसी जांच राज्य के आबकारी और कराधान विभाग के किसी भी कार्यालय में

या व्यक्ति के व्यावसायिक परिसर में की जा सकती है। पंजाब मूल्य वृद्धि कर अधिनियम, 2005 की धारा 32(3) के अनुसार, यदि एक व्यक्ति रिटर्न में कर की राशि, जिसे घोषित किया जाना चाहिए था, को घोषित करने में विफल होता है तो ऐसा व्यक्ति भुगतान की अंतिम तिथि से उस दिन तक, जब वह वास्तव में कर की राशि अदा करता है, कर की ऐसी राशि पर 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर पर साधारण ब्याज अदा करने के लिए उत्तरदायी होगा।

क्रमशः निर्धारण वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के लिए निर्धारित (2020-21 के दौरान) मेसर्स शिवा रेमेडीस के निर्धारण मामलों में कार्यालय आबकारी तथा कराधान अधिकारी, वार्ड-8, चण्डीगढ़ से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि कथित वर्षों में व्यापार लेखा में अंत तथा अथ शेष माल का उल्लेख जैसा कि तालिका सं. 3.4 में निम्नवत किया गया है:

तालिका सं. 3.4: व्यापार लेखे में अंत तथा अथ शेष माल का विवरण

(राशि ₹ में)

वर्ष	अथ शेष माल	अंत शेष माल	अंतर (पिछले वर्ष का अंत शेष माल तथा अगले वर्ष का अथ शेष माल)
2015-16	1,55,52,070	1,57,21,300	--
2016-17	57,21,300	29,10,091	1,00,00,000

अथ तथा अंत शेष में अंतर के कारण कर निर्धारिती ने ₹1,00,00,000/- की राशि की बिक्री को छुपाया जिस पर विक्रेता द्वारा अगस्त 2022 तक ₹12,18,750/- के ब्याज सहित ₹24,68,750/- की कर राशि को अपवंचित किया गया है।

कम वापस की गई राशि=	₹1,00,00,000
कर की दर =	12.5 प्रतिशत
कर राशि=	₹12,50,000
अप्रैल 2017 से अगस्त 2022 तक अर्थात् 65 माह हेतु 1.5 प्रतिशत की दर पर ब्याज =	₹12,18,750
कुल	₹24,68,750

इस प्रकार, कर के कम निर्धारण का परिणाम राज्य राजकोष को ₹24,68,750/- (कर+ब्याज) की हानि में हुआ।

मामला विभाग को सूचित किया गया था (सितम्बर 2022) तथा विभाग ने पैरा को स्वीकार किया (सितम्बर 2022) तथा मामले को संशोधन हेतु प्रेषित किया है और बताया कि अंतिम उत्तर संशोधन के पश्चात् प्रस्तुत किया जाएगा।

नामित अधिकारी पिछले वर्ष तथा निर्धारण वर्ष से संबंधित माल की लेखा बहियों को क्रॉस चैक करने में विफल रहा। विभाग ने बताया है कि मामलों के निर्धारण के संबंध में कोई निर्धारित जांच सूची नहीं है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह एक मूलभूत जांच थी जो किसी भी निर्धारण को संसाधित करते समय की जानी अपेक्षित है।

विभाग को आवश्यकता है :

1. मामलों के निर्धारण हेतु एक जांच सूची तैयार करें।
2. लेखापरीक्षा को सूचित करते हुए नामित अधिकारी की जिम्मेदारी को निर्धारित करने की कार्रवाई प्रारम्भ करें।

नई दिल्ली
दिनांक: 29 अप्रैल 2024



(राजीव कुमार पाण्डेय)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
(केन्द्रीय व्यय)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 7 जून 2024



(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1

(विहंगावलोकन तथा पैराग्राफ सं.1.4 में संदर्भित)

सामान्य तथा सामाजिक क्षेत्र के अधीन सिविल मंत्रालयों/विभागों के अनुदान

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग
आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी मंत्रालय (आयुष)	
1.	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी मंत्रालय (आयुष)
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय	
2.	औषध विभाग
संस्कृति मंत्रालय	
3.	संस्कृति मंत्रालय
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	
4.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय
शिक्षा मंत्रालय	
5.	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
6.	उच्चतर शिक्षा विभाग
विदेश मंत्रालय	
7.	विदेश मंत्रालय
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	
8.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
9.	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग
गृह मंत्रालय (यूटी सहित)	
10.	गृह मंत्रालय
11.	मंत्रिमंडल
12.	पुलिस
13.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह
14.	चण्डीगढ़
15.	दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव
16.	लद्दाख

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग
17.	लक्षद्वीप
18.	दिल्ली को अंतरण
19.	जम्मू एवं कश्मीर को अंतरण
20.	पुदुचेरी को अंतरण
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	
21.	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	
22.	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
विधि एवं न्याय मंत्रालय	
23.	विधि एवं न्याय
24.	चुनाव आयोग
25.	भारत का सर्वोच्च न्यायालय
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	
26.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
पंचायती राज मंत्रालय	
27.	पंचायती राज मंत्रालय
संसदीय कार्य मंत्रालय	
28.	संसदीय कार्य मंत्रालय
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	
29.	कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
30.	केन्द्रीय सतर्कता आयोग
योजना मंत्रालय	
31.	योजना मंत्रालय
राष्ट्रपति, लोक सभा, राज्य सभा, संघ लोक सेवा आयोग, उपराष्ट्रपति का सचिवालय तथा चुनाव आयोग	
32.	राष्ट्रपति के कर्मचारीवृन्द, गृह और भत्ते
33.	लोक सभा

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग
34.	राज्य सभा
35.	उप-राष्ट्रपति का सचिवालय
36.	संघ लोक सेवा आयोग
ग्रामीण विकास मंत्रालय	
37.	ग्रामीण विकास विभाग
38.	भू-संसाधन विभाग
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय	
39.	कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	
40.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
41.	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
जनजातीय कार्य मंत्रालय	
42.	जनजातीय कार्य मंत्रालय
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	
43.	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	
44.	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

परिशिष्ट-II

(विहंगावलोकन तथा पैराग्राफ सं. 1.5 में संदर्भित)

2020-21 तथा 2021-22 के दौरान कुल प्रावधान, व्यय तथा बचत के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	2020-21			2021-22		
		अनुदान/ विनियोग #	कुल व्यय	बचत (-)/ आधिक्य(+)	अनुदान/ विनियोग#	कुल व्यय	बचत (-)/ आधिक्य(+)
1.	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी मंत्रालय (आयुष)	2,322.10	2,291.98	-30.12	2,970.35	2,538.42	-431.93
2.	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय [§]	470.41	456.16	-14.25	1,906.32	1,858.14	-48.18
3.	संस्कृति मंत्रालय	3,149.87	2,143.65	-1,006.22	2,688.05	2,559.41	-128.64
4.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	3,098.73	1,895.99	-1,202.74	2,723.70	2,662.47	-61.23
5.	शिक्षा मंत्रालय	1,65,819.84	1,18,695.06	-47,124.78	1,69,024.45	1,19,193.93	-49,830.52
6.	विदेश मंत्रालय	17,487.74	14,365.84	-3,121.90	18,524.75	14,173.70	-4,351.05
7.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	1,45,380.83	98,316.31	-47,064.52	1,39,280.13	98,955.27	-40,324.86
8.	गृह मंत्रालय	1,70,861.29	1,47,287.86	-23,573.43	1,83,216.52	1,72,100.48	-11,116.04
9.	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	4,375.21	3,380.44	-994.77	4,079.71	3,728.99	-350.72
10.	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	16,925.52	12,929.83	-3,995.69	24,518.47	24,036.34	-482.13
11.	विधि एवं न्याय मंत्रालय*	3,049.01	2,244.40	-804.61	5,012.94	4,759.32	-253.62
12.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय*	5,029.01	3,998.57	-1,030.44	4,810.79	4,325.23	-485.56
13.	पंचायती राज मंत्रालय	900.96	686.27	-214.69	913.44	864.84	-48.60
14.	संसदीय कार्य मंत्रालय	50.52	28.98	-21.54	65.07	48.79	-16.28
15.	कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	1,864.34	1,681.50	-182.84	2,097.32	1,915.22	-182.10

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	2020-21			2021-22		
		अनुदान/ विनियोग #	कुल व्यय	बचत (-)/ आधिक्य(+)	अनुदान/ विनियोग#	कुल व्यय	बचत (-)/ आधिक्य(+)
16.	योजना मंत्रालय**	770.02	749.30	-20.72	1,070.79	1,064.81	-5.98
17.	राष्ट्रपति, लोक सभा, राज्य सभा, संघ लोक सेवा आयोग, उप-राष्ट्रपति सचिवालय	1,641.01	1,265.57	-375.44	1,699.60	1,353.80	-345.80
18.	ग्रामीण विकास मंत्रालय	3,47,206.80	3,37,353.25	-9,853.55	2,92,923.71	2,89,911.26	-3,012.45
19.	कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय	3,002.22	2,632.44	-369.78	2,820.27	2,125.15	-695.12
20.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	11,428.99	9,098.47	-2,330.52	11,838.94	8,535.75	-3,303.19
21.	जनजातीय कार्य मंत्रालय	7,411.01	5,494.63	-1,916.38	7,524.90	6,175.71	-1,349.19
22.	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	30,512.11	19,244.03	-11,268.08	24,935.03	21,783.56	-3,151.47
23.	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	2,826.97	1,787.83	-1,039.14	2,801.27	2,376.96	-424.31
	कुल	9,45,584.51	7,88,028.36	-1,57,556.15	9,07,446.52	7,87,047.55	-1,20,398.97

स्रोत: संघ सरकार के विनियोग लेखे (सिविल) 2020-21 एवं 2021-22

शीर्षक :

अनुदान/विनियोग = बजट अनुमान + अनुपूरक प्रावधान

\$ केवल एक विभाग अर्थात् औषध विभाग शामिल

* भारत का सर्वोच्च न्यायालय एवं चुनाव आयोग शामिल

** नीति आयोग शामिल

परिशिष्ट-III
(पैराग्राफ सं. 1.8 में संदर्भित)

सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र के अधीन पीएसई/पीएसयू

क्र.सं.	सीपीएसयू का नाम
आयुष मंत्रालय	
1.	इंडियन मेडिसिन्स एण्ड फार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (भेषजी विभाग)	
2.	राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल लिमिटेड
3.	हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड
4.	महाराष्ट्र एंटीबायोटिक्स एवं फार्मास्युटिकल लिमिटेड
5.	इंडियन ड्रग्स फार्मास्युटिकल लिमिटेड, तमिलनाडु (आईडीपीएल, गुरुग्राम की सहायक)
6.	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एवं फार्मास्युटिकल लिमिटेड
7.	स्मीथ स्टेनीस्ट्रीट फार्मास्युटिकल लिमिटेड
8.	बंगाल इम्युनिटी लिमिटेड
9.	बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल लिमिटेड
10.	मणिपुर स्टेट ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल लिमिटेड
11.	बिहार ड्रग्स एण्ड औरगेनिक केमिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल, गुरुग्राम की सहायक)
12.	उड़ीसा ड्रग्स केमिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल, गुरुग्राम का संयुक्त उद्यम)
13.	इंडियन ड्रग्स फार्मास्युटिकल लिमिटेड (आईडीपीएल)
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	
14.	नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनांस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनईडीएफआई)
15.	एनईडीएफआई ट्रस्टी लिमिटेड (एनईडीएफआई की सहायक)
16.	एनईडीएफआई वेंचर कैपिटल लिमिटेड (एनईडीएफआई की सहायक)
17.	नॉर्थ ईस्टर्न हैंडिक्रफ्ट्स एण्ड हैंडलूम्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
18.	नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड
शिक्षा मंत्रालय	
19.	उच्चतर शिक्षा वित्तपोषण अभिकरण
20.	शैक्षिक परामर्श (इण्डिया) लिमिटेड
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	
21.	एचएलएल मातृत्व एवं शिशु देखभाल अस्पताल लिमिटेड

क्र.सं.	सीपीएसयू का नाम
22.	एचएलएल स्वास्थ्य देखभाल लिमिटेड (एचएलएल)
23.	एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड (एचएलएल का संयुक्त उद्यम)
24.	एचएलएल बाँयोटेक लिमिटेड
25.	गोवा एंटीबाँयोटिक्स एवं फार्मस्युटिकल लिमिटेड (एचएलएल की सहायक)
26.	एचएलएल इंफ्रा टेक सर्विसस लिमिटेड (एचएलएल की सहायक)
गृह मंत्रालय	
27.	सुरक्षा एवं वैज्ञानिक तकनीकी अनुसंधान संघ
28.	दिल्ली पुलिस आवासीय निगम लिमिटेड
29.	नई दिल्ली नगर निगम पालिका स्मार्ट सिटी लिमिटेड
30.	चण्डीगढ़ बाल एवं महिला विकास निगम लिमिटेड
31.	चण्डीगढ़ औद्योगिक एवं पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
32.	चण्डीगढ़ अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम
33.	चण्डीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड
34.	दादरा एवं नगर हवेली विद्युत संवितरण निगम लिमिटेड
35.	सिलवासा स्मार्ट सिटी लिमिटेड
36.	दादरा नगर हवेली, दमन एवं दीव अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड
37.	दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली सर्वग्राही औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड
38.	कावारत्ती स्मार्ट सिटी लिमिटेड
39.	लक्षद्वीप विकास निगम लिमिटेड
40.	लक्षद्वीप पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
41.	सिंधु अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	
42.	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड
43.	ब्रोडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	
44.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त लिमिटेड
45.	राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम लिमिटेड
नीति आयोग	
46.	एआईआर-सीसीयू इन्क्यूबेशन सेंटर

क्र.सं.	सीपीएसयू का नाम
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय	
47.	कर्मयोगी भारत
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	
48.	भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम
49.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
50.	राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम
51.	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम
52.	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम
जनजातीय कार्य मंत्रालय	
53.	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड

परिशिष्ट-IV
(पैराग्राफ सं. 1.9 में संदर्भित)

मार्च 2022 को समाप्त वर्ष तक विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्रतीक्षित/पत्राचाराधीन की गई कार्रवाई टिप्पणियों (31 दिसम्बर 2023 को) की विस्तृत स्थिति

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	मार्च को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन	बकाया	प्राप्त नहीं की गई	पत्राचाराधीन
1.	संस्कृति	2021	1	0	1
2.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास	2014	1	0	1
3.	विदेश	2018	2	0	2
		2021	1	0	5
4.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2021	1	0	1
5.	गृह	2021	2	0	3
6.	अल्पसंख्यक मामले	2011	1	0	1
7.	कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन	2021	1	0	1
8.	ग्रामीण विकास	2021	1	0	1
9.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	2006	1	0	1
		2011	1	0	1
		2017	1	0	1
10.	जनजातीय कार्य	2011	1	0	1
11.	युवा कार्यक्रम एवं खेल	2012	1	0	1
कुल			16	0	16

परिशिष्ट-V
(पैराग्राफ सं. 1.9 में संदर्भित)

एटीएन की वर्षवार लम्बितता

31 दिसम्बर 2023 तक बकाया की गई कार्रवाई टिप्पणियां (विधायिका रहित संघ शासित क्षेत्र)

क्र.सं.	यूटी का नाम	मार्च को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन	बकाया	अभी तक प्राप्त नहीं हुए	पत्राचाराधीन
1.	चण्डीगढ़	2021	4	0	4
2.	दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	2017	1	0	1
3.	लक्षद्वीप	2014	1	0	1
कुल			6	0	6

अनुलग्नक

अनुलग्नक-2.1
(पैराग्राफ सं. 2.1.4.3 में संदर्भित)

फरवरी 2023 तक अपूर्ण परियोजनाओं की परियोजना-वार स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य/परियोजना	संस्वीकृति का वर्ष	अनुमानित लागत	फरवरी 2023 तक जारी	पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	फरवरी 2023 तक विलम्ब
अरुणाचल प्रदेश						
1.	तवांग में हाई एल्टीट्यूड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण	11.10.2010	13.07	11.53 (88%)	31.3.2013	9 वर्ष 10 महीने
2.	पूर्व सियांग जिले में सिरपो स्रोत फेस-1 से पासीघाट बस्ती में जल आपूर्ति में वृद्धि	27.6.2017	19.57	17.5 (90%)	27.6.2019	3 वर्ष 7 महीने
3.	पूर्व कामेंग जिले में बामेंग प्रशासनिक मुख्यालय (फेस-1) में जल आपूर्ति प्रदान करना	14.12.2017	13.50	12.05 (89%)	14.12.2020	2 वर्ष 1 महीना
असम						
1.	बारपेटा में चंडी बरुआ स्टेडियम का निर्माण	10.2.2009	2.90	1.51 (52%)	31.7.2010	12 वर्ष 6 महीने
2.	तमुलपुर पाइप जल आपूर्ति योजना	15.12.2011	2.94	2.62 (89%)	31.12.2013	9 वर्ष 1 महीना
3.	कोकराझार में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना	17.5.2013	14.27	10.28 (72%)	मई 2015	7 वर्ष 8 महीने
4.	तिनसुकिया कस्बा जल आपूर्ति योजना (फेस-1)	20.12.2013	35.83	25.80 (72%)	दिसम्बर 2016	6 वर्ष 1 महीना
5.	डिब्रूगढ़ जिले के खानिकर में बहु-अनुशासनात्मक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण	7.12.2017	139.82	48.73 (35%)	7.12.2019	3 वर्ष 1 महीना
6.	दीमा हसाओ में हाफलोंग में 3 मंजिला आरसीसी दिमित्री भवन सहित एन.एल. दौलागुरु एसपीटीएस स्टेडियम का निर्माण	7.12.2017	16.11	5.09 (32%)	7.12.2019	3 वर्ष 1 महीना
7.	कार्बी आंगलोंग के डानकामोकम कस्बे (हैमरन उप प्रभाग के तहत) में इनडोर स्टेडियम का निर्माण	11.5.2017	6.19	2.23 (36%)	11.5.2019	3 वर्ष 8 महीने

क्र. सं.	राज्य/परियोजना	संस्वीकृति का वर्ष	अनुमानित लागत	फरवरी 2023 तक जारी	पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	फरवरी 2023 तक विलम्ब
8.	नलबाड़ी में चिकित्सा कॉलेज का निर्माण	7.12.2017	217.82	190.34 (87%)	7.12.2019	3 वर्ष 1 महीना
मणिपुर						
1.	उखरूल में जिला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण	1.9.2009	9.20	7.08 (77%)	31.8.2012	10 वर्ष 5 महीने
2.	चुराचांदपुर में जिला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण	9.11.2010	8.62	7.61 (88%)	31.10.2013	9 वर्ष 3 महीने
3.	बिष्णुपुर में जिला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण	15.12.2010	9.40	6.65 (71%)	दिसम्बर 2013	9 वर्ष 1 महीना
4.	सनाकैथेल एवं उखरूल जिले के चार गावों में जल आपूर्ति योजना वृद्धि	16.8.2017	4.68	4.71 (101%)	16.8.2019	3 वर्ष 5 महीने
5.	लितान एवं उखरूल जिले में आसपास के पांच गावों में जल आपूर्ति में वृद्धि	16.8.2017	5.15	4.71 (91%)	16.8.2019	3 वर्ष 5 महीने
मेघालय						
1.	ग्रेटर रेलियांग जल आपूर्ति परियोजना	16.02.2010	21.14	19.03 (91%)	फरवरी 2014	9 वर्ष 1 महीना
2.	अपर शिलोंग जल आपूर्ति परियोजना	23.12.2010	33.02	29.14 (88%)	जनवरी 2014	8 वर्ष 1 महीना
3.	अम्पाती में फुटबॉल स्टेडियम	15.03.2016	38.21	27.51 (72%)	31.3.2019	3 वर्ष 10 महीने
नागालैण्ड						
1.	मोन जिले में टोपू मुख्यालय में फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण	20.02.2014	2.67	1.90 (71%)	जनवरी 2016	7 वर्ष
2.	मोन गांव एवं मोन जिले में 4 पड़ोसी गांवों को गुरुत्वाकर्षण द्वारा जल आपूर्ति प्रदान करना	20.2.2014	13.82	13.82 (100%)	31.10.2017	5 वर्ष 3 महीने
3.	समजीउरम गांव, पेरेन को जल आपूर्ति प्रदान करना	21.11.2017	18.93	17.04 (90%)	31.11.2019	3 वर्ष 2 महीने
4.	जिकेजोउ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कोहिमा का विकास	21.11.2017	12.50	11.25 (90%)	नवम्बर 2019	3 वर्ष 2 महीने

क्र. सं.	राज्य/परियोजना	संस्वीकृति का वर्ष	अनुमानित लागत	फरवरी 2023 तक जारी	पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	फरवरी 2023 तक विलम्ब
5.	अबोई मुख्या. एवं मोन जिले में लोंगचिंग ईएसी मुख्या. को गुरुत्वाकर्षण प्रणाली द्वारा जल आपूर्ति प्रदान करना।	4.12.2017	9.66	8.69 (90%)	31.12.2019	3 वर्ष 1 महीना
सिक्किम						
1.	मंगन उत्तर सिक्किम (फेस-II) में अन्य संबद्ध सुविधाओं सहित फुटबॉल स्टेडियम का उन्नयन	6.12.2016	9.00	3.19	नवम्बर 2019	3 वर्ष 3 महीने
त्रिपुरा						
1.	बिशालगढ़(1.00 एमजीडी) में जल आपूर्ति योजना	30.6.2007	7.81	6.89 (8%)	29.7.2009	13 वर्ष
2.	उदयपुर में जिला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण	26.12.2011	4.80	4.24 (88%)	25.12.2013	9 वर्ष 4 महीने
3.	दक्षिण जिला अस्पताल (फेस-II) अस्पताल क्वार्टर	8.10.2013	9.68	6.48 (67%)	सितम्बर 2016	6 वर्ष 4 महीने
4.	धलाई जिला अस्पताल फेस-II (अस्पताल क्वार्टर)	18.5.2017	11.32	3.08 (27%)	31.5.2019	3 वर्ष 8 महीने
5.	उत्तर जिला अस्पताल फेस-II (अस्पताल क्वार्टर)	12.5.2017	11.10	3.05 (27%)	31.5.2019	3 वर्ष 8 महीने

अनुलग्नक-2.2
(पैराग्राफ सं. 2.1.6 में संदर्भित)

मामले का अध्ययन 1: तांगनी नदी, दारंग, असम पर गाइड बांध का निर्माण

एनएलसीपीआर दिशा-निर्देश-2012 के अनुसार, प्रत्येक परियोजना हेतु अवधारणा पत्र प्राथमिकता सूची सहित प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अवधारणा पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ एक प्रमाण पत्र भी शामिल होना चाहिए कि परियोजना शुरू नहीं की गई है या किसी अन्य वित्त पोषण तंत्र के साथ शुरू करने का प्रस्ताव नहीं है।

एनएलसीपीआर समिति ने दिसम्बर 2012 में उपयोगिता अपनी 111वीं बैठक में परियोजना अर्थात् ₹2.08 करोड़ की लागत पर असम के दारंग जिले में फकीरपारा परियोजना के माध्यम से एनएच-52 से कुवारीपुखुरी तक सड़क पर सुरक्षा दीवार सहित तांगनी नदी पर आरसीसी पुल सं 8/2 के पास गाइड बांध के निर्माण की संस्वीकृति की सिफारिश की। डीओएनईआर ने ₹75.10 लाख (स्वीकार्य अनुदान का 40 प्रतिशत होना) की पहली किश्त जारी की (फरवरी 2013)। राज्य सरकार ने गैर-दोहराव प्रमाण-पत्र को यह बताते हुए प्रस्तुत किया (नवम्बर 2010) कि उपरोक्त योजना या उसके प्रस्तावित किसी अन्य भाग को किसी योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं लिया गया है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य सरकार ने मंत्रालय को 2016 तक कोई भी कार्य आदेश, यूसी या क्यूपीआर प्रस्तुत नहीं किया। जून 2017 में, राज्य सरकार ने डीओएनईआर से उपरोक्त परियोजना को रद्द करने एवं उपरोक्त परियोजना के प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन को वापस लेने का यह कहते हुए अनुरोध किया कि परियोजना को राज्य सरकार द्वारा दूसरी योजना में पहले ही लिया जा चुका है।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि राज्य सरकार ने एक गैर-दोहराव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया तथा राज्य उसी परियोजना का निर्माण कर रहा है, उसका निर्धारण करते हुए डीओएनईआर को सूचित करने में पांच वर्ष ले लिए।

डीओएनईआर की अपर्याप्त निगरानी एवं अपर्याप्त अनुवर्ती कार्रवाई का परिणाम असम सरकार के पास ₹75.10 लाख की सीमा तक निधियों के निष्क्रिय होने में हुआ, राशि को वापस लौटाया जाना अभी भी शेष था।

डीओएनईआर ने बताया (फरवरी 2023) कि असम सरकार से अपने पत्रों दिनांक 13.04.2021, 15.12.2022 तथा 8.02.2023 के माध्यम से राशि को वापस करने का अनुरोध किया गया है।

मामले का अध्ययन 2: मोरन रेवेन्यू टाउन, असम में सुपर मार्केट कॉम्प्लेक्स का निर्माण

एनएलसीपीआर दिशा-निर्देश -2012 में निर्धारित था कि राज्य निर्धारित प्रपत्र पर तिमाही के अंत तक प्रत्येक परियोजना के संबंध में प्रगति की रिपोर्ट करेगा। त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट (क्यूपीआर) रिपोर्ट के अंतर्गत तिमाही के अंत के तीसरे सप्ताह के अंदर मंत्रालय के संयुक्त सचिव तक पहुँचना चाहिए।

डीओएनईआर ने जून 2015 तक परियोजना के पूर्ण होने की लक्षित तिथि सहित ₹6.84 करोड़ की लागत पर 'मोरन रेवेन्यू टाउन, असम में सुपर मार्केट कॉम्प्लेक्स के निर्माण' को अनुमोदित किया (दिसम्बर 2013) एवं 23.12.2013 को ₹2.46 करोड़ की पहली किश्त को जारी किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि न तो राज्य सरकार ने यूसी क्यूपीआर एवं परियोजना के फोटोग्राफ को प्रस्तुत नहीं किया न ही डीओएनईआर ने 2014-15 से नवम्बर 2018 तक की अवधि के दौरान क्यूपीआर को प्रस्तुत करने के संबंध में राज्य के साथ कोई पत्र-व्यवहार किया।

अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) ने दिसम्बर 2018 में आयोजित अपनी 9वीं बैठक में एसएलईसी की सिफारिशों के आधार पर परियोजना को बंद कर दिया तथा जारी हुई निधियों की वसूली के लिए डीओएनईआर को निदेश दिया। लेखापरीक्षा ने पाया कि डीओएनईआर ने न तो आईएमसी की संस्तुतियों की सिफारिशों पर ध्यान दिया न ही राज्य सरकार से राशि को वसूलने के लिए कोई प्रयास किया। बजाय इसके डीओएनईआर ने राज्य सरकार से निधियों की संस्वीकृति तिथि से 6 वर्ष बीतने के बाद कार्य आदेश, यूसी एवं क्यूपीआर की एक प्रति मांगी (नवम्बर 2019)।

यह डीओएनईआर की ओर से भारी लापरवाही को दर्शाता है क्योंकि इन्होंने 2013 से परियोजना की प्रगति की जानकारी नहीं रखी एवं राज्य सरकार से जारी की गई राशि की वसूली करने के लिए आईएमसी की सिफारिशों का पालन करने में भी विफल रहा। इसके अतिरिक्त, 9 वर्षों के लिए राज्य सरकार के पास रखी ₹2.46 करोड़ की सीमा तक की निधि अभी तक वसूली नहीं की गई है।

मामले को डीओएनईआर को संदर्भित किए जाने पर, इन्होंने अपने उत्तर में बताया (मार्च 2022) कि आईएमसी/एनईएसआईडीएस समिति की 9वीं बैठक के कार्यवृत्त में राज्य सरकार को परियोजना को रद्द करने के लिए उचित कार्रवाई करने एवं ₹2.46 करोड़ की राशि को वापस करने हेतु परिचालित किया गया। डीओएनईआर ने आगे बताया कि राज्य सरकार के साथ जारी की गई राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज सहित वसूली करने के लिए मामले सख्ती से पैरवी की जा रही है।

मामले का अध्ययन 3: त्रिपुरा के अगरतला में जी.बी.पंत अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक

परियोजना “त्रिपुरा के अगरतला में जी.बी.पंत अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक” को ₹8.88 करोड़ (सिविल निर्माण कार्य हेतु ₹7.87 करोड़ एवं मशीनरी और उपकरण हेतु ₹1.01 करोड़) की अनुमानित लागत सहित एनएलसीपीआर की 10वीं बैठक में अनुमोदित हुई। राज्य सरकार ने ₹8.88 करोड़ की कुल अनुमानित लागत के अंदर ही मामूली संशोधन के संबंध में उनके प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु मंत्रालय से संपर्क किया। (उनके प्रस्ताव के अनुसार सिविल निर्माण कार्य हेतु ₹7.87 करोड़ एवं चिकित्सा उपकरण हेतु ₹1.01 करोड़ के सापेक्ष में)। डीओएनईआर द्वारा उस पर विचार किया गया तथा ₹8.00 करोड़ की निधि को ₹5.00 करोड़ एवं ₹3.00 करोड़ की दो किश्तों में जारी किया गया।

त्रिपुरा सरकार ने अपने पत्र दिनांक 03 अप्रैल 2008 के तहत से मार्च 2008 को समाप्त त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट परियोजना के संबंध में निरीक्षण रिपोर्ट एवं पूर्णता प्रमाण-पत्र में ₹8.00 करोड़ जारी होने के सापेक्ष में ₹5.75 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत किया। तदनुसार, राज्य सरकार की अप्रयुक्त राशि ₹2.25 करोड़ थी। राज्य सरकार ने एनएलसीपीआर के अंतर्गत जी.बी.पंत अस्पताल में चल रही परियोजना के विकास हेतु ₹2.25 करोड़ की अप्रयुक्त राशि के अंतरण करने का अनुरोध किया। डीओएनईआर ने त्रिपुरा सरकार को सूचित किया कि ₹2.25 करोड़ की अव्ययित शेष राशि को इस पर उपार्जित ब्याज सहित शीघ्र ही वापस किया जाए।

फरवरी 2023 तक यहां तक कि 15 वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी राशि अप्रयुक्त पड़ी थी फिर भी मंत्रालय ब्याज सहित ₹2.25 करोड़ की अव्ययित राशि को वापस करने के लिए अभी भी प्रयास कर रहा है।

अनुलग्नक-2.3
(पैराग्राफ सं. 2.2 में संदर्भित)
सरकारी खाते के बाहर निधियों को रखना

(₹ करोड़ में)

वर्ष	एसबीआई खाते में एमओई द्वारा क्रेडिट हुई निधियां	बैंक द्वारा लाभार्थियों को जारी की गई निधियां	वर्ष के अंत में खाते में अंत शेष
2016-17	105.57	94.22	12.96
2017-18	256.90	205.42	64.95
2018-19	291.81	180.71	181.16
2019-20	357.07	199.31	342.54
2020-21	279.06	193.18	429.65
2021-22	292.91	399.53	323.49
2022-23 (17.01.2023 तक)	138.24	183.20	179.06

अनुलग्नक-2.4

(पैराग्राफ सं. 2.6 में संदर्भित)

जीएमएसडी पर जारी होने से पहले एक्सपायर्ड एंटी-टीबी दवाओं का वितरण

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	जीएमएसडी के नाम	प्राप्त दवाओं की कुल मूल्य	एक्सपायर्ड दवाओं की कीमत
1.	कोलकाता	18,46,44,629.00	11,51,85,037.56
2.	गुवाहाटी	10,74,61,022.00	60,028,215.00
3.	हैदराबाद	17,58,73,605.00	58,413,265.00
4.	चेन्नई	24,76,78,502.00	11,64,69,804.00
5.	करनाल	29,97,60,164.59	57,410,295.45
	कुल	1,01,54,17,922.59	407,506,617.01

अनुलग्नक-2.5

(पैराग्राफ सं. 2.6 में संदर्भित)

जीएमएसडी पर जारी होने से पहले एक्सपायर्ड राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी) के तहत प्राप्त दवाओं का विवरण

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	जीएमएसडी के नाम	एक्सपायर्ड दवाओं की कीमत
1.	कोलकाता	1,52,19,129.00
2.	गुवाहाटी	6,113,977.00
3.	हैदराबाद	2,03,806.00
4.	चेन्नई	5,69,473.00
5.	करनाल	40,93,567.00
	कुल	2,61,99,952.00

अनुलग्नक-2.6

(पैराग्राफ सं. 2.7 में संदर्भित)

बिजली प्रभारों-एफएसएसएआई पर ₹2.52 करोड़ का परिहार्य व्यय

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	माह ¹ का बिल	भुगतान किए गए बिजली प्रभार	भुगतान किया गया बिजली कर	देय बिजली प्रभार	भुगतान किया गया अधिक बिजली प्रभार	देय अधिक बिजली कर	कुल आधिक्य
1	2	3	4	5	6	7	8
				(काँ. 3/1.3)	(काँ. 3- काँ. 5)	(काँ. 4 - काँ. 4 /1.3))	(काँ. 6 + काँ. 7)
1.	फरवरी-09	351505	17575	270388	81117	4056	85172
2.	मार्च-09	295289	14764	227146	68144	3407	71551
3.	अप्रैल-09	332200	16610	255539	76662	3833	80495
4.	मई-09	572432	28622	440332	132100	6605	138705
5.	जून-09	590965	29548	454588	136376	6819	143195
6.	जुलाई-09	576756	28838	443659	133098	6655	139752
7.	अगस्त-09	693744	34687	533650	160095	8005	168100
8.	सितम्बर-09	576293	28814	443302	132991	6649	139640
9.	अक्टूबर-09	522779	26139	402138	120641	6032	126673
10.	नवम्बर-09	460926	23046	354559	106368	5318	111686
11.	दिसम्बर-09	257143	12857	197802	59341	2967	62308
12.	जनवरी-10	236602	11830	182002	54600	2730	57331
13.	फरवरी-10	412278	20614	317137	95141	4757	99898
14.	मार्च-10	217838	10892	167567	50270	2514	52784
15.	अप्रैल-10	382780	19139	294446	88334	4417	92750
16.	मई-10	550501	27525	423463	127039	6352	133391
17.	जून-10	610965	30548	469973	140992	7050	148041
18.	जुलाई-10	699227	34961	537867	161360	8068	169428
19.	अगस्त-10	723397	36170	556459	166938	8347	175285
20.	सितम्बर -10	529420	26471	407246	122174	6109	128283
21.	अक्टूबर-10	387413	19371	298010	89403	4470	93873
22.	नवम्बर-10	360077	18004	276982	83095	4155	87249
23.	दिसम्बर -10	275212	13761	211702	63510	3176	66686
24.	जनवरी-11	252355	12618	194119	58236	2912	61148
25.	फरवरी-11	414517	20726	318859	95658	4783	100441
26.	मार्च-11	291351	14568	224116	67235	3362	70597
27.	अप्रैल-11	280617	14031	215860	64758	3238	67996
28.	मई -11	353976	17699	272290	81687	4084	85771

¹ अप्रैल 2008 से जनवरी 2009, अप्रैल 2019 से जुलाई 2019, मई 2020 और सितंबर 2020 से जुलाई 2021 की अवधि के बिल लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए।

क्र.सं.	माह ¹ का बिल	भुगतान किए गए बिजली प्रभार	भुगतान किया गया बिजली कर	देय बिजली प्रभार	भुगतान किया गया अधिक बिजली प्रभार	देय अधिक बिजली कर	कुल आधिक्य
1	2	3	4	5	6	7	8
				(काँ. 3/1.3)	(काँ. 3- काँ. 5)	(काँ. 4 - काँ. 4 /1.3))	(काँ. 6 + काँ. 7)
29.	जून -11	473899	23695	364538	109361	5468	114829
30.	जुलाई-11	570656	28533	438966	131690	6584	138274
31.	अगस्त-11	536447	26822	412652	123796	6190	129985
32.	सितम्बर-11	502007	25100	386159	115848	5792	121640
33.	अक्टूबर-11	602770	30139	463669	139101	6955	146056
34.	नवम्बर-11	448603	22430	345079	103524	5176	108700
35.	दिसम्बर -11	358588	17929	275837	82751	4138	86889
36.	जनवरी-12	666392	33320	512609	153783	7689	161472
37.	फरवरी-12	296921	15588	228401	68520	3597	72117
38.	मार्च-12	354722	18622	272863	81859	4297	86156
39.	अप्रैल-12	390985	20526	300758	90227	4737	94964
40.	मई-12	493334	25900	379488	113846	5977	119823
41.	जून-12	674929	36108	519176	155753	8333	164085
42.	जुलाई-12	703462	37635	541125	162337	8685	171022
43.	अगस्त -12	799964	43198	615357	184607	9969	194576
44.	सितम्बर -12	777210	42245	597854	179356	9749	189105
45.	अक्टूबर-12	817588	45494	628914	188674	10499	199173
46.	नवम्बर-12	724006	39089	556928	167078	9021	176099
47.	दिसम्बर -12	442256	23796	340197	102059	5491	107550
48.	जनवरी-13	418163	22515	321664	96499	5196	101695
49.	फरवरी-13	617708	33335	475160	142548	7693	150241
50.	मार्च-13	420059	23275	323122	96937	5371	102308
51.	अप्रैल-13	447163	24774	343972	103191	5717	108909
52.	मई-13	729360	41612	561046	168314	9603	177917
53.	जून-13	840788	48578	646760	194028	11210	205238
54.	जुलाई-13	772526	44652	594251	178275	10304	188580
55.	अगस्त-13	979878	56648	753752	226126	13073	239198
56.	सितम्बर-13	855855	48046	658350	197505	11088	208593
57.	अक्टूबर -13	948870	53333	729900	218970	12308	231278
58.	नवम्बर-13	797472	43132	613440	184032	9954	193986
59.	दिसम्बर-13	412308	22236	317160	95148	5131	100279
60.	जनवरी-14	372528	19478	286560	85968	4495	90463
61.	फरवरी-14	588744	31796	452880	135864	7338	143202
62.	मार्च-14	318357	18477	244890	73467	4264	77731

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	माह ¹ का बिल	भुगतान किए गए बिजली प्रभार	भुगतान किया गया बिजली कर	देय बिजली प्रभार	भुगतान किया गया अधिक बिजली प्रभार	देय अधिक बिजली कर	कुल आधिक्य
1	2	3	4	5	6	7	8
				(काँ. 3/1.3)	(काँ. 3- काँ. 5)	(काँ. 4 - काँ. 4 /1.3))	(काँ. 6 + काँ. 7)
63.	अप्रैल-14	393588	22907	302760	90828	5286	96114
64.	मई-14	639756	38713	492120	147636	8934	156570
65.	जून-14	872001	52833	670770	201231	12192	213423
66.	जुलाई-14	1049490	63894	807300	242190	14745	256935
67.	अगस्त-14	959151	56638	737808	221343	13070	234413
68.	सितम्बर-14	983455	56315	756504	226951	12996	239947
69.	अक्टूबर -14	960916	54963	739166	221750	12684	234434
70.	नवम्बर-14	635675	34748	488981	146694	8019	154713
71.	दिसम्बर-14	428238	23398	329414	98824	5400	104224
72.	जनवरी-15	557182	30355	428602	128580	7005	135585
73.	फरवरी-15	651661	35437	501278	150383	8178	158561
74.	मार्च-15	418672	22875	322055	96617	5279	101895
75.	अप्रैल-15	424176	23241	326289	97887	5363	103250
76.	मई-15	496379	28354	381830	114549	6543	121092
77.	जून-15	1052644	60268	809726	242918	13908	256826
78.	जुलाई-15	1192595	70642	917381	275214	16302	291516
79.	अगस्त-15	1061948	64498	816883	245065	14884	259949
80.	सितम्बर-15	1048320	63583	806400	241920	14673	256593
81.	अक्टूबर -15	999573	60544	768902	230671	13972	244642
82.	नवम्बर-15	775232	44188	596332	178900	10197	189097
83.	दिसम्बर-15	425486	24252	327297	98189	5597	103786
84.	जनवरी-16	364422	20772	280325	84097	4794	88891
85.	फरवरी-16	373508	20084	287314	86194	4635	90829
86.	मार्च-16	347256	20835	267120	80136	4808	84944
87.	अप्रैल-16	443177	24532	340906	102272	5661	107933
88.	मई-16	763439	41226	587261	176178	9514	185692
89.	जून-16	1099295	63489	845611	253683	14651	268335
90.	जुलाई-16	1260212	72415	969394	290818	16711	307529
91.	अगस्त-16	1260998	72393	969998	291000	16706	307706
92.	सितम्बर-16	1296510	74788	997315	299195	17259	316453
93.	अक्टूबर-16	1122226	64472	863251	258975	14878	273853
94.	नवम्बर-16	843242	45535	648648	194594	10508	205102
95.	दिसम्बर-16	487600	26330	375077	112523	6076	118599
96.	जनवरी-17	362457	19573	278813	83644	4517	88161

क्र.सं.	माह ¹ का बिल	भुगतान किए गए बिजली प्रभार	भुगतान किया गया बिजली कर	देय बिजली प्रभार	भुगतान किया गया अधिक बिजली प्रभार	देय अधिक बिजली कर	कुल आधिक्य
1	2	3	4	5	6	7	8
				(काँ. 3/1.3)	(काँ. 3- काँ. 5)	(काँ. 4 - काँ. 4 /1.3))	(काँ. 6 + काँ. 7)
97.	फरवरी-17	389582	21037	299678	89904	4855	94758
98.	मार्च-17	368353	19891	283349	85005	4590	89595
99.	अप्रैल-17	666863	36011	512971	153891	8310	162201
100.	मई-17	981096	52979	754690	226407	12226	238633
101.	जून-17	1308565	74775	1006589	301977	17256	319232
102.	जुलाई-17	1331760	76035	1024430	307329	17546	324876
103.	अगस्त-17	1303324	74595	1002557	300767	17214	317981
104.	सितम्बर-17	1226141	70153	943186	282956	16189	299145
105.	अक्टूबर -17	1195347	70904	919498	275849	16362	292212
106.	नवम्बर-17	974282	54444	749448	224834	12564	237398
107.	दिसम्बर-17	514468	27781	395745	118723	6411	125134
108.	जनवरी-18	400458	21625	308045	92413	4990	97404
109.	फरवरी-18	374512	20224	288086	86426	4667	91093
110.	मार्च-18	454971	24568	349978	104993	5670	110663
111.	अप्रैल-18	567927	30668	436867	131060	7077	138137
112.	मई-18	913536	47851	702720	210816	11043	221859
113.	जून-18	1225661	68398	942816	282845	15784	298629
114.	जुलाई-18	1446806	78811	1112928	333878	18187	352065
115.	अगस्त-18	1367683	74772	1052064	315619	17255	332874
116.	सितम्बर-18	1142669	63083	878976	263693	14558	278250
117.	अक्टूबर-18	1137427	63176	874944	262483	14579	277062
118.	नवम्बर-18	886704	47921	682080	204624	11059	215683
119.	दिसम्बर-18	504691	27537	388224	116467	6355	122822
120.	जनवरी-19	387629	21150	298176	89453	4881	94334
121.	फरवरी-19	350438	19121	269568	80870	4412	85283
122.	मार्च-19	260582	14218	200448	60134	3281	63415
123.	अगस्त 19	869668	48810	668975	200693	11264	211956
124.	सितम्बर-19	1082016	60752	832320	249696	14020	263716
125.	अक्टूबर -19	1217931	67651	936870	281061	15612	296673
126.	नवम्बर-19	782605	42701	602004	180601	9854	190455
127.	दिसम्बर-19	480542	25593	369648	110894	5906	116800
128.	जनवरी-20	544190	28982	418608	125582	6688	132271
129.	फरवरी-20	502686	26703	386682	116004	6162	122167
130.	मार्च-20	360142	20052	277032	83110	4627	87737

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	माह ¹ का बिल	भुगतान किए गए बिजली प्रभार	भुगतान किया गया बिजली कर	देय बिजली प्रभार	भुगतान किया गया अधिक बिजली प्रभार	देय अधिक बिजली कर	कुल आधिक्य
1	2	3	4	5	6	7	8
				(काँ. 3/1.3)	(काँ. 3- काँ. 5)	(काँ. 4 - काँ. 4 /1.3))	(काँ. 6 + काँ. 7)
131.	अप्रैल -20	338528	18951	260406	78122	4373	82495
132.	जून-20	682227	39342	524790	157437	9079	166516
133.	जुलाई-20	1134127	65840	872405	261722	15194	276915
134.	अगस्त-20	997947	57946	767652	230295	13372	243668
135.	अगस्त -21	1178548	69588	906575	271973	16059	288031
136.	सितम्बर-21	905923	54561	696864	209059	12591	221650
137.	अक्टूबर-21	1099519	66221	845784	253735	15282	269017
138.	नवम्बर-21	580655	34971	446658	133997	8070	142068
139.	दिसम्बर-21	380827	22936	292944	87883	5293	93176
140.	जनवरी-22	524035	31561	403104	120931	7283	128214
141.	फरवरी-22	582379	35075	447984	134395	8094	142489
142.	मार्च-22	429093	25843	330072	99021	5964	104985
143.	अप्रैल-22	1043429	62842	802638	240791	14502	255293
144.	मई -22	924885	55703	711450	213435	12855	226290
145.	जून-22	1320298	80118	1015614	304684	18489	323173
146.	जुलाई-22	1172184	74008	901680	270504	17079	287583
147.	अगस्त-22	1311811	87651	1009085	302726	20227	322953
148.	सितम्बर-22	1336077	89344	1027752	308325	20618	328943
149.	अक्टूबर -22	999538	65524	768875	230663	15121	245784
150.	नवम्बर-22	671486	42396	516528	154958	9784	164742
कुल अधिक भुगतान							2,52,34,452

अनुलग्नक-2.7
(पैराग्राफ सं. 2.10.4.4 (बी) में संदर्भित)
लक्ष्यों की उपलब्धि में कमी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मिशन में शामिल घटक	लक्ष्य		उपलब्धि			
		वित्तीय	भौतिक	वित्तीय (करोड़ में)			भौतिक
				उपलब्धि	कमी	प्रतिशत कमी	
1.	सामग्री का अधिग्रहण	16.41	लक्ष्य निर्दिष्ट नहीं	0.27 (2020-21 से किए गए अधिग्रहण पर कोई व्यय नहीं किया गया)	16.14	98.34	2020-21 से किए गए अधिग्रहण पर कोई व्यय नहीं किया गया
2.	घर में उपयोग हेतु डिजिटलीकरण उपकरण की खरीद	9.00	लक्ष्य निर्दिष्ट नहीं	3.60	5.40	59.96	सीसीडब्ल्यू द्वारा डीसीपी प्रोजेक्टरों की प्राप्ति। 3 प्रोजेक्टर 4के एवं 1 स्कैनर की खरीद डिजिटलीकरण उपकरण के अधिग्रहण के एक भाग के रूप में की गई थी।
3.	1,32,000 फिल्म रीलों के संरक्षण की रोकथाम	39.10	1. फिल्म संग्रह के फिल्म निर्धारण की स्थिति 2. फिल्म (1,32,000) के संरक्षण की रोकथाम	22.03	17.07	43.66	(1) 1,54,000 (रील के सम्पूर्ण फिल्म संग्रह का अभिगम नहीं हुआ) (2) शून्य
4.	10,000 रीलों की अल्ट्रासोनिक, मैनुअल सफाई	2.00	10,000	लागू नहीं	2.00	100.00	यह घटक फिल्म प्रोजेक्ट के डिजिटलीकरण में शामिल किया गया है क्योंकि प्रक्रिया को डिजिटलीकरण के भाग के रूप में माना गया है। फिर भी उसकी प्रगति से संबंधित डाटा प्रस्तुत नहीं किया गया है।
5.	1145 फीचर फिल्मों का 2के रेस्टोरेशन	154.61	1145	1.34	153.27	99.13	शून्य- मई 2022 में मंत्रालय से प्राप्त कार्य हेतु उपरोक्त के लिए संविदा अनुबंध अनुमोदन पर अभी भी हस्ताक्षर होना बाकी है।

क्र. सं.	मिशन में शामिल घटक	लक्ष्य		उपलब्धि			भौतिक
		वित्तीय	भौतिक	वित्तीय (करोड़ में)			
				उपलब्धि	कमी	प्रतिशत कमी	
6.	1108 लघु फिल्मों हेतु 2के डिजिटलीकरण	59.82	1108	1.34	58.48	97.75	श्री सत्यजीत राय की अतिरिक्त, 10 फिल्मों (फीचर एवं लघु) रेस्टॉर हुई।
7.	1200 फीचर फिल्मों का 2के डिजिटलीकरण	76.98	1200	19.83	57.15	74.24	अभी तक प्रदान नहीं किया गया है।
8.	1660 लघु फिल्मों का 2के डिजिटलीकरण	25.89	1600	9.81	16.08	62.11	
9.	1140 फीचर फिल्मों का अंतर नकारात्मक	102.60	1140	0.00	102.60	100.00	शून्य
10.	1164 लघु फिल्मों का अंतर-नकारात्मक	37.31	1164	0.00	37.31	100.00	शून्य
11.	अनुसंधान एवं प्रकाशन	1.00	निर्दिष्ट नहीं	0.18	0.82	82.45	डिजाइनिंग, प्रकाशनों के मुद्रण के प्रति खर्च।
12.	रेस्टॉरेशन, संरक्षण एवं संग्रह पर प्रशिक्षण	4.00	निर्दिष्ट नहीं	2.87	1.13	28.31	फिल्म संरक्षण वर्कशॉप के प्रति खर्च।
13.	वालों का निर्माण	30.00	अगस्त 2021 में केवल कार्य शुरू हुआ	26.43	3.57	11.90	फेस 1 और 2 पर फिल्म संरक्षण हेतु अतिरिक्त स्थान का निर्माण/मरम्मत, एनएफएआई अवधारणा परियोजना रिपोर्ट पर ग्लोबल मानक की आयोजना, डिजाइनिंग निर्माण तथा मंत्रालय के अनुमोदन की आदेश सं. एम-15016/3/2020 डीओ (एफसी) दिनांक 1जुलाई 2020 के अनुसार एनबीसीसी द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक अनुमान।

क्र. सं.	मिशन में शामिल घटक	लक्ष्य		उपलब्धि			भौतिक
		वित्तीय	भौतिक	वित्तीय (करोड़ में)			
				उपलब्धि	कमी	प्रतिशत कमी	
14.	एचवीएसी, मरम्मत संचयन,	7.00	निर्दिष्ट नहीं	4.32	2.68	38.35	डिजिटल डाटाबेस एवं मौजूदा संचायन सुविधाओं के लिए सुधार कार्य हेतु 100 टीवी स्टॉरेज के भुगतान पर किया गया व्यय
15.	प्रशासनिक व्यय	31.69	निर्दिष्ट नहीं	28.07	3.62	11.43	बोली प्रबंधन हेतु मै. केपीएमजी सलाहकार सेवा लि. के लिए भुगतान, एनएफएचएफ रोडमैप तथा मंत्रालय के निर्देशानुसार पीएमयू की स्थापना परियोजना की आवश्यकता के अनुसार सीसीटीवी निगरानी प्रणाली का अधिष्ठापन तथा कम्प्यूटर की खरीद, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर परियोजना की आवश्यकता के अनुसार गैर-फिल्मी सामग्री के डिजिटलीकरण के लिए भुगतान।
	कुल	597.41		120.09	477.32	79.90	

स्रोत: एनएफएआई द्वारा उपलब्ध कराया गया डाटा

अनुलग्नक-2.8

(पैराग्राफ सं. 2.10.4.7 (ए) में संदर्भित)

मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर (एमएसआई) हेतु निविदाएं एवं आरएफपी जारी करने में कमियां

(राशि ₹ में)

कार्य की प्रगति	ईएफसी जापन के अनुसार निधि आवंटन (ए)	करार मूल्य/किया गया व्यय (बी)	ए या बी का आंकड़ा जो भी अधिक हो	टिप्पणियां
फिल्म स्थिति का निर्धारण	39,10,00,000	15,34,03,614	15,34,03,614	
डिजिटल सिनेमा पैकेज		44,96,489	44,96,489	
फिल्म अन्तर्वस्तु सेवाओं का निवारक संरक्षण		47,84,33,185	47,84,33,185	
सलाहकार सेवाएं	31,69,00,000	28,03,63,850	28,03,63,850	
अन्य प्रशासनिक व्यय		6,88,00,000	6,88,00,000	केपीएमजी को भुगतान के अलावा प्रशासनिक व्यय
एनएफएआई में ऑडियो गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला उपकरण की आपूर्ति, अधिष्ठापन, परीक्षण एवं चालू करना		57,39,607	57,39,607	
एनएफएआई थिएटरों में ऑडियो प्रणाली उन्नयन		1,40,30,015	1,40,30,015	
एनएफएआई में फिल्म अन्तर्वस्तु का डिजिटलीकरण	1,04,87,00,000	74,01,67,500	1,04,87,00,000	
फिल्मी अन्तर्वस्तु का उपशीर्ष		4,72,03,924		
'एनएफएआई में ग्लोबल मानकों के वोल्टों का आयोजना, डिजाइनिंग, निर्माण'	30,00,00,000	58,21,67,499	58,21,67,499	
एनएफएआई में फिल्म अन्तर्वस्तु का रेस्टोरेशन	2,14,43,00,000	1,69,55,12,500	1,69,55,12,500	कार्य पत्र प्राप्त हुआ/
		1,01,73,07,500	1,01,73,07,500	कार्य आदेश जारी होना बाकी है।
		67,82,05,000	67,82,05,000	
		24,42,60,000	24,42,60,000	
सामग्री का अधिग्रहण	16,41,00,000	27,00,000	16,41,00,000	ईएफसी
घर में उपयोग हेतु डिजिटलीकरण उपकरण की खरीद	9,00,00,000	3,60,00,000	9,00,00,000	जापन के अनुसार अनुमोदित

कार्य की प्रगति	ईएफसी ज्ञापन के अनुसार निधि आवंटन (ए)	करार मूल्य/किया गया व्यय (बी)	ए या बी का आंकड़ा जो भी अधिक हो	टिप्पणियां
1140 फीचर फिल्मों का अंतर-नकारात्मक	1,02,60,00,000	0.00	1,02,60,00,000	व्यय
1164 लघु फिल्मों का अंतर-नकारात्मक	37,31,00,000	0.00	37,31,00,000	
अनुसंधान एवं प्रकाशन	100,000,00,000	18,00,000	1,00,00,000	
रेस्टोरेशन, संरक्षण एवं संग्रह पर प्रशिक्षण	4,00,00,000	2,87,00,000	4,00,00,000	
संचयन, एचवीएसी मरम्मत	7,00,00,000	4,32,00,000	7,00,00,000	
कुल	5,97,41,00,000	6,12,24,90,683.02	8,04,46,19,259	

अनुलग्नक-2.9

(पैराग्राफ सं. 2.12.3.2 (ए) में संदर्भित)

केन्द्र एवं राज्य द्वारा एसएसडीएम को जारी निधियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	संस्वीकृत आदेश तिथि	अनुमोदित निधियां			राज्य राजकोष से एसएसडीएम द्वारा प्राप्त निधियां		
			केन्द्रीय हिस्सा	राज्य हिस्सा	कुल	केन्द्रीय हिस्सा	राज्य हिस्सा	कुल
1.	महाराष्ट्र	12.02.2019	22.04	14.70	36.74	17.19	11.18	28.37
2.	पंजाब	15.07.2019	7.06	4.70	11.76	4.88	2.82	7.70
3.	मध्य प्रदेश	21.11.2019	14.42	9.62	24.04	7.91	5.27	13.18
4.	मिजोरम	09.01.2020	1.81	0.20	2.01	1.81	-	1.81
5.	पश्चिम बंगाल	17.07.2020	5.00	3.33	34.51	7.39	4.92	12.31
		29.07.2020	2.39	1.59				
		07.08.2020	13.32	8.88				
6.	तेलंगाना	22.12.2020	8.27	5.52	13.79	1.87	-	1.87
कुल			74.31	48.54	122.85	41.05	24.19	65.24

अनुलग्नक-3.1
(पैराग्राफ सं. 3.1 में संदर्भित)
कंटेनर भाड़ा दरों के गैर-संशोधन के कारण हानि

(राशि ₹ में)

वर्ष	संभाले गए कंटेनरों की सं.	डीएसएस द्वारा प्रस्तावित कंटेनर प्रभार	प्रस्तावित कुल कंटेनर प्रभार	वास्तव में लगाए गए कंटेनर प्रभारों की मौजूदा दर	प्राप्त कुल कंटेनर प्रभार	सरकारी राजस्व की हानि
	ए	बी	सी = ए*बी	डी	ई = ए*डी	एफ = सी - ई
1. ड्राई कंटेनर						
2014-15	904	34331.00	31035224	31210	28213840	2821384
2015-16	732	36047.55	26386807	31210	22845720	3541087
2016-17	514	37849.93	19454864	31210	16041940	3412924
2017-18	574	39742.42	22812149	31210	17914540	4897609
2018-19	546	41729.55	22784334	31210	17040660	5743674
2019-20	469	43816.02	20549713	31210	14637490	5912223
2020-21	94	46006.82	4324641	31210	2933740	1390901
सामान्य कंटेनर भाड़ा प्रभारों के गैर-संशोधन हेतु राजस्व की हानि					(i)	27719802
2. रीफर कंटेनर						
2014-15	145	20724.00	3004980	18840	2731800	273180
2015-16	164	21760.20	3568673	18840	3089760	478913
2016-17	114	22848.21	2604696	18840	2147760	456936
2017-18	132	23990.62	3166762	18840	2486880	679882
2018-19	162	25190.15	4080804	18840	3052080	1028724
2019-20	137	26449.66	3623603	18840	2581080	1042523
2020-21	22	27772.14	610987	18840	414480	196507
रीफर कंटेनर भाड़ा प्रभारों के गैर-संशोधन हेतु राजस्व की हानि					(ii)	4156666
राजस्व की कुल हानि (i+ii)						31876467
<p>* ड्राई कंटेनर के लिए कंटेनर भाड़ा में शामिल है (i) लोड हुए सामान्य कंटेनर प्रभार (ii) लिफ्ट ऑन लिफ्ट ऑफ ट्रेलर प्रभार आदि (iii) कंटेनर पट्टा प्रभार एवं (iv) लदान प्रभारों का बिल अर्थात्, ₹28,000 + ₹770 + ₹2380 + ₹60 = ₹31,210; एवं रीफर कंटेनर प्रभारों में शामिल है (i) लोड हुए सामान्य कंटेनर प्रभार (ii) कंटेनर पट्टा प्रभार तथा (iii) लदान प्रभारों का बिल अर्थात्, ₹16400 + ₹2380 + ₹60 = ₹18840.</p>						
<p># लेखापरीक्षा ने वर्ष 2014-15 के लिए मौजूदा दर पर 10% की वृद्धि एवं तीन-सदस्यी समिति (दिनांक 19.08.2014) के प्रस्ताव पर आधारित वर्ष 2014-15 के लिए निर्धारित दर प्रत्येक वर्ष 5% की वृद्धि को परिकलित किया है जिसे कंटेनर भाड़ा दरों की समीक्षा के लिए आदेश सं. 4077 दिनांक 07.08.2003 के माध्यम से गठित किया गया।</p>						

अनुलग्नक-3.2

(पैराग्राफ सं. 3.1 में संदर्भित)

2014-15 से 2020-21 की अवधि के दौरान दरों के गैर-संशोधन के कारण हानि

(राशि ₹ में)

वर्ष	बुक किए गए/संभाले गए कंटेनरों की सं.	निजी जलयान के लिए कंटेनर प्रभार**	वास्तव में लगाए गए कंटेनर प्रभारों की मौजूदा दर	अंतर	राजस्व हानि
	ए	बी	सी	डी = (बी-सी)	ई = ए*डी
1. ड्राई कंटेनर					
2014-15	904	61000.00	31210	29790.00	26930160
2015-16	732	62464.00	31210	31254.00	22877928
2016-17	514	63963.14	31210	32753.14	16835114
2017-18	574	65498.25	31210	34288.25	19681456
2018-19	546	67070.21	31210	35860.21	19579675
2019-20	469	68679.89	31210	37469.89	17573378
2020-21	94	70328.21	31210	39118.21	3677112
सामान्य कंटेनर भाड़ा प्रभारों ... (i) के गैर-संशोधन हेतु राजस्व की हानि					127154823
2. रीफर कंटेनर					
2014-15	145	87150.00	18840	68310.00	9904950
2015-16	164	88230.66	18840	69390.66	11380068
2016-17	114	89324.72	18840	70484.72	8035258
2017-18	132	90432.35	18840	71592.35	9450190
2018-19	162	91553.71	18840	72713.71	11779621
2019-20	137	92688.97	18840	73848.97	10117309
2020-21	22	93838.32	18840	74998.32	1649963
रीफर कंटेनर भाड़ा प्रभारों... (ii) के गैर-संशोधन हेतु राजस्व हानि					62317359
कुल राजस्व हानि (i + ii)					189472182
** यहां दो वर्षों अर्थात् 2014-15 एवं 2021-22 हेतु ड्राई कंटेनर के लिए उपलब्ध कंटेनर भाड़ा दरें क्रमशः ₹61000 एवं ₹72000 तथा रीफर कंटेनर के लिए क्रमशः ₹87150 एवं ₹95000 है। इन दरों पर आधारित बीच के वर्षों अर्थात् 2015-16 से 2020-21 के लिए कंटेनर भाड़ा दरें चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) पद्धति का उपयोग करते हुए निकाली गई है। वर्ष 2021-22 की दरों का उपयोग केवल मध्यावधि की दरें निकालने में किया जाता है।					

अनुलग्नक-3.3

(पैराग्राफ सं. 3.2 में संदर्भित)

पूर्व-बोली ईएमडी एवं प्रतिभूति जमा की गैर/कम वसूली

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	जहाज का नाम	निपटान हेतु अनुमोदन की तिथि	एमएसटीसी द्वारा बिक्री की तिथि	निर्धारित आरक्षित मूल्य	सामाग्री का मूल्य	पूर्व-बोली ईएमडी	जमा किया गया ईएमडी	ईएमडी का गैर-जमा	प्रतिभूति जमा (एसडी)	जमा की गई एसडी	एसडी का कम जमा	वसूली का
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	एफ	(जी= ई *10%)	(एच)	(आई= जी - एच)	(जे= एफ * 25%)	(के)	(एल = जे - के)	(एम)
1	एमवी इंदु भूषण	31.12.2019	28.10.2020	32,400	71,001	3240	0	3240	17750	42500	0	नहीं उठाया
2	एमवी महावीर सिंह	31.12.2019	28.10.2020	32,400	71,001	3240	0	3240	17750			नहीं उठाया
3	एमएल सीगू II	31.12.2019	28.10.2020	14,900	28,001	1490	0	1490	7000			नहीं उठाया
4	एमवी मोहवा	14.11.2019	28.10.2020	16,97,760	26,00,000	169776	0	169776	650000	0	650000	नहीं उठाया
5	एमवी गर्जन	07.12.2020	28.07.2021	6,59,722	58,50,000	65972	0	65972	1462500	0	1462500	नहीं उठाया
6	एमटी द्वीप शक्ति	29.12.2020	28.07.2021	5,04,000	85,00,000	50400	0	50400	2125000	0	2125000	नहीं उठाया
7	एमवी भान सिंह	29.12.2020	28.07.2021	4,000	7,25,000	400	0	400	181250	0	181250	नहीं उठाया
8	एमवी राम राखा	29.12.2020	28.07.2021	3,500	7,30,000	350	0	350	182500	0	182500	नहीं उठाया
9	एचएमवी मोती	29.12.2020	28.07.2021	7,89,000	60,00,000	78900	0	78900	1500000	0	1500000	नहीं उठाया
कुल								373768		42500	6101250	
कुल गैर/कम वसूली= ₹61.01 लाख (₹61.01 लाख में ईएमडी का 3.74 शामिल है)												

अनुलग्नक-3.4

(पैराग्राफ सं. 3.3 में संदर्भित)

जुटाव अग्रिम एवं मालबंधन अग्रिम के कारण ब्याज की कम वसूली/गैर वसूली

कार्य का नाम: (1) ए एण्ड एन द्वीप के नील द्वीप पर सी/ओ अतिरिक्त निकट घाट, बर्थिंग घाट का विस्तार (कुल जारी जुटाव अग्रिम: ₹9324730/-)

(राशि ₹ में)

अग्रिम की राशि/शेष अग्रिम राशि जिस पर ब्याज लिया जाना है	आरए बिल सं.	आरए बिल की तिथि	वसूली गई मूल राशि	शेष मूल राशि		अवधि जिसके लिए ब्याज प्रभारित किया जाना है		दिनों की सं. जिसके लिए ब्याज प्रभार्य है	अनुबंध के अनुसार (पीएलआर +2%) लागू होने वाली ब्याज की दर	अनुबंध के अनुसार लगाया जाने वाला ब्याज	विभाग द्वारा वास्तव में वसूला गया ब्याज
				से	तक	से	तक				
1. (i) जुटाव अग्रिम :- एचआर सं.17 दिनांक 22.06.2017 के माध्यम से ₹4662185 की पहली किश्त											
4662185	7 ^{वां}	18-05-2018	2331093	2331092	22-06-2017	18-05-2018	330	15.85	668097	0	
2331092	8 ^{वां}	17-09-2018	0	2331092	--	--	--	--	--	215371	
2331092	10 ^{वां}	15-09-2018	2331092	0	18-05-2018	15-09-2018	120	15.85	121472	79129	
कुल (ए)									789570	294500	
1. (ii) जुटाव अग्रिम: एचआर सं. 22 दिनांक 04.08.2017 के माध्यम से ₹4662185 की दूसरी किश्त											
4662185	11 ^{वां}	26-10-2018	2331093	2331092	04-08-2017	26-10-2018	448	15.75	901271	0	
4662185	12 ^{वां}	23-11-2018	0	2331092	--	--	--	--	--	115213	
2331092	15 ^{वां}	26-03-2019	2331092	0	26-10-2018	26-03-2019	151	15.75	151888	0	
--	18 ^{वां}	27-08-2019	--	--	--	--	--	--	--	98848	
कुल (बी)									1053159	214061	
कुल योग = (ए+बी)									1842729	508561	
पहले कार्य के मामले में ब्याज की कम कटौती = (1842729 - 508561) = ₹1334168/- (I)											
2. (i) मालबंधन अग्रिम:- एचआर 35 दिनांक 13.10.2017 के माध्यम से ₹933781 की पहली किश्त											
933781	17 ^{वां}	30-06-2019	933781	0	13-10-2017	30-06-2019	625	15.7	251034	0	
कुल (सी)									251034	0	
2. (ii) मालबंधन अग्रिम: - एचआर सं. 38 दिनांक 03.11.2017 के माध्यम से ₹933780 की दूसरी किश्त											
933780	17 ^{वां}	30-06-2019	933780	0	03-11-2017	30-06-2019	604	15.7	242599	0	
कुल (डी)									242599	0	
कुल योग (सी+डी)									493632	0	

मालबंधन अग्रिम पर ब्याज की गैर-कटौती = 493632.....II

कार्य-I के मामले में बकाया ब्याज = I+II (13,34,168+4,93,632)=18,27,800

अनुलग्नक-3.5

(पैराग्राफ सं. 3.3 में संदर्भित)

जुटाव अग्रिम एवं मालबंधन अग्रिम के कारण ब्याज की कम वसूली/गैर वसूली

कार्य का नाम: (2) पोर्टब्लेयर में ड्राई डाक, पम्प एवं सहायक उपकरणों की आपूर्ति, अधिष्ठापन एवं चालू करने सहित समुद्री डॉक यार्ड पर नए ड्राई डॉक-11 का विस्तार

(कुल जारी जुटाव अग्रिम: ₹50594864/-)

(राशि ₹ में)

अग्रिम की राशि/शेष अग्रिम राशि जिस पर ब्याज लिया जाना है	आरए बिल सं.	आरए बिल की तिथि	वसूली गई मूल राशि	शेष मूल राशि	अवधि जिसके लिए ब्याज प्रभारित किया जाना है		दिनों की सं. जिसके लिए ब्याज प्रभार्य है	अनुबंध के अनुसार (पीएलआर +2%) लागू होने वाली ब्याज की दर	अनुबंध के अनुसार लगाया जाने वाला ब्याज	विभाग द्वारा वास्तव में वसूला गया ब्याज
					से	तक				
1. (i) पहला जुटाव अग्रिम:- एचआर सं. 66 दिनांक 29.03.2017 के माध्यम से ₹17547432 की पहली किश्त										
17547432	18 ^{वां}	11-06-2018	8773716	8773716	29-03-2017	11-06-2018	439	16	3376799	3316345
8773716	47 ^{वां}	22-10-2019	8773716	0	11-06-2018	22-10-2019	498	16	1915314	0
--	49 ^{वां}	07-11-2019	--	--	--	--	--	--	--	3522634
कुल (ए)									5292113	6838979
1. (ii) पहला जुटाव अग्रिम:- एचआर सं. 34 दिनांक 21.11.2017 के माध्यम से ₹17547432 की दूसरी किश्त										
17547432	50 ^{वां}	07-12-2019	0	17547432	21-11-2017	07-12-2019	746	15.7	5630658	145668
17547432	51 ^{वां}	07-01-2020	0	17547432	07-12-2019	07-01-2020	31	15.7	233982	150523
17547432	52 ^{वां}	07-02-2020	0	17547432	07-01-2020	07-02-2020	31	15.7	233982	150523
17547432	54 ^{वां}	07-03-2020	0	17547432	07-02-2020	07-03-2020	29	15.7	218886	140812
17547432	55 ^{वां}	07-04-2020	0	17547432	07-03-2020	07-04-2020	31	15.7	233982	150523
17547432	57 ^{वां}	07-04-2020	8773716	8773716	07-04-2020	07-04-2020	0	15.7	0	441859
8773716	58 ^{वां}	07-08-2020	0	8773716	07-04-2020	07-08-2020	122	15.7	460416	145668
8773716	60 ^{वां}	07-09-2020	0	8773716	07-08-2020	07-09-2020	31	15.7	116991	75262
8773716	61 ^{वां}	07-10-2020	0	8773716	07-09-2020	07-10-2020	30	15.7	113217	72834
8773716	63 ^{वां}	07-11-2020	0	8773716	07-10-2020	07-11-2020	31	15.7	116991	75262
8773716	64 ^{वां}	07-12-2020	0	8773716	07-11-2020	07-12-2020	30	15.7	113217	72834
8773716	68 ^{वां}	07-01-2021	0	8773716	07-12-2020	07-01-2021	31	15.7	116991	75262
8773716	73 ^{वां}	07-05-2021	0	8773716	07-01-2021	07-05-2021	120	15.7	452868	72834
8773716	77 ^{वां}	07-06-2021	0	8773716	07-05-2021	07-06-2021	31	15.7	116991	75262
8773716	79 ^{वां}	07-08-2021	0	8773716	07-06-2021	07-08-2021	61	15.7	230208	148096
8773716	81 ^{वां}	07-09-2021	1104106	7669610	07-08-2021	07-09-2021	31	15.7	116991	75262
7669610	83 ^{वां}	21-09-2021	1659321	6010289	07-09-2021	21-09-2021	14	15.7	46186	63668
6010289	85 ^{वां}	07-10-2021	386232	5624057	21-09-2021	07-10-2021	16	15.7	41364	70117
5624057	87 ^{वां}	07-11-2021	651492	4972565	07-10-2021	07-11-2021	31	15.7	74993	51082
4972565	88 ^{वां}	07-12-2021	1114256	3858309	07-11-2021	07-12-2021	30	15.7	64167	0
3858309	89 ^{वां}	07-01-2022	552189	3306120	07-12-2021	07-01-2022	31	15.7	51448	47883

अग्रिम की राशि/शेष अग्रिम राशि जिस पर ब्याज लिया जाना है	आरए बिल सं.	आरए बिल की तिथि	वसूली गई मूल राशि	शेष मूल राशि	अवधि जिसके लिए ब्याज प्रभारित किया जाना है		दिनों की सं. जिसके लिए ब्याज प्रभार्य है	अनुबंध के अनुसार (पीएलआर +2%) लागू होने वाली ब्याज की दर	अनुबंध के अनुसार लगाया जाने वाला ब्याज	विभाग द्वारा वास्तव में वसूला गया ब्याज
					से	तक				
3306120	91 ^{वां}	07-02-2022	815526	2490594	07-01-2022	07-02-2022	31	15.7	44085	35255
2490594	93 ^{वां}	07-03-2022	1151942	1338652	07-02-2022	07-03-2022	28	15.7	29996	26074
1338652	94 ^{वां}	07-04-2022	1338652	0	07-03-2022	07-04-2022	31	15.7	17850	28360
कुल (बी)									8876457	2390923
2. (i) दूसरा जुटाव अग्रिम:- एचआर सं. 52 दिनांक 18.03.2021 के माध्यम से ₹9500000 की पहली किश्त										
9500000	79 ^{वां}	07-08-2021	0	9500000	18-03-2021	07-08-2021	142	14.15	522968	318575
9500000	81 ^{वां}	07-09-2021	0	9500000	07-08-2021	07-09-2021	31	14.15	114169	72616
9500000	83 ^{वां}	21-09-2021	0	9500000	07-09-2021	21-09-2021	14	14.15	51560	70274
9500000	85 ^{वां}	07-10-2021	0	9500000	21-09-2021	07-10-2021	16	14.15	58926	65589
9500000	87 ^{वां}	07-11-2021	0	9500000	07-10-2021	07-11-2021	31	14.15	114169	77301
9500000	89 ^{वां}	07-01-2022	0	9500000	07-11-2021	07-01-2022	61	14.15	224655	72616
9500000	91 ^{वां}	07-02-2022	0	9500000	07-01-2022	07-02-2022	31	14.15	114169	72616
9500000	93 ^{वां}	07-03-2022	0	9500000	07-02-2022	07-03-2022	28	14.15	103121	65589
9500000	94 ^{वां}	07-04-2022	72357	9427643	07-03-2022	07-04-2022	31	14.15	114169	72617
9427643	95 ^{वां}	07-05-2022	1743487	7684156	07-04-2022	07-05-2022	30	14.15	109645	0
7684156	96 ^{वां}	07-06-2022	549156	7135000	07-05-2022	07-06-2022	31	14.15	92347	0
कुल (सी)									1619899	887793
2. (ii) दूसरा जुटाव अग्रिम:- एचआर सं. 53 दिनांक 24.03.2021 के माध्यम से ₹1800000 की दूसरी किश्त										
1800000	79 ^{वां}	07-08-2021	0	1800000	24-03-2021	07-08-2021	136	14.15	94902	56811
1800000	81 ^{वां}	07-09-2021	0	1800000	07-08-2021	07-09-2021	31	14.15	21632	13759
1800000	83 ^{वां}	21-09-2021	0	1800000	07-09-2021	21-09-2021	14	14.15	9769	13315
1800000	85 ^{वां}	07-10-2021	0	1800000	21-09-2021	07-10-2021	16	14.15	11165	12427
1800000	87 ^{वां}	07-11-2021	0	1800000	07-10-2021	07-11-2021	31	14.15	21632	14647
1800000	89 ^{वां}	07-01-2022	0	1800000	07-11-2021	07-01-2022	61	14.15	42566	13759
1800000	91 ^{वां}	07-02-2022	0	1800000	07-01-2022	07-02-2022	31	14.15	21632	13759
1800000	93 ^{वां}	07-03-2022	0	1800000	07-02-2022	07-03-2022	28	14.15	19539	12428
1800000	94 ^{वां}	07-04-2022	0	1800000	07-03-2022	07-04-2022	31	14.15	21632	13759
1800000	95 ^{वां}	07-05-2022	0	1800000	07-04-2022	07-05-2022	30	14.15	20934	0
1800000	96 ^{वां}	07-06-2022	0	1800000	07-05-2022	07-06-2022	31	14.15	21632	0
कुल (डी)									307036	164664
2. (iii) दूसरा जुटाव अग्रिम:- एचआर सं. 01 दिनांक 01.04.2021 के माध्यम से ₹4200000 की तीसरी किश्त										
4200000	79 ^{वां}	07-08-2021	0	4200000	01-04-2021	07-08-2021	128	14.15	208412	119096
4200000	81 ^{वां}	07-09-2021	0	4200000	07-08-2021	07-09-2021	31	14.15	50475	32104

अग्रिम की राशि/शेष अग्रिम राशि जिस पर ब्याज लिया जाना है	आरए बिल सं.	आरए बिल की तिथि	वसूली गई मूल राशि	शेष मूल राशि	अवधि जिसके लिए ब्याज प्रभारित किया जाना है		दिनों की सं. जिसके लिए ब्याज प्रभार्य है	अनुबंध के अनुसार (पीएलआर +2%) लागू होने वाली ब्याज की दर	अनुबंध के अनुसार लगाया जाने वाला ब्याज	विभाग द्वारा वास्तव में वसूला गया ब्याज
					से	तक				
4200000	83 वां	21-09-2021	0	4200000	07-09-2021	21-09-2021	14	14.15	22795	31069
4200000	85 वां	07-10-2021	0	4200000	21-09-2021	07-10-2021	16	14.15	26052	28997
4200000	87 वां	07-11-2021	0	4200000	07-10-2021	07-11-2021	31	14.15	50475	34175
4200000	89 वां	07-01-2022	0	4200000	07-11-2021	07-01-2022	61	14.15	99321	32104
4200000	91 वां	07-02-2022	0	4200000	07-01-2022	07-02-2022	31	14.15	50475	32104
4200000	93 वां	07-03-2022	0	4200000	07-02-2022	07-03-2022	28	14.15	45590	28997
4200000	94 वां	07-04-2022	0	4200000	07-03-2022	07-04-2022	31	14.15	50475	32104
4200000	95 वां	07-05-2022	0	4200000	07-04-2022	07-05-2022	30	14.15	48847	0
4200000	96 वां	07-06-2022	0	4200000	07-05-2022	07-06-2022	31	14.15	50475	0
कुल (ई)									703391	370750
(ए+बी+सी+डी+ई) का कुल (ii)									16798896	10653109
दूसरे कार्य के मामले में ब्याज की कम कटौती = (16798896 - 10653109) = ₹6145787/- (II)										

अनुलग्नक-3.6
(पैराग्राफ सं. 3.4 में संदर्भित)
स्टाम्प शुल्क का कम भुगतान

(राशि ₹ में)

विलेख संख्या एवं तिथि और लाइसेंसधारी का नाम	प्रति वर्ष पार्किंग शुल्क (₹)	अनुबंध के अनुसार एक माह का अग्रिम किराया अर्थात्, कॉलम 2 का 1/12 th	स्टाम्प शुल्क देय (कॉलम 2 का 2% - + कॉलम 3 का 3%) की दर पर	कॉलम 1 के अनुसार निष्पादित विलेख के अनुसार स्टाम्प शुल्क भुगतान किया गया	स्टाम्प शुल्क का कम भुगतान (कॉलम 4 - कॉलम 5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आई एन - सीएच 29354963368860 दि. 15.07.2021 मै. पाश्चात्य इंटरटेनमेंट (पी) लिमिटेड, दिल्ली	5,51,11,111	45,92,592	12,39,999	3,67,335	8,72,664
आईएन- सीएच 28992727156489 टी दि. 23.07.2021 मै. राम सुंदर प्रसाद सिंह, पटना	5,01,03,001	41,75,250	11,27,318	3,34,020	7,93,298
	कुल		23,67,317	7,01,355	16,65,962

अनुलग्नक-3.7

(पैराग्राफ सं. 3.4 में संदर्भित)

मै. पाश्चात्य इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली से लाईसेंस की कम वसूली

(राशि ₹ में)

माह	राशि की प्रतिशतता	बकाया राशि	जमा	अधिक जमा	शुद्ध कम जमा
जनवरी 2020	100% (केवल 8 दिन)	1207915	1207915	शून्य	शून्य
फरवरी 2020	100%	4592593	4592593	शून्य	शून्य
मार्च 2020	100% (16 मार्च तक)	2296297	4592593	2296296	-2296296
अप्रैल 2020	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
मई 2020	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जून 2020	45%	2066667	शून्य	शून्य	2066667
जुलाई 2020	45%	2066667	1785613	शून्य	281054
अगस्त 2020	45%	2066667	2066667	शून्य	शून्य
सितम्बर 2020	55%	2525926	2066667	शून्य	459259
अक्टूबर 2020	60%	2755556	2066667	शून्य	688889
नवम्बर 2020	65%	2985185	3674075	688890	-688890
दिसम्बर 2020	100%	4592593	4665593	73000	-73000
जनवरी 2021	100%	4592593	2150000	शून्य	2442593
फरवरी 2021	100%	4592593	2000000	शून्य	2592593
मार्च 2021	100%	4592593	शून्य	शून्य	4592593
कुल		40933845	30868383	3058186	10065462

कुल बकाया = 4,09,33,845/-

जमा = 3,08,68,383/-

कम जमा = 1,00,65,462/-

अनुलग्नक-3.8

(पैराग्राफ सं. 3.6 में संदर्भित)

परिवीक्षाधीन को भत्ते के अस्वीकार्य भुगतान का विवरण

(राशि ₹ में)

माह	टीवी सं.	दिनांक	आधे दिन का वेतन	किट रखरखाव भत्ता	जोखिम भत्ता	कठिनाई भत्ता	राशन धन भत्ता	भुगतान की गई कुल अस्वीकार्य राशि
सितम्बर-18	19	15.10.2018	1029618	24840	46575	480033	1242000	2823066
अक्तूबर-18	12	05.11.2018	1021328	24640	46200	476168	1232000	2800336
नवम्बर-18	2	03.12.2018	1039566	25080	47025	484671	1254000	2850342
दिसम्बर-18	26	03.01.2019	1041224	25120	47100	485444	1256000	2854888
जनवरी-19	8	01.02.2019	1041224	25120	47100	999776	1256000	3369220
फरवरी-19	6	07.03.2019	1032934	24920	46725	991816	1246000	3342395
मार्च-19	11	08.04.2019	1034592	24960	46800	993408	1248000	3347760
अप्रैल-19	11	02.05.2019	1030935	24840	46650	989896	1242000	3334321
मई-19	8	03.06.2019	1006065	24240	45525	966016	1212000	3253846
जून-19	11	01.07.2019	974563	23480	44100	935768	1174000	3151911
जुलाई-19	1	01.08.2019	1034251	24960	46875	994672	1248000	3348758
अगस्त-19	8	03.09.2019	1007723	24280	45600	1209510	1517500	3804613
सितम्बर-19	10	03.10.2019	971800	23600	44325	1175680	1475000	3690405
अक्तूबर-19	2	01.11.2019	997775	24080	45225	1199560	1505000	3771640
नवम्बर-19	14	09.12.2019	213882	5280	9900	262680	330000	821742
दिसम्बर-19	1	06.01.2020	169116	4120	7725	204970	257500	643431
जनवरी-20	12	10.02.2020	259477	6360	11925	316410	397500	991672
फरवरी-20	1	04.03.2020	261411	6400	12000	318400	400000	998211
मार्च-20	108	06.04.2020	263622	6360	11925	316410	0	598317
अप्रैल-20	541	01.05.2020	263622	6360	11925	316410	0	598317
मई-20	1437	01.06.2020	263622	6360	11925	316410	0	598317
जून-20	2024	01.07.2020	252016	6080	3000	0	0	261096
कुल			16210366	391480	726150	14434108	19492500	51254604

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in